Thursday, 23 April, 1970

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 43, वृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 1970/3 वैशाख, 1892 (शक)
No. 43, Thursday, April 23, 1970/Vaishakha 3, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1172	चीनी जांच आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Sugar Industry	1–3
1173	केन्द्रीय भाण्डागारों में स्टाक किये गये खाद्यान्नों का बीमा	Insurance of foodgrains stocked in Warehousing godowns	4–5
1180	भूमिहीन बेरोजगार लोग	Landless unemployed	5–11
1181	कृषि कानूनों में त्रुटियां दूर करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिश	Recommendation of commissioner for S/C and S/T on Plugging of Loop holes in Agrarian Laws	11–15
1186	पत्तन तथा गोदी कर्मचारी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Wage Board for Port and Dock Workers	15–17
1187	हंगरी फिल्म महोत्सव और भारतीय संस्कृति	Hangarian Film Festival vis-a-vis Indian Culture	17

अल्प-सूचना प्रश्न — SHORT-NOTICE QUESTION

No.	विषय	Subject	Pages
22	सैनिकों के उपभोग के लिये घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of sub-standard foodgrains for Defence Consumption	17–26

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या
S. Q. Nos.

S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
1171	संस्थागत प्रशिक्षण का विस्तार	Expansion of Institutional training	26
1174	चुनावों में राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को निःशुल्क डाक टिकट देना	Supply of free stamps to candidates of political parties at the time of Election	27
1175	बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया	Reactions of State Governments to Unemployment Insurance Scheme	27

---

* किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव पूछा था।

*The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1176	टेलीविजन पर विज्ञापनों के आरम्भ करने के बारे में मत सर्वेक्षण	Opinion survey on introduction of Advertisement over T. V.	28
1177	लेनिन पर वृत्त चित्र	Documentary Film on Lenin	28
1178	सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद डाक व तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का बन्द किया जाना	Stoppage of payment of overtime Allowance to P & T Employees after September, 1968 Strike	28
1179	राज्यों में खेती की बटाई प्रणाली समाप्त करने के लिये आदर्श विधेयक	Model Bill for ending share cropping in States	29
1182	बिना लाइसेंस के टेलीविजन सैटों के मालिकों को छूट	Amnesty to unlicensed T. V. set owners	30
1183	कलकत्ता स्थित निजी चाय भाण्डागारों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Private Tea Warehouses in Calcutta	31
1184	बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिये समिति की नियुक्ति	Setting up of a Committee to study unemployment problems	31
1185	खाद्य में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये पश्चिम बंगाल में कृषि विकास परियोजना	Agricultural development project in West Bengal for Self Sufficiency in Food	31
1188	बिहार और उत्तर प्रदेश डीजल इंजन पम्पिग सेट और विद्युत चालित पम्पिग सेट लगाने की नीति	Policy for installation of diesel Engine and power Engine Pumping Sets in Bihar and U- P.	32–33
1189	बिना डाकघर वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलते-फिरते डाकघर	Mobile Post Office for Rural Areas not served by regular post offices	33
1190	चुने हुये उद्योगों में श्रम लागत तथा उत्पादन लागत का अध्ययन	Study of cost of labour and production in selected industries	33
1191	सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना	Boosting of cultivation of Soyabean	34
1192	कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक के मूल्य में कमी	Reduction in price of fertiliser to boost Agricultural production	35
1193	माल्पे मत्स्य ग्रहण पत्तन परियोजना	Malpe fishing harbour project	35
1194	बीज निगम को प्रमाणीकरण अभिकरण का कार्य सौंपने का विरोध	Opposition to seeds corporation as certification Agency	35
1195	कपास का उत्पादन, खपत और आयात	Production consumption and import of cotton	36–37
1196	कृषि में प्रयोग किये जाने वाले डीजल इंजनों की मांग में कमी	Fall in demand of Agricultural Diesel Engines	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1197 बम्बई और नागपुर के बीच प्रयोक्ता द्वारा डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Subscriber Trunk Dialling System between Bombay and Nagpur	37–38
1198 पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा दंडकारण्य परियोजना को छोड़ कर चले जाना	Desertion by East Pakistan Refugees in Dandakaranya Project	38–40
1199 अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ को मान्यता देना	Recognition of All India University Employees Federation	40–41
7200 डाकघर बचत बैंक में जमा धन पर ब्याज की दर बढ़ाना	Increase in rate of interest for Deposits in Post Office Saving Banks	41
अतारांकित प्रश्न संख्या	Unstarred Question No.	
7206 सत्ताधारी कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements in AICC Souvenir of Congress (R)	41
7207 एक चयनिका के रूप में गान्धी शताब्दी सम्बन्धी प्रसारण में प्रसारित रूपक	An Anthology of Features broadcast on Gandhi Centenary	41–42
7208 आकाशवाणी की ओर से संगीतकारों के विदेशों के दौरे	AIR Sponsored tours abroad of Musicians	42
7209 चौथी योजना में राजस्थान में नलकूप, खुले कुएं तथा उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई सम्बन्धी केन्द्रीय योजना	Central Scheme for tubewells, open wells and lift irrigation scheme in Rajasthan under Fourth Plan	42
7210 सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में वनस्पति तेल के कारखाने	Vanapati Oil Factories in Public and Private Sectors	43
7211 चौथी योजना में पशु पालन के सम्बन्ध में समान्वित योजना की क्रियान्विति	Implementation of Coordinated scheme regarding Animal Husbandry during Fourth Plan	43
7212 सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये चलचित्रों का निर्माण	Films to eradicate social evils	44
7213 सोयाबीन को तैयार करना, उसका विपणन तथा उसकी खेती	Processing, Marketing and cultivation of Soyabean	44
7214 गेहूं की वसूली	Procurement of wheat	45
7215 मैसर्ज प्योरस ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली में उपदान योजना	Gratuity scheme in M/s Pure Drinks (P) Ltd., New Delhi	45–47
7216 उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिये योजना लागू करना	Implementation of small Farmers scheme in U. P.	47

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7217	रूस से एक करार के अधीन ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Russia under Agreement	47–48
7218	कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में सरकार की नीति	Government policy regarding additional Social Security schemes for Employees	48
7219	किसी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज न होने पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली के कारण किसी संसद् सदस्य को टेलीफोन बिल की राशि की प्रतिपूर्ति न किया जाना	Non–reimbursement of telephone Bill of Members of Parliament due to recovery of extra charge in absence of Telephone Exchange in that area	48–49
7220	कलकत्ता में बिड़ला समूह की कम्पनियों के प्रशासकीय कार्यालयों का कार्य	Functioning of administrative offices of Birla Group of companies in Calcutta	49
7221	डाक तथा तार विभाग, राजस्थान सर्किल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के आरोप	Allegations of bribery and corrupt practices against certain officers of P & T department, Rajasthan Circle	49
7222	खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण की रिपोर्ट	Report of the Speech delivered by Minister of Food and Agriculture at Kanpur	50
7223	पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस द्वारा एक सार्टिंग सेक्शन खोले जाने के लिये भूतपूर्व संचार मंत्री को एक संसद सदस्य द्वारा लिखा गया पत्र	Letter from an M. P. to former Minister of Communications for opening a sorting section by Puri-Hyderabad Express	50–51
7224	मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों तथा व्यापारियों को ऋण	Loans to farmers and traders by Co-operative Banks of Madhya Pradesh	51
7225	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर के अनुसन्धान सहायकों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears to Research Assistants of Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar	51–52
7226	जमशेदपुर इंजीनियरी कर्मचारियों को परेशान करना	Victimisation of Engineering workers of Jamshedpur	52
7227	उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बल्लभनगर कृषि फार्म में उत्पादन	Production of Ballabhanagar Agricultural Farm under Udaipur University	52–53
7228	ट्रैक्टरों का कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग	Use of Tractors for Non–Agricultural purposes	53
7229	ग्रामीण ऋण सम्बन्धी वेंकटापेया समिति	Venkatappiah Committee on Rural Credit	53–54
7230	पुनर्वास औद्योगिक निगम, कलकत्ता के लिये केन्द्रीय ऋण की मंजूरी	Central loan to Rehabilitation Industries Corporation, Calcutta	54

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7231	कारगिल में पशु चिकित्सालय	Veterinary hospital for Kargil	54
7232	डाक घर, रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Senior superintendent of Post Office, Ranchi	55
7233	दिल्ली टेलीफोन विभाग की हिन्दी विरोधी नीति	Anti Hindi Policy of Delhi Telephone Department	55
7234	कृषि आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति	Filling up vacancies in Agricultural Commission	55–56
7235	भारतीय शेरों के शिकार पर रोक लगाने के लिये उपाय	Measures to prevent killing of Indian Tigers	56–57
7236	दिल्ली में टेलीविजन के घिसे-पिटे कार्यक्रम	Hackneyed Delhi T. V. Programmes	57
7237	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पर व्यय	Expenditure incurred on pay and allowances of staff of central state farm:Suratgarh	57–58
7238	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दैनिक, अर्ध साप्ताहिक प्रकाशन तथा पुस्तकें	Dailies, Bi-weeklies and books published by Information and Broadcasting Ministry	58
7239	गलत समाचार छापने पर समाचार पत्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई	Action taken against newspapers for publication of False news	58
7240	राज्यों में कुए खोदने पर आवंटित राशि तथा खर्च	Allocation and expenditure on digging wells in States	58–59
7241	ग्रामीण जन शक्ति योजना के लिये आवंटित धन राशि और किया गया व्यय	Allocation and expenditure under scheme for rural man power	59
7242	राज्यों में बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगारी के आंकड़े	Data regarding unemployment and under Employment in States	59–60
7243	उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना	Scheme for labour participation management of undertakings	60
7244	कृषि श्रमिकों के रहन-सहन और कार्य की स्थितियों को सुधारने का कार्यक्रम	Programme for amelioration of living and working conditions of Agricultural Labour	60–61
7245	गन्ने के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में कोयम्बटूर अनुसन्धान संस्था के विचार	Views of Coimbatore Research Institute regarding fixation of sugarcane prices	61–62
7246	पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी, कालोनी नई दिल्ली में प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to displaced person from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi	62–63
7247	1969-70 में खरीफ फसल के उत्पादन का अनुमान	Estimate of production of Kharif crop during 1969-70	63

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7248	जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि कालेज, ग्वालियर को अपने नियंत्रणाधीन लेना	Taking over of Agricultural college Gwalior by Jabalpur Agricultural University	63–64
7249	ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में फिल्में	Films on Historical personages	64
7250	पूर्णिया, बिहार में छोटे किसानों के विकास सम्बन्धी एजेंसियां	Small Farmers development agencies in Purnea, Bihar	64
7251	आकाशवाणी दिल्ली से मैथली कार्यक्रम का प्रसारण	Maithili programmes over A. I. R. Delhi	64–65
7252	जन शक्ति नियोजन एकक द्वारा बेरोजगारी का मूल्यांकन	Assessment of unemployment by Manpower planning unit	65–66
7253	बिहार में न अदा किये गये टेलीफोन बिल	Telephone Bills outstanding in Bihar	66
7254	बिहार सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये जलपान गृह और भोजन कक्षों की सुविधा	Facilities for Canteen and Tiffin Rooms for P & T Employees in Bihar Circle	67
7255	जमशेदपुर के डाक तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities to P&T Employees of Jamshedpur	68
7256	शाहबाद और दरभंगा, बिहार में खोले गये तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Telegraph offices, public call offices opened in Shahabad and Darbhanga, Bihar	68–69
7257	संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिहार सर्किल में खोले गये डाक घर, तार घर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Post offices, Telegraph offices and Public Call Offices opened in Bihar Circle on Recommendation of M. Ps.	69
7258	चौथी पंचवर्षीय योजना में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित अस्पताल	Hospital proposed to be set up under ESI Scheme during Fourth Five Year Plan	69–70
7259	भिवानी मन्डी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी तथा उन पर किया गया व्यय	Employees under ESI scheme in Bhavani Mandi and Amount Spent thereon	70
7260	खान कर्मचारियों में कैन्सर को रोकने के लिये खान कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा किये गये प्रबन्ध	Arrangements by Colliery workers Welfare Fund for controlling cancer among Colliery Warkers	70
7261	कर्मचारी सुरक्षा निधि तथा कोयला खान	Scheme for providing retirement	

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	सुरक्षा निधि के सदस्यों को सेवा निवृत्ति परिवार पेंशन देने की योजना	Family pension Benefits to Members of Employees Security Fund and Coal mines security Fund	70–71
7262	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण का लक्ष्य	Target for construction of Houses under Collieries workers welfare Funds scheme	71
7263	पुनर्गठित अभ्रक खान श्रम कल्याण सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें	Recommendation of reconstituted Mica Mines Labour Welfare Advisory Board Committee and Central Advisory Board	71
6264	रोजगार दफ्तरों में दर्ज अशिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना	Employment to Educated Unemployed Registered with Employment Exchanges	72
7265	कानपुर में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में देय राशियों का जमा न कराया जाना	Non deposit of EPF Dues by Employees in Kanpur	72
7266	दिल्ली दुग्ध योजना के टोकनों की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति	Persons on waiting list for issue of Milk Tokens by DMS	72–73
7268	भाप्तियाही (बिहार) में सार्वजनिक टेलीफोन घर का खोलना	Opening of public call office at Bhaptiahi (Bihar)	73
7269	रेडियो ट्रांजिस्टरों तथा टेलीविजन सेटों के लिये किये गये लाइसेंस	Licences issued for Radios, Transistors and T. V. sets	73–74
7270	दिल्ली में बेरोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी का उन्मूलन	Eradication of corruption and Bribery in Employment Exchanges in Delhi	74
7271	भोपाल सिटी जिला सिहोर तथा जिला धार में डाक घर और उप डाकघर	Post Offices and sub-post offices in Bhopal city, district Sihor, and District Dhar	75
7272	कानपुर जिले में डाकघर तथा उप-डाक घर	Post offices and sub post offices in Kanpur district	75–76
7273	डाक व तार विभाग के मास्टरों, चपरासियों तथा हरकारों का वेतन	Pay of Masters peons and runners of P & T Department	76–77
7274	राज्यों को गेहूं चावल तथा चीनी की सप्लाई	Supply of wheat rice and sugar to States	77–78
7275	व्यास सतलुज सम्पर्क परियोजना में हड़ताल	Strike in Beas Sutlaj link Project	78–79
7276	देशी तथा आयातित उर्वरक की खरीद मूल्य तथा प्रयोग के परिणाम	Purchase price and results of use of indigenous and imported fertilisers	79

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7277	सरकारी विज्ञापन देने में वरीयता देना	Preferential treatment in allotting Government advertisements	79-80
7278	आकाशवाणी का वैदेशिक सेवा प्रसारण यूनिट	AIR Broadcast from External Services Unit	80-81
7279	गेहूं तथा चावल के नये बीजों के अन्तर्गत कृषि भूमि तथा राज्यों को बीजों का वितरण	Acreage of land under new seeds of wheat and rice and distribution of seeds to States	81
7280	दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय	Measure for increase in milk yield	81-82
7281	सूरतगढ़ कृषि फार्म का उत्पादन	Production of Suratgarh Agricultural Farm	82
7282	दिल्ली में छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनक्शनों के अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone Connections under exempted category in Delhi	83
7283	चौथी पंचवर्षीय योजना में खेती वाले समूचे क्षेत्र के लिये सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities for entire area under cultivation during Fourth Plan	84
7284	मनीपुर में इंजीनियरों तथा डिप्लोमा धारियों को रोजगार	Employment of Engineers and Diploma Holders in Manipur	84
7285	चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर के कृषि स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे कृषि कालेज बनाना	Upgrading of Agriculture School of Manipur to an Agriculture college in Fourth Plan	84
7286	मनीपुर, त्रिपुरा नेफा तथा नागालैंड के लिये टेलीफोन सलाहकार समितियां	Telephone Advisory committees for Manipur, Tripura, NEFA and Nagaland	84-85
7287	निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये शर्तें	Conditions for Financial Assistance to Indigent Artistes	85
7288	मनीपुर में कार्मिक संघों के पंजीकरण के लिये आवेदनपत्र	Applications for registration of trade Unions in Manipur	85
7289	कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Representatives of Agricultural Universities and Research Institutions	85-86
7290	नये किस्म के बीजों का किसानों को बेचने से पहले परीक्षण	Field trials of new varieties of Seeds before their sale to farmers	86
7291	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आलू का भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग	Diversified uses of potatoes by Food Corporation of India	86
7292	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक की नियुक्ति	Appointment of Emeritus scientists for Indian Council of Agricultural Research	86-87

विषय		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7294 फिल्म प्रोड्यूसरों दारा फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रमाणीकरणी के लिये दी गई फीस	Fee paid by Film producers to Board of Film censors for certification	87
7295 कृषि के विकास के लिये दी जाने वाली अमरीकी सहायता का स्वरूप	Nature of US Aid for development of Agriculture	87
7296 ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो तथा टेलीविजन क्लबें	Radio and Television clubs in rural areas	87-88
7297 पत्र तथा तारों के सेंसर किये जाने को रोकने के लिये विधान	Legislation to check censor of letters and Telegrams	88
7198 भूमि सुधार नियमों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप पैदा होने वाले विवादों के हल करने के लिये न्यायाधिकरण की स्थापना	Setting up of Tribunal to deal with disputes arising out of implementation of land reforms	88-89
7299 कालिन्दी डाकघर, रामनगर (मिदनापुर) के पोस्ट मास्टर द्वारा निक्षेपों का गबन	Misappropriation of deposits by Post Master of Kalindi post office, Ramnagar (Midnapore)	89
7300 चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलक्स एक्सचेंज स्थापित करना	Telex exchange during Fourth Plan	89-90
7301 उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की मांग	Demand of U. P. Government to increase price of sugarcane	90
7302 वर्ष 1970-71 में बिहार में लघु सिंचाई के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central aid for development of minor irrigation in Bihar during 1970-71	90-92
7303 विश्व संचार उपग्रह व्यवस्था में भारत का योगदान	Contribution of India towards Global Communications Satelite system	92
7304 ग्रामीण ऋण का सहकारी ऋण तथा बैंकों के ऋण से एकीकरण	Integration of rural credit with cooperative credit and credit from banks	92-93
7305 देशी पुर्जों का प्रयोग करके आयातित ट्रैक्टरों को जोड़ना	Assembling of imported tractors with indigenous components	93
7306 प्राथमिक ऋणदात्री समितियों को वाणिज्य बैंक द्वारा धन दिये जाने की प्रायोगिक योजना	Pilot scheme of financing of primary credit societies by commercial banks	93-94
7307 पूर्व पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बसाने के लिये राज्यों को अतिरिक्त ऋण	Additional loans to states for settlement of East Pak refugees	94
7308 भारत में उर्वरक क्रान्ति के बारे में ब्रिटिश प्रोफेसर के विचार	Views of British professor on fertiliser revolution in India	94-96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
7309 चीनी का फालतू उत्पादन	Surplus production of sugar	96
7311 इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के प्रकाशन को बन्द करना	Discontinuance of publication of Allahabad Newspapers	96-97
7312 कन्नड फिल्म 'संस्कार' के दिखाये जाने के लिये प्रमाणपत्र देने से इन्कार	Refusal of certificate for Public Screening to Kannada Film 'Sanskar'	97
7313 महिशिला सरकारी बस्ती, आसनसोल, जिला बर्दवान से अभ्यावेदन	Representation from Mahishila Government Colony, Asansol, Distt. Burdwan	97
7314 समाचार भारतीय लिमिटेड के निदेशकों पर मुकदमा चलाना	Prosecution of directors of Samachar Bharti Ltd.	97-98
7315 'इण्डियन डाइजस्ट'	Indian Digest	98
7316 पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Refugees from Bengal	98-99
7317 अनाज के लिये गोदाम	Storage facilities for foodgrains	99-100
7318 आकाशवाणी कार्यक्रम "टापिक फार टू डे"	A. I. R. Programme "Topic for Today"	100-101
7319 मध्य प्रदेश में चौथी योजना में कपास के उत्पादन का लक्ष्य	Targets of production of cotton during Fourth Plan in Madhya Pradesh	102
7320 मध्य प्रदेश में डाक-तार विभाग के कर्मचारी और उनके आवास की व्यवस्था	Employees of P & T Department in Madhya Pradesh and Provision for their Accommodation	102
7321 1968-69 और 1969-70 मध्य प्रदेश में सुधरे किस्म की वाणिज्यिक ज्वार की कृषि वाला क्षेत्र	Area under improved quality of Commercial Jowar in Madhya Pradesh during 1968-69 and 1969-70	102
7322 मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर और उर्वरक के निर्माण में प्रगति	Progress made in manufacture of Tractors and Fertilisers in M. P.	103
7323 आकाशवाणी की फार्म सूचना यूनिटों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सर्वेक्षण	F. A. O. survey on Farm information Units of A. I. R.	103
7324 लखनऊ रेलवे मेल सेवा के अधीन फैजाबाद कार्यालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिये जाने में विलम्ब	Delay in payment of overtime allowance of employees of Faizabad under Lucknow R.M.S.	104
7325 बिहार में चलती फिरती सीमा शुल्क सेवा	Mobile custom Service in Bihar	104
7326 गत तीन वर्षों में राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizer to states during last three years	104-105

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7327 दिल्ली/नई दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	S. C. and S. T. Candidates registered with Employment Exchange in Delhi/New Delhi	105–106
7328 वैदेशिक स्वेच्छी संस्थाओं का भारत को उपहार स्वरूप खाद्य देने का कार्यक्रम	Programme of Food Donations to India by Foreign Country Organisations	106
7329 उर्वरक की सप्लाई में कमी	Fall in supply of Fertilizers	107
7330 उत्तर प्रदेश को रासायनिक उर्वरक की सप्लाई	Supply of Chemical Fertilisers to U.P.	107
7331 मजगांव गोदी में निर्मित महुआ नावों में प्रयुक्त इस्पात की मोटाई	Thickness of Steel used in Trawlers built at Mazagon Docks	107–108
7332 बीड़ी कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू करने में विलम्ब	Delay in Applications of Bonus Act to Beedi workers	109
7333 आकाशवाणी में नेपाली तथा तिब्बती भाषाओं के लिये सुपरवाइजर	Supervisors for Nepali and Tibet Languages in A. I. R.	109
7334 जापान में सोयाबीन की एक नई किस्म का विकास	Development of a New Variety of Soyabeen in Japan	109–110
7335 राज्यों को निःशुल्क रेडियो ट्रांसिस्टरों का आवंटन	Allotment of free Radio Transistors to States	110
7336 औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा	Compulsory insurance for Industrial Workers	110
7337 अमरीका तथा अन्य देशों को क्रिसमिस डाक भेजने में विलम्ब	Delay in Transmission of Christmas Dak to USA and other countries	110–111
7338 कलकत्ता तथा मद्रास के इमारती लकड़ी के डिपुओं में वन विभाग को हुई हानि	Loss suffered by Forest Department in Calcutta and Madras Timber Depots	111–112
7339 अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह में सहकारी समितियों की संख्या	Number of Cooperative Societies in Andaman and Nicobar Islands	112–113
7340 अंदमान वन विभाग के 'ए' ग्रेड के मुन्शियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of 'A' Grade Munshies of Andaman Forest Department	113
7341 अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि संरक्षण	Siol conservation in Andaman Nicobar Islands	113–114
7342 ईस्टर्न कोर्ट डाक घर, नई दिल्ली के पंजीकरण काउन्टर पर काम में विलम्ब तथा दुर्व्यवहार	Delay and discourtesy shown at registration counter of Eastern Court Post Office, New Delhi	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

7343 बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को 'छूट वाले वर्ग' के अन्तर्गत टेलीफोन की मंजूरी — Telephone connection to Haji Mastan Mirza of Bombay under exempted category 114-115

7344 गाजीपुर में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य देना — Payment of fair price to Sugarcane growers in Ghazipur 115

7345 बड़े उत्पादकों द्वारा खुले बाजार में धान की बिक्री — Selling of paddy in open market by big producers 115-116

7346 कलकत्ता की टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने में विलम्ब — Delay in issue of Telephone Directory for Calcutta 116

7347 अमरावती में आकाशवाणी केन्द्र, जिसे स्थापित करने का वचन दिया गया था — Promised Radio Station for Amravati 116-117

7348 महाराष्ट्र में बिनौला निकालने तथा गांठें बांधने के उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना — Introduction of Employees Provident Fund Scheme in cotton Ginning and Baling Industry in Maharashtra 117

7349 वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण को पुनः प्रयोग में लाना — Restoration of voluntary price control by Vanaspati Industry 117-118

7350 करैंट पत्रिका में इंडियन गवर्नमेंट एजेन्सी और कौमी फ्रंट शीर्षक के अन्तर्गत समाचार — New Item in 'Current' captioned 'Indian Government Agency or Commie Front' 118

7351 आकाशवाणी में क्लर्क ग्रेड में रिक्त पदों की पूर्ति — Number of vacant posts in clerks grade in AIR 118

7352 तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के लिये डाक तार, सिविल विंग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पात्रता — Eligibility of class IV staff of P & T Civil wing for promotion to class III Clerical Cadre 119

7353 आकाशवाणी में विभागीय पदोन्नतियां — Departmental promotions in AIR 119-120

7354 आकाशवाणी के एनाउंसर — AIR Announcers 120

7355 मुख्य प्रोड्यूसरों (क्षेत्रीय कार्यक्रम) की नियुक्तियां — Postings of Chief Producers(Regional) (Programme) 120-121

7356 बर्ड एण्ड कम्पनी की अवलगारिया, धनबाद (बिहार) में भागाबांध कोयला खान की पर्त (सीम) संख्या 18 में भ्रष्टाचार — Malpractice in No. 18 seam of Bhaga Bandh Collieries at Avalgaria, Dhanbad (Bihar) by Bird and Company 121

7357 बोलांगीर (उड़ीसा) में डिवीजनल डाक अधीक्षक, के कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करना — Shifting of office of Divisional Postal Superintendent in Bolangir, Orissa to a New-Building 121-122

विषय	Subject	पृष्ठ, Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7358 बोलागीर (उड़ीसा) के स्थानीय डाकघर को एक अन्य गैर सरकारी भवन में स्थानान्तरित करना	Shifting of Local Office of Bolan gir Orissa to another private building	122–123
7359 आरालम फारम में सिंचाई कार्यक्रम के लिये जांच सर्वेक्षण	Investigation survey for irrigation programme at Aaaralam Farm	123
7360 कांटाफोड (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन सेवा की मांग	Demand of telephone for Kantafod (Madhya Pradesh)	123
7361 सहकारी समितियों के प्रबन्धक निकायों में अपने परिवारों के सदस्यों को लाकर समितियों का दुरुपयोग किया जाना	Misuse of cooperative Societies by Installing members of own Families on the Governing bodies	123–124
7362 पुनर्वास विभाग के मुख्य सैटलमैंट आयुक्त के कार्यालय में फालतू दफ्तरी	Surplus daftries in Chief Settlement Commissioner's Office, Department of Rehabilitation	124–125
7363 उत्तर काशी के बड़े डाकघर में गोलमाल की घटना	Bungling in General Post Office of Uttar Kashi	125
7364 डा० राम मनोहर लोहिया, जतीन्द्र नाथ दास तथा ऊधम सिंह की स्मृति में डाक टिकट जारी करना	Issue of Commamorative stamps in Memory of Dr. Ram Manohar Lohia, Jatindra Nath Das and Udham Singh	125–126
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent public importance	
कलकत्ते में वृत्ताकार रेलवे का निर्माण	Circular railway in Calcutta	126–134
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	134–135
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on public undertakings	135–136
(एक) कार्यवाही-सारांश	(i) Minutes	135
(दो) 65 वां प्रतिवेदन	(ii) Sixty-fifth report	136
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under rule 377	136 and 154–158
6 अप्रैल, 1970 को कुछ संसद् सदस्यों तथा संयुक्त समाजवादी दल के कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पीटा जाना	Beating by police of M. Ps. and SSP demonstrators on 6.4.70	136
आसाम में लखीमपुर में हुई घटनाओं के बारे में	Re. incidents in Lakhimpur in Assam	137
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for grants, 1970-71	137–154
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	

विषय Sub ect पृष्ठ/Pages

अता० प्र० स०

U. S. Q. Nos.

श्री जेवियर	Shri S. Xavier	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	
श्री किरुतिनन	Shri Kiruttinan	
श्री जी० वेंकटस्वामी	Shri G. Venkataswamy	
श्री जि० मो० बिस्वास	Shri G. M. Biswas	
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	
श्री पी० एम० मेहता	P. M. Mehta	
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill,	158–179
विचार के लिए प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidhya Charan Shukla	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	
श्री ना० गो० रंगा	Shri Ranga	
श्री चपला कान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi	
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chuadhuri	
डा० (श्रीमती) मैत्रेयी बसु	Dr. (Shrimati) Maitreyee Basu	
श्री ब्रे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	
खण्ड 2, 3, 1	Classes 2, 3, 1.	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प	Resolution re. Appointment of third Pay Commission.	

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 23 अप्रैल, 1970/ 3 वैशाख, 1892 (शक)
Yhursday, April 23, 1970/ Vaishakha 3, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी जांच आयोग की सिफारिशें

*1172. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में चीनी के आंशिक विनियंत्रण के बाद सरकार ने बसूल की गई चीनी के मूल्य निर्धारित करने का कार्य चीनी जांच आयोग को सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो उस आयोग ने क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) क्या सरकार ने उनको स्वीकार कर लिया है; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्य-वाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू करने के बाद सरकार ने टैरिफ आयोग से चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने का अनुरोध किया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। तथापि जहां तक टैरिफ़ आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, चीनी उद्योग के लागत ढांचे और चीनी के लिए उचित मूल्य सम्बन्धी टैरिफ आयोग की रिपोर्ट, 1969 की प्रति साथ में सरकार के संकल्प संख्या 2—1/70—शुगर पालिसी, दिनांक 20

फरवरी, 1970 की प्रतिलिपि जिसमें आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में स्थिति स्पष्ट की गयी थी, 26 फरवरी, 1970 को सभा के पटल पर रख दी गयी थी।

Shri Rabi Ray : After the introduction of decontrol of sugar, Government's policy has been this that 60 percent sugar will be sold through Control and 40 per cent in open market. But, the present ratio between control and open market sugar is 70 : 30. What are the reasons for such a wide difference ? Will the Hon. Minister explain the position n this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : 70 प्रतिशत और :0 प्रतिशत के अनुपात का कारण है 70 प्रतिशत चीनी कन्ट्रोल के माध्यम के बेची जाती है और 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेची जाती है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मास यही अनुपात हो और न ही यह आवश्यक है कि प्रत्येक मास इनकी मात्रा भी वही हो क्योंकि इसके कई कारण हैं। कभी-कभी धार्मिक उत्सवों के लिए हमें कुछ ढील देनी पड़ती है ताकि किसी विशेष मास में चीनी की उपलब्धता का अनुपात वही न हो। परन्तु, यदि हम पूरे वर्ष के उत्पादन को ध्यान में रखते हैं, तो यही अनुपात रखा जाता है।

Shri Rabi Ray : What are the details of sugar sold in retail during the last three months ? What is the difference between the prices of the sugar sold in wholesale and that of the sugar made available to the users in retail and the steps Govt. propose to take to patch up the said difference ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि गत तीन महीनों में सरकार द्वारा दी गई चीनी के सही आंकड़े देने हैं, तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। सामान्यतया खुले बाजार में बिक्री के लिए दी गई चीनी की मात्रा लगभग 1 लाख मीटरिक टन है और कन्ट्रोल के माध्यम द्वारा बेची जाने वाली चीनी की मात्रा 2,30,000 अथवा 2,31,000 मीटरिक टन है। इस महीने कुछ अधिक चीनी वितरण के लिए दी गई अर्थात् 2,61,000 मीटरिक टन कन्ट्रोल के माध्यम से बेचे जाने के लिए और 1 लाख मीटरिक टन खुले बाजार में बेचे जाने के लिए।

Shri Balraj Madhok : Whether it is a fact that the Tariff Commission has divided sugar factories into 14 zones in order to fix sugar prices, and the prices of sugar have been fixed on their average cost of production ? Whether it is also a fact that the cost of production of a large number of factories is lower than the average cost so fixed as a result of which the said factories would earn profit, but there are so many factories in each zone whose cost of production is more than the average cost ? Now, the factories, whose cost of production is more, should either be closed down or should stop production. I would like to know whether Govt. have adopted some definite policy in regard to sugar prices, so that these mills continue to run and the quantity of sugar produced at present remains as it is.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि टैरिफ आयोग ने देश को 15 जोनों में बांटने की सिफारिश की है और उन्होंने लागत अनुसूचियों की भी सिफारिश की है जिनके आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता है। चीनी उद्योग के हित में यह आवश्यक है कि कीमतें क्षेत्रीय औसत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिएं और मेरे विचार में टैरिफ आयोग की अधिकतर सिफारिशें किसी विशेष सिद्धान्त पर आधारित हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, परन्तु टैरिफ आयोग द्वारा चीनी कारखानों को दी गई राहत में उत्पादन-लागत में अन्तर अथवा कुछ कमी-वेशी का भी ध्यान रखा गया है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री जी को गलतफहमी हुई है। 50 प्रतिशत मिलों में उत्पादन लागत निर्धारित औसत लागत से अधिक है। आप इस बात की जांच कर सकते हैं।

Shri K. N. Tiwari : There is no difference between the prices of free-sugar and controlled sugar. The limit which was fixed on bank-loans due to excess production of sugar, has since crossed over and the banks are not advancing them any further loan as a result of which the growers are not getting the money and the sugar is lying in the godowns. It is not being sold. I would like to know the steps being taken by Govt. to meet the situation.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि इस वर्ष उत्पादन उत्साहजनक रहा है। लगभग 34 लाख मीटरिक टन तक उत्पादन हो चुका है जो गत वर्ष के उत्पादन से लगभग 5 लाख मीटरिक टन अधिक है।

श्री रंगा : इसी कारण से उत्पादकों को हानि हो रही है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य बना रहेगा चाहे स्टॉक अधिक हो अथवा कम हो। जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है, चीनी उद्योग ने हमें अभ्यावेदन दिया है जो हमने वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक को भेज दिया है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या यह सच नहीं है कि तामिलनाडु के लिए निर्धारित कन्ट्रोल मूल्य उसके पड़ौसी राज्यों के लिए निर्धारित मूल्य से 15 रुपये अधिक है और पड़ौसी राज्यों में कम मूल्य के कारण उपभोक्ताओं में भारी असंतोष फैल रहा है? क्या यह मूल्य राज्य सरकार की इच्छा के प्रतिकूल निर्धारित किया गया था? क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने की बजाय विनियंत्रण की सिफारिश की थी?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गई लागत-अनुसूचियों और उसके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही कीमतें निर्धारित की गई हैं। किसी क्षेत्र विशेष में कीमतें गन्ने से उपलब्ध चीनी की मात्रा और पेराई की अवधि पर निर्भर करती है। जिन सदस्यों को इसकी पेचीदगियों का ज्ञान है वे शायद जानते होंगे कि फार्मूले के एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद हम स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर और तामिलनाडु में अम्बर, जिनके बीच 15 या 20 मील की दूरी है, की कीमतों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडु पृथक्-पृथक् जोन हैं। यदि कारखाने भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित हैं तो दरें भी अलग-अलग होंगी क्योंकि गन्ने से चीनी की मात्रा और पेराई की अवधि भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। तामिलनाडु के लिए कीमत टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसूची और उस द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सभा में किसी-न-किसी रूप में समय-समय पर उठाया गया है। मेरे विचार में अगले प्रश्न पर चर्चा की जाये।

Insurance of Foodgrains Stocked in Warehousing Godowns

\+

*1173. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foodgrains stocked in the Central Warehousing Godowns are insured with the Oriental Insurance Company ;

(b) whether it is also a fact that the rates on which the other insurance companies are prepared for the insurance of the said grains could result in the saving of lakhs of rupees to the Government but the said saving is not possible because of the acts of some officers.

(c) whether some other insurance companies have written to the Government in this regard ; and

(d) if so, the reasons for which their proposals favourable to Government have not been considered ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केवल एक बीमा कम्पनी अर्थात् दी यूनियन को-आपरेटिव इंशोरेंस सोसायटी लिमिटेड ने इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा । लेकिन केन्द्रीय भाण्डागार निगम को भारत के जीवन बीमा निगम सहित कई बीमा कम्पनियों से पहले कोटेशनें प्राप्त हुई थीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Hon. Minister has stated that Government had sent for quotations from several insurance companies. I would like to know whether Govt. had accepted the quotations of the Company, which had submitted the lowest quotations. Whether it is a fact that in case Govt. agreed for this insurance with some Cooperative society, the department could have been benefited much and it could have saved a lot.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले में हम सरकार के सामान्य निर्देश के अन्तर्गत आते हैं । उदाहरण के तौर पर, सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में सम्पत्ति और सामान का बीमा इन्डियन इन्शोरेंस कम्पनीज एसोसिएशन पूल अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कराया जाना चाहिये । जहां तक ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी का सम्बन्ध है, यह शत प्रतिशत जीवन बीमा निगम की सहायक कम्पनी है । इसलिए, यह लगभग सरकारी क्षेत्र की एक संस्था है । सौभाविक तौर पर बीमा कराते समय हमें सरकार के सामान्य निर्देश को ध्यान में रखना पड़ता है । इसके अतिरिक्त निगम के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये । इस विशेष मामले में मैंने तथ्यों की जांच करायी है और मुझे पता चला है कि ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी की दरें अन्य कम्पनियों की दरों के मुकाबले अधिक अनुकूल थीं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : There is no question of quotations being favourable. The Hon. Minister must state clearly whether the quotations of this company were the lowest ones.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : बीमे के अन्तर्गत कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। कुछ बीमा कम्पनियों की गैर-टैरिफ मदों के मुकाबले टैरिफ मदों के लिए विशेष दरें होती हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है न कि किसी एक पहलू पर।

Shri Raghuvir Singh Shastri : What is the quantity of food-grains insured by Govt. during the last year and the amount paid to the insurance company therefor ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सही धनराशि के लिए नोटिस आवश्यक है। जो माल निगम के भाण्डागारों में स्टाक किया जाता है, उसका बीमा कराया जाता है।

Shri Raghuvir Singh Shashtri : What are the difficulties being faced by the Hon. Minister in stating the amount of insurance commission paid to this company by Govt. ? The notice of this question was given 21 days in advance. My question is quite specific and relevant.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कम्पनी जीवन बीमा निगम की शत प्रतिशत एक सहायक कम्पनी है। मैंने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह लगभग एक सरकारी कम्पनी है और इससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह को कोई लाभ नहीं होगा चाहे कितनी धनराशि बीमा-कमीशन के रूप में दी गई हो। यदि माननीय सदस्य जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, परन्तु इस समय नहीं।

Shri Sharda Nand : I would like to know the names of the Insurance Companies, who had submitted their quotations.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार ने सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को सामान्य निर्देश दिया है कि वे या तो जीवन बीमा निगम द्वारा या उस संगठन द्वारा, जिसका मैंने उल्लेख किया है, सामान का बीमा करा सकती हैं। यदि कुछ गैर-सरकारी कम्पनियां कुछ दरें भेजती हैं तो हम उनके द्वारा बीमा नहीं करा सकते हैं।

Landless Unemployed

*1180. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are crores of people in India who are landless, have no means of livelihood and are unemployed ;

(b) whether Government are aware that they are unable to get any employment in Government Offices, industries and other places despite efforts ;

(c) if so, whether Government would formulate such rules for the benefit of the said helpless people under which they can be provided employment on priority basis ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Government are aware of the existence of unemployment in the country (including that of landless labour), but the precise magnitude of the problem is not known.

(b) Government are not aware of any discrimination against landless labour in the matter of employment.

(c) to (e) Do not arise.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, reply has not been given to my question. My question is whether those who are landless and having no means for their livelihood, will be given some special facilities for providing jobs in Govt. offices and factories. If not, why ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Last time the question of unemployment was discussed in the House. At that time I told that as we are aware of the unemployment in the country, similarly Government is also aware of the unemployme t among the landless people, but it is not possible to give the actual number. There is no specific scheme for these people.

Shri Om Prakash Tyagi : Special facilities have been made available by the Govt. to provide jobs to the Harijans, scheduled castes and scheduled tribes and some percentage has been fixed for this purpose. I want to know whether the Govt. have fixed some quota for these people in public and private factories in order to recruit them there. If not, what are the reasons ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As per direction of the Ministry of Home Affairs some percentage has been fixed for these people and wherever it is possible, they are given jobs. So far as our Employment Exchanges are concerned, no such system exists there. But in Public and Private Sectors the direction of the Ministry of Home Affairs in this regard is kept in mind every time.

Shri Arjun Singh Bhadoria : In Garhwal, in a big area from Mana village to Pithoragarh and from Nainital to Janakpur which touches the Nepal border, about five or six lakhs landless people are living. Among these landless people, some are ex-service men. From the strategic point of view this area is very important. I want to know whether the Government are trying to provide them land or propose to do so.

Mr. Speaker : It does not come under this question.

Shri Arjun Singh Bhadoria : Major part of Pithoragarh area comes under the centre.

Mr. Speaker : The attention of the Government has been drawn to the suggestions given by the Hon. Member. It is enough.

श्री बसुमतारी : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र का उल्लेख किया है। जब मामला गृह-मंत्रालय को इस कारण सौंपा गया कि योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं और उनको नियुक्त करने का विचार नहीं है तो गृह-मंत्रालय ने कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति स्थगित नीति के आधार पर की जायेगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका अनुसरण किया गया है या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता किन्तु गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र में आरक्षण के कोटे का हम अनुसरण कर रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : अगली जनगणना कुछ महीनों में होने वाली है। क्या सरकार यदि राहत नहीं देती तो कम से कम यह जानने का प्रयत्न करेगी कि कितने भूमिहीन बेरोजगार हैं और यह समस्या किस प्रकार बढ़ रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं नहीं बता सकता कि जनगणना द्वारा इस विशेष वर्ग की

बेरोजगारी का कहां तक पता चल सकता है। पिछली जनगणना के दौरान बेरोजगारों की संख्या 14 लाख थी। तब योजना आयोग ने कहा था कि यह प्रणाली इस समस्या का ठीक अंकन करने के लिए समुचित नहीं है। हमने एक समिति की नियुक्ति की है। जब उस समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध होगा फिर इस समस्या के महत्व का पता चलेगा।

Shri Kamble : I would like to know from the Labour Minister whether something has been done for reservation in services for the Adivasis and Harijans ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This question is being reiterated. I can say about the Employment Exchange but for the rest, only the Ministry of Home Affairs can reply.

श्री लोबो प्रभु : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो आद्यतन सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार कुछ भूमिहीन लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की मजदूरी 96 पैसे है और उनको वर्ष में केवल 106 दिन रोजगार मिलता है। यह एक बहुत बुरी स्थिति है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अत: यह मंत्रालय चौथी योजना में जो इसके लिए रोजगार व्यवस्था की गई है, उस प्रस्ताव पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रों में चौथी योजना में भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार देने का कार्यक्रम है।

श्री भागवत झा आजाद . मुझे दुख है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : क्या मैं आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इसका उल्लेख बता सकता हूं ? मुझे दुख है कि आपने अपनी योजना में इसको नहीं देखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप राजनीतिकरण कर रहे हैं।

श्री पिलु मोडी : यहां बाकी हम किस लिए हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं और क्या कर सकता हूं ? अब मैं भारतीय सिविल सेवा अधिकारी नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस समय देश में भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार ढूंढ़ने का कोई संगठन नहीं है। सरकार ने जिस समिति का उल्लेख किया है क्या वह इस समस्या पर विचार करेगी ? प्रतिवेदन के उपलब्ध होने पर क्या सरकार कृषि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए विशेष कार्यवाही करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में हम बेरोजगारों की संख्या देते थे। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि बेरोजगारों की संख्या मालूम करने की इस प्रणाली के बारे में इस सभा में तथा बाहर प्रश्न उठाया गया था। योजना आयोग ने भी कहा था कि बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी को मालूम करने की प्रणाली पर विचार करना होगा। दन्तवाला समिति, जिसकी नियुक्ति अगस्त, 1968 में की गई थी, ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु हम इसके सारांश को जानते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे में परिमाण सम्बन्धी बात बतानी संभव नहीं है अत: ठीक संख्या बताना संभव नहीं है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सभा के कहने पर इस विषय

पर नवम्बर में एक संकल्प पारित किया गया था। हम एक विशेष समिति नियुक्त करने जा रहे हैं जो इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सुझाव देगी।

श्री पिलु मोडी : सच्चाई छुपाने का यह गलत तरीका है।

Shri B. N. Kureel : The big farmers give meagre wages to those landless agricultural farmers who work in the fields. So I want to know the action being contemplated by the Hon. Minister to implement the Minimum Wages Act.

Shri Bhagwat Jha Azad : Although this question is not related to the original one and the Hon. Member wants to know about Minimum wages. The minimum wages for landless farmers are determined by Various State Governments. We write to them occasionally and request to revise their wages when need arises. (2) It should be implemented in all parts of States where it is confined to some parts and (3) an enforcement machinery may be set up for its implementation. For this we are discussing with State Governments.

Shri S. M. Joshi : When the question of the proportion of Scheduled Castes and Schedule Tribes came up, the Hon. Minister stated that there was a circular of Home Ministry. I want to know from the Home Minister, as my question is direct and clear, whether the Public Sector and Private Sector observe that proportion or not ? If not, then whether we can check the issue of cards by the employment exchange to un-employed persons and whether we are ready to give cards in proportion etc.

Shri Bhagwat Jha Azad : This question is very clear and beautiful. But I have said that this direction is from the Home Ministry. We observe that direction on behalf of the Employment. Exchange. All the facts and figures regarding the extent of implementation by the various Ministries can be given by the Home Ministry. So far as we are concerned we observe that direction.

Shri S. M. Joshi : My answer has not been replied to Suppose there is a factory. I give an example. There is Municipal transport in Poona where 16 percent employment is not given to un-skilled persons then why they do not provide......(interruption)

Shri Ram Charan : I have a point of order. There is direct recruitment in C.R.P. The Employment Exchange has nothing to do with it. Why not the Employment Exchange is utilized for it.................

Shri Shiv Charan : The agricultural labourers do not get work for twelve months. They are landless and mostly they are Harijans. May I know whether any arrangement will be made to provide them land or adequate pensions as the Mill workers get so that they may be relieved, and whether arrangements will be made to provide them with paid leave ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Members are angry on two reasons. Firstly, whether we observe those rules or not when the Employment Exchanges sponsor their cause in Private and Public Sector. We are concerned only with that. So far as the question of the implementation after sponsoring is concerned, as Shri Joshi asked whether they are taken or not and how many are taken, I have stated clearly that the Home Ministry can reply to this question. I have stated clearly and again these questions are being asked.

Shri Ram Sewak Yadav : Just now the Hon. Minister has stated that they only can provide jobs etc. but the Home Ministry can reply whether they got the jobs or not. I want to know from the Hon. Minister the number of such persons to whom jobs were provided during the last two years. I want a direct reply. Because it is also the work of Home Ministry to maintain figures of those who got the jobs and vice versa.

Shri Bhagwat Jha Azad : Its direct answer is that I have no figures about it.

Shri Ram Sewak Yadav : I rise on a point of order. After all the Employment Ministry has responsibility to see whether employments have been given to them or not.

Shri Rabi Ray : The landless persons are labourers. And he say that this is the responsibility of Home Ministry. No reply is coming.

Shri Ram Charan : It is a point of order. The Hon. Minister has said that it is totally false. His men sponsor it and the Deptt. informs him and he says that the Home Ministry may be asked.

Mr. Speaker : You will have to accept whatever the Minister says. There is no question of point of order in it.

Shri Yamuna Prasad Mandal : By setting up big industries in the Private Sector and Public Sector, the Government make thousands of persons having small holdings landless every year and thus they become unemployed. As the question has been asked in (b) and (c) whether the Government propose to make some special arrangement for those landless persons whose lands are taken for constructing big sky-scrapers.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker it is absolutely correct.........

अध्यक्ष महोदय : मैंने सूची में से सब नाम लेने का निर्णय किया है; मैं यह देखने के लिए परीक्षण करना चाहता हूं कि यदि मैं उन सभी इच्छुक सदस्यों को अवसर देता रहूं तो क्या हम एक घंटे में एक प्रश्न कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा करता रहूं तो हम एक प्रश्न एक घंटे में कर सकते हैं, मैं भविष्य में तीन या चार अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न पूछने को इच्छुक हैं। यदि आप दस या बारह प्रश्न पूछने दें तो इसमें सभी आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रयोग करने दीजिये। मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे दो या तीन प्रश्न पूछने के उपरान्त न उठें ताकि मैं अगला प्रश्न पूछ सकूं। वे उसे नियमित जिरह का रूप न दें। दूसरे दिन हमने एक प्रश्न पर होने वाला व्यय पढ़ा, हम 30 प्रश्नों की सूची में से 5 या 6 तक नहीं कर सकते हैं, 200 अतारांकित प्रश्नों की बात ही क्या है।

Shri Sheo Narain : I have a suggestion. Every question contains ten names. If nstead there is one name; then your purpose will be served and in this way you may take the next question.

Shri Yamuna Prasad Mandal : My question may be answered.

Shri Bhagwat Jha Azad : This question is quite clear. It is the instruction and decision of the Govt. to give priority in service to those persons whose lands are taken for some project and thus they are rendered landless.

Shri Hukam Chand Kachwai : The question is related to landless persons. I want to know whether the Govt. have formulated any scheme for those landless in villages who have no land for cultivation and in which less money and more labour may be utilized ? May I know whether any such scheme is before the Central Govt. and State Governments by which they may be given more work ? Has the Govt. set up any such Committee as to know the number of landless persons ? Have you made any arrangement for conducting such survey and if no Committee has been set up whether it is being contemplated ?

Just now the Hon. Minister has stated that so far the question of nominal wage is concerned, it is determined by the State Governments.

Mr. Speaker : Instead of asking question you are making statement.

Shri Hukum Chand Kachwai : I am asking question. According to the Hon. Minister, the nominal wages are determined by State Governments. I want to know the number of State Govts. who have determined nominal wages and the figures thereof.

Shri. Bhagwat Jha Azad : So far the first question is concerned i. e. whether the Government propose to formulate any such scheme in which more labour and less capital is utilized i. e. a labour oriented scheme, I have replied that provision of more amounts has been made in different allocations during fourth five year plan as to make more plans labour-intensive. So far the nominal wages are concerned, all State Govts. have taken decision regarding this and they are revised periodically. We also request State Govts. for its enforcements.

Shri Hukum Chand Kachwai : My question has not been replied to as how much has been determined? How much will be the nominal wages? The Hon. Minister has avoided the main question. I had asked whether any Committee has been set up to ascertain the number of landless labourers in the country? You give protection to Government and with the result they do not reply. It is a matter of concern for us.

Mr. Speaker : Has any appeal made by me or Shri Diwivedi or others had any effect on you?

Shri Hukum Chand Kachwai : It has such an effect on me that I resume my seat.

Shri Gunanand Thakur : Has the Govt. ever thought over this problem that priority will be given to poor and landless persons in the employments of Governments and new works. Is there any proposal under consideration of the House?

Mr. Speaker, Sir, we belong to those areas, where all property and land have been taken for the use of some plans. The Kosi plan took place and now the Bokaro Steel plant is under construction. Not one per cent of the people in this area, whose land and property have been taken, has been given employment in these plans. I want to know whether the Government have any scheme to provide employment to those persons particularly in Kosi area and Bokaro Steel area?

Mr. Speaker : Regarding supplementary questions I want to request you to read rules. Hypothetical questions, unconnected questions, unconcerned questions are not asked in supplementaries. Their informations do not come. You somehow ask direct questions. Why you compel me again to say tha your questions are hypothetical.

Shri Gunanand Thakur : How this question is hypothetical? I have asked whether the Government have any such proposal before them?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रश्न समाप्त नहीं कर रहा हूं । मैं यह देखना चाहता हूँ कि हम कब तक इस प्रश्न पर बहस कर सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं नहीं सोचता कि इस प्रश्न को चलाये रखने में कोई बात है । जब तक दूसरे प्रश्न पर नहीं आयेंगे, यह ऐसे ही चलते रहेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : I have just stated that wherever lands are taken for some plans, its owners are given priority. I have stated that it is the decision of the Govt. to give priority to those persons in employment who become unemployed following taking

over their lands by the Government. But when the Employment Exchange send applications after checking it to the employers then under article 16 (1) of the constitution and (2) and article 88 (6) of I. L. O. convention, their ability and merits are also considered.

कृषि कानूनों में त्रुटियां दूर करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिश

+

1181. **श्री दं० अमात :** **श्री हिम्मत सिंहका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक वर्ग में शांति स्थापित करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने 1968-69 के प्रतिवेदन में कृषि कानूनों की कुछ त्रुटियों को दूर करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो आयुक्त ने किस प्रकार की त्रुटियां बताई हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि कृषि कानूनों की त्रुटियों को दूर किया जाये और उनकी क्रियान्विति के लिये उपयुक्त उपाय किये जायें ।

(ख) जनजातियों से भूमि लेकर गैर-जनजातियों को देने के बारे में कभी-कभी ऐसे संक्रामणों को रोकने के लिये कानून पर्याप्त नहीं होते । जब कि दूसरी ओर हस्तांतरण अधिकारों के न होने के कारण जनजातियां सांस्थानिक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं । कुछ मामलों में कानून नहीं बनाये गये हैं या ऐसे कानूनों की क्रियान्विति के लिये अधिसूनायें जारी नहीं की गई हैं ।

(ग) रिपोर्ट में कृषि कानूनों के बारे में की गई सिफारिशों पर नवम्बर, 1969 में भूमि सुधार विषयक मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सामान्य रूप से विचार किया गया था ।

श्री द० अमात : ढेबर आयोग ने यह सुझाव दिया है कि गैर आदिम जातियों द्वारा आदिम जातियों की भूमियों पर अवैध कब्जा अधिकारियों की चिन्ता का विषय होगा जो कि स्वःप्रेरणा से कार्यवाही करेंगे तथा गैर आदिम जातियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की हुई भूमि को बिना क्षति पूर्त्ति किए आदिम जातियों को वापिस दिलाएगी । अतएव सरकार का विचार अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार की प्रशासन मशीनरी स्थापित करने का है जो रूरकेला, रांची और हाटिआ औद्योगिक अंचलों में गैर आदिम जातियों द्वारा ऐसे अवैध कब्जे की जांच करेगी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि वापिस दिलायेगी जो कि उनके वास्तविक स्वामी हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह राज्य सरकारों का मामला है और उन्हें ही कार्यवाही करना पड़ेगा, वास्तव में राष्ट्रपति के शासन के समय से हमने स्वयं कुछ अध्यादेश जारी किए हैं जो कि आदिम जातियों की हितों की रक्षा करने, उनको अपनी भूमि पर अवैध कब्जा से बचाने अथवा ऐसे मामलों में जहां आदिम जातियों ने उनसे भूमि ले ली है, से सम्बन्धित हैं, आदिम जातियों को भूमि दिलाने के उद्देश्य से हमने इससे क्रियान्विति के लिए अपेक्षित कानून बनाया है और राज्य सरकारों को

इसकी क्रियान्विति के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी । माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उसको अपनाने के लिये हम तैयार हैं ।

श्री द० अमात : भूमि का कानून अधनंगे, भूखे पेट और अशिक्षित आदिम जातियों के लिये कोई सहायक नहीं है क्योंकि वे उन भूमियों को वापिस लेने के लिए अभिवक्ताओं और वकीलों को शुल्क देकर न्यायालय में मुकदमें नहीं लड़ सकते हैं जिस पर कि गैर आदिम जातियों ने किसी न किसी तरीके से अवैध तथा बल प्रयोग से कब्जा कर लिया है । अतएव न्यायालयों में ऐसे मुकदमे लड़ने के लिए आदिम जाति के लोगों की कानूनी सहायता के लिए कितनी धनराशि कम की गई है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने ता विशेष क्षेत्र का नाम लिया है, उसके लिए मुझे सूचना लेनी पड़ेगी ।

श्री रंगा : आप साधारणतया क्यों नहीं कहते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक विस्तृत सिद्धांतों का प्रश्न है, हमारा दृष्टिकोण यह है कि किसान और राज्य के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या आपने कानूनी सहायता देने के लिए कोई व्यवस्था की है ?

श्री रंगा : कानूनी सहायता दी जानी चाहिए ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही करना राज्य सरकार का कार्य है ।

श्री रंगा : इन मंत्री महोदय से यह आशा की जाती है कि वे इस समस्या को अति शीघ्र आसानी और सहजता से समझेंगे, प्रश्न बहुत स्पष्ट है । भारत सरकार इन लोगों को क्या कानूनी कार्यवाही देने की संभावना पर विचार कर रही है ताकि उनको अपने अधिकार न्यायालय में ले जाने में मदद मिल सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रोफेसर साहब को स्वयं देश में भूमि सम्बन्धी अनुभव है और यह सोचा जा सकता है कि वे जानते हैं कि भूमि का सम्बन्ध राज्य सरकार से न होकर केन्द्रीय सरकार से है, उन मामलों पर विचार विधान सभा में किया जाना चाहिए न कि संसद् में ।

श्री स० कुन्डू : यह उतना आसान नहीं है ।

श्री जगजीवन राम : यह उतना ही आसान है ।

श्री उमानाथ : बहुत से जमींदार इसकी कमियों का लाभ उठाते हैं और न्यायालयों में जाकर कानून रद्द करवा देते हैं । यह भूमि कानूनों के क्रियान्वयन में रुकावट है क्योंकि संपत्ति अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में निहित हैं । अतएव मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए किस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इस उपबंध के कारण—कि संपत्ति अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, इस मामले को न्यायालय के हस्तक्षेप से अलग करेगी । अतएव मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से निकलने के लिए उनके पास क्या प्रस्ताव है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि भूमि सुधार के क्रियान्वयन के मामले में दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और भूमि सुधार के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यवाही का भार विशेष न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए। जहां तक मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है, इस पर विचार किया गया था और मैं नहीं समझता कि यह किसी भी भांति भूमि सुधारों के कानूनी कार्यान्वयन के मार्ग में बाधक बनेगा।

श्री ई० के० नायनार : केरल उच्च न्यायालय ने दो निर्णय दिये हैं जिससे कृषि सुधार विधेयक के उपबन्धों को रद्द कर दिया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है परन्तु राज्य सरकार ने इस मामले को केन्द्र के पास उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल भूमि सुधार विधेयक को नवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार करेगी ? ऐसे कितने ही उपबन्ध हैं जो कि केरल में भूमिहीन किसानों की सहायता करते हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है, त्रिपुरा में आदिमजाति क्षेत्र में आदिमजाति और गैरं आदिमजाति हैं। गैर आदिमजाति लोग आदिमजाति लोगों की भूमि ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिमजाति क्षेत्रों में गैर आदिमजाति लोगों द्वारा कब्जा की हुई भूमि को केवल आदिमजाति लोगों के पास ही बनाये रखने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि आदिमजातियों की भूमियों को नहीं ली जानी चाहिए। उनको अपनी भूमि बंधक में तभी रखी दी जानी की अनुमति देनी चाहिए जबकि आदिमजाति लोगों को सरकार अथवा सहकारी संगठनों से ऋण लेना है। जिस प्रकार से आदिमजाति लोगों की भूमि ली जाती है, हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि भूमि कानूनों की कमियों को दूर कर दिया जाना चाहिए ताकि उनकी भूमियों पर गैर आदिमजाति के लोग कब्जा न कर लें। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इसके तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जांच की जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी जो उत्तर दिया है उससे यह पता चलता है कि सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि विशेषकर आदिम जातियों की कब्जा की हुई भूमि के विवादों पर विचार करने के लिए भूमि न्यायाधिकरण बनाया जाये।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भूमि न्यायाधिकरण को वस्तुतः स्थापित किया गया है; और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए ऐसे भूमि न्यायाधिकरण कितने राज्यों में स्थापित किये गये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में कई राज्यों ने यह निर्णय ले लिया है। परन्तु हम समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करते हैं और वे इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा बनाए गये कानून में जो भी कमी होगी, उसको दूर करने के की व्यवस्था की जाती है, हमने सभी राज्य सरकारों से इसकी सिफारिश की है।

वस्तुतः समूचे देश में भूमि न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है और राज्य सरकारों

के कानून में अपेक्षित व्यवस्था की गई है । परन्तु बाद में हमने मामलों की समीक्षा करके यह पाया है कि राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों में कुछ कमियां हैं । अतएव हमने इनमें निहित कमियों को दूर करने के लिए उन राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध किया है जिनके अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित किये गये हैं ।

Shri Nathuram Ahirwar : The Harijans and tribals own land less than five acres and the Caste Hindus, landlords and money-lenders of the villages purchase their lands through mortgage. I want to know from the Government whether they will formulate such a law and give instructions to the State Govts. not to allow the selling of lands and give direction to Cooperative Societies to provide loans to those Harijan Adivasis who have less than five acres of land ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उस तरह का सुझाव दिया गया था जिस तरह का माननीय सदस्य ने दिया है । राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया गया था कि वे यह देखने के लिए अपेक्षित पूर्वोपाय बरतें जिससे आदिमजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर कब्जा न किया जा सके ।

Shri Ram Sewak Yadav : Just now the Hon. Minister has stated that there are loopholes in Land Reforms Act. The Planning Commission as well as the Government do admit this but it is said that this is a State subject. So I want to know from the Govt. whether they will formulate more or less a uniform Land Reform Act for the whole country and keeping this in view whether they are thinking of bringing any model Bill for West Bengal, which is now centrally administered and land problems, and also going to take concrete steps for proper distribution of land.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समूचे देश के लिए समान कानून का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं हो सकता है । माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार के लिए बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में एक या दो राज्यों में ऐतिहासिक कारणों से उसी राज्यों में एक प्रदेश की स्थितियां दूसरे प्रदेश से भिन्न होती हैं । वास्तव में एक राज्य के कानून के उपबन्धों में संशोधन किए गए हैं । परन्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के कारण समान कानून बनाना वांछनीय नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त यह राज्य का विषय होने के कारण हम विस्तृत मार्गनिर्देश देते हैं और अंत में यह राज्य विधान मंडल है जो कि कानून बनाती है ।

Shri Ram Sewak Yaday : I had also asked that keeping in view the land reforms which you desire, would you have Land Reforms in Bengal where there is a Centre rule at present ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक सुझाव है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : कुछ समय पूर्व योजना आयोग के डा० ए० एन० मेहता ने पश्चिमी बंगाल के साझे की खेती के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल जिलों के अमन अथवा खरीफ चावल दोनों प्रचलित हैं । उन्होंने एक योजना का प्रस्ताव किया है जिसमे 10 वर्ष की अवधि में साझे की खेती की प्रथा समाप्त हो जायेगी और खेती के साझेदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया जायेगा जिससे साझे की खेती के प्रथा के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से बिचौलिया प्रथा समाप्त हो जाएगी क्योंकि यह भूमि में उचित निवेश और खाद, बीज आदि लगाने में सहायक नहीं होता है । क्या सरकार ने इस पर विचार कर कोई निर्णय लिया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि साझे की खेती की प्रथा समाप्त की जानी चाहिये क्योंकि यह न केवल निरुत्साहजनक है परन्तु यह समस्या के मानवी पहलू के अलावा उत्पादन के मार्ग में बाधक है। राज्य सरकारों को यह विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है कि एक वर्ष में सभी बिचौलियों को समाप्त किया जाना चाहिए और काश्तकार तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री स० कुन्दू : केन्द्र को सर्वप्रथम यह सोचना पड़ेगा कि पहली कमी को किस प्रकार दूर करना पड़ेगा। यह इस बारे में है कि किस प्रकार केन्द्रीय सरकार, जब वह आयोग नियुक्त करती है, उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर सकती है क्योंकि इस समय उसके पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, यह युग विशेष सहायता और द्रुत कार्यक्रम का है। यदि सरकार उनको करने की वास्तव में इच्छुक है तो इसको करने के मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं। क्या सरकार प्रत्येक उप-मंडलीय मुख्यालय और ताल्लुक मुख्यालय में ऐसे वकीलों को सहायता देने के लिए विशेष सहायता अथवा जोरदार कार्यक्रम अपनायेगी जो केवल भूमिहीन किसानों और आदिम-जातियों के मामलों का बचाव करेंगे ? राज्य सरकारों को बेशक नहीं कहने दें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारें, जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, समाज के निर्धन वर्गों को निःशुल्क तथा रियायती दर पर कानूनी सहायता देने को स्वतंत्र हैं।

श्री स० कुन्दू : यह मेरा प्रश्न नहीं था।

श्री अन्नासाहिब शिंदे : वे ऐसा करने को स्वतंत्र हैं। यदि माननीय सदस्य उड़ीसा के लिए इच्छुक हैं तो मैं राज्य सरकार का ध्यान उनके सुझाव की ओर दिलाऊंगा।

श्री स० कुन्दू : प्रधान मंत्री ने पेय जल के लिए 4 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों की है ? क्या यह इस उद्देश्य से है......

अध्यक्ष महोदय : वे हर समय ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगला प्रश्न।

श्री स० मो० बनर्जी : केवल आज ही मैं प्रश्न काल के समय अनुपस्थित था, मैंने सोचा था कि मेरा लेनिन पर प्रश्न इतना शीघ्र नहीं आयेगा। आपके पास इसको अनुमति देने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे उपस्थित रहें। यह कोई प्रक्रिया नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वे क्यों एक गलत प्रक्रिया की वकालत करते हैं और मुझे भी गलत बनाते हैं।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

*1186. **श्री स० कुन्दू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन्हें किन्हीं शर्तों के साथ स्वीकार किया है ;

(ग) क्या सरकार इन्हें भूतलक्षी अवधि से जब से मंजूरी बोर्ड नियुक्त किया गया था, लागू करेगी ; और

(घ) इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेने पर कर्मचारियों को क्या मुख्य लाभ होंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) उस सरकारी संकल्प की प्रतियां जिसमें बोर्ड की सिफारिशों के सारांश के साथ उन पर लिए गये सरकारी निर्णय दिये गये हैं, 30 मार्च, 1970 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी। जैसा कि संकल्प के पैरा 4 में उल्लिखित है, सरकार ने मजूरी बोर्ड के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत बोर्ड की सर्वसम्मत और बहुमत सिफारिशों को 1-1-1969 से लागू करने के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री स० कुन्दू : इस मंत्रालय के बारे में मुश्किल यह है कि यह एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करता है जो पांच अथवा छः वर्षों के बाद अपनी सिफारिशें देता है और यह प्रथा बन गई है कि उसकी सिफारिशों के एक भाग को उस तिथि से स्वीकार किया जाये। अतः मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता जब तक कि सरकार उसकी नियुक्ति की तिथि से उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती। इस मामले के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मत अथवा बहुमत की सिफारिशों को बोर्ड की नियुक्ति की तिथि से स्वीकार करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य की बात ठीक है कि बोर्ड को अपनी सिफारिशें देने में बहुत समय लग जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कार्यान्विति। सिफारिशों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, अतः हमें राज्य सरकारों को मनाना पड़ता है और अधिकांश मामलों में राज्य सरकारों को ही कार्यान्वयन करना होता है। यह कहना संभव नहीं कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को बोर्ड की नियुक्ति की तिथि से लागू किया जायेगा। इस मामले में हमने इन्हें 1-1-1969 से स्वीकार किया है।

श्री स० कुन्दू : एक सिफारिश, जिसे सरकार ने मानी नहीं है, कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारियों के किराये जो वे न्यास को दे रहे थे, को शामिल करने के बारे में है। क्या सरकार नौवहन मंत्रालय से कहेगी कि इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया जाये ?

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है कि इस सिफारिश को स्वीकार करते समय हमने कहा है कि इस पर हम अलग से निपटेंगे। हमने इस मामले के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय से बातचीत की है।

श्री मनुभाई पटेल : कौन-कौन से राज्य मजूरी बोर्ड की सिफारिशें मानने को तैयार नहीं हैं और किन-किन राज्यों ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं अथवा ऐसा करने के पक्ष में हैं।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के बारे में सिफारिशों को कार्यान्वित करने का दायित्व केन्द्र सरकार का है। मेरे सहयोगी ने मजूरी बोर्डों के

बारे में आम प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ मामलों में यह राज्यों की सरकारों का काम है। उस प्रकार के मामलों में हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे सिफारिशों को कार्यान्वित करें परन्तु खानों, पत्तनों तथा गोदियों के कर्मचारियों, रेलवे आदि के बारे में केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। और हम देखेंगे कि इन्हें कार्यान्वित किया जाये।

हंगरी फिल्म महोत्सव और भारतीय संस्कृति

*1187. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में भारत में हंगरी फिल्म महोत्सव होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्में भारतीय संस्कृति के खिलाफ होंगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें सलाह दी है कि जो फिल्में भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं उन्हें इसमें शामिल न किया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री चेंगलराया नायडू : भारत में हमारी कुछ नैतिक मान्यताएं हैं और हम उनके विपरीत अर्थात् अनैतिक फिल्मों का आयात करते हैं और उन्हें देश में दिखाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? वे पथभ्रष्ट हो जायेंगे। क्या सरकार भविष्य में अन्य देशों के साथ ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐसी खराब फिल्मों को भारत में न दिखाया जाये ?

श्री ई० कु० गुजराल : यह फिल्म समारोह परस्पर आदान-प्रदान का एक भाग है। अन्य देशों की बातों को इस देश में लोगों को दिखाना और इस देश के जीवन की झांकी उन देशों में दिखाना ही इन फिल्मों का उद्देश्य है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

सैनिकों के उपभोग के लिए घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई

+

22. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री गणेश घोष :
श्री शशि भूषण :
श्री भगवान दास :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि श्री भानीराम गुप्ता तथा अन्य व्यक्तियों ने सैनिकों के उपभोग के लिये घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई किये हैं ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार ने श्री भानीराम गुप्ता के विरुद्ध लगाए गए कुछेक आरोप सम्बन्धी प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) दिल्ली की एक फर्म अर्थात् मैसर्स बुजनमल कुन्दन लाल जिसके श्री भानीराम गुप्ता एक हिस्सेदार हैं, पिछले तीन वर्षों या इससे अधिक समय से रक्षा सेवाओं को खाद्यान्न सप्लाई करती रही है । अप्रैल, 1967 से इस फर्म द्वारा सप्लाई की गयी 962 मीटरी टन दाल और 184 मीटरी टन जौ की कुल मात्रा में से 118 मीटरी टन दाल और 23 मीटरी टन जौ अस्वीकार करने पड़े क्योंकि वे ठेके में विहित निर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं थे ।

(ग) ठेके की शर्तों के अनुसार खाद्य विभाग ने उपर्युक्त रद्द की गयी 118 मीटरी टन खाद्यान्न (95 मीटरी टन दाल और 23 मीटरी टन जौ) की मात्रा को फर्म के जोखिम और खर्चे पर पुन: खरीदने का आदेश दिया था और रद्द किए गए ठेके के मूल्य की एक प्रतिशत की दर से निर्णीत हर्जाने के रूप में 1191 रुपये की वसूली भी की गयी है । इसी प्रकार इस महीने के दौरान रद्द की गयी दाल की 23 मीटरी टन की शेष मात्रा के बारे में पुन: खरीद सम्बन्धी जोखिम और हर्जाना वसूल करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने इस पूरे षड़यन्त्र, जो सप्लाई करने वालों, सप्लाई निदेशक,*** जो कि कभी सिविल सप्लाई निदेशक तथा सेना के ब्रिगेडियर थे, के बीच है, को ठीक प्रकार समझे नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तियों के नाम लेकर ऐसा कहने की अनुमति नहीं दे सकता । वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब उनका इसमें हाथ है । उनका नाम उत्तर में भी उल्लिखित है—भानीराम गुप्ता ।

अध्यक्ष महोदय : आपने दूसरे नामों का भी उल्लेख किया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि किसी का नाम लिया जाता है, माननीय मंत्री कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं है । इस पर बात समाप्त हो जाती है ।

Shri Rabi Ray : Shri Bhani Ram Gupta and Brothers is written in the Short Notice question. It is the right of Members. Suppose a certain Officer is indulging in corruption. How can his name be brought ? There should be some procedure for that.

Mr. Speaker : The rules of procedure have been framed by you for conducting

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया गया ।
Expunged as orderd by the chair.

the business. The name of a person who is not present here to defend himself should not be mentioned. You can give his designation and his official position. Inspite of all that you go on putting questions like that.

श्री स० मो० बनर्जी : नियम इस प्रकार है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप है तो सभा में बोलने से पूर्व भाषण की एक अग्रिम प्रति मन्त्री अथवा अध्यक्ष को दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा किया गया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं वही बता रहा हूं। अब प्रश्न में ऐसे पूछा गया है कि "क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि श्री भानीराम गुप्ता ने, जो मैसर्स बुजनमल कुन्दनलाल फर्म में साझीदार हैं, सैनिकों के उपयोग के लिए घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई किये हैं" आदि।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। कृपया बैठिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं किसी नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मान लीजिये दो विभागों के उच्चाधिकारियों के भ्रष्टाचारी होने के बारे में किसी सदस्य को मालूम है, तो क्या वह उनके नामों का उल्लेख नहीं कर सकते और मन्त्री उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

Shri Molahu Prasad : You can see this short Notice question. How the name of Bhani Ram Gupta has been mentioned herein ? Under what procedure it has been done......... ....

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित नहीं हों। मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपना व्यवहार ठीक कीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार को 1,88,50,000 रुपये की कुल खरीद में से कम से कम 52 लाख रुपये से धोखा देने की यह एक चाल थी। इसमें न केवल देश से धोखा ही किया गया है बल्कि यदि यह दाल सैनिक खाते तो उन्हें पेट की बीमारियां हो जातीं क्योंकि दाल कीड़ों की खाई हुई है। यह एक बड़ी गम्भीर राष्ट्र विरोधी करतूत है। बुजनमल कुन्दनलाल एक गुप्ता व्यापार गृह है। वह उसके सचिव हैं·········

श्री भानीराम गुप्ता को चोरबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है। खाद्यान्नों के इस व्यापारी के घर की आयकर के मामले में तलाशी ली गई थी। इस व्यक्ति को 29-9-1964 को गिरफ्तार किया गया था। उनके एक भाई इस सदन के सदस्य हैं।

श्री नम्बियार : हम उनका नाम जानना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फेडरेशन आफ ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया खाद्यान्नों के व्यापार के राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रही है। इसके अध्यक्ष श्री अग्रवाल को संयुक्त मोर्चा सरकार

के शासन के दौरान कलकत्ता में निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। इसके कोषाध्यक्ष श्री मामचन्द गुप्ता को चोरबाजारी के आरोप में गिरफ्तार करके हथकड़ी लगायी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रश्न कीजिये अथवा बैठ जाइये।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या यह सब खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से न करके व्यापारियों से निजी रूप से की जाती है ? वे मुनाफा तो कमाते हैं, साथ में सैनिकों में बीमारी फैलाने के लिए इस प्रकार के नीच कार्य भी करते हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गेहूं तथा चावल की सभी खरीद खाद्य निगम के माध्यम से की जाती है। दालों और कुछ अन्य खाद्यान्नों के मामले में प्राथमिकता तो खाद्य निगम को दी जाती है परन्तु क्योंकि निगम पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होता तब सेना सप्लाई संगठन खुले बाजार से खरीदता है।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या सरकार खाद्यान्नों के व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण करेगी ताकि बुजनमल कुन्दनलाल फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करायेगी ताकि खरीद कार्य के निदेशक, ब्रिगेडियर को, जो कि श्री भानीराम गुप्ता के मित्र हैं और जिन्होंने रिश्वत ली है, दण्ड दिया जा सके ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक कानूनी कार्यवाही का प्रश्न है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री उमानाथ : मैं मानता हूं कि किसी सदस्य के विरुद्ध आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहियें। परन्तु यह बात सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिये।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की जांच सम्बन्धी सरकार समिति के 8 संसद् सदस्य हैं। कुछ दिन पूर्व यहां पर आरोप लगाया गया था कि सदस्यों पर दबाव डालकर रिपोर्ट में परिवर्तन कराया गया है। इसका अर्थ यह है कि संसद् सदस्यों पर दबाव डाला गया है।

Shri Madhu Limaye : I had stated by Shri Sarkar and not about the members.

श्री उमानाथ : अतः हमें एक समान नीति अपनानी चाहिये। सदस्यों के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें।

श्री पीलु मोडी : क्या श्री उमानाथ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन समिति के मामले में संसद् सदस्य के विरुद्ध सीधा आरोप लगाया गया था अतः उनका नाम रिकार्ड में शामिल नहीं किया जा सकता था। इस मामले में किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया है अतः यह बात समझ में नहीं आती कि उनका नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है।

श्री नम्बियार : यदि आप टेलीफोन निर्देशिका देखेंगे तो उक्त नम्बर······(अन्तर्बाधाएं) कृपया मुझे सुनें। मैं अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। उक्त टेलीफोन नम्बर का उक्त फार्म द्वारा प्रयोग किया जा रहा है··· (अन्तर्बाधाएं) **

****अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।**
Expunged as ordered by the chair.

श्री पीलु मोडी : अनेक संसद् सदस्यों के एक जैसे टेलीफोन नम्बर हैं··· (अन्तर्बाधाएं)

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मामले के कानूनी पहलू की जांच की जा सकती है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मामला है ।

श्री हेम बरुआ : यदि किसी सदस्य के भाई के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है तो वह उक्त सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं होता।

श्री रंगा : या तो आप उक्त सदस्य के विरुद्ध बाद में आरोप वापिस ले लें या उक्त सदस्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप की एक प्रति अध्यक्ष को देनी होती है । हम इस प्रथा का पहले भी अनुकरण करते आये हैं और भविष्य में भी अनुकरण करेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इसका अनुकरण नहीं किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष को आरोपों की प्रति दी जायेगी तब अध्यक्ष उन आरोपों की एक प्रति उक्त सदस्य को भेज देंगे जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । तब इस प्रश्न पर सभा में विवाद उठाया जायेगा ।

श्री उमानाथ : परसों सरकार समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया था जिससे सदन के कुछ सदस्य भी सम्बद्ध हैं। आरोप, आरोप ही है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाये या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाये । उस समय कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker either give me a chance to clarify my position or remarks against me should be expunged.

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा । चूंकि इस सम्बन्ध में नियमित प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया गया है । अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नम्बियार : चूंकि आप उक्त आरोप लिखित में चाहते हैं अतः मैं उक्त आरोप आपको लिख कर दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : तब आप उक्त प्रश्न को कल के लिये स्थगित क्यों नहीं कर देते ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां । उक्त प्रश्न को कल तक के लिए स्थगित कर दीजिए ।

श्री वासुदेवन नायर : श्री कंवर लाल गुप्त के हित में भी यही होगा कि उक्त प्रश्न को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : उक्त प्रश्न को स्थगित न किया जाये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उक्त प्रश्न मेरे से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : किसी अन्य सदस्य द्वारा श्री कंवर लाल गुप्त के विरुद्ध यह आरोप

लगाये गये हैं कि वह उक्त विशेष फर्म के आयकर सलाहकार हैं । अतः मै आपसे निवेदन करता हूं कि उक्त प्रश्न को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको स्थगित नहीं कर सकता । यदि माननीय सदस्य आरोपों को लिखकर देते हैं तो उस पर प्रक्रिया के अनुसार बाद में चर्चा की जा सकती है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : यह अजीब मामला है (अन्तर्बाधाएं)

Shri Kanwar Lal Gupta : Neither I nor my wife or my sons are partners in that firm.

श्री उमानाथ : जब आपने आरोपों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया है तो स्पष्टीकरण को भी कार्यवाही वृतान्त से अवश्य निकाला जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सबको कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा । यदि हम इस प्रकार करते रहे तो मुझे विश्वास है कि हम सब भी सभा से बाहर निकल जायेंगे ।

Shri Bhagban Das : This is a very important matter. It has been a centre of discussion. The corruption is increasing day by day due to the policy of the Govt. Goods have not only been supplied by them to the Defence Department but to the Jail and other departments also. There has been great corruption prevailing in those departments. I want to know the quotation in the market on the date the tender of Bujan Mal Kundan Lal was accepted and also want to know the number of persons who submitted the tenders and name of the person who gave the lowest tender and the rate on which his tender was accepted ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे मंत्रालय का जेलों को की जाने वाली सप्लाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक सेना को की जाने वाली सप्लाई का सम्बन्ध है इस बारे में टेन्डर आमंत्रित करने की विस्तृत प्रक्रिया है । समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना द्वारा भी टेन्डर जारी किये जाते हैं। निम्नतम टेंडर स्वीकार किया जाता है । जहां तक किस्म के नियंत्रण का प्रश्न है माल की सुपुर्दगी के के बाद उक्त माल में से 10 प्रतिशत माल नमूने के तौर पर निकाला जाता है और उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला में परीक्षण के पश्चात् यदि यह पता लगता है कि उक्त माल की एक विशेष मात्रा स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है ।

श्री अमृत नाहाटा : माननीय मन्त्री ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं । खुले टेंडर अमंत्रित नहीं किये जाते । केवल 20 फर्मों को टेंडर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। उन 20 फर्मों के अलावा अन्य फर्मों को टेंडर प्रस्तुत करने को अनुमति नहीं दी जाती । यदि उक्त 20 फर्में गुट बनाकर निम्नतम टेंडर प्रस्तुत करें तब भी मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने वास्तव में उक्त विषय का उल्लेख नहीं किया था । मैं टेंडरों के साधारण तथा जारी किये जाने का उल्लेख कर रहा था । टेंडर दिये जाने वाले व्यक्तियों की रजिस्टर सूची है और उक्त सूची में 48 व्यक्तियों के नाम हैं । लेकिन कोई भी अपने से टेन्डरों को रजिस्टर करवा सकता है। इस बारे में एक बात की आवश्यकता होती है और वह यह कि उस व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि उसके विरुद्ध आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है और उसे जमानत के रूप में लगभग 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन सम्बंधी शर्तों को पूरा करना पड़ता है (अन्तर्बाधाएं)

Shri Chandrika Prasad : Hon. Member's name was just mentioned. Shri Limaye has asked that it should be expunged from the records. So far as the tenders for Army are concerned, names of some persons have been registered and the goods are purchased from them only and some applications have been pending against them with Shri V. V. Giri and the anti-corruption department. I want to know why the goods are not purchased through the Food Corporation of India instead of its being purchased from some big Mahajans ? I also want to know why an enquiry has not been conducted through the C. B. I. against those corrupt Mahajans ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि जहां तक सेना को बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल सप्लाई करने का प्रश्न है, इनकी खरीद भारत के खाद्य निगम द्वारा की जाती है । जहां तक अन्य खाद्यान्नों का प्रश्न है स्वभावतया भारत का खाद्य निगम उनको हमेशा सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होगा । अत: हमें उनकी सप्लाई सार्वजनिक टेंडर आमंत्रित करके करनी पड़ती है ।

Shri Shambhu Nath : I want to know whether you will get the investigation done through C. B. I. ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक माननीय सदस्य ने पहले भी इस बारे में प्रश्न किया था और उसके उत्तर में मैंने बता दिया था कि इस बारे में कानूनी पहलूओं पर विचार किया जायेगा ।

Shri Shashi Bhushan : Bad quality of dals etc. are supplied to our Jawans by anti-nationalist elements, who sacrifice their lives for the sake of the country. The firm Bujan Mall Kundan Lal was raided upon in connection with black marketing and some arrests were also made. They have been charged for evading income tax. Even after that that firm has not been black-listed and bad quality of dals are still being purchased from it. These so called protectors of the religion are doing this work and inspite of that their firms have not been blacklisted. I want that C. B. I. enquiry should be conducted against this firm. Political pressure is also being used to save this firm. Income tax case was withdrawn. One member of Parliament is its adviser and a partner. He has deposited 50 thousand rupees in that firm. His telephone number is also being used, by the said firm. I do not speak against any person. I want to know why a C. B. I. enquiry has not been conducted against such anti-national firm and why this firm has not been blacklisted ? All the goods supplied by the firm should be confiscated and the firm should not be paid any money till the enquiry is over. Are you prepared to accept this demand ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम विधि मंत्रालय से यह परामर्श करेंगे कि क्या इस रूप में इसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ।

Shri Shashi Bhushan : I asked about the C. B. I. enquiry. I am prepared to produce douments in support thereof.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वस्तुत: बात यह है कि यदि हम उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहें······

Shri Shashi Bhushan : What else criminal act can be bigger than this. These businessmen supplied rotten pulse to the army and thus played with the lives of our Jawans. These people should not be excused. They are traitors.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप सभा को यह आश्वासन देंगे कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायेगा और उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों का निरूपण पहले ही किया जा चुका है। जहां तक सप्लाई किये गये घटिया किस्म के चावल की मात्रा का सम्बन्ध है करार की शर्तों के अनुसार ऐसा चावल उनसे खरीदा ही नहीं गया था। अतः यह प्रश्न ही निराधार है कि सेना को ऐसा चावल सप्लाई किया गया जो खाने योग्य नहीं था। सेना क्रय संगठन माल खरीदते समय इस बात पर ध्यान देता है कि माल निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है अथवा नहीं। यदि कोई घाटा होता है, तो करार की शर्तों के अनुसार सप्लाई करने वाली फर्म से घाटा पूरा कर लिया जाता है। वैसे भी इस मामले में कुछ मूल्य के केवल 1 प्रतिशत का माल दिया गया था। इस मामले में जो घाटा हुआ था वह सम्बन्धित फर्म से पूरा कर लिया गया था। अतः उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रश्न है, इस बात पर गृह-मन्त्रालय के परामर्श से निर्णय किया जायेगा। जहां तक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में विधिवेत्ताओं से परामर्श किया जायेगा।

श्री रणजीत सिंह : हमारे जो जवान पंजाब में तैनात हैं उन्हें खराब से खराब गेहूं और चावल दिया जा रहा है जब कि स्वयं पंजाब राज्य में सबसे अच्छा गेहूं पैदा होता है। मेरे सेवा-काल में भी ऐसा होता था। मैंने और कुछ अन्य अधिकारियों ने इसका विरोध भी किया था किन्तु हमें जो माल सप्लाई किया जा रहा था, उसे ही स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इसका कारण यह था कि उसमें बड़े-बड़े अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे। न केवल उच्च अधिकारी बल्कि कुछ मंत्रियों का भी इसमें हाथ होता है। अतः इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रश्न एक फर्म विशेष के बारे में था। जहां तक सामान्य सप्लाई का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री जि० मो० बिस्वास : इस मामले में आप संसदीय जांच क्यों नहीं कराते ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब किसी व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष को बचाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यह सप्लाई सरकारी संगठनों विशेष रूप से भारत के खाद्य निगम द्वारा की गई थी।

श्री पीलु मोडी : क्या सरकार मंत्रियों के व्यवहार के बारे में संसदीय जांच की बात स्वीकार करेगी ?

Shri Kanwarlal Gupta : I want that the minister should order for another enquiry in the matter, to avoid the wrong doings in the future.

Shri Bhogendra Jha : The House is of the opinion that an enquiry should be ordered into it. What is the categorical answer of the minister in this respect.

Shri Hukum Chand : Sir, ask the Minister to reply. (Interruptions).

Shri Bhogendra Jha : The Minister should clearly state whether he is prepared to order an enquiry into it or not.

अध्यक्ष महोदय : मैं तो चाहता हूं कि अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाये।

श्री पीलु मोडी : आप मंत्री से कहें कि वह संसदीय जांच की बात मान लें।

श्री रणजीत सिंह : मैं बताना चाहता हूं कि 1946 में खराब खाद्यान्न की सप्लाई के कारण ही सैनिक विद्रोह हुआ था । क्या आप उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order. Before calling the next item you should ask the Minister to reply clearly whether he agrees with the proposal of Parliamentary probe into it, so that protection in respect of food should be given to the army. Last time it was the matter of supply of defective tyres to the army and now it is a matter of supply of sub-standard food to army personnel.

Shri Sheo Narayan : Sir, we want the answer from the Govt. in 'Yes' or 'No'.

श्री म० ला सोंधी : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री स० कुन्दू : प्रश्न का उत्तर देते हुये मन्त्री महोदय ने बताया है कि वह मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने और सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । किन्तु यह स्वीकार कर लेने पर कि सेना को घटिया किस्म का खाद्यान्न दिया गया है या यह सिद्ध हो जाने पर कि सेना को जो माल दिया गया, वह निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं था, क्या आवश्यकता है कि सम्बन्ध पक्ष के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए विधिवेत्ताओं से परामर्श किया जाये ? यह तो चार सौ बीसी का मामला है और इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो एकदम जांच शुरू कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न की ओट लेकर आप लोग अपना-अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : व्यवस्था के बारे में मेरा प्रश्न यह है कि आपके द्वारा तर्कसंगत प्रश्न स्वीकार किया जाता है । प्रस्तुत प्रश्न श्री रणजीत सिंह ने आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछा है । प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में संसदीय जांच कराई जायेगी या नहीं ? इसका स्पष्ट उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा दिया जाना चाहिये । श्री मधु लिमये यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह मामला लोक लेखा समिति को सौंपा जा सकता है या कोई अन्य संसदीय समिति इस मामले की जांच कर सकती है । प्रश्न यह महत्वपूर्ण है किन्तु मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने से बचना चाहते हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : अध्यक्ष महोदय, आपने उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी । सेना को खराब अनाज का दिया जाना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये था । चूंकि प्रतिरक्षा मन्त्री यहां उपस्थित हैं अतः आपको उसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिये था । इस मामल को सभा बहुत गम्भीर समझती है और चिन्ता प्रकट करती है । ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर विचार के समय भी आप प्रतिरक्षा मंत्री की चुप्पी आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि एक मंत्री विशेष सभा में उपस्थित है, सिर्फ इसलिए ही उससे उत्तर देने के लिए कहना मैं उचित नहीं समझता । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय उनके बारे में बता चुके हैं ।

श्री पीलु मोडी : वरिष्ठ मंत्री को उत्तर देना चाहिये । राज्य मंत्री के उत्तर हमें संतुष्ट नहीं कर पाते ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रश्न के पहले भाग में यह पूछा गया था कि क्या सेना को घटिया किस्म का अनाज दिया जा रहा है । मैंने इसका उत्तर दिया था कि सेना को मुख्य रूप से गेहूं और चावल की सप्लाई की जाती है और यह सप्लाई एक फर्म विशेष ने की थी । माननीय सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न उठाया और पूछा कि क्या इस मामले में संसदीय जांच हो सकती है । इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा । यदि सेना को सप्लाई की प्रक्रिया में सुधार से सम्बंधित सुझाव आप देना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस मामले में संसदीय समिति द्वारा जांच चाहते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस विशिष्ट प्रश्न की जांच के लिए संसदीय समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पीलु मोडी : श्रीमान्, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रणजीत सिंह : यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कलिता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संस्थागत प्रशिक्षण का विस्तार

*1171. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में संस्थानिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर अधिक जोर दिया जा रहा है जब कि पूर्वोत्तर प्रशिक्षण में, विशेषतः व्यय की दृष्टि से अनेक लाभ हैं;

(ख) क्या अब जब कि औद्यौगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो गया है, संस्थानिक प्रशिक्षण के स्थान पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं पर अधिक जोर देने का समय आ गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोई लागत लाभ विश्लेपण किया है तथा क्या उनकी तुलना अन्य विकासशील तथा विकसित देशों में वर्तमान स्थिति से की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डा० संजीवैया) : (क) शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वभावतः ऐसे उद्योगों पर आधारित रहता है जिसमें प्रशिक्षित कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता रहती हो और जो काफी बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हों । पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस तरह का आधार उपलब्ध नहीं था । इसके साथ-साथ यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त संख्या में कुशल जनशक्ति उपलब्ध किये बगैर औद्योगिक विकास सम्भव नहीं होता । अस्तु, औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक कुशल दस्तकारों की पूर्ति के लिए शुरू में संस्थागत प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास करना अनिवार्य था ।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देखते हुए चौथी योजना में शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार का फैसला किया है और इसके साथ ही नए व्यवसाओं में प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने व प्रशिक्षण कार्य में विविधता लाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्य-क्षमताओं में आंशिक विस्तार करने का भी सुझाव है। एक अगस्त, 1966 से संस्थागत व शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामन्जस्य स्थापित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) यह अनिवार्यतः एक प्रशिक्षण प्रायोजना है जिसका उद्देश्य, उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारियों की मांग की पूर्ति करना है। संस्थागत प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह आवर्ती खर्च, लगभग 100 रुपये होता है।

चुनावों में राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को निःशुल्क डाक-टिकट देना

*1174. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों में सरकार आम चुनावों में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने घोषणापत्रों और अन्य साहित्य के प्रचार के लिए निःशुल्क डाक टिकट सप्लाई करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से इस प्रकार की कोई मांग की गई है अथवा नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के किसी ऐसे प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) संसार के किसी भी देश में चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को इस तरह निःशुल्क डाक-टिकटों की सुविधाएं दिये जाने की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Reactions of State Governments to Unemployment Insurance Scheme

*1175. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state.

(a) whether the reactions of all the State Governments in regard to the proposal for introducing Unemployment Insurance Scheme have since been received by Central Government :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the said scheme would be introduced ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) The views of almost all the State Governments have been received. A majority of the State Governments have no objection to the proposal in principle.

(c) The matter is being examined by a Working Group in the light of recommendations made by the National Commission on Labour and it is not possible to indicate at this stage when a final decision would be taken.

टेलीविजन पर विज्ञापनों के आरम्भ करने के बारे में मत सर्वेक्षण

*1176. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर विज्ञापन आरम्भ करने के बारे में कोई मत सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टेलीविजन पर विज्ञापन आरम्भ करने के बारे में मत सर्वेक्षण करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लेनिन पर वृत्त चित्र

*1177. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेनिन शताब्दी के दौरान लेनिन के जीवन पर एक वृत्त चित्र बनाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वृत्त चित्र कब तक तैयार हो जायेगा; और

(ग) क्या यह रूस के निकट सहयोग से किया जा रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) लेनिन पर एक वृत्त चित्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद डाक व तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का बन्द किया जाना

*1178. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को सितम्बर, 1968 से पूर्व दिया जाने वाला समयोपरि भत्ता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यह भत्ता किन कारणों से बन्द किया गया है; और

(ग) डाक कर्मचारियों को यह भत्ता कब से मिलना आरम्भ हो जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों में खेती की बटाई प्रणाली समाप्त करने के लिये आदर्श विधेयक

*1179. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती में बटाई प्रणाली समाप्त करने सम्बन्धी कोई आदर्श विधेयक विभिन्न राज्यों में परिचालित किया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के पट्टेधारी कानूनों को आदर्श नहीं माना गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों, विशेषतः आसाम और बंगाल, ने इस आधार पर विधान बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि नीति सम्बन्धी सिफारिशें भी सम्मिलित हैं। इन सिफारिशों का व्यापक रूप है जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनाया जाना है और जिनका अनुक्रमण किया जाना है। चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से अन्तर होता है, अतः खेती में बटाई की पद्धति को नियमित करने के लिए समग्र रूप से देश भर में आदर्श के रूप में कोई विधान या बिल बनाने पर विचार नहीं किया जा सका है।

(ग) और (घ) बटाईदारों (अधियार तथा बरगादार) के अधिकारों को नियमित करने के लिए असम और पश्चिम बंगाल में उपबन्ध कर दिए गए हैं। ये उपबन्ध उनके हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं। राज्य सरकारें और अधिक उपायों पर विचार कर रही हैं।

बिना लाइसेंस के टेलीविजन सेटों के मालिकों को छूट

*1182. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस टेलीवीजन सेटों के संबंध में हाल में छूट देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, यो यह छूट कितनी अवधि के लिए घोषित की गई है;

(ग) छूट की इस घोषित अवधि में कितने टेलीवीजन सेटों के लिए लाइसेंस जारी किये गये; और

(घ) उससे कितनी राशि वसूल हुई ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1 फरवरी, 1970 से 30 अप्रैल, 1970 तक के लिए।

(ग) और (घ) छूट की अवधि के दौरान टेलीविजन सेटों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या और उनके लिए वसूल की गई राशि संबंधी सूचना छूट की अवधि समाप्त होने के बाद सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता स्थित निजी चाय भण्डागारों का सरकार द्वारा लिया जाना

*1183. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री गार्डलिंगन गौड़ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता के निजी चाय भाण्डागारों को अपने हाथ में ले तथा उनका नियन्त्रण केन्द्रीय भाण्डागार निगम को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन चाय भाण्डागारों के मालिकों ने सरकार को इस प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार अथवा केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए समिति की नियुक्ति

*1184. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 26 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति की नियुक्ति कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख) इस समिति की स्थापना शीघ्र ही किए जाने की सम्भावना है । इस समिति के लिए विचारार्थ विषय और इसके संगठन को राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये पश्चिम बंगाल में कृषि विकास परियोजना

*1185. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन में 1971 तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक कृषि विकास परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार (1969-70) ने खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य-उत्पादन सम्बन्धी यह परियोजना बनाई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई और क्या खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समय तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सन् 1968 में पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग ने दो वर्ष की अवधि के अन्तर्गत राज्य में अनाजों की आवश्यकता एवं उत्पादन के मध्य के अन्तर को पूर्ण करने के लिए क्रैस कार्यक्रम प्रारम्भ किया था ।

(ख) क्रैस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्न प्रकार थीं :—

(1) अनाज की अधिक उत्पादनशील किस्मों के क्षेत्र का विस्तार;

(2) बहुद्देशीय फसलों के क्षेत्र का विस्तार;

(3) उथले कुंओं की खुदाई और अन्य लघु सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा 1.62 लाख हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था;

(4) बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधि, ऋण आदि आवश्यक कृषि आदानों की समुचित आपूर्ति का प्रबन्ध ।

(ग) राज्य सरकार ने क्रैस कार्यक्रम के कार्यान्वियन को लगभग उसी प्रकार जारी रखा ।

(घ) सन् 1968-69 की अवधि में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा 1969-70 की प्रत्याशित उपलब्धियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

(एक क्षेत्र हजार हैक्टयर में)

फसल	1967-68 क्रैस कार्यक्रम के सूत्रपात से पूर्व आवृत्त क्षेत्र	1968-69 क्रैस कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की अवधि में आवृत्त क्षेत्र	1969-70 क्रैस कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष की अवधि में आवृत्त क्षेत्र (अनन्तिम)
अधिक उत्पादनशील खरीफ धान	101	195	486
अधिक उत्पादनशील बोरो धान	25	5 i	81
अधिक उत्पादनशील गेहूं	31	82	176

क्रैस कार्यक्रम की प्रथम वर्ष की अवधि (1968-69) में बहुद्देशीय फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.32 लाख हैक्टयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाया गया था जबकि उससे पूर्व वर्ष का 1.71 लाख हैक्टयर क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया था । 1969-70 की उपलब्धियों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

जहां तक अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था का सम्बन्ध है 1968-69 में 20,000 नलकूपों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 11,500 उथले नलकूप लगाये गये थे किन्तु राज्य सरकार ने 1969-70 की अवधि में 20,000 उथले नलकूपों की खुदाई के पूर्व लक्ष्य को यथावत् रखा। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1969 के अन्त तक 1333 उथले नलकूप लगाये गये थे।

राज्य सरकार का 1968-69 में 60 लाख मीटरी टन तथा 1969-70 में 70 लाख मीटरी टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार था। सन् 1968-69 की अवधि में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था। सन् 1969-70 की अनाज की फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु राज्य सरकार को आशा है कि लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

Policy for Installation of Diesel Engine and Power Engine Pumping Sets in Bihar and U. P.

*1188. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the total area under cultivation in Bihar and Uttar Pradesh is one-fourth of the total agricultural land in the country and adequate water is available in 80 per cent of the land in these States;

(b) if so, the reason for installing only one lakh diesel engine pumping sets and 1.25 lakhs power pumping sets is in these States upto 1969 as against 2.25 lakhs diesel pumping sets and 5 lakhs power pumping sets operating in Tamil Nadu and Maharashtra; and

(c) whether Government propose to make a study of the policies followed by Bihar and Uttar Pradesh Governments and remove the bottlenecks in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The total area under cultivation (gross) in Bihar and Uttar Pradesh is 20% of the total area under cultivation (gross) in the country. According to the broad assessment of available water resources, it is estimated that it would ultimately be possible to irrigate 85.9% of the total area under cultivation (gross) in Bihar and 68.5% of the total area under cultivation (gross) in Uttar Pradesh.

(b) The unequal progress of pumpsets in the States named may be attributed to the following reasons:—

(1) The comparative lack of overall irrigation facilities in Maharashtra had resulted in increased demand and emphasis on installation of pumpsets. To support this programme, institutional financing (which provides the bulk of the outlay for private minor irrigation works including pumpsets) was developed in Maharashtra much earlier than in other States,

(ii) In Tamil Nadu, as the development of surface water resources had almost reached a saturation stage, there was concerted demand for dug wells and installation of pumpsets. The Tamil Nadu Government started rural electrification programme much earlier than the other States to meet the increasing demand for pump sets.

(iii) In Bihar and Uttar Pradesh the programmes of private minor irrigation works (including pumpsets) and rural electrification have gained momentum only after the severe drought of 1966 and the successful introduction of the high-yielding varieties.

(c) The programmes and the policies of the Bihar and Uttar Pradesh Governments in regard to minor irrigation (including pumpsets) are under constant review, and the State Governments are consistently being impressed upon to accord maximum priority to minor irrigation programme including installation of electrical and diesel pumpsets.

Mobile Post-Office for Rural Areas not Served by Regular Post-Offices

*1189. **Shri Deven Sen**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government would provide mobile post offices in those rural areas, where there are no post offices or where the post offices are located at far off places, keeping in view the public convenience ;

(b) if so, by what time ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) There is no proposal at present, having regard to all relevant considerations, to provide mobile post offices in rural areas where there are no post offices or where the post offices are located at far off places.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) It is far more economical to extend postal facilities in rural areas through stationary post offices than by introduction of mobile offices, in the present state of development of our country. There are serious difficulties in operating mobile post offices because of inadequacy of motorable roads, want of proper maintenance facilities for the vehicles, and on account of security considerations in the areas where such facilities would be justified.

चुने हुए उद्योगों में श्रम लागत तथा उत्पादन लागत का अध्ययन

*1190. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सामान्य विश्वास है कि भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम लागत अमरीका जैसे विकसित देशों की तुलना में कम है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कभी यह सुनिश्चित करने के लिये कोई अध्ययन किया है कि देश में लोहा तथा इस्पात, सूती कपड़ा, सीमेंट इत्यादि कुछ चुने हुए उद्योगों में समूची लागत में श्रम लागत कितने प्रतिशत है तथा औद्योगिक रूप से विकसित देशों में कितने प्रतिशत है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अध्ययन आरम्भ किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ) भारत के कुछ चने हुये उद्योगों में कुल उत्पादन व्यय से श्रम व्यय का प्रतिशत बताने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। अन्य देशों में श्रम व्यय के साथ कोई तुलना नहीं की गई है। इस प्रकार के अध्ययन करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

उद्योग का नाम	कुल उत्पादन व्यय से श्रम व्यय का प्रतिशत
1. चीनी	10.34
2. सूती कपड़ा	25.48
3. जूट कपड़ा	22.59
4. कागज	16.98
5. दियासलाई	30.60
6. लोहा और इस्पात (धातु)	16.62
7. हाईड्रोजनीकृत तेल (वनस्पति)	3.06
8. सिग्रेट	9.77
9. चर्म शोधनालय और चर्म परिष्करण शालायें	7.74
10. भारी रसायन—अकार्बनिक	14.66
11. औषधि और भेषज शालायें	16.42
12. पेट्रोलियम परिष्करण शालाये	7.13
13. सीमेंट निर्माण (हाईड्रोलिक)	11.92
14. मोटर गाड़ियों का निर्माण	13.76

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 1964 सी० एस० ओ (आई एस० विंग)

नोट : ये नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं और उन कारखानों से संबंधित हैं जिनमें, यदि वे बिजली का प्रयोग करते हैं तो 50 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं और यदि वे बिजली को नहीं इस्तेमाल करते तो 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं।

सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना

*1191. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने की योजना में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रमाणित सुधरी किस्मों के बीजों, बक्टेरिया-पालन और विपणन प्रबन्धों के विषय में सुनिश्चय कर लिया जाता है।

(ग) जी हां।

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक के मूल्य में कमी

*1192. **श्री जुगल मंडल :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये आगामी वर्ष के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) इस समय उर्वरकों के मूल्य में कमी करने के सम्बन्ध में किसी आम प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माल्पे मत्स्य-ग्रहण पत्तन परियोजना

*1193. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने माल्पे मत्स्य-ग्रहण परियोजना के बारे में जांच पूरी कर ली है और उसके लिये नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और नक्शे कब तक तैयार हो जायेंगे तथा परियोजना को पूरा करने का क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) मैसूर सरकार तथा परामर्शदात्री फर्मों द्वारा की गई तकनीकी जांच के परिणामों की विस्तृत जांच-पड़ताल मई-जून, 1969 में मैसूर सरकार की सलाह से की गई । यह निर्णय किया गया कि अपेक्षित और विस्तृत जांच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मत्स्य-हरण पत्तन पूर्व-निवेश सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से की जाएगी । तदनुसार इस संगठन ने जुलाई और सितम्बर, 1969 के बीच वृहत सर्वेक्षण और परीक्षण किये । संगठन द्वारा बनाए गए नक्शे पर इस समय माडल परीक्षण किए जा रहे हैं । आशा है कि जून, 1971 तक विस्तृत डीजाइन, नक्शे तथा अनुमान तैयार हो जायेंगे ।

(ख) मई, 1969 में बनाई गई कार्य-योजना के अनुसार रिपोर्ट जून, 1970 तक पूरी की जानी थी । रिपोर्ट पूरी हो जाने पर माल्पे मत्स्य-हरण पत्तन की स्वीकृति के प्रश्न पर परिवहन और वित्त मन्त्रालयों के परामर्श से रिपोर्ट के प्रसंग में जांच-पड़ताल की जाएगी ।

बीज निगम को प्रमाणीकरण अभिकरण कार्य सौंपने का विरोध

*1194. **श्रीमती - धा वी० रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय की मांग रही है कि प्रमुख बीज उत्पन्न करने वाली एजेंसियों जैसे बीज निगम लिमिटेड को साथ ही साथ प्रमाणीकरण का कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) यह विचार कुछ संगोष्ठियों में, जिसमें कि इस मामले पर कुछ समय पूर्व विचार-विमर्श किया गया था; व्यक्त किया गया है ।

(ख) बीज अधिनियम 1966 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक् बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी की व्यवस्था है । अतः भारत सरकार ने बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी के निर्णय के बारे में राज्य सरकार को पूरी छूट दे रखी है ।

कपास का उत्पादन, खपत और आयात

*1195. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कपास का कितना उत्पादन हुआ तथा कितनी खपत हुई ;

(ख) किन देशों से इसका आयात हुआ और उसका मूल्य कितना है ;

(ग) भारत में और कपास का उत्पादन करने वाले कुछ अन्य प्रमुख देशों में कपास की औसतन प्रति एकड़ उपज कितनी है ; और

(घ) क्या यह तुलना हमारे अनुकूल है ; यदि नहीं, तो क्यों नहीं और सरकार प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, ताकि इसको अन्य देशों के बराबर लाया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 के दौरान भारत में मिलों द्वारा कपास का उत्पादन तथा खपत नीचे दी गई है :

(लाख गांठों में—प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम)

	उत्पादन	मिलों द्वारा खपत
1966-67	49.73	55.39
1967-68	54.54	58-46
1968-69	52-70	62.50

(ख) वर्ष 1966-67 से 1968-69 के दौरान जिन प्रमुख देशों से कपास का आयात किया गया तथा आयात की लागत नीचे दी गई है :—

मात्रा : लाख गांठों में—प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम

मूल्य : करोड़ रुपयों में

देश	1966-67		1967-68		1968-69	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
संयुक्त अरब गणराज्य	1.79	25.46	1.42	22.08	1.26	20.62
सूडान	1.28	14.15	1.16	13.88	1.25	15.70
पूर्वी अफ्रीका	0.88	7.98	0.59	6.01	0.58	6.41
पाकिस्तान	0.29	2.02	नगण्य	0 03	—	—
अमरीका	3.3)	34.65	4.63	43.75	0.77	9.32
अन्य	0.34	4.25	0.04	0.38	0.47	6.88
योग	7.88	88.51	7.34	86.13	4.33	58.93

(ग) विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में कपास की प्रति हैक्टार उपज नीचे दी गई है :

(किलोग्राम में प्रति हैक्टार)

देश	1966-67	1967-68	1968-69 (प्रास्ताविक)
अमरीका	538	501	578
ब्राजील	220	263	273
रूस	833	840	843
भारत	**128**	**141**	**137**
पाकिस्तान	290	300	302
सूडान	397	401	467
संयुक्त अरब गणराज्य	583	639	709
चीन (मुख्य भूमि)	290	300	296
विश्व	338	336	361

(घ) तुलनात्मक रूप से भारत में प्रति हैक्टार औसत उत्पादन कम है, क्योंकि मुख्यत: कपास के अधीन 84 प्रतिशत के करीब क्षेत्र वर्षा सिंचित है; कपास के क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग अभी भी कम उत्पादनशील पुरानी किस्मों के अधीन है और अधिकांश किसानों को अभी खेती के आधुनिक ढंग अपनाने हैं। राज्य प्लानों में समन्वित कपास विकास योजनाओं के कार्यान्वियन से कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं तथा 1966-67 से कपास के अत्यधिक उत्पादन के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं में सघन कृषि उपायों का प्रचार न्यूक्लियस तथा आधार बीजों का उत्पादन, मिश्रित प्रदर्शनों का संगठन, सामूहिक पौध संरक्षण अभियान तथा यूरिया के पर्णीय प्रयोग के प्रचार आदि की परिकल्पना की गई है।

कृषि में प्रयोग किये जाने वाले डीजल इंजनों की मांग में कमी

*1196. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में प्रयोग किये जाने वाले डीजल इंजनों की मांग में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में अनुमानित मांग और वास्तविक मांग में कितना अन्तर है;

(ग) क्या वास्तविक मांग में उक्त अन्तर से उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण एककों तथा प्रयोक्ताओं में असन्तुलन को ठीक करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई और नागपुर के बीच प्रयोक्ता द्वारा डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

*1197. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बम्बई और नागपुर जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी तथा उपराजधानी है, के बीच प्रयोक्ता द्वारा डायल करके सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1973 तक।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा दंडकारण्य परियोजना को छोड़कर चले जाना

*1198. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंडकारण्य में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दंडकारण्य में अब तक कितने विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में कई परिवारों ने दंडकारण्य पुनर्वास स्थानों को छोड़ दिया है और वे चाहते हैं कि उनका पुनर्वास पश्चिम बंगाल में हो ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये परिवार गत कई दिनों से कलकत्ता मैदान में रह रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) लगभग 13,400.

(ग) जी, हां। तथापि, उनके पुनर्वास के अभीष्ट स्थान के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है।

(घ) जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) स्थान छोड़कर चले जाने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं—

(i) बन भूमियों का उद्धार करके नये बनाये गये क्षेत्रों में पुनर्व्यवस्थापन का प्रारम्भिक परीक्षण अनुभव ;

(ii) कुछ परिवारों द्वारा कठिन काम करने की अनिच्छा और अपने आप उन व्यवसायों में बसने की इच्छा न करना जिनमें कि वे भारत आने से पूर्व अभ्यस्त नहीं थे;

(iii) नकद बेकारी अनुदान पाने का प्रलोभन और निरन्तर शिविर जीवन बिताना; और

(iv) उनके मामलों में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों द्वारा कुछ प्रतिकूल प्रचार ।

विवरण

पुनर्वास सुविधाएं : पुनर्वास सम्बन्धी उद्यम के रूप में दण्डकारण्य परियोजना मूल रूप से कृषि की ओर उन्मुख है । यहां एक कृषक परिवार को 6 एकड़ कृषि-भूमि दी जाती है । इसके अतिरिक्त उसे 800 वर्ग गज आवासीय भूमि भी दी जाती है । हर परिवार को निम्नलिखित पुनर्व्यवस्थापन सुविधाएं भी दी जाती हैं :—

(क) औसत रूप से 1700 रु० की लागत के एक बने मकान के लिए ऋण जिसे स्वयं परिवार के सदस्य बल्लियों और छत की सामग्री (जैसे सी० जी० आई० की चद्दरें) से बनाते हैं ।

(ख) निम्नलिखित कार्यों के लिये 1,015 रु० का कृषि-ऋण :—

बैलों की जोड़ी	450 रु०
एक दुधारू गाय और बछड़ा	150 रु०
औजार	100 रु०
बीज, खाद तथा उर्वरक	290 रु०
निराई के लिये	25 रु०
	1,015 रु०

(ग) आवासीय भूमि पर कुआं खोदने के लिये 150 रु० का सिंचाई ऋण ।

(घ) उर्वरक खरीदने के लिये 400 रु० का एक अल्पकालीन ऋण भी दिया जाता है ।

(ङ) उपर्युक्त ऋणों के अतिरिक्त, परिवार को पहले कृषि मौसम में पूरी दर पर, दूसरे कृषि मौसम में आधी दर पर और तीसरे कृषि मौसम में एक चौथाई दर पर भरण-पोषण सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त पहले कृषि मौसम के तत्काल बाद आने वाले 6 माह के गैर कृषि मौसम के लिए सहायता दी जाती है ।

2. दण्डकारण्य में कृषक परिवारों के अतिरिक्त कुछ गैर कृषक परिवार भी हैं । गैर कृषक परिवार जो कि गांवों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बसाये जाते हैं, निम्नलिखित सुविधाएं पाते हैं ;

गांवों में :

कृषि भूमि	2 एकड़
आवासीय	800 वर्ग गज
गृह निर्माण ऋण	2,000 रु० तक
गांवों में लघु व्यापार के लिए ऋण	1,000 रु०
कृषि ऋण	300 रु०

लघु व्यापार ऋण देने के बाद परिवार के आकार के आधार पर तीन महीने का भरण-पोषण अनुदान	30 रु० से 70 रु० माहवार, तीन महीने के लिए ।

शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र :

आवासीय भूमि	800 वर्ग गज
गृह निर्माण ऋण	2,000 रु० तक
व्यवसाय ऋण	1,000 रु०
उचित मामलों में अतिरिक्त व्यवसाय ऋण	500 रु०
व्यवसाय ऋण देने के बाद परिवार के आकार के आधार पर तीन महीने के लिए भरण-पोषण अनुदान	30 रु० से 70 रु० माहवार, तीन माह तक ।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ को मान्यता देना

*1199. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल ही में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मजदूर संघ के अधिकारों की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी अन्य मागें क्या हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर बिचार करते समय इस मांग पर विचार किया जायेगा ।

(ग) अन्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) भारतीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिये समान वेतन-क्रम ।

(ii) जीवन निर्वाह व्यय सूचक के अनुसार महंगाई भत्ते की अदायगी ।

(iii) विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था ।

(iv) कार्य की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(v) विश्वविद्यालय-न्यायालयों तथा कार्यकारी परिषदों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।

(vi) कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों को तय करने के लिये एक शिकायत समिति की स्थापना, आदि ।

ये सभी मागें सही रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों से, जो स्वायत प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं तथा उन राज्यों से जिनके नियन्त्रण में ये कार्य करते हैं, सम्बन्ध रखती हैं ।

Increase in Rate of Interest for Deposits in Post Office Savings Banks

*1200. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount of interest given for the amount deposited in the Post Office Savings Banks is less as a result of which the depositors are drawing their money from the said Savings Banks and opening their accounts in the nationalised banks ; and

(b) if so, whether Government propose to increase the rate of interest paid by the Post Office Savings Banks ; if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

सत्ताधारी कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका में सरकारी विज्ञापन

7206. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सत्ताधारी कांग्रेस दल की 1969 की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका में प्रकाशन हेतु अपने मन्त्रालयों तथा सरकारी परियोजनाओं के बारे में दिये गये विज्ञापनों की संख्या तथा उनका व्यौरा क्या है तथा प्रत्येक विज्ञापन के लिये कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इस स्मारिका को सरकारी धन के प्रचार का सबसे अधिक उपयुक्त माध्यम समझने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने स्मारिका में प्रकाशन हेतु 1,275 रुपये के मूल्य के दो विज्ञापन जारी किये थे । दोनों विज्ञापनों में गांधी जी के लेखों से उद्धृत अंश थे; एक का नाम था ''नो डिसिक्रमिनेशन'' तथा दूसरा सब्जियां सारे साल उगाने की जरूरत के बारे में था । यह मन्त्रालय सार्वजनिक उपक्रमों का प्रचार कार्य नहीं करता है ।

(ख) चुने हुए सोवीनियर, ब्रोशर, डायरेक्टरियां तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों के पढ़ने वालों की संख्या काफी होती है, अतः उनका सरकार की विभिन्न प्रचार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जाता है ।

एक चयनिका के रूप में गांधी शताब्दी सम्बन्धी प्रसारण में प्रसारित रूपक

7207. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी के दौरान राष्ट्रीय शताब्दी कार्यक्रम में प्रसारित रूपक एक चयनिका के रूप में प्रकाशित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तथा सम्पादक एवं प्रकाशक के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्ति ने उनके प्रकाशन के लिये अनुमति मांगी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो आकाशवाणी द्वारा कापीराइट सामग्री को गैर-सरकारी प्रकाशन के लिये उपयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा इस प्रकार का एक प्रकाशन निकाले जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सरकार को बाहर के किसी संगठन द्वारा ऐसा करने के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी की ओर से संगीतकारों के विदेशों के दौरे

7208. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वर तथा वाद्य संगीतकारों के क्या नाम हैं जिन्हें आकाशवाणी ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में अपने कार्यक्रम पेश करने के लिये भेजा था तथा इन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कलाकार ने किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्यक्रम पेश किये;

(ख) उन संगीतकारों को इस उद्देश्य के लिये विदेशों में भेजने पर कितना खर्च हुआ तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है;

(ग) क्या विदेशों में भेजे गये उक्त सभी संगीतकार प्रथम श्रेणी के थे; यदि नहीं, तो उनके नाम क्या हैं जो प्रथम श्रेणी के नहीं थे तथा उनमें से प्रत्येक के मामले में उन्हें भेजने के क्या कारण थे; और

(घ) एक्सपो-70 प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये भेजे गये संगीतकारों के क्या नाम हैं तथा वे किस श्रेणी के हैं और उन पर इस उद्देश्य के लिये कितना धन खर्च किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी किसी भी संगीतकार को विदेशों में कार्यक्रम पेश करने के लिये नहीं भेजता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चौथी योजना में राजस्थान में नलकूप, खुले कुएं तथा उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई सम्बन्धी केन्द्रीय योजना

7209. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत नलकूप, खुले कुएं तथा उठाऊ सिंचाई सम्बन्धी कोई केन्द्रीय योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं तथा प्रत्येक वर्ष के लिए लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य प्लान स्कीमों हेतु वित्तीय व्यवस्था का निर्णय केन्द्र तथा राज्य के समस्त वित्तीय संसाधनों के और राज्य तथा केन्द्र के आपसी परामर्श से क्षेत्रवार सम्बद्ध प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में लघु सिंचाई कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये का एक सरकारी क्षेत्रक परिव्यय विचाराधीन है। इस परिव्यय में से लगभग 5.9 करोड़ रुपये नलकूपों, खुले कुओं और उठाऊ सिंचाई योजनाओं आदि पर खर्च किए जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, आशा है कि इन कार्यों पर लगभग 20 करोड़ रुपये संस्थात्मक विनियोजन के रूप में लगाए जायेंगे।

Vanaspati Oil Factories in Public and Private Sectors

7210. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether edible oil and vanaspati oil factories have been set up in the public or private sector during the last three years ; if so, the names of the places where they have been set up;

(b) whether such factories are proposed to be set up in Fourth Plan period, if so, the names of the places where they are likely to be set up ; and

(c) whether the said proposed factories would be set up on priority basis on such places where the raw material is available, e. g, ; Rae Bareli in Uttar Pradesh where groundnut and mustard are available in plenty ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Implemeotation of Coordinated Scheme Regarding Animal Husbandry During Fourth Plan.

7211. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to implement coordinated schemes in respect of animal husbandry during the Fourth Plan and if so, the cattle proposed to be covered under these schemes ; and

(b) the benefit likely to accrue as a result of proper implementation of these schemes and whether these schemes will help solve the food problem ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir. The research investigation will cover the following breeds of cattle :

(i) Gir.
(ii) Ongole.
(iii) Hariana.
(iv) Tharparkar.
(v) Sahiwal.

(b) The object of this investigation is to find out the combining ability of exotic breeds with selected Indian breeds and developing a dairy breed of cattle with high level of milk production. The project will help in increasing the availability of milk which provides an important source of animal protein in the diet.

Films to Eradicate Social Evils

7212. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether Government have either in a meeting or through some other source made an appeal to the film producers in the country to extend their cooperation in the removal of social evils from the country ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No specific appeals have been issued though occasionally film makers have been reminded of their social responsibility in the matter.

(b) and (c) As a matter of policy the Films Division has produced many films dealing with social problems. A good number of feature films dealing with eradication of social evils have also been produced by private producers.

सोयाबीन को तैयार करना, उसका विपणन तथा उसकी खेती

7213. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सोयाबीन को तैयार करने तथा उसके विपणन की सम्भावनाओं का पता लगाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बारे में पोषक-आहार विशेषज्ञों से सलाह ली गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोयाबीन की खेती वाले क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) वर्ष 1970-71 में सोयाबीन की खेती कितने क्षेत्र में किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) विचाराधीन प्रस्तावों में मानव उपभोग के उद्देश्य से तेल निकालने, पशु आहार के लिए खाद्य तथा मानव उपभोग के लिए, पोषक खाद्य उत्पादों की दृष्टि से सोयाबीन के परिसंस्करण की संभाव्यता भी सम्मिलित है। ब्यौरा अभी तैयार नहीं है।

(ख) इस मन्त्रालय के पोषक-आहार विशेषज्ञों ने मानव पोषण के लिए सोयाबीन के उत्पादनों के प्रयोग का समर्थन किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1970-71 के दौरान 30,0..0 हैक्टार क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने का प्रस्ताव अस्थायी रूप से किया गया है ।

गेहूं की वसूली

7214. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने अप्रैल, 1970 के प्रथम पखवाड़े में कितनी मात्रा में गेहूं की वसूली की;

(ख) पंजाब में राज्य सरकार तथा मण्डी संघ द्वारा अप्रैल और मई में कितनी मात्रा की वसूली करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस गेहूं के लाने-ले जाने तथा इसको भंडार में रखने के लिये समुचित प्रबन्ध कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) शून्य ।

(ख) पंजाब में गेहूं की प्रस्तावित अधिप्राप्ति के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

एजेन्सी	अप्रैल	मई
पंजाब सरकार	15,000 मीटरी टन	450,000 मीटरी टन
विपणन संघ	20,000 मीटरी टन	270,000 मीटरी टन

(ग) जी हां ।

(घ) अप्रैल और मई, 1970 में राज्य सरकार और विपणन संघ द्वारा पंजाब में अधिप्राप्त किए जाने वाले गेहूं के प्रस्तावित स्टाक में लगभग 4,34,400 मीटरी टन गेहूं कमी वाले राज्यों को भेजने की योजना है । शेष स्टाक का भण्डारण करने के लिए पंजाब में पर्याप्त प्रबन्ध मौजूदा है ।

मैसर्ज प्योरस ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली में उपदान योजना

7215. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज प्योरस ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कनॉट सर्कस ने एक उपदान योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचेगा जो इस कम्पनी में पांच वर्ष तक सेवा कर चुके हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों के लिये कितनी सेवा निर्धारित की गई है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ कम्पनियों में ऐसे कर्मचारियों को भी उपदान दिया जाता है जो कम से कम तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ) एक विवरण, जिसमें मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा आरम्भ की गई उपदान योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है ।

(ङ) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस समय देश में उपलब्ध उपदान अधिकांशत: स्वैच्छिक ढंग का है ।

विवरण

प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि० में ग्रेच्युटी (उपदान) लाभ योजना

संख्या	वह आकस्मिकता जिसके हो जाने पर लाभ प्राप्य होता है ।	देय उपदान लाभ
(1)	(2)	(3)
1.	किसी कर्मचारी के सामान्य रूप से सेवा-निवृत्त होने पर, पुरुषों के लिये 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ।	सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये आधे महीने का वेतन या मजूरी, बशर्ते कि कुल राशि 15 महीनों के वेतन से अधिक न हो ।
2.	किसी कर्मचारी के आगे सेवा के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ होने पर ।	वही दरें जो ऊपर 1 में दी गई हैं ।
3.	(क) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति पर अथवा सेवा-समाप्ति अथवा कम्पनी की सेवा से बर्खास्त होने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से सेवा समाप्ति पर जबकि कम्पनी के साथ सेवा-काल निम्नलिखित अवधियों का हो-—	
	(1) सात वर्ष से कम	कुछ नहीं+
	(2) सात वर्ष और उससे अधिक	वही दरें जो ऊपर 1 में हैं ।
	(ख) कम्पनी द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्ति किये जाने पर अथवा फालतू हो जाने के कारण छंटनी किये जाने पर	वही दरें जो ऊपर 1 में हैं ।
	(ग) दुराचार अथवा धोखा देने के कारण बर्खास्त किये जाने पर	कुछ नहीं ।

†सिवाय इसके कि जब कम्पनी इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसी सेवा समाप्ति कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई है (इसकी कसौटी इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र होगा)। ऐसी सूरत में लाभ वही होंगे जो ऊपर 1 में उल्लिखित हैं।

4. कम्पनी की सेवा में कर्मचारी की मृत्यु होने पर — लाभ की दरें निम्नलिखित होंगी :

लाभ-प्राप्त करने का सेवा काल	देय लाभ
5 वर्ष तक	5 महीने का वेतन अथवा मजूरी।
5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	10 महीने का वेतन अथवा मजूरी।
10 वर्ष से अधिक	15 महीनों का वेतन अथवा मजूरी।

Implementation of Small Farmers Scheme in U. P.

7216. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of districts in which the Small Farmers Scheme is going to be implemented and whether the said scheme would be implemented in Abadi and other border districts of U. P. also ; and

(b) whether it is a fact that the recommendations of the Patel Commission have not been implemented and whether the said scheme would be implemented in all the Eastern districts of U. P. ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The final decision in this regard is yet to be taken. The State Government is taking action to select the districts ;

(b) The State Government have been taking action to implement the recommendations of the Patel Commission. Since the number of pilot projects for the development of Small Farmers is limited to 45 for the country as a whole, all the eastern districts of Uttar Pradesh may not be covered under the Small Farmers Scheme.

Import of Tractors From Russia under agreement

7217. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1771 on the 24th November, 1967 by the Minister of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs and state :

(a) whether Government have been following the policy of importing Russian tractors instead of encouraging the indigenous production of the tractors ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is some agreement with Russia about the import of tractors ; and

(d) if so, the broad features of the said agreement ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) No, Sir. Import of tractors is allowed after making full allowance for the production of indigenous tractors. Tractors are imported from U. S. S. R. in the H. P. range of 12-20 and 50. There is no indigenous production of tractors in the H. P. range of 12-20. In the case of 50 H. P. tractors, only a very small fraction of the overall unsatisfied demand of tractors has been met by import.

As against the overall requirement of 83,000 tractors for 1969-70, the indigenous production was 15,801 tractors (April' 69-February, 70). In the context of increasing and accelerating agricultural production in the country, import of tractors is necessitated to meet the long unsatisfied outstanding demands of farmers.

(c) Tractors from Russia as also from other East European countries such as Poland, Rumania, G. D. R. and Czechoslovakia are imported against the available Trade Plan provisions and no specific agreement has been concluded with Russia.

(d) Does not arise.

कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में सरकार की नीति

7218. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी उस वर्तमान नीति को जारी रखने का है जिसमें नियोजकों तथा स्वयं कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये धनराशि देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा अपने समाजवादी उद्देश्यों के लिये इस बारे में अतिरिक्त जिम्मेवारी लिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार उन लोगों को सांविधिक आधार पर सामाजिक सहायता देने के लिये कोई कानून बनाने का विचार कर रही है जो अपनी देखभाल स्वयं अपने ही स्थिति में नहीं हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) जो श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं और 8 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि का अंशदान देते हैं, उनके लिये सरकार ने परिवार पेंशन व जीवन बीमा की एक नयी योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना की रूपरेखा संसद् में बजट कागजों के साथ रखी गई ''सामाजिक न्याय के साथ उन्नति की ओर'' नामक विवरणिका में निहित है। भारत सरकार इस नयी योजना के व्यय के लिये अंशदान देगी और एक कानून बनाकर इसे लागू किया जायगा।

Non-reimbursement of telephone Bill of Members of Parliament due to recovery of extra charge in absence of Telephone Exchange in that area

7219. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided not to reimburse such amount of telephone bill to a Member of Parliament, who wants to have a telephone connection at his village residence where some extra charges are recovered per call as compared to local call as they are stated to be lying beyond the "local area" whereas such amount is admissible to Members of Parliament having telephones in those areas which have telephone exchange (generally in cities) ; and

(b) if so, the reasons for discrimination in extending such facilities to Members of Parliament in rural and urban areas ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Sub-rule 3 of Rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules 1956 as inserted by the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules 1969, lays down that no charges shall be payable by a Member of the Lok Sabha in respect of the installation and rental of one telephone installed either at his usual place of residence or at a place

selected by him, being a place situated within his constituency, and no Member shall be liable to make any payment in respect of the first 5,400 local calls made from that telephone during any year, provided that the place so selected shall be within the area of operation of an existing telephone exchange. Telephone connections at places lying outside the area of operation of an exchange can be provided on the private account of Members concerned but no rebate in respect of calls made therefrom will be permissible in terms of the aforesaid provision in the Rules.

कलकत्ता में बिड़ला समूह की कम्पनियों के प्रशासकीय कार्यालयों का कार्य

7220. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बिड़ला समूह की कम्पनियों के प्रशासनिक कार्यालयों, जो बन्द कर दिये थे, के कार्य में पुनः सामान्य स्थिति कायम करने के लिये प्रश्चिम बंगाल के तत्कालीन उपमुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु तथा बिड़ला बन्धुओं के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत अनिणर्ती रही । फिर भी, इस मामले में राज्य के प्राधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

डाक तथा तार विभाग, राजस्थान सर्किल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के आरोप

7221. **श्री मीठा लाल मीना** :
श्री रा० की० अमीन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री धी० ना० देव :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक तथा तार विभाग, राजस्थान सर्किल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन आरोपों की जांच की है तथा उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख)—जी हां । डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध विशेष पुलिस संगठन की जयपुर शाखा में 1969 और 1970 के दौरान (मार्च, 1970 तक) दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

राजपत्रित अधिकारी 3

अराजपत्रित कर्मचारी 61

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध तीन मामलों में से विशेष पुलिस संगठन ने एक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है । विशेष पुलिस संगठन शेष दो मामलों की अभी छानबीन कर रहा है ।

Report of the Speech Delivered by Minister of Food and Agriculture at Kanpur.

7222. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item in the daily 'Jagaran' dated the 9th March, 1970 from Kanpur, wherein excerpts of the speech delivered by him during his visit to Kanpur have been given :

(b) whether the language and expression ascribed to him in the excerpts of his speech, as quoted in the news item are correct ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not known which excerpts of the speech of the Minister, the Hon'ble Member has in mind. It may, however, be added that the remarks ascribed to him in respect of the traders are not correct.

(c) Does not arise.

पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस द्वारा एक सार्टिंग सेक्शन खोले जाने के लिये भूतपूर्व संचार मन्त्री को एक संसद् सदस्य द्वारा लिखा गया पत्र

7223. **श्री० स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस द्वारा एक सार्टिंग सेक्शन खोले जाने के लिये एक संसद् सदस्य ने 17 अप्रैल, 1968 को भूतपूर्व संचार मन्त्री को एक पत्र लिखा था तथा क्या इसके साथ कोई संलग्न पत्र था ;

(ख) क्या इस पत्र के प्राप्त होने की सूचना दिनांक 8 अप्रैल, 1970 के पत्र डी० जी० पी० एन० टी० संख्या 1529 एम० (सी) 168 द्वारा दी गई थी ; यदि हां, तो संलग्न पत्र में क्या लिखा था ;

(ग) क्या उक्त संसद सदस्य के पत्र का उत्तर दिया गया था; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । 18-4-68 को ।

संलग्नक एक छपा हुआ ज्ञापन था जो कि अखिल भारतीय रेल डाक सेवा कर्मचारी संघ श्रेणी III—द्वारा एक सदस्य को भेजा गया था । इसमें गंजम, फूलबानी, कोरापुट, कोलाहाडी, बलनगीर और पुरी जिलों में डाक के ठीक प्रकार से और तेजी से वितरण के लिए 45 अप / 46 डाउन पुरी हैदराबाद एक्सप्रेस पर छंटाई अनुभाग खोलने के लिए कहा गया था ।

(ग) जी नहीं । वास्तव में, संसद् सदस्य का पत्र मिलने से पहले ही 45 अप / 46 डाउन पर पुरी और विजयनगरम के बीच एक छंटाई अनुभाग खोलने के बारे में विचार किया जा रहा था, परन्तु इस मामले पर अन्तिम निर्णय न हो पाने के कारण पत्र का अन्तिम उत्तर नहीं दिया जा सका ।

(घ) कोरापुट और कोलाहाडी जिलों के स्थानों से डाक के प्रेषण और वहां डाक के वितरण में तेजी लाने के लिए 45 अप / 46 डाउन और विजयनगरम में नौरंगपुर-विजयनगरम राज्य परिवहन सेवा के बीच तालमेल होना जरूरी है । इस समय इनके बीच कोई तालमेल नहीं है । इसलिए, राज्य परिवहन प्राधिकारी उड़ीसा को कहा गया है कि विजयनगरम-जेपुर (के) सेवा जो कि अन्तर्राज्य सेवा है, की समय सारणी को संशोधित करें ताकि विजयनगरम में 45 अप / 46 डाउन रेल गाड़ियों का इससे तालमेल बैठ जाए । उड़ीसा सरकार को इस विषय में पत्र भी लिखा गया था । राज्य परिवहन प्राधिकारी उड़ीसा ने समय सारणी बदलना स्वीकार कर लिया है, परन्तु आन्ध्र प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकारी से स्वीकृति आनी अभी बाकी है । इस मामले पर निगरानी रखी जा रही है ।

(2) दक्षिण पूर्वी रेलें प्राधिकारियों से भी निवेदन किया गया है कि वे 45 अप/ 46 डाउन रेल गाड़ियों के साथ डाक डिब्बों को ले जाने के बारे में अपनी स्वीकृति सूचित करें । उनके उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Loans to farmers and traders by Cooperative Banks of Madhya Pradesh

7224. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the cooperative banks, which have advanced loans to the farmers and the traders in Madhya Pradesh on the basis of godown receipts during the last three years and the amount of loans advanced by each bank ; and

(b) in case no loan has been advanced to them, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha:

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर के अनुसंधान सहायकों को बकाया राशि का भुगतान

7225. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर के कुछ अनुसंधान सहायकों को वर्ष 1965 में तदर्थ आधार पर सलेक्शन ग्रेड दिया गया और उसे हाल में स्थायी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुसंधान सहायकों को सलेक्शन ग्रेड दिये जाने से मिलने वाले वेतन तथा भत्ते की बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) संबंधित कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने में और कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिंदे) : (क) से (घ) यह सच है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर के कुछ अनुसंधान सहायकों को 1964 में अनुसन्धान सहायक (प्रवण ग्रेड) के श्रेणी II अराजपत्रित पदों पर 325-575 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर, कृषि विभाग की विभागीय प्रौन्नति समिति श्रेणी II की मंजूरी लिए बिना नियुक्त किया गया था। 1964 से वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि की अदायगी के आदेश जारी नहीं किए जा सके। क्योंकि एक तो कृषि विभाग की विभागीय प्रौन्नति समिति कुछ समय तक इन प्रस्तावों पर विचार नहीं कर सकी थी और दूसरे, वित्त मन्त्रालय से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त होने शेष थे। विभागीय प्रौन्नति समिति की बैठक हो चुकी है और वित्त मन्त्रालय से स्पष्टीकरण भी प्राप्त हो चुके हैं। सम्बन्धित स्टाफ को वेतन तथा भत्तों की बकाया राशि की अदायगी के लिए 7 अप्रैल, 1970 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जमशेदपुर के इंजीनियरी कर्मचारियों को परेशान करना

7226. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री रवि राय** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मन्त्री ने संसद् में तथा राज्य मन्त्री ने 3 जनवरी, 1970 को आकाशवाणी से प्रसारण करके यह आश्वासन दिया था कि जमशेदपुर के हड़ताल करने वाले इंजीनियरी कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि तीन महीने बीत जाने पर भी टेलको के 73 कर्मचारियों तथा ट्यूबको के 15 कर्मचारियों को अब तक कार्य पर वापिस नहीं लिया गया; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उन्हें अपने काम पर वापिस आने की अनुमति दी जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवया) : (क) राज्य मन्त्री द्वारा की गई अपील की एक प्रति 5 मार्च, 1970 को सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(ख) और (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

Production of Ballabhnagar Agricultural Farm Under Udaipur University

7227. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the production of Ballabhnagar Agricultural Farm under Udaipur University during the last three years ;

(b) the number of officers and other employees working in the said farm and their pay-scales, category-wise ;

(c) the details of profit or loss in the said farm during the last three years ; and

(d) the details of the future scheme for it's development ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Sinde) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Use of Tractors for Non-Agricultural Purposes

7228. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of tractors have been engaged on transport work instead of agricultural works ; and

(b) if so, whether Government proposed to impose restrictions on the use of tractors for purposes other than agricultural keeping in view the heavy shortage of tractors for agricultural purposes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Dev. and Cooperation Shri Anna Saheb Shinde) : (a) Tractors are used by farmers for transporting agricultural and allied produce besides sowing and other essential farming operations. These are also used for transporting compost by Municipal Committees etc. Tractors are not generally engaged on transport work other than for agricultural purposes on any appreciable scale.

(b) In view of the position indicated at (a) above, Government does not contemplate any restriction on the use of tractors for purposes other than agriculture.

ग्रामीण ऋरण सम्बन्धी वेंकटापैया समिति

7229. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण ऋरण सम्बन्धी वेंकटापैया समिति ने कहा है कि हमारी ग्रामीण ऋरण व्यवस्था में समय पर ऋरण की अदायगी न होना अत्यन्त चिन्ता का विषय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति की राय में समय पर ऋरण की अदायगी न होने का कारण यह है कि ऋरण देने वाली समितियां उत्पादन-प्रधान कार्यों के लिये ऋरण नहीं देती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार इस समिति के निष्कर्षों से सहमत है; और

(घ) इस त्रुटि के निवारण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋरण समीक्षा समिति ने कहा है कि ग्रामीण ऋरण व्यवस्था में समय पर ऋरण की वापसी-अदायगी न होना भी चिंता का एक विषय है ।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट में कम वापसी—अदायगी होने के अनेक कारणों में से एक कारण दोषयुक्त ऋरणदायी नीतियां बताई गई हैं ।

(ग) इस समिति की रिपोर्ट में अतिदेयों के कारणों का जो विश्लेषण किया गया है उससे सरकार मोटे तौर पर सहमत है ।

(घ) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे समितियों के प्रबन्ध और उनके कार्य के पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए सामान्य उपाय करने के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट कदम भी उठाएं :—

(1) बकायों का वर्गीकरण जान-बूझ कर रखे गए और जान-बूझ कर न रखे गए के रूप में किया जाना चाहिए।

(2) जहां योजना में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों वहां जान-बूझ कर न बने बकायादारों के मामलों में स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जानी चाहिए; और अन्य योग्य मामलों में अवधि बढ़ाई जाए।

(3) कानून द्वारा प्रतिरोधक उपायों की जो व्यवस्था की गई है, उनके माध्यम से उन व्यक्तियों, जो जान-बूझ कर बकायादार बने हैं, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। विवादों तथा निष्पादन आज्ञप्तियों का निपटान तुरन्त किया जाना चाहिए।

(4) केन्द्रीय बैंकों को उन समितियों के बकायादार सदस्यों के विरुद्ध सीधे कार्यवाही करने के लिए कानूनी प्राधिकार दिया जाना चाहिए जो वसूली के लिए समय से प्रतिरोधक कदम नहीं उठाती हैं।

(5) भारी अतिदेयों वाले सहकारी बैंकों के अन्तर्गत के क्षेत्रों में विशेष वसूली कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

पुनर्वास औद्योगिक निगम, कलकत्ता के लिए केन्द्रीय ऋण की मंजूरी

7230. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुनर्वास औद्योगिक निगम, कलकत्ता के लिये उसकी कार्यकारी पूंजी के हेतु केन्द्रीय सरकार ने हाल में कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी 1970 में निगम को 15 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। इस ऋण को, ऋण लेने की तिथि के दो वर्ष बाद 6% की वार्षिक दर के ब्याज सहित लौटाया जाना है।

कारगिल में पशु चिकित्सालय

7231. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारगिल में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार कब तक आवश्यक व्यवस्था कर लेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) कारगिल में एक पशु चिकित्सालय मौजूद है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

डाक घर, रांची के सीनियर सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध शिकायत

7232. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें डाकघर, रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह शिकायत रांची के डाकघर प्रवर अधीक्षण द्वारा गांधी जी, राष्ट्रपति, डाक-तार महानिदेशक और बिहार के पोस्टमास्टर जनरल के विरुद्ध कही गई कतिपय आपत्तिजनक बातों के सम्बन्ध में थी ।

(ग) जांच-पड़ताल करने पर ये आरोप निराधार पाए गए ।

Anti-Hindi Policy of Delhi Telephone Department

7233. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Sanwal Das Gupta, Chairman of the 'Angresi Hatao Sena' (Delhi) has said about the anti-Hindi policy of the Delhi Telephone Department that this Department does not reply to letters written in Hindi ;

(b) whether it is also a fact that he has warned to launch an agitation against such an attitude of the said Department ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) It is not a fact that Hindi letters are not replied to. Instructions have already been issued to the Delhi Telephone District to reply all Hindi letters in Hindi. The provisions of the official Language Act and the Instructions of the Ministry of Home Affairs regarding progressive use of Hindi in the work of the Union Govt. are being implemented as far as practicable in all offices of the Deptt. Specific cases of violation can be looked into if brought to the notice of the Deptt. Shri Sanwal Das Gupta 's complaint in this regard is being investigated.

कृषि आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति

7234. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील, कृषि आयोग आदि सरकारी उपक्रमों में कई महीनों से कई रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि कृषि आयोग स्थापित करने के निर्णय की घोषणा अगस्त, 1969 में कर दी गई थी, कर्मचारियों के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के विलम्ब से सहकारी उपक्रमों के कार्य में अकुशलता नहीं आती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सरकारी उपक्रमों के निदेशकों के मण्डलों को अधिकार होता है कि वे अध्यक्ष, प्रबल निदेशकों और सम्बद्ध एककों के महाप्रबन्धकों के उच्च पदों को छोड़कर सभी पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। पहली जनवरी, 1970 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उपक्रमों के लगभग 150 उच्च पदों में से केवल 18 पद खाली थे। प्रशासन मन्त्रालय इन पदों के लिए अपेक्षित स्वरूप, अनुभव आदि को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे कुछ मामलों में यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए इन पदों को न भरा जाये। इन पदों में से कुछ को, जिनमें उपरोक्त 18 पद भी शामिल हैं, भर दिया गया है। जब कृषि आयोग स्थापित हो जाएगा तो वह केन्द्रीय वेतन आयोग, प्रशासन सुधार आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग आदि जैसा होगा, एक राज्यकीय उपक्रम नहीं।

(ख) तथा (ग) अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी मामले पर विचार किया जा रहा है। सरकार को यथासम्भव अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग को कहा जाएगा, किन्तु उसकी स्थापना की तारीख से दो वर्ष का समय दिया गया है।

(घ) यह पूर्णतः मानने योग्य बात है कि सरकारी उपक्रमों के मुख्य पदों को लम्बे समय के लिए अनुचित रूप से खाली नहीं रक्खा जाना चाहिए।

भारतीय शेरों के शिकार पर रोक लगाने के लिये उपाय

7235. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनमाने ढङ्ग से शेरों का शिकार किये जाने के कारण उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने नई दिल्ली में हुई अपनी द्विवार्षिक बैठक में शेरों का शिकार तीन वर्ष की प्रायोगिक अवधि के आधार पर बन्द करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार को देश में शेरों की संख्या में कमी होने का पता है। यह कहना ठीक न होगा कि शेरों के विषय में एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि इसकी ठीक-ठीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए कोई गणना / परिस्थिति का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं। प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ ने नवम्बर / दिसम्बर, 1969 में नई दिल्ली में हुई अपनी 10वीं सामान्य सभा और 11वीं तकनीकी बैठक में उन देशों से, जहां यह पशु पाया जाता है, सिफारिश की थी कि जब तक कि इस पशु की गणना अथवा परिस्थिति का अध्ययन (जो कि इस समय किए जा रहे हैं या करने का विचार है) पूरे नहीं हो

जाते और गणना प्रवृत्ति के बारे में ठीक स्थिति का पता नहीं लग जाता, इस पशु के वध की मोहलत घोषित नहीं की जा सकती। सभा ने कोई विशेष अवधि नियत नहीं की है।

(ग) 3 जनवरी, 1970 को हुई भारतीय वन्य प्राणि मण्डल की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक में इस सिफारिश पर विचार-विमर्श किया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि पहली जुलाई, 1970 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शेरों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया जाए और इसके अनुसार राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह दी गई है।

दिल्ली टेलीविजन के घिसे-पिटे कार्यक्रम

7236. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली टेलीविजन द्वारा घिसे-पिटे कार्यक्रम देने का क्या कारण हैं ; और

(ख) दिल्ली में टेलीविजन के कार्यक्रम लगभग कितने लोग देखते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यह कहना सही नहीं होगा कि टेलीविजन के कार्यक्रम घिसे-पिटे होते हैं । कार्यक्रमों में कई रुचिपूर्ण तथा सूचनात्मक फीचर होते हैं जैसे—"विज्ञान कार्यक्रम", "खेल के मैदान से", "मिरर आफ दि वर्ल्ड", "देश-विदेश", "बच्चों के लिये", "कृषि दर्शन", "इण्डियन न्यूज रिव्यू", "विज्ञान चर्चा", "आबू मैगजीन प्रोग्राम", "फीचर फिल्म", इत्यादि-इत्यादि ।

(ख) घरों में देखने वाले	——	1,00,000
स्कूलों में देखने में वाले	——	2,00,000
सामुदायिक केन्द्रों में देखने वाले	——	18,000

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पर व्यय

7237. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री जय सिंह** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर औसतन कितना वार्षिक खर्च आता है ; और

(ख) इस फार्म की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि यह फार्म मुनाफे में चले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय राजकीय फार्म सूरतगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर 1963-64 से 1967-68 तक अर्थात् पांच वर्ष का औसत वार्षिक व्यय 13,01,824.00 रुपये था । वर्ष 1968-69 और 1969-70 के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सूरतगढ़ फार्म की स्थापना के समय 1956 से ही 1967-68 तक फार्म में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। वस्तुत: 12 वर्ष की इस अवधि में औसत लाभ होता रहा। 1968-69 के लेखे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पहली अगस्त, 1969 से, अन्य बातों के साथ छूट, फार्म का प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, भारतीय राजकीय फार्म निगम, लिमिटेड को सौंप दिया गया था। निगम ने फार्म को अपने अधिकार में लेने के उपरान्त फार्म की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिये शीघ्र ही एक समिति की स्थापना की। इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप, फार्म में 37 पदों को किसी कर्मचारी की छंटनी किये बिना समाप्त कर दिया गया है। जब कभी आवश्यकता होगी कुछ और पदों को समाप्त कर दिया जायेगा। मशीनों और फालतू पुर्जों की कुछ मदों को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और उनके निपटान के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। निगम फार्म की कार्य प्रणाली में सुधार का निरन्तर अध्ययन कर रहा है और 1969-70 में चालू वर्ष के दौरान सूरतगढ़ फार्म से लाभ प्राप्त होने की आशा है।

Dailies, Bi-weeklies and Books published by Information and Broadcasting Ministry

7238. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the year-wise number of Dailies, bi-weekly, weekly fortnightly, monthly, half yearly and yearly publications and books published by his Ministry during the last three years and the number of those which were published in English and also of those which were published in Hindi as also the price and source of publication of each of them ?

Tho Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Dcpartment of Communications (Shri I. K. Gujral) : The requisite information is given in the attached statements. [Placed in Lietrary.See No. LT-3286,70]

Action Taken Against Newspapers for Publication of False News

7239. **Shri Malahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the complete details in regard to the nature of action taken in each case against the varions newspapers on the charge of publishing false news during the last three years separateiy ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Allocation and Expenditure on Digging Wells in States

7240. **Shri Molahu Prasad** : Will ihe Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the yearwise amount allocated and spent by Central Government, Statewise as also by the State Governments during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under the scheme for digging wells ; and

(b) the results achieved therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Central assistance to States is not allocated scheme-wise. During 1967-68 and 1968-69 Central assistance was provided under various sub-heads such as minor Irrigation etc. and since 1969-70 the Central assistance is to be

related to the Annual Plan as a whole. Separate State-wise figures for allocation and expenditure on the scheme for digging of wells are not available.

(b) The number of dugwells completed during the years 1967-68 to 1969-70 is given in the Statement laid on the Table of this House.

Statement

Sl. No.	Name of State	Num ers No. of dug wells sunk during 1967-68 to 69-70 (Anticipated)
1.	Anhra Pradesh	38935
2.	Assam	N. A.
3.	Bihar	42307
4.	Gujarat	67987
5.	Haryana	6387
6.	Jammu and Kashmir	—
7.	Kerala	400
8.	Madhya Pradesh	75362
9.	Maharashtra	78435
10.	Mysore	36500
11.	Nagaland	—
12.	Orissa	464
13.	Punjab	1800
14.	Rajasthan	27840
15.	Tamil Nadu	46266
16.	Uttar Pradesh	190524
17.	West Bengal	N. A.
	Total States	613207

Allocation and Expenditure Under Scheme for Rural-Man-Power

7241. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agricuture** be pleased to state :

(a) the yearwise amount allocated and spent by Government Statewise as also by the State Governments durin; 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under the scheme for rural manpower ; and

(b) the results achieved therefrom ?

The Deputy Ministrer in the Ministry of Food, Agricuture, Community Development and Coopertion (Shri D. Ering) : (a) and (b) Information is being collected and would be laid on the Table of the House.

राज्यों में बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगारी के आंकड़े

7242. **श्री शशि भूषण : श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी बेरोजगारी तथा अपर्याप्त रोजगारी है तथा इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इन अनुमानों के क्या आधार हैं ;

(ग) किस कोटि के लोग इससे अधिक प्रभावित हैं तथा इस स्थिति का मामना करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा को निश्चित करते समय सरकार अन्य बातों के अलावा इस समस्या की व्यापकता पर भी विचार करती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। बेरोजगारी की स्थिति का सभी पहलुओं से अनुमान लगाने और उसे दूर करने के प्रतिकारी तरीकों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति शीघ्र ही नियुक्त की जा रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बड़े पैमाने पर नियुक्ति अवसर जुटाये जाने की संभावना है। इनमें सड़क-निर्माण, छोटी सिचाई, भूमि संरक्षण, गांवों में बिजली पहुंचाना, डेरी विकास, ग्रामीण व लघु उद्योग, आवास व नगरीय विकास जैसी श्रम प्रधान योजनाओं पर अधिक बल दिया गया है। कृषि विकास की रफ्तार में होने वाली वृद्धि, संस्थागत ऋण की अधिक मात्रा में उपलब्धि, सरकारी क्षेत्र की विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए योजना-विनियोग में वृद्धि और छोटे किसानों, अंशतः कृषि आश्रित किसान, सिचाई सुविधाओं से वंचित भूमि पर खेती व ग्रामीण धंधों जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिये जाने से नियुक्ति अवसरों की मात्रा में अधिक वृद्धि होगी।

(घ) चौथी योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर बांटी जाएगी। केन्द्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करते समय बेरोजगारी समेत प्रत्येक राज्य की विशेष समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है।

उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना

7243. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों द्वारा उपक्रमों के प्रबन्ध में भाग लेने की योजना के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय का क्या अनुमान है ;

(ख) यदि भविष्य में यह योजना सह-स्वामित्व का रूप देने जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि श्रमिक, सम्भवतः अपनी संचित भविष्य निधि की मदद से उस उपक्रम में, जिसमें वे काम कर रहे हैं, हिस्सेदार बनने वाले हैं तो उनकी वृद्धावस्था में उनकी सामाजिक सुरक्षा का किस प्रकार आश्वासन दिया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की स्वैच्छिक योजना अधिक अच्छी प्रगति कर सकती थी।

(ख) और (ग) इस समय इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। यह विषय विचाराधीन है।

कृषि श्रमिकों के रहन-सहन और कार्य की स्थितियों को सुधारने का कार्यक्रम

7244. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बार-बार कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में जांच किए जाने पर भी कृषि श्रमिकों के रहन-सहन और कार्य की स्थितियों को सुधारने के लिए वास्तविक

कार्यक्रम अभी तक बनना शेष है ; यदि हां, तो चतुर्थ योजना में उनके लिए क्या व्यवस्था है ; और

(ख) क्या कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) इस प्रश्न का विषय मुख्यत: राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए मूल में किए गए विकास कार्यों से कृषि श्रमिकों को भी लाभ हुआ है। पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये बनाई गई विशेष योजनाओं में भी उनके लिए कुछ लाभों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण जनशक्ति योजना का लक्ष्य, जो कि 1960 के अंत में शुरू की गई थी और 1968-69 के अंत तक केन्द्रीय योजना के रूप में चलती रही, मंदी के समय में कृषि श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना था। रोजगार की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, यह कार्यक्रम विकास के लिए निम्न स्तर के निर्माण कार्यों में लाभदायक सिद्ध हुआ। यह कार्यक्रम 1-4-1969 से राज्य के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक अन्य योजना, जिसे ग्रामीण आवास योजना कहा जाता है, 1957 में केन्द्रीय योजना के रूप में चालू की गई थी, परन्तु तीसरी योजना में इसे केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना बना दिया गया और राज्य योजना सीमाओं के अन्तर्गत इसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक माना गया।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अन्तर्गत चलाए जाने वाले कृषि उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये हाल ही में न्यूनतम मजूरी दरें निर्धारित / संशोधित की हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कृषि और ग्रामीण श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

गन्ने के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में कोयम्बटूर अनुसंधान संस्था के विचार

7245. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग ने गन्ने के मूल्यों के निर्धारण के बारे में कोयम्बटूर अनुसंधान संस्था के विचार सुने थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उपरोक्त संस्था द्वारा व्यक्त विचारों का मुख्य व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रशुल्क आयोग ने उन्हें स्वीकार किया था और उनका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) टैरिफ आयोग की जांच गन्ने के मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित नहीं थी और उसने इस प्रयोजन के लिए कोई सुनवाई नहीं की थी। तथापि, गन्ना प्रजनन संस्थान, कयोम्बतूर के प्रतिनिधि ने बम्बई में 31 अक्तूबर और पहली नवम्बर, 1968 को चीनी के लागत ढांचे के बारे में हुई टैरिफ आयोग की सार्वजनिक जांच में भाग लिया था। उक्त प्रतिनिधि की अभिव्यक्ति का निष्कर्ष जो कि टैरिफ आयोग ने लिपिवद्ध किया था, इस प्रकार है: —

"भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए नयी विधियों का विकास किया है और कयोम्बतूर का संस्थान भारतीय जलवायु की स्थिति के अनुसार एक अच्छी किस्म तैयार करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है। मद्रास के इलाके में 'को' 419 'मिडलेट' किस्म, महाराष्ट्र में 'को' 740 जो कि 'को' 419 से सुधरी हुई है और अपेक्षाकृत अच्छी है, और आन्ध्रप्रदेश में 'को' 2175 अत्यधिक टनेज देने में समर्थ है। इन किस्मों को खेती में प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक परिमाण में विकास सम्बन्धी प्रयत्न करने आवश्यक हैं। खाद की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा से किस्म और पैदावार में सुधार होता है। ऐसे मामलों में अपेक्षाकृत अधिक अवधि प्राप्त करना सम्भव है। पहले पकने वाली किस्मों में अधिक चीनी तत्व होता है। यदि गन्ने का मूल्य चीनी अंश के हिसाब से गुणात्मक आधार पर दिया जाना है तो हम बेहतर सुधार की आशा कर सकते हैं। संस्थान ने गन्ने के बीज टुकड़ों का जल उपचार करने की सलाह दी जिससे बीमारी पैदा करने वाले वाइरस नष्ट हो जाते हैं। उत्तरी भारत में पूर्णतया बीज केन्द्र चलाने की स्थिति कम है। संस्थान कयोम्बतूर में संकरता सम्बन्धी कार्य कर रहा है और पूसा सहित भारत के विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों को बीज या फ्लक्स भेजता है। वहां उन परिस्थितियों में बीज का उपचार किया जाता है।

(ग) टैरिफ आयोग ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने, निष्कर्ष पर पहुंचने में अवलोकन करने और सिफारिशें करने में गन्ना प्रजनन संस्थान, कयोम्बतूर द्वारा सप्लाई की गयी सामग्री का उपयोग किया। चीनी उद्योग के लागत ढांचे और चीनी के लिए उचित मूल्य पर टैरिफ आयोग की रिपोर्ट की प्रति 26 फरवरी, 1970 को सभा के पटल पर रख दी गयी थी।

पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी, कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों का आवंटन

7246. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में 320 वर्ग गज आकार के प्लाट के आवंटन के लिये पात्रता निर्धारित करने वाली मशीनरी क्या है ;

(ख) यह प्लाट प्राप्त करने के लिये अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) क्या इन प्लाटों को आवंटित करने में बिना किसी भेद-भाव के अपेक्षित अर्हताओं को ध्यान में रखा था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस कालोनी में जिन व्यक्तियों को उपरोक्त आकार के प्लाट दिए गये हैं, सत्यापन के आधार पर उनके नाम, पद-नाम, आय तथा दिल्ली से सम्बन्धित पते क्या हैं ; और

(ङ) उपरोक्त कालोनी में 320 वर्ग गज आकार के प्लाट के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये, उन सभी आवेदकों के नाम, पद-नाम आय तथा उचित पते क्या हैं और वे दिल्ली में लगातार कब से रह रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विभिन्न आकार के प्लाटों की अलाटमेन्ट के लिये पात्रता का निश्चय तदर्थ समिति की सिफारिशों पर किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में 320 वर्ग गज के प्लाटों की

पेशकश सामान्यत: प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त लोगों को की गई है। उन व्यक्तियों के मामले में, जो कि सरकारी पदों पर नहीं हैं, सभी मामलों में यथार्थ सीमांकन करना आसान नहीं था और अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थियों द्वारा आय के बारे में दिये तथ्यों के आधार पर समिति ने न्यायिक विवेक से काम लिया था।

(ग) जी, हां। प्राय: उपर्युक्त कसौटियां अपनाई गई हैं।

(घ) एक विवरण, जिसमें प्रार्थना पत्रों में उपलब्ध जानकारी दी गई है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 3287/70]

(ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

1969-70 में खरीफ फसल के उत्पादन का अनुमान

7247. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में गत वर्ष की अपेक्षा ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द आदि जैसी खरीफ फसलों का उत्पादन कितना कम अथवा अधिक होने का अनुमान है ; और

(ख) खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की सप्लाई के बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सन् 1969-70 की अवधि में खरीफ की खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति किसी समय जुलाई-अगस्त, 1970 में उपलब्ध होंगे। फिर भी मौसमों और फसल स्थिति की गुणात्मक रिपोर्टों के आधार पर यह आशा है कि 1969-70 में पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कुछ अधिक होगा।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1969 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से राज्य सरकारों को लगभग 3,19,000 मीटरी टन उर्वरक (नाइट्रोजन के रूप में) अलाट किया गया था। राज्यों ने इस अवधि में वास्तव में 2.87 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन दिया। सार्वजनिक क्षेत्र सहित देशीय फैक्टरियों ने खरीफ 69 के लिए लगभग 2.23 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 1.24 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ तैयार किया। 1-4-1969 को उनके पास सरकारी और गैर सरकारी साधनों से खरीफ फसल के लिये 6.91 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 2.85 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ० छ और ज्ञ 63 लाख मीटरी टन के$_2$ ओ० का भण्डार उपलब्ध था। खरीफ, 1969 के लिये उर्वरकों की उपलब्धि काफी सन्तोषजनक थी और कमी की कोई शिकायत नहीं थी।

Taking Over of Agricutural College, Gwalior by Jabapur Agricultural University

7248. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the date when the Agricultural College, Gwalior, Madhya Pradesh was taken over by the Jabalpur Agricultural University;

(b) the subjects in agriculture for which there was a provision of providing

education for, MSc. Agr. degree at that time in the said College ; and subjects in which the the said education is provided now and the reasons for reducing the scope thereof ; and

(c) the details of the goods removed from the said college to Jabalpur since the date it was taken over ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community and Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Films of Historical Personages

7249. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the steps being taken by the Films Division for producing films on Chhatrapati Shivaji, Mahadji Shinde, Maharana Pratap, Maharani Laxmibai of Jhanshi, Shahid Maharaja Khvnwar Singh, Chandra Shekhar Azad and Vir Savarkar ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : At present the production programme of Films Division does not include biographical films on any of the historical personages mentioned in the question. The Films Division have, however, recently produced a documentary film entitled "Forts and the Man" which shows glimpses from the life of Shivaji through the forts with which he was associated. It may also be mentioned that feature films on some of these personalities including Chhatrapati Shivaji, Maharana Pratap, Rani Lakshmibai of Jhansi have already been produced by private producers.

पूर्णिया, बिहार में छोटे किसानों के विकास सम्बन्धी एजेन्सियां

7250. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्णिया, बिहार में तथा भारत के अन्य जिलों में छोटे किसानों के विकास सम्बन्धी एजेन्सी स्थापित की गई है; और

(ख) क्या इस एजेन्सी को अन्य जिलों में भी स्थापित करने की योजना है; और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुद्रायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । पूर्णिया (बिहार), दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) और छिन्दवारा (मध्य प्रदेश) में ऐसी एजेन्सियां स्थापित की गई हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन के अनुसार राज्य सरकार बिहार के कुछ अन्य जिलों का चुनाव कर रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे जिलों की परियोजना रिपोर्टें मंजूर होने पर ऐसे जिलों में भी एजेन्सी स्थापित की जाएगी ।

आकाशवाणी दिल्ली से मैथिली कार्यक्रम का प्रसारण

7251. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दिल्ली से मैथिली कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी पर कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये भाषाओं का चयन मुख्यतया श्रोताओं की संख्या तथा कलाकारों की उपलब्धि पर आधारित होता है। आकाशवाणी, दिल्ली से मैथिली कार्यक्रम के बारे में ये बातें पूरी नहीं होतीं।

Assessment of Unemployment by Man-Power Planning Unit

7252. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Man-power Planning Unit, in so far as Government employment is concerned, about 9000 Agricultural Graduates, 4200 Agricultural Post-graduates and 700 Agricultural Engineers are likely to become unemployed during the next four years ; and

(b) the scheme drawn us by Government to utilise the special qualifications of the aforesaid persons in the field of agriculture ?

Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes. According to a study entitled "Technical Manpower for Indian Agriculture" made by this Department in 1969, surplus of the following categories of technical manpower are likely to occur at the end of the 4th five year plan i. e., 1969-73 as indicated below :—

Category	Surplus
Agricultural graduates.	8,950
Agricultural post-graduates.	4,660
Agricultural Engineers.	705

(a) The broad strategy advocated by this Department to tackle the problem of unemployment of certain categories of educated agricultural graduates manpower is two-fold viz.

(1) investment in industries and surpluses pertaining to agriculture ; and

(2) provision of administrative support to measures calculated to promote self employment.

The following specific steps have been taken by this Department.

(a) In regard to persons with a degree in agriculture or veterinary science or agricultural engineering, the State Bank of India has launched a scheme for providing credit with a view to enabling such persons to embark on self-employment schemes. Other banks too may be prepared to consider such cases. These facilities have been brought to the notice of all State Governments and they have been requested to take steps to assist suitable persons with any of the above qualifications in securing bank credit. The State Governments have also been advised to enter into a dialogue with the Agricultural Finance Corporation who have stated that a number of agricultural graduates would be required by banks to support the large scale expansion of agricultural finance.

(b) The fertiliser and pesticides industries have been requested to consider giving preference to persons with a degree in agriculture in the appointment of dealers, since such a development would not only provide employ-

ment to these persons, but will also make it possible to combine specialised advice with sale of inputs. The response from the fertiliser industry in this regard has been encouraging.

(c) With a view to providing greater employment opportunities to unemployed engineers and diploma holders in agriculture and allied subjects, the Govt. of India has drawn up a scheme for establishment of 2,000 Rural Service Centres during the Fourth Five Year Plan period. The scheme envisages grant of loans to the unemployed engineers and diploma holders through the State Bank of India and other nationalised banks, Agro-Industries Corporations etc. for acquiring agricultural machinery, workshop equipment etc. Each Centre would provide employment opportunities to about 10 persons and by the end of the Plan period the scheme is likely to absorb 20,000 persons. The Centres would preferably be set up in the areas where Agro-Industries Corporations and other agencies are not operating. The scheme has been circulated to various State Govts. for their comments and the response is quite encouraging.

With a view to enabling the average farmer to avail of the facilities of mechanised farming a scheme has also been drawn up for establishment of agricultural machinery—hiring centres throughout the country under the Fourth Five Year Plan. These hiring centres would be set up by the Agro-Industries Corporations. These centres are also likely to utilise the services of surplus engineering personnel. Some of the Corporations like Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Kerala, Mysore, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal have already set up such centres and the other Corporations are also taking necessary steps in this direction.

बिहार में न अदा किए गये टेलीफोन बिल

7253. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना, प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस (संगठन), श्री सी० पी० एन० सिंह और श्री अनन्त प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस (शासक दल) के ऊपर अलग-अलग टेलीफोन का कितना बिल बकाया है तथा इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

सूचना क्रमानुसार नीचे दी गई है :

नाम	बकाया राशि	की गई कार्रवाई
	रु०	
श्री के० बी० सहाय	2,567.65	दीवानी दावा दायर किया गया है, मामला अदालत के विचाराधीन है।
श्री सी० पी० एन० सिंह	14,817.15	टेलीफोन काट दिया गया। रजिस्ट्री नोटिस दिया गया।
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	कोई नहीं	——

बिहार सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए जलपान गृह और भोजन कक्षों की सुविधा

7254. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर, धनबाद, रांची, गया, हजारी बाग, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतीहारी, बेतिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, दुमका, देवघर, आरा और साहेबगंज में अलग-अलग कुल कितने डाक-तार कर्मचारी हैं;

(ख) डाक-तार विभाग ने डाक-तार कर्मचारियों के लाभ के लिये इन स्थानों पर कुल कितने सहकारी अथवा विभागीय जलपान गृह/भोजन कक्षों की व्यवस्था की है;

(ग) क्या इन स्थानों पर, उपलब्ध डाक-तार भवनों में जलपान गृहों/भोजन कक्षों को कोई जगह दी गई है; और

(घ) इन स्थानों पर डाक-तार कर्मचारियों के लिये विभागीय जलपान गृह / भोजन कक्ष की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है तथा ये सुविधाएं कब तक प्रदान करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क)

जमशेदपुर	638	बेतिया	90
धनबाद	426	पूर्णिया	202
रांची	877	कटिहार	352
गया	709	भागलपुर	455
हजारीबाग	202	दुम्का	111
मुजफ्फरपुर	787	देवघर	120
छपरा	400	आरा	309
दरभंगा	438	साहेबगंज	92
मोतीहारी	145		

(ख)

जमशेदपुर	1 सहकारी कैंटीन
गया	1 विभागीय खाने का कमरा
मुजफ्फरपुर	4 विभागीय खाने के कमरे
छपरा	2 सहकारी कैंटीनें
दरभंगा	2 विभागीय खाने के कमरे/कैंटीन
बेतिया	1 विभागीय खाने का कमरा
जोड़	11

(ग) मुजफ्फरपुर और दरभंगा के अलावा विभागीय डाक-तार भवनों में खाने का कमरा / कैंटीन के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है । दूसरी जगहों पर किराये के भवनों में इनकी व्यवस्था है ।

(घ) दूसरी जगहों पर कैंटीन / खाने के कमरों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की

जा रही है। इन जगहों पर उत्तरोत्तर अगले 4 या 5 वर्षों में कैंटीन/खाने के कमरों की व्यवस्था कर देने की संभावना है।

जमशेदपुर के डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

7255. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) अस्पताल में दाखिल करने की स्थिति तथा आपातकाल में जमशेदपुर में अस्पताल में दाखिल कर चिकित्सा प्राप्त कर देने की उन्हें क्या सुविधायें हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जमशेदपुर में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि जमशेदपुर का टाटा का मैडिकल अस्पताल डाक-तार कर्मचारियों को दाखिल नहीं करता; और

(ङ) यदि हां, तो जमशेदपुर के डाक-तार कर्मचारियों को अस्पताल में दाखिल हो कर चिकित्सा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 638।

(ख) और (ग) अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं राज्य सरकारी अस्पताल और टाटा मुख्य अस्पताल में उपलब्ध हैं। ऐसी सूचना मिली है कि राज्य सरकारी अस्पताल में 300 अंतरंग मरीजों के लिए पलंग उपलब्ध हैं।

(घ) टाटा मुख्य अस्पताल में सद्भावना के आधार पर डाक कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। इनके लिए अपना हक समझ कर दावा नहीं किया जा सकता। फिर भी, लगभग 200 कर्मचारियों को, जिनमें से अधिकांश इंजीनियरी शाखा के हैं, इस अस्पताल से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलतीं।

(ङ) डाक-तार कर्मचारी राज्य सरकार के अस्पताल से हमेशा अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

शाहबाद और दरभंगा, बिहार में खोले गये तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

7256. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1667-68 और 1968-69 में शाहबाद और दरभंगा जिलों में कितने तार-घर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये;

(ख) बिहार सर्किल के अन्य जिलों में 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में खोले गये ऐसे तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) ऐसे तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से वर्षवार कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा सम्बन्धित वर्ष में कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(घ) बिहार सर्किल में घाटे में चल रहे तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की आय बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	खोले गए तार घरों की संख्या		खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या	
	शाहाबाद जिला	दरभंगा जिला	शाहाबाद जिला	दरभंगा जिला
1966-67	2	4	3	2
1967-68	6	–	8	2
1968-69	5	2	6	5

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

संसद् सदस्यों की सिफारिश पर बिहार सर्किल में खोले गये डाकघर, तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

7257. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल संसद् सदस्यों की सिफारिश पर ही डाक तार विभाग के बिहार सर्किल में डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1970 तक अलग-अलग ऐसे कितने डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये; और

(ग) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी सिफारिश पर ये कार्यालय खोले गये हैं तथा प्रत्येक संसद् सदस्य की सिफारिश पर अलग-अलग कितने डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र-खोले गये तथा उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) केवल संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर ही डाक व तार घर या सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जाते । ये केवल तभी खोले जाते हैं जब विभागीय मानदंडों के आधार पर इनका औचित्य हो । अतिरिक्त डाक-तार सुविधाएं प्रदान करने के इस तरह के प्रस्ताव जनता, सार्वजनिक संस्थाओं, पंचायतों, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, संसद् सदस्यों आदि से प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी भी मामले में कोई प्रस्ताव केवल इसीलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि इसकी सिफारिश किसी खास व्यक्ति ने की थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Hospitals proposed to be set up under E. S. I. Scheme during Fourth Five Year Plan

7258. **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Ram Avtar Sharma** : **Shri Atam Das** :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number and locations of the hospitals proposed to be set up under the Employees' State Insurance

Scheme during the Fourth Five Year Plan period and also the number of beds proposed to be provided in each of those hospitals ?

The Minister of Labour and Rehabititation (Shri D. Sanjivayya) : A statement showing the location and bed strength of hospitals under construction which are likely to be completed during the Fourth Five Year Plan Period, as furnished by the Employees' State Insurance Corporation, is enclosed. [Placed in Library. See No. LT– 3288/70] In addition, a few more Hospitals may be set up on the basis of the yard-stick of 4 beds per thousand employees family units, depending upon the requirements of individual States.

Employees Under E. S. I. Scheme in Bhavanit Mandi and Amount Spent Thereon

7259. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employees under the Employees State Insurance Scheme in Bhavani Mandi (Rajasthan); and

(b) the amount spent last year on the medical facilities in the said area under the said scheme ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The Employees State Insurance Corporation has furnished information as under :

(a) 1,000

(b) Rs. 46,418,00

Arrangement by Colliery Workers Welfare Fund for Controlling Cancer among Colliery Workers.

7260. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangements made by the Colliery Workers Welfare Fund for controlling the rising incidence of cancer among the colliery workers are not adequate ;

(b) the number of workers admitted for treatment of cancer and the number of workers in whom symptoms of cancer were found during the last year ; and

(c) the proposals under consideration for extending the facilities in respect of treatment of cancer ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Scheme for providing Retirement Family Pension Benefits To Members of "Employees Security Fund" and "Coal Mines Security Fund"

7261. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Atam Das :**

will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the details of the recommendations made by the executive team in respect of formulating a scheme for providing retirement/family pension benefits to the members of 'Employees Security Fund' and 'Coal Mines Security Fund' ; and

(b) the time by which the said recommendations would be implemented after completing an enquiry into the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) Government have already announced a new Scheme of Family Pension-cum-Life Assurance for workers who are covered under the Emyloyees' Provident Funds Act, 1952 and who pay Provident Fund contribution at the rate of 8 per cent of wages. An outline of the Scheme is contained in the brochure entitled, "Towards Growth with Social Justice" placed before Parliament as part of the Budget papers. It is proposed to introduce the new Scheme during the year 1970-71. The question of its extension to workers in coal mines will be examined shortly. A Working Group has been set up to report on the feasibility of a Retirement Pension Scheme for industrial workers in the light of the recommendations of the National Commission on Labour on the subject.

Target for Construction of Houses under Collieries Workers Welfare Fund Scheme

7262. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the target fixed for the construction of houses by the end of 1969 under the Collieries Workers Welfare Fund Scheme has been achieved ;

(b) the number of houses constructed thereunder and the locations thereof ; and

(c) the future programme proposed to be adopted under the said Scheme ?

The Minister of Labour and Rehabiltatiou (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Recommendation of Reconstituted Mica Mines Labour Welfare Advisory Commitee and Central Advisory Bourd

7263. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwaie : Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the details of recommendations made by the Reconstituted Mica Mines Labour Welfare Advisory Committee and the Central Advisory Board for bringing about improvements in labour welfare amenities ; and

(b) the time by which the said recommendations are proposed to be implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b)? There are three Advisory Committees of the Mica Mines Labour Welfare Fund, one each for the States of Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan. These are Standing Committees and have been set up to advise on the activities of the Fund. Normally welfare schemes are placed before the State Committees by the Vice-Chairmen concerned and action is taken by him if it lies within his administrative/financial powers ; if not, proposals on the basis of the discussion at the Meetings are forwarded to the Government for decision. The matters considered by the Committees generally relate to provision of housing, medical assistance, water supply, recreational facilities for miners and their dependents, etc.

The Central Advisory Board for Mica Mines Labour Welfare Fund too is a standing body. The Board has been set up mostly for co-ordinating and reviewing the activities of the Regional Organisations of the Mica Mines Labour Welfare Fund and the discussions at its Meeting are taken into consideration by the Government.

रोजगार दफ्तरों में दर्ज अशिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना

7264. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज अशिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इसके लिये क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, सिंचाई व बिजली, सामाजिक सेवाओं इत्यादि के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू कर और निवेश, ऋण तथा लायसेंस जारी करने के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों को अपना कर अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। इससे नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों (पढ़े-लिखे उम्मीदवारों समेत) के साथ दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचेगा।

कृषि विकास की रफ्तार में होने वाली वृद्धि, ऋण सुविधाओं की उदारता और सरकारी क्षेत्र की विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए योजना विनियोग में वृद्धि से नियोजन/स्व-नियोजन के अवसरों में और अधिक वृद्धि होगी।

कानपुर में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में देय राशियों का जमा न कराया जाना

7265. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कुछ कर्मचारियों ने पिछले तीन या चार साल से भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के क्या नाम हैं;

(ग) उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है और भारत सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि-प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है, जिसमें कानपुर के ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम दिये गये हैं जिन पर 31-1-1970 को एक लाख और उससे अधिक रुपये की भविष्य निधि की राशि बकाया थी और बकाया राशि व उसे वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही बताई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3289/70]

दिल्ली दुग्ध योजना के टोकनों की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति

7266. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : **श्री न० रा० देवघरे** :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को टोकन प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे;

(ख) प्रतीक्षा सूची में से कुल कितने व्यक्तियों को टोकन दिये जायेंगे; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय कुल कितना दूध प्राप्त किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1970 को दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के नये टोकन जारी करने के लिए 39,492 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सभी अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर बारी-बारी से विचार किया जाता है ।

(ग) दिनांक 11 अप्रैल, 1970 को दिल्ली दुग्ध योजना ने 1,66,481 लिटर भैंस का दूध और 3018 लिटर गाय का दूध प्राप्त किया था ।

भाप्तियाही (बिहार) में सार्वजनिक टेलीफोन घर का खोलना

7268. **श्री कार्तिक उरांव :** **श्री सूरजभान :**
श्री नम्बियार : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहरसा जिले में निरमाली एक्सचेंज के लिये भाप्तियाही सार्वजनिक टेलीफोन घर (बिहार सर्किल) मंजूर किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त व्यय को रोकने के लिये भाप्तियाही में उक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर को निरमाली एक्सचेंज के बजाय सपौल एक्सचेंज के द्वारा खोलने का प्रस्ताव किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो निरमाली अथवा सपौल एक्सचेंज से भाप्तियाही में सार्वजनिक टेलीफोन घर किस तारीख तक खोल दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । भाप्तियाही के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर 1968-69 में उस समय लागू नियमों के अनुसार मंजूर किया गया था ।

(ख) जी नहीं । भाप्तियाही में किसी अच्छे मार्ग की खोज कर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि निर्मली एक्सचेंज का मार्ग वर्षा काल में सुरक्षित नहीं रहता ।

(ग) भाप्तियाही में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

रेडियो ट्रांजिस्टरों तथा टेलीविजन सेटों के लिए जारी किए गये लाइसेंस

7269. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो लाइसेंसों में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो कितनी ?

(ख) दिसम्बर, 1969 तक रेडियो, ट्रांजिस्टरों तथा टेलीविजन सेटों के लिये कुल कितने-कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) मार्च, 1970 तक कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये और उनसे लगभग कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । 1969 में देश भर में 1968 के अंत की तुलना में 10.26 लाख अधिक लाइसेंस थे ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 तक सभी श्रेणियों के लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार थी :

रेडियो	90,81,513
ट्रांजिस्टर	13,72,304
टेलीविजन	12,303

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Eradication of Corruption and Bribery in Employment Exchanges in Delhi

7270. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1587 on the 2nd May, 1968 and state :

(a) the measures adopted to eradicate corruption and bribery from the Employment Exchanges in Delhi as has been referred to in Column 1272 of Lok Sabha Debate, dated the 2nd May, 1968 ; and

(b) whether Government propose to conduct an enquiry into the monthly expenses, expenses on education of children and the movable and immovable property of the gazetted officers of the Employment Exchanges to ensure whether or not their expenses etc. are more than their income ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) To eliminate chances of corruption and bribery in the Employment Exchanges in Delhi the following measures have been adopted by Delhi Administration:—

1. An Advisory Committee consisting of the representatives of employers, workers and Government has been formed to advise Delhi Administration on the working of the Employment Exchanges.
2. Special Committee to examine fairness of submissions made by the Employment Exchanges has also been constituted to periodically check the impartiality of the Employment Officers in the matter of submission of candidates to the employers.
3. Employment Exchanges are periodically inspected and surprise checks are made of their working.
4. The work of the Employment Exchanges is evaluated by the Directorate General of Employment and Training through periodical inspections.
5. The complaints received from the candidates and employers are thoroughly investigated and appropriate action is taken on them.

(b) No. The administration of the Employment Exchanges rests with the respective State Governments.

Post Offices and Sub-Post Offices in Bhopal City, District Sihor, and District Dhar.

7271. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the present number of post offices and sub-post offices functioning in Bhopal City, District Sihor and District Dhar in Madhya Pradesh, separately ;

(b) the number of new post offices and sub-post offices proposed to be opened during the financial year 1970–71 ; and

(c) the number of those post offices and sub-post offices among them which are proposed to be opened in the urban and rural areas, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh.) : (a) Number of Post Offices functioning at present in

	Head Post Office	Sub Post Office	Branch Post Office	Total
Bhopal City	1	34	2	37
District Sihor	1	44	123	168
District Dhar	—	13	81	94

(b) The target for opening new post offices in Madhya Pradesh during the financial year 1970- 71 has not yet been fixed.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Post Offices and sub-post Offices in Kanpur District

7272. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Shri Gopat Saboo : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of post offices and sub-post offices functioning at present in urban and rural areas of Kanpur District of Uttar Pradesh ;

(b) the number of post offices opened in the said district in the financial years 1968-69 and 1969-70 and the number of post offices likely to be set up in the urban and rural areas, separately, in the financial year 1970-71 ;

(c) whether it is a fact that many of the post offices and sub-post offices functioning in the said district at present are housed in the rented buildings and the rent for the said buildings has to be paid by Government ; and

(d) if so, the number of the said post offices and the amount paid by Government as rent in 1969-70 and the estimated amount that would be paid as rent in the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Number of Post Offices functioning in Kanpur District of Uttar Pradesh as on 31. 3. 70.

	Urban	Rural	Total
Head Post Office	1	—	1
Sub Post Offices	74	9	83
Branch Post Offices	3	211	214
Total	78	220	298

(b) Number of Post Offices opened in Kanpur District of Uttar Pradesh in the financial years 1968-69 and 1969 70 :

1968-69	— 8
1969-70	— 27

The number of post offices likely to be opened in the urban and rural areas in Kanpur District of Uttar Pradesh in the financial year 1970-71 has not yet been finalised.

(c) and (d) 68 Post offices out of a total of 298 post offices functioning in Kanpur District are housed in rented buildings. The rental for these 68 post offices amounted to Rs. 56,255.64 during 1969-70. The corresponding estimated figure for 1970-71 may be about Rs. 58,000/—

डाक व तार विभाग के मास्टरों, चपरासियों तथा हरकारों का वेतन

7273. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाखा डाकघर में काम करने वाले मास्टरों, चपरासियों तथा हरकारों की मासिक उपलब्धियां क्या हैं और उनके लिये प्रतिदिन काम के औसत घंटे कितने हैं ;

(ख) क्या समयोपरि काम के लिये उन्हें अतिरिक्त भत्ते देने की कोई व्यवस्था है; और यदि हां, तो इन भत्तों की दरें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हरकारों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं चाहे वे बीमार क्यों न हों और क्या शाखा डाकघरों में काम करने वाले मास्टरों, हरकारों तथा चपरासियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की सरकार के पास कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियां नियमित वेतन की तरह की नहीं हैं, बल्कि केवल एक भत्ता हैं। शाखा डाकघरों में काम करने वाले कर्मचारियों की परिलब्धियां और भत्ते कार्य-भार के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित भत्ते के अतिरिक्त वे कतिपय शर्तों के अधीन तदर्थ वृद्धि पाने के भी हकदार हैं।

निर्धारित भत्ता		**तदर्थ वृद्धि**
न्यूनतम	अधिकतम	
25-00	47-00	25-50
20-00	42-00	25-50

उनका अधिकतम कार्य समय 5 घंटे प्रतिदिन है, लेकिन अधिकांश शाखा डाकघरों में कार्य-समय तीन घंटे है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर, रनर और चपरासी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं हैं। उन्हें निर्धारित काम के लिए समेकित भत्ता और तदर्थ वृद्धि दी जाती है (जैसा कि ऊपर 'क' के उत्तर में बताया गया है)।

(ग) तथा (घ) अतिरिक्त विभागीय रनर अन्य वर्गों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की

ही तरह छुट्टी के हकदार हैं । फिर भी चूंकि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी नियमित सिविल कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वे केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टी पाने के हकदार नहीं हैं ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की मौजूदा सेवा शर्तें सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त विभागीय जांच समिति की उन सिफारिशों पर आधारित हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था । सरकार इस विषय पर एक अन्य समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

Supply of Wheat, Rice and Sugar to States

7274. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, sugar and rice actually supplied to Maharashtra, Andhra, Mysore, Kerala, Tamil Nadu in 1967-68 and 1968-69 by the Central Government ;

(b) the quota thereof allotted by Central Government for the said period ; and

(c) the quota thereof asked for by the State Government in the months of January, February and March, 1970 and the quantity supplied by the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Allotments of levy sugar are made to state Governments direct from the sugar mills. Information about quantities actually lifted by them against these allocations is not available. Information about free sale sugar is also not available as the sugar factories are permitted to sell the free sale sugar quotas anywhere in India. Information about wheat and rice is given below :—

(In '000 tonnes)

State	Financial year 1967-68		Financial year 1968-69	
	Wheat	Rice	Wheat	Rice
Maharashtra	872.0	134.1	1135.4	153.2
Andhra Pradesh	145.8	—	147.9	—
Mysore	121.5	14.1	196.5	7.6
Kerala	623.3	457.2	336.4	631.3
Tamil Nadu	172.4	—	238.5	3.4

the following quotas of wheat, rice and levy sugar were allotted during the said period :—

(In '000 tonnes)

State	1967-68 Wheat	Rice	Levy Sugar	1968-69 Wheat	Rice	Levy Sugar
Maharashtra	981.2	139.3*	252.6	1182.2	167.3	202.4
Andhra Pradesh	148.6	——	80.3	217.9	——	70,8
Mysore	129.4	17.0**	84.4	305.1	23.3	70.3
Kerala	603.8	@	62.2	478.3	@	51.7
Tamil Nadu	169.1	—	10.3	315.7	3.4	86.4

(*) : In addition 5,000 tonnes rice was allotted from Andhra Pradesh in exchange for yellow jowar from Maharashtra and 1,000 tonnes rice was allotted from Andhra Pradesh on state to state basis. Figures of actual movement against these allotments are not available.

(**) In addition 700 tonnes rice was allotted in lieu of paddy supplied from Mysore to Bihar and 1,000 tonnes rice was allotted from Tamil Nadu on State to State basis. Figures of actual movement against these allotments are not available.

(@) In Kerala rice is not allotted as such. It is issued directly from FCI depots to fair price shops and other nominees of the State Government at Scales fixed by them and against authorizations issued by them.

(c) The quotas of wheat, rice and levy sugar asked for by the State Governments and the supplies from Central pool of wheat and rice and quotas of levy sugar allotted by the Central Government for the months January to March, 1970 are given below—

(In '000 tonnes)

State	Wheat		Rice		Levy Sugar	
	Demand	Supplies	Demand	Supplies	Demand	Quo ta allotte
Maharashtra	£	239.9	££	55.6	70.0 @	110.0
Andhra Pradesh	16.4%	39.4	—	—	13.0 %	39,0
Mysore	90.9	52.4	15.0	—	9.3**	26.2
Kerala	††	27.6	*@	154.6	8.9 %	26.8
Tamil Nadu	††	63.1	††	3.1	††	29.2

(£) 11 lakh tonnes of foodgrains other than rice demanded for the whole of 1970; Wheat requirements not indicated separately.

(££) 2.5 lakh tonnes rice demanded for the whole of 1970.

(@) Represents demand for January and February. No demand received for March 1970.

(%) This is the demand for January only. Demand for February and March not received.

(**) Represents demand for February. No demand received for Jan. and March.

(††) No demand received from state Government.

(*@) In Kerala rice is issued directly from FCI depots to fair price shops and other nominees of the State Government at the scales fixed by them and against authorizations is issued by them. No demand is received from the Kerala Government :

Strike in Beas-Sutlej Link Project.

7275. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Beas-Sutlaj Link project, Himachal Pradesh observed strike on the 4th and 5th December, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of employees who participated in the said strike ;

(d) whether it is also a fact that the striking employees were paid their salaries for those two days ; and

(e) if so, the amount so paid and the amount yet to be paid in this respect ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayaa) - (a) and (b) Yes, there was a strike by the work charged employees on December 4 and 5, 1969 mainly to press their demands which related to application of the Pay Commission's recommendations to the industrial workers of the project, alleged victimisation of the office bearers of the B.S.L. Workers' Union transport and provident fund facilities, and subsistence allowance to suspended workers etc.

(c) About 16,000.

(d) and (e) There was an agreement between the parties in terms of which workers who had participated in the strike were paid wages for the two days on the understanding that they would work instead on one of the days of rest during January 1970 and again on the closed holiday on February 10. According to available information, the amount paid was about Rs. 1,93,000.26. No further payment is reported to be due.

देशी तथा आयातित उर्वरक की खरीद, मूल्य तथा प्रयोग के परिणाम

7276. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में देशी तथा आयातित उर्वरक खरीदा गया ;

(ख) क्या आयातित तथा देशी उर्वरक के मूल्य में कोई अन्तर है; और

(ग) क्या आयातित उर्वरक के प्रयोग के कुछ मामलों में बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 (गत तीन वर्ष) के दौरान खरीदे गये आयातित उर्वरकों की मात्रा

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)
1967-68	32,06,415
1968-69	29,40,779
1969-70	20,33,727

वर्ष 1967-68 से 1969-70 (गत तीन वर्ष) के दौरान खरीदी गई देशी उर्वरकों की मात्रा

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)
1967-68	6,31,574
1968-69	4,82,404
1969-70	कुछ नहीं (1-1-69 से केन्द्रीय उर्वरक पूल उर्वरकों के घरेलू उत्पादन का कुछ भी भाग इकट्ठा नहीं कर रहा है, जिसका कि अब फैक्टरियों के द्वारा विपणन किया जा रहा है)

(ख) जी हां। आयातित तथा देशी उर्वरकों की कीमतों को प्रदर्शित करने वाले विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3290]

(ग) आयातित अथवा देश में उत्पादन की गई उर्वरक की क्षमता में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि इसमें समान पोषकों की मात्रा है।

सरकारी विज्ञापन देने में वरीयता देना

7277. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी विज्ञापन देने में कुछ समाचार पत्रों को वरीयता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वरीयता दिये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) 1 जुलाई, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक तथा 1 जुलाई, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक प्रत्येक समाचार पत्र को कितने विज्ञापन दिये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापनों तथा उन्हें दी गई राशि के बारे में सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा समाचार पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है ।

Air Broadcast from External Services Units

7278. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the topics preferred by Government for the purposes of the broadcasts from the External Services Unit of AIR :

(b) whether any programme is included in the said Service to acquaint the Indian nationals settled in foreign countries with Indian culture ;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The primary objective of the service is to project the image of India abroad and its views on important national and international affairs. A list of items included in our External programmes is laid on the Table of the House.

List of
TOPICS OF BROADCAST

1. Daily commentary on subjects of topical interest.
2. Daily Press Review—Editorial comments in the Indian Press on current national and international issues.
3. Weekly Review of procedings in Parliament.
4. Talks/Discussions/Interviews on various aspects of Indian economic and industrial development.
5. Progress of Five Year Plan activities in the various sectors such as Agriculture, Industry, Exports, Social Services, Transport and Communications, Science and Technology, Public Health, Population Control, Education etc.
6. Talks/Discussions/features on Indian literary classics as well as Modern Indian literature in various Indian languages,
7. Plays, Operas and folklore,
8. Programmes on important Festivals and Anniversaries of Saints, Poets, National Leaders etc,
9. Radio Newsreel/Radio Reports on important cultural events and celebrations,
10. Sports and Sportsmen—Review, resume, iuterview etc.
11. Programmes for Women, Children, Youth,
12. Talks on Indian Music, Painting, Sculpture, Dance etc.
13. Great Sayings from Indian Scriptures and Philosophical works.
14. Reviews of social and cultural activities in different regions.

(b) Yes, Sir,

(c) All that is best in the rich legacy of Indian culture viz., Indian literature, Music and other arts, folklore, handicrafts, fairs and festivals, way of life and other aspirations is projected through talks, plays, features, discussions and interviews.

(d) Does not arise.

Acreage of Land under New Seeds of Wheat and Rice and Distribution of Seeds to States

7279. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the aereage of land in which new seeds of wheat and rice were sown during the year 1969 ;

(b) the additional acreage of land in which these new seeds would be sown during the current year in order to make them more popular ;

(c) whether Government are in a position to supply these seeds to all parts of the country according to their needs ; and

(d) the quantity of seeds supplied to the various States during the year 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The coverage under high-yielding varieties of wheat and rice during 1969-70 is estimated at 12.6 and 9.5 million acres, respectively.

(b) During 1970–71, an additional area of about 2.4 and 1.5 million acres is proposed to be brought under wheat and rice, respectively.

(c) and (d) Seed production and distribution is the responsibility of the State Governments concerned. However, if there is any shortage in any State; the National Seeds Corporation helps by arranging supplies required. During 1969-70, National Seeds Corporation supplied 27,227 quintals of wheat seed and 21,350 quintals of paddy seed.

Measure for Increase in Milk Yield

7280. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the figures in respect of increase in milk yield in the country for the last three years ;

(b) whether Government are satisfied with the said iucrease ; and

(c) the details of average per capita yield target fixed by Government and the time by which this target is likely to be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Estimate of national output of milk as noted below show a steadily increasing trend.

1966-67———20.40 Million Tonnes
1967-68———20.80 ,, ,,
1968-69———21.20 ,, ,,

(b) No Sir. The need for increasing the production of milk is well recognised and much remains to be done. Efforts are being made **to increase milk production through planned breeding,** improved feeding and timely disease control measures.

(c) Per capita yield of milk varies widely depending upon the breed, environmental conditions, etc. Steps are being taken to effect improvements for the purpose of increasing

milk yield. Rise in per capita yield would be more in areas where intensive cattle development is being taken up as compared to other areas. The milk production on account of these measures is expected to be of the order of 26 million tonnes by 1973-74. More precise targets and time schedule have not been fixed.

Production of Suratgarh Agricultural Farm

7281. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the production of the Suratgarh Agricultural Farm during the last three years, year-wise ; and

(b) the number of employees working there ?

Ministry of State in the Ministry of Food, Agriculture Coommunity Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement of production of various crops at the Central State Farm, Suratgarh during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is attached. [Placed in Library, See No. LT—3291/70]

(b) The number of regular employees at the farm is 489 at present. The average number of daily wage labourers is about 540.

Application pending for Telephone connections under exempted Category in Delhi

7282. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applicants belonging to exempted categories such as schools, doctor etc, who are on the waiting lists for telephone connections in the various exchanges in Delhi and New Delhi ;

(b) the details such as names, addresses and dates of applications of such applicants who are on the waiting lists in the telephone exchanges of South Delhi ;

(c) the time by which telephone connections would be sanctioned to these persons/institutions and the order in which telephones are installed to them ;

(d) whether the telephone connections are installed to these persons/institutions on the basis of priority or in an arbitrary manner ; and

(e) if the telephones are installed arbitrarily, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 4,905.

(b) The requisite lists are being prepared and will be placed on the Table of the Lok Sabha shortly.

(c) As a rule, 15% of the available capacity is reserved for applicants under the 'Special Category' (earlier called the exempted category). Every effort is made to meet the pending demands for telephones in this and other categories expeditiously. However, there is a general shortage of exchange equipment and under-ground cables and it is not possible to indicate any time-limit by which the existing applicants on the waiting list will be provided with telephone connections.

(d) Out of the 15% available capacity reserved for Special Category, half the number is given according to the turn on the waiting list and the other half is filled up on the recommendations of Telephone Advisory Committee.

(e) Does not arise in view of (d) above.

Irrigation Facilities for Entire Area Under Cultivation During Fourth Plan

7283. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land under cultivation in various States of the country, State-wise ;

(b) the acreage of land, out of that, for which irrigation facilities are available and also of that for which such facilities are not available ;

(c) the scheme proposed to be undertaken by Government during the Fourth Plan to provide irrigation facilities for the entire area of land under cuitivation and the expenditure involved therein ; and

(d) the additional acreage of land which would be brought under irrigation in 1970-71 and the expenditure proposed to be incurred in that connection, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) The required information is given in the statement laid on the Table of the House.

Statement

(000 hectares)

S No.	Name of the State	Net area sown (1966–67)	Net Irrigated area (1966-67.)	Un-irrigated Area (net) (1966–67)
1.	Andhra Pradesh	11,343	3,070	8,273
2.	Assam.	2,376	612 (a)	1,764
3.	Bihar	7,422	1,601	5,821
4.	Gujarat (b)	9,688	1,041	8,647
5.	Haryana	3,423	1,293	2,130
6.	Jammu & Kashmir (b)	675	278	397
7.	Kerala	2,091	393	1,698
8.	Madhya Pradesh	17,205	1,089	16,116
9.	Maharashtra (b)	18,133	1,206	16,927
10.	Mysore	10,014	1,022	8,992
11.	Nagaland (c)	47	12	35
12.	Orissa (d)	5,989	977	5,012
13.	Punjab	3,870	2,276	1,594
14.	Rajasthan	14,597	2,121	12,476
15.	Tamil Nadu	6,085	2,511	3,574
16.	Uttar Pradesh	17,319	6,255	11,064
17.	West Bengal (d)	5,569	1,478	4,091
	Total States	1,35,846	27,235	1,08,611
	Union Territories	1,201	243	958
	Grand Total	1,37,047	27,478	1,09,569

Note : a relates to 1953–54
b relates to 1965–66
c relates to 1956–57
d relates to 1964–65

(c) The irrigation programme proposed to be taken up during the Fourth Plan is likely to provide irrigation facilities to an area of 8.7 million hectares (gross). The public sector outlay on this proformance would be Rs. 1474.96 crores.

(d) Programme for 1970–71 has not yet been finalised.

मनीपुर में इंजीनियरों तथा डिप्लोमाधारियों को रोजगार

7284. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में मनीपुर में डिप्लोमाधारियों सहित कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया गया है;

(ख) मनीपुर में इस समय कितने इंजीनियर तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं; और

(ग) क्या उनको चालू वर्ष में रोजगार दिया जा रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) नियोजन कार्यालयों की सहायता से जिनको नौकरी दिलाई गई उनकी संख्या 26 थी और इन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या 48 थी।

(ग) चौथी योजना में कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, सिंचाई सुविधाओं से वंचित भूमि की खेती और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों (इंजीनियरों व डिप्लोमाधारियों सहित) के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाए जाएंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर के कृषि स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे कृषि कालेज बनाना

7285. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के कृषि स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे कृषि कालेज बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार मनीपुर में एक कृषि कालेज स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में चौथी योजना या चालू वर्ष अर्थात् 1970-71 के बजट अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा तथा नागालैंड के लिए टेलीफोन सलाहकार उपसमितियां

7286. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड क्षेत्रों की टेलीफोन सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और ये लोग उक्त समिति के किस तारीख से सदस्य हैं ; और

(ख) उपरोक्त समिति का गठन किस अधार पर किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड में कोई टेलीफोन सलाहकार समितियां काम नहीं कर रही हैं।

(ख) यदि चालू कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची मिला कर संख्या 1500 से अधिक बनती हो

तो सामान्यतः टेलीफोन सलाहकार समितियां क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि केवल स्थानों के लिए गठित की जाती हैं ।

निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए शर्तें

7287. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 26 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धन कलाकारों को उक्त वित्तीय सहायता पाने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : विशिष्ट कलाकारों को आर्थिक सहायता देने की योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) संगीत, नाटक तथा नृत्य के क्षेत्र में उम्मीदवार की देन महत्वपूर्ण हो ;

(2) उसने आकाशवाणी तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्य विभागों की सफलता के लिए पर्याप्त रूप से योगदान दिया हो ;

(3) निजी साधनों से प्रार्थी की आय 150/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो; तथा

(4) प्रार्थी किसी अन्य स्रोत से इस प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त न कर रहा हो ।

मनीपुर में कार्मिक संघों के पंजीकरण के लिये आवेदनपत्र

7288. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार कार्यालय, कार्मिक संघ, मनीपुर के पास इस समय कार्मिक संघों के पंजीकरण के लिए कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त आवेदनपत्र रजिस्ट्रार, कार्मिक संघ, मनीपुर को किस तारीख को दिये गये थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार के कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण काम में विलम्ब हुआ है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर पर रख दी जायगी ।

कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

7289. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 में कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन मामलों पर विचार किया गया उनका तथा उसमें किये गये निर्णयों का व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) ऐसा कोई सम्मेलन जनवरी, 1970 में नहीं हुआ । हां, अक्तूबर 1969 में कृषि शिक्षा के बारे में बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3292/70]

नये किस्म के बीजों का किसानों को बेचने से पहले परीक्षण

7290. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसानों को नये किस्म के बीज देने से पूर्व समूचे देश में विस्तार एजेंसियों द्वारा उनका परीक्षण किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : जी, नहीं। ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों में विभिन्न स्थानों में किये गये परीक्षणों के आधार पर फसलों की नई किस्मों को सामान्य खेती के लिये निर्मुक्त किया जाता है। इन परीक्षणों के परिणामों पर पहले अखिल भारतीय अनुसंधान कर्मशालाओं में और बाद में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है। इसके बाद सिफारिश की गई किस्मों को विस्तार एजेन्सियों तथा अन्यों को सौंप दिया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आलू का भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग

7291. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आलू को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग करने की संभाव्यता का पता लगाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं, लेकिन आलू फ्लोर संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का मामला निगल के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक की नियुक्ति

7292. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है और उन्हें क्या पारिश्रमिक दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : परिषद् की शासी निकाय द्वारा 1970-71 वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत निम्न अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों को चुना गया है :—

1. डा० पी० बी० सुखात्मे
2. डा० एच० डी० श्रीवास्तव
3. डा० एच० एल० उप्पल

4. डा० के० सी० गुलाटी
5. डा० एन० आर० भट
6. डा० बी० डब्ल्यू० एक्स पौनैय्या
7. डा० एस० एन० रे
8. डा० आर० एस० चौधरी और
9. डा० एस० जोन्स

एक अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक प्रतिमास 1000/- रुपए मानदेय प्राप्त करने का पात्र है। इसके अतिरिक्त जो निवृत्ति-वेतन/भविष्य-निधि आदि वह प्राप्त कर रहा होता है, वह भी उसे मिलता है।

फिल्म प्रोड्यूसरों द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रमाणीकरण के लिए दी गई फीस

7294. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म प्रोड्यूसरों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी फिल्मों को मार्च, 1970 तक के गत तीन वर्षों में प्रमाणीकरण के लिये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था; और

(ख) क्या इन प्रोड्यूसरों द्वारा कोई फीस दी गई है; और यदि हां, तो प्रत्येक द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कृषि के विकास के लिए दी जाने वाली अमरीकी सहायता का स्वरूप

7295. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के कृषि विभाग के विश्लेषक के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जरूरतमन्द देशों को भूतकाल में अमरीका द्वारा दी गई सहायता केवल इसलिये अव्यवस्थित थी कि इस बारे में बहुत ही थोड़ी जानकारी थी कि एक विकासशील देश वास्तव में क्या पैदा कर रहा है अथवा उसकी क्या आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका सरकार ने किसी अवसर पर ऐसी जानकारी मांगी; और

(ग) उनको किस प्रकार का उत्तर भेजा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार को किसी ऐसे वक्तव्य का ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो तथा टेलीविजन क्लबें

7296. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए देहाती क्षेत्रों में रेडियो तथा टेलीविजन क्लब स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष का कार्यक्रम क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देहाती रेडियो फोरम देश में पहले ही काम कर रहे हैं । दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में 61 तथा निकटवर्ती हरयाणा के गांवों में 11 टेलीक्लबों की भी स्थापना की जा चुकी है । देश के अन्य भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन क्लबों को स्थापित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब उन क्षेत्रों में टेलीविजन चालू हो जाएगा ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के चुने हुये उन गांवों में लगभग 8 टेलीविजन क्लबें स्थापित करने का प्रस्ताव है जो दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की परिधि में आते हैं ।

पत्र तथा तारों के सेंसर किये जाने को रोकने के लिये विधान

7297. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनहित में पत्रों तथा तारों इत्यादि को बीच में रोक कर पढ़ने के अधिकारियों के अधिकार को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्तावित विधान को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा; और

(ख) क्या उक्त विधान वर्ष 1970 के आय-व्ययक सत्र में पारित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) विधि आयोग की सिफारिश पर, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के खण्ड 5 (1) में संशोधन करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसमें तारों को बीच में रोक कर पढ़ने के अधिकारों को केवल भारत की सार्वभौम अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों के साथ भाईचारे के लिये ही या अपराध की प्रवृत्ति में उत्तेजना देने को रोकने और अधिनियम के खण्ड 5 के उपखण्ड (2) को अधिनियम से निकाल देने के लिए व्यवस्था है । इस विधेयक को संसद् के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं ।

भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधि आयोग ने इसी तरह की कोई सिफ़ारिश नहीं की है ।

भूमि सुधार नियमों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिये न्यायाधिकरण की स्थापना

7298. **श्री ऋदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार नियमों के क्रियान्विति से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के एक विशिष्ट न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रश्न के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब

शिन्दे) : (क) और (ख) भूमि राज्य सूची में होने के कारण, भूमि सुधार के बारे में कानून बनाना और उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भूमि सुधारों की क्रियान्विति से उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं होता।

कालिन्दी डाकघर, रामनगर (मिदनापुर) के पोस्ट मास्टर द्वारा निक्षेपों का गबन

7299. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव कालिन्दी, पुलिस थाना रामनगर, जिला मिदनापुर के पोस्टमास्टरों द्वारा बहुत से व्यक्तियों द्वारा खोले गये बचत खातों में जमा की गई बहुत बड़ी राशि का गबन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का गबन किया गया और इसमें कितनी राशि सम्बद्ध थी;

(ग) क्या इस मामले के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की जांच कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा गरीब ग्रामीण जनता जमाकर्त्ताओं के धन को वापस करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शाखा पोस्टमास्टर ने एक बचत बैंक खाते से 1,005 रुपये के अस्थायी गबन के अलावा 28 बचत बैंक खातों में जमा रकम को धोखे से निकाल कर 37,964 रुपये का गबन किया। उसने एक मनीआर्डर के 295 रुपये का भी पाने वाले के जाली हस्ताक्षर करके गबन किया।

(ग) कुछ जमाकर्त्ताओं से उनके दावे के निपटान के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सभी मामलों की छानबीन के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अभियुक्त फरार है। 24 बचत बैंक खातों से संबंधित दावे के कागजात को पूरा किया जा चुका है और उनके दावे शीघ्र ही निपटा दिये जाएंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में टैलक्स एक्सचेन्ज स्थापित करना

7300. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में टैलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 20 महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों में टैलेक्स एक्सचेंज खोलने का विचार है। इनमें से 11 स्थानों पर 50 लाइनों के टैलेक्स एक्सचेंज लगाने का पहले से ही अनुमोदन हो चुका है। ये स्थान हैं विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, इलाहाबाद, कालीकट, मंगलोर, सलेम, भावनगर, कोटा, कोल्हापुर और देहरादून। आर्थिक दृष्टि से जीवन-क्षम होने और प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आगे 9 और महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों में भी इस सुविधा का विस्तार कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की मांग

7301. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य को 7.50 रुपये प्रति क्विंटलसे बढ़ा कर तुरन्त 10 रुपये प्रति क्विंटल कर देने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य तुरन्त ही 7.37 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10.00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाना चाहिये।

(ख) 1969-70 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य राज्य सरकारों, गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग की एसोसियेशनों के विचारों पर सावधानी से विचार करने और कृषि मूल्य आयोग तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद निर्धारित किया गया था। चालू मौसम के लिए अब इस न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी करने का विचार नहीं है।

वर्ष 1970-71 में बिहार में लघु सिंचाई के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

7302. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में वर्ष 1970-71 में लघु सिंचाई के विकास के बारे में कार्य योजना प्रस्तुत की है; यदि हां, तो उसकी वित्तीय रूपरेखा क्या है और उसका अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से अगर कोई सहायता मांगी गई हो तो वह कितनी है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) बिहार सरकार ने 1970-71 की वार्षिक योजना के प्रारूप में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 800 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू प्रतिमान के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता किसी एक प्लान या स्कीम से सम्बन्धित नहीं होती, बल्कि वह समग्र रूप से वार्षिक योजना के बारे में केन्द्र द्वारा एक-मुश्त ऋण तथा अनुदान के आधार पर दी जाती है।

विवरण

रुपये लाखों में

क्रम संख्या	स्कीम	1970-71 के लिये प्रस्तावित व्यय
I. कृषि विभाग		
1.	अंत:स्रवण कून्डों का निर्माण/मरम्मत	67.50
2.	कून्डों का छिद्रण	16.00
3.	(क) राजकीय नलकूप	—
	(ख) गैर-सरकारी नलकूप	160.00
	(ग) गैर-सरकारी नलकूपों के लिए एल० एम० बा० से ऋण पत्रों की खरीद	—
4.	नदियों तथा झरनों से एल० आई०	95.00
5.	विद्युत्-पम्प	15.00
6.	डीजल पम्प	—
7.	विद्युत् तथा डीजल पम्पों के वितरण के लिये कृषि-उद्योग विकास निगम की अंश पूंजी की खरीद	21.00
8.	रहट	12.00
9.	बड़ी लघु सिंचाई योजना	202.50
10.	छोटे अहर, पाइनीस तथा बन्ध	25.00
11.	भूमिगत जल	8.00
12.	सतह-जल योजना	6.00
13.	उपकरण	40.00
14.	स्टाफ	10.00
15.	सिंचाई सहकारिता	2.00
कुल कृषि विभाग		680.00 जिसमें 16000 लाख रु० जनजाति-क्षेत्र में विशेष योजनाओं के लिए।

II. सिंचाई विभाग

राज्य की अपनी लघु सिंचाई योजनाएं

(क) अगले वर्ष में चालू की जाने वाली योजनाएं		
	1. फलों स्कीम्ज	31.24
	2. नाला सम्बन्धी योजनाएं	4.84
	3. गंगा तथा बढ़ी गंदक के साथ-साथ पम्पिग सेट	22.80
	कुल (क)	58.88
(ख) **वर्तमान नलकूपों का सुधार**		
	नलकूप चैनल	5.50
	कुल (ख)	5.50

1	2	3
	(ग) **नई स्कीमें**	
	सम्पूर्ण योजना में जलमार्ग	9.62
	कुल (ग)	9,62
	(घ) **नई स्कीमें**	
	नए बांधों तथा जलाशयों की योजना	46.00
	कुल (घ)	46.00
	कुल सिंचाई विभाग (क/ख/ग/घ)	120.00
	कुल जोड़	800.00

विश्व संचार उपग्रह व्यवस्था में भारत का योगदान

†7303. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व संचार उपग्रह व्यवस्था में भारत का योगदान कितना है ; और

(ख) इससे कितना लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) विश्व संचार उपग्रह व्यवस्था की 20 करोड़ डालर की अनुमानित लागत में भारत का योगदान 5 प्रतिशत अर्थात् 70 लाख रुपये है । यह योगदान समय-समय पर इस व्यवस्था पर होने वाले खर्च के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है । अब तक इसमें 51.53 लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

(ख) विश्व संचार उपग्रह सेवा व्यवस्था में भारत को निम्न लाभ होंगे :—

(1) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, फोटो तथा रेलेक्स सेवा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विश्वस्त, स्थाई तथा उच्च किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय संचार सुविधाएं मिलेंगी ; और

(2) अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता उत्पन्न होगी ।

ग्रामीण ऋण का सहकारी ऋण तथा बैंकों के ऋण से एकीकरण

7304. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण ऋण को सहकारी ऋण तथा अन्य बैंकों से ऋण लेने की व्यवस्था समूचे रूप से एकीकरण करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । सरकार का ऋण विस्तार कार्यक्रमों एवं इन क्षेत्रों की नीतियों के समन्वय का प्रस्ताव है ।

(ख) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधीन एक ग्रामीण ऋण बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में समग्र रूप से बैंकों की नीतियां बनाने, पुनरीक्षण तथा आशोधन को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त 'सामाजिक उद्देश्यों की क्रियान्विति के लिए संगठनात्मक कार्य' विषयक गाडगिल समिति की सहकारी और व्यापारिक बैंक ऋण में समन्वय से संबंधित सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

Assembling of Imported Tractors with Indigenous Components

7305. **Shri Arjun Singh Bhadoria** ; Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of new tractors likely to be procured from the U.S.A. by the country, particularly by the Escorts Compony ;

(b) whether his attention has been invited to the fact that the owners of the said company are assembling these tractors in the country after using indigenous components ; and

(c) whether Government propose to take necessary steps to ensure that the superiority of these imported tractors is not downgraded by using indigenous components in their engines ?

Minister of state in the Ministry of Food' Agriculture, Community Development & cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) & (b) There is no proposol for direct import of Ford tractors from U.S.A. However, the Government of India have approved in principle a proposal of M/S. Escorts Limited to enter into collaboration with M/S. Ford Motors Company, Dearborn Michigan U.S.A., for the manufacture of "Ford-3000" (46 H.P.) agricultural tractors for a capicity of 6000 numbers per annum. Manufacture of these tractors by N/S Escorts Ltd., is yet to commence.

(d) Does not arise.

प्राथमिक ऋणदात्री समितियों को वाणिज्य बैंक द्वारा धन दिये जाने की प्रायोगिक योजना

7306. **श्री चंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने चौथी योजना में सहकारी कृषि क्षेत्र के विकास के लिये 246 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांच राज्यों में जहां जिला केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर है उन क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदात्री समितियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित करने की कोई प्रायोगिक योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या वह योजना अन्य राज्यों में भी आरम्भ की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) व (ख) जी हां।

(ग) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश।

(घ) जब तक चुने हुए जिलों में सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत नहीं बनाया जाता है

तब तक यह योजना संक्रमणकालीन उपाय के रूप में कार्य करेगी। अन्य राज्यों में भी लागू करने के बारे में तब विचार किया जाएगा जब यह देख लिया जाएगा कि इस समय चुने हुए पांच राज्यों में यह किस प्रकार कार्य करती है।

पूर्व पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बसाने के लिये राज्यों को अतिरिक्त ऋण

7307. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान से हाल में भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों के लिये ही बड़ी समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों के इस भारी आगमन को देखते हुये, सरकार ने राज्यों को उनकी मांगें पूरी करने के लिये अतिरिक्त ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्व पाकिस्तान से आये जिन बहुत से शरणार्थियों ने सरकार से ऋण लिये थे, अब उन्हें वापस करने में कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मदद करने का विचार कर रही है और किस तरह ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में आये शरणार्थियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा जब कि राज्य सरकारों से इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में भारत सरकार की सामान्य नीति यह है कि केवल उन ऋणियों से ही ऋण वसूल किये जाने चाहिए जो कि उन्हें लौटाने की स्थिति में हों और अवपीड़क उपाय, जिनसे कि वे पुनः निराश्रय हो जाते हों, नहीं अपनाये जाने चाहिए। राज्य सरकारों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि जहां वसूली सम्भव न हो, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और वसूली को मुल्तवी करने और / या बट्टे खाते में डालने के लिये भारत सरकार को निर्देश किया जाये।

भारत में उर्वरक क्रान्ति के बारे में ब्रिटिश प्रोफेसर के विचार

7308. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कृषि के प्रोसर सर जोशेफ हुटचिनसन ड्रापर्स ने नई दिल्ली में यह कहा कि 'उर्वरक क्रान्ति' की कई समस्यायें इसलिये हैं क्योंकि 'भूमि को जीवित वस्तु मान कर उसका सुधार', देखभाल तथा पोषण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि उर्वरक क्रांति अभी ही आरम्भ हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरक सम्बन्धी उनके मत पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सुझाव भारत के सम्बन्ध में कहां तक उपयुक्त पाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) प्रेस रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि सर जोशेफ हुटचिनसन ने इस बात पर बल दिया कि उर्वरक क्रान्ति हाल ही में शुरू हुई है और उर्वरक क्रान्ति में बहुत सी समस्यायें, भूमि को एक जीवित वस्तु, न कि एक मृत वस्तु समझने के अभाव के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसकी सावधानी-पूर्वक देखभाल तथा उचित पोषण किया जाता है जिससे कि फसल उत्पादन का निर्धारण विभिन्न जैव-रसायनिक कार्यवाही के लिए, सामंजस्यपूर्ण ढङ्ग से हो सकें।

(ख) यह सत्य है कि उर्वरक क्रान्ति हाल ही में शुरू हुई है। अधिक उत्पादनशील किस्मों के सूत्रपात ने, जो कि अत्यधिक उर्वरक अनुक्रियात्मक हैं तथा उर्वरकों के प्रयोग से गिरती नहीं हैं, क्रान्ति को गतिमान किया है, क्योंकि उनके सम्बन्ध में उर्वरकों का प्रयोग काफी लाभकारी है।

(ग) तथा (घ) सर जोशेफ हुटचिनसन द्वारा अपने भाषण में कही गई बातों की कृषि विभाग में विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल की गई है। उन्होंने निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है :—

(1) भूमि को एक जीवित वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके उपयोगीकरण, देख-भाल तथा पोषण की आवश्यकता है ;

(2) उर्वरकों का प्रयोग कमियों को ठीक करने के अतिरिक्त, अकस्मात् अवांछनीय तत्वों को जमा कर सकते हैं;

(3) भारत में उर्वरकों का प्रयोग मुख्यत: सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है ;

(4) बारानी भूमि के क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता है।

यह पूर्णत: अनुभव किया जाता है कि भूमि की अच्छी तरह से देखभाल तथा उचित रूप से पोषण करना बहुत आवश्यक है। किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा किसी असंतुलन एवं अवशिष्ट प्रभावों को ठीक करने के सम्बन्ध में शिक्षित किया जा रहा है। किन्तु कृषि तथा उर्वरक उद्योग में संलग्न शिक्षण, विस्तार तथा विकासात्मक एजेन्सियों को उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न करना होगा। यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि उर्वरक वर्द्धन परिषद् को स्थापित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, जो कि इस आवश्यकता की पूर्ति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से कार्य करेगा।

(2) सर हुटचिनसन के कथन के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग पोषक कमी को ठीक करता है और संकेन्द्रित उर्वरक, जो कि काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, अवांछनीय तत्वों के किसी खतरे को भी दूर करते हैं।

(3) यह ठीक है कि भारत में उर्वरकों का प्रयोग सिंचित क्षेत्रों में ही अधिक बढ़ रहा है क्योंकि सिंचाई तथा उर्वरकों के मिश्रित प्रयोग से किसानों को अधिकतम तथा निश्चित लाभ की आशा है।

(4) असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कदम उठाये जा

रहे हैं। बारानी खेती तथा उर्वरक वर्द्धन कार्य की मार्गदर्शी परियोजनाओं में इस सम्बन्ध में यूरिया के हवाई छिड़काव जैसे कदम सम्मिलित हैं।

चीनी का फालतू उत्पादन

7309. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र की चीनी की अर्थ व्यवस्था में फालतू उत्पादन और मन्दी का चक्र पुनः आरम्भ हो रहा है और 1960 के दशक के आरम्भ में प्रायः सुने जाने वाली 'फालतू उत्पादन का संकट' की आवाज पुनः सुनाई दे रही है;

(ख) क्या उत्पादन पर वर्तमान अनुकूल प्रभाव नियन्त्रणों के आंशिक रूप से हटाये जाने का परिणाम है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इतने बड़े स्टाक पर ऋण देने के लिये बैंकों को बहुत अधिक राशि जुटाने की आवश्यकता होगी ; और यदि हां, तो क्या इतने बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिये उन्हें धन मिल सकेगा; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति वर्ष 1967-68 से लागू की गयी थी ताकि उचित मूल्यों पर आन्तरिक खपत की जरूरतें तथा निर्यात की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु चीनी का उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि चीनी का उत्पादन 1967-68 के 22. 48 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1968-69 में 35.59 लाख मीटरी टन हो गया था। इस वर्ष यह उत्पादन 40 लाख मीटरी टन से भी अधिक होने की सम्भावना है। खुले बाजार में चीनी के मूल्य भी गिरकर उपयुक्त स्तर पर आ गए हैं। इस समय कोई 'संकट' नहीं है। इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि अगले या बाद के वर्षों में चीनी का अधिशेष उत्पादन होगा अथवा नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते। बैंक चीनी मिलों की धन सम्बन्धी चालू जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी कर रहे हैं।

Discontinuance of Publication of Allahabad Newspapers

7311. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Commuications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Birlas have stopped publication of 'Leader', a daily newspaper published from Allahabad ;

(b) if so, the reasons therefor :

(c) whether Government are aware that Birlas have also decided to stop publication of 'Bharat', a Hindi daily published from Allahabad ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to continue the publication of the said two newspapers ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadasting and in the Department of communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes Sir.

(b) & (d) The newspapers being in the private sector, Government have no control over their working.

(c) No, Sir.

(To be answered on 23-4-1970)

Refusal of Certificate for Public Screening to Kannada Film 'Sanskar'

7312. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the film 'Sanskar' in Kannada language has not been given certificate for public screening by the Board of Film Censors because Brahmins have been criticized therein ; and

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for refusing the Certificate ?

The Ministry of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral)

(a) to (c) : Yes, Sir. The Kannada film "Samskara" was refused a certificate by the Central Board of Film Censors as they were of the view that the film may wound the susceptibilities of a section of people. The appeal filed by the producer against this decision of the Board is under active consideration of Government.

महिशिला सरकारी बस्ती, आसनसोल, जिला बर्दवान से अभ्यावेदन

7313. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिशिला सरकारी बस्ती, आसनसोल, जिला बर्दवान के शरणार्थियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से मामले की छानबीन की जा रही है ।

समाचार भारती लिमिटेड के निदेशकों पर मुकदमा चलाना

7314. **श्री सरदार अमजद अली** : **श्री स० च० सामंत** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग ने कई मामलों में समाचार भारती लिमिटेड तथा इसके निर्देशकों पर मुकदमा चलाने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) उन पर मुकदमे चलाये जाने में विभाग के अधिकारियों द्वारा विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाला धर्मवीर के, जिन्हें सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का समर्थन प्राप्त है, प्रबन्ध के विरोध में गत तीन महीनों में कई निदेशकों ने त्याग पत्र दे दिये हैं ; और

(घ) क्या इस सरकारी कम्पनी के प्रबन्धक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कम्पनी को दिये गये ऋणों को अदा किये बिना ही स्वेच्छा से इस कम्पनी को दिवालिया घोषित करने का विचार कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) माननीय सदस्य कृपया लोक सभा में 17 मार्च, 1970 को प्रश्न संख्या 3200 के दिए गए उत्तर को देखें।

(ख) कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मुकदमा नहीं चलाया गया है। इसका आंशिक कारण यह है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 633 (2) के अन्तर्गत राहत के लिये कम्पनी तथा इसके अधिकारियों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई एक कथित याचिका का नोटिस कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली को प्राप्त हो गया है। याचिका की प्रति कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली को अभी तक तामील नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं। 27-11-69 तक के वार्षिक विवरण (रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर किया गया सबसे नवीनतम) के साथ लगी निदेशकों की सूची में कम्पनी ने यह दिखाया है कि सर्वश्री वेद व्यास, प्रकाशवीर तथा ए० के० जैन 27-11-69 से निदेशक नहीं रहे। कम्पनियों के रजिस्ट्रार को यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने लाला धर्मवीर के प्रबन्ध के विरोध में त्यागपत्र दिये हैं। इस मंत्रालय के द्वारा समर्थन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली को इस कम्पनी के स्वेच्छा से दिवालिया घोषित करने के बारे में किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

'इण्डियन डाइजस्ट'

7315. **श्री सरदार अमजद अली : श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन डाइजस्ट का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया जाएगा;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इसके प्रकाशन के लिये किन-किन भाषाओं को चुना गया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकाशन के लिये उत्तरदायी संस्थान का संगठनात्मक ढांचा तथा उसके कर्मचारियों इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी; और

(घ) क्या इस परियोजना में किसी विदेशी विशेषज्ञ को भी शामिल किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य पूरा करने के लिए एक मासिक 'डाइजस्ट' को प्रकाशित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(घ) इस योजना में किसी भी विदेशी विशेषज्ञ को किसी भी रूप में लगाने का विचार नहीं है।

पूर्वी बङ्गाल से आये शरणार्थियों का बसाया जाना

7316. **श्री सूरज भान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हिन्दू शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1954 तथा 1964 में क्रमशः पूर्वी बंगाल से भारत आये थे ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के शरणार्थी कितने थे, जो वर्ष 1954 तथा 1964 में क्रमशः आये थे;

(ग) उपरोक्त भाग (क) के शरणार्थियों में (1) अनुसूचित जातियों तथा (2) अन्य शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिनको इस बीच पृथक्-पृथक् पुनः बसाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के गरीब शरणार्थियों को सरकार से मासिक भत्ता मिला करता था वह भी गत वर्ष बन्द कर दिया गया है ; और

(ङ) अनुसूचित जातियों के गरीब शरणार्थियों को तुरन्त पुनः बसाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) 1954 तथा 1964 के वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये शरणार्थियों की संख्या क्रमशः 1, 21, 364 और 6,93,142 है। जातिवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 31 मार्च, 1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये पुराने विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, पश्चिम बङ्गाल में कुछ अवशिष्ट पुनर्वास कार्य को छोड़ कर, जिसका मूल्यांकन श्री एन० सी० चटर्जी संसद् सदस्य, की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, प्रायः 1960-61 तक पूर्ण हो चुका था।

जहां तक नये प्रवासियों का, जो 1-1-1964 या उसके बाद भारत आये, सम्बन्ध है, 31-12 1969 तक लगभग 40,000 परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रत्येक वर्ष के प्रवाह के सम्बन्ध में पुनर्वास सहायता के पृथक् आंकड़े सुगमतया उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त संभावी परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

प्रवासियों के पुनर्वास के जाति-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) योग्य पात्र विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित दरों के अनुसार विशिष्ट अवधियों के लिये भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है। पुनर्वास सहायता के मामले में विस्थापित व्यक्तियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता और सबके साथ समान बर्ताव किया जाता है।

(ङ) पुनर्वास कार्यक्रम को प्रवासियों के सभी वर्गों के लिये बनाया जाता है और कोई भी जाति-वार भेद-भाव नहीं किया जाता।

अनाज के लिये गोदाम

7317. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनाज के कितने गोदाम निर्माणाधीन हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में अनुमानतः कितने गोदामों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ग) क्या वर्तमान आवश्यकताओं तथा अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपलब्ध तथा अनुमानित सुविधायें पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और/अथवा किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा या उनके लिए 1-4-70 को बनवाए जा रहे गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता 11.13 लाख मीटरी टन थी। खाद्यान्नों के भण्डारण की जिम्मेदारी अब निगम की है। इसके अलावा, वर्ष 1970-71 के लिए 12 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता के गोदाम बनवाने की स्वीकृति दी गयी है।

(ख) चौथी योजनावधि में खाद्यान्नों को रखने के लिए अनुमानतः 83 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता के गोदामों की जरूरत पड़ेगी। तथापि, 1973-74 के बाद की जरूरतों का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी कार्यक्रम "टापिक फ़ार टू डे"

7318. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टापिक फार टू डे" शीर्षक के अन्तर्गत आकाशवाणी एक कार्यक्रम प्रसारित करती है ;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिये सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बारी से आमंत्रित करना एक अच्छी प्रथा होगी ताकि आम जनता देश में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों पर उनके विचारों का लाभ उठा सके ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न दलों से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को गत तीन महीनों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। "टापिक फार टूडे" कार्यक्रम 17 जुलाई, 1966 से बन्द कर दिया गया था। 21 फरवरी, 1967 से "स्पाटलाईट" नामक एक समाचार समीक्षा रात्रि के 9 बज कर 15 मिनट पर प्रतिदिन प्रसारित की जाती है।

(ख) जी, नहीं। "स्पाटलाईट" कार्यक्रम में सामान्यतया दिन के मुख्य समाचारों के बारे में समीक्षा होती है, अतः इसकी स्क्रिप्टें लिखने के लिये ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें विषय का विशेष ज्ञान होता है या उसके विशेषज्ञ होते हैं, भले ही वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों।

(ग) एक सूची सलग्न है जिसमें 15-1-1970 से 14-4-1970 तक की अवधि के दौरान "स्पाटलाईट" कार्यक्रम प्रसारण करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं तथा उन द्वारा प्रसारित विषय भी दिए हुए हैं :

विवरण

क्रमांक	नाम	विषय	दिनांक
1.	**श्री सुरेश चन्द्र बोस**	नेताजी और भारत की स्वतन्त्रता	23-1-70
2.	**प्रो० ही० ना० मुकर्जी**	बरटन्ड रस्सल	3-2-70
3.	**श्री ग्रार० ग्रार० दिवाकर** संसद् सदस्य	बादशाह खान की भारत यात्रा	8-2-70
	—तदैव—	अगला कदम	22-2-70
4.	**श्री एम० सी० शीतलवाद** संसद् सदस्य	उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण कानून को अवैध किये जाने पर प्रतिक्रिया	10-2-70
5.	**श्री एम० ग्रार० मसानी** संसद् सदस्य	—तदैव—	—तदैव—
6.	**श्री एस० एस० भण्डारी** संसद् सदस्य	— तदैव —	— तदैव —
7.	**श्री रा० ढो० भण्डारे** संसद् सदस्य	उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बद्ध कानून को अवैध किये जाने पर प्रतिक्रिया	10-2-70
8.	**डा० रानेन सेन**	— तदैव —	— तदैव —
9.	**श्री एस० एम० जोशी**	— ,, —	— ,, —
10.	**श्री गुलजारी लाल नन्दा** रेलवे मंत्री	हमारा तात्कालिक कार्यक्रम	18-2-70
11.	**श्री डी० संजीवैया** (श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री)	— ,, —	— ,, —
12.	**श्री दरोगा प्रसाद राय** विहार के मुख्यमंत्री	— ,, —	— ,, —
13.	**श्री बी० बी० राजू** आन्ध्र प्रदेश विधान सभा सदस्य	तेलंगाना करार सम्बन्धी सुझाव	27-2-70
14.	**श्री एस० जगपाल सिंह रेड्डी** आन्ध्र प्रदेश विधान सभा सदस्य	— तदैव —	— तदैव —
15.	**प्रो० समर गुह** संसद् सदस्य	भारत के लिए अणु अस्त्र	7-4-70

Targets of Producion of cotton during Fourth Plan in Madhya Pradesh

7319. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual targets fixed for the production of cotton during the Fourth Five Year Plan period in Madhya Pradesh ;

(b) the targets fixed for each variety of cotton ;

(c) the area of land which would be brought under high-yielding variety of cotton; and

(d) the areas selected for the incentive cultivation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) The required information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Employees of P & T Department in Madhya Pradesh and Provision for their Accommodation

7320. **Shri G. R. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of postal employees in Madhya Pradesh ;

(b) the number of them who have been provided quarters ;

(c) whether Government grant allowance to those employees who have not been given quarters and if so, the nature and amount thereof ; and

(d) the measures being taken by Government to provide quarters to the remaining employees ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 15,032 (Fifteen thousand thirty two)

(b) 1,530 (One thousand five hundred and thirty).

(c) Yes in certain classes of stations. In 'C' Class cities House Rent Allowance is given at 70% of the pay. There are no 'B' Class cities in Madhya Pradesh Circle.

(d) (i) 192 P & T Quarters are under construction.

(ii) 96 quarters are being constructed by Bhilai Steel Plant for the P & T Staff.

(iii) Proposals for construction of quarters at other places are being drawn up based on available resources and funds,

Area Under Improved Quality of Commercial Jowar in Madhya Pradesh During 1968-69 and 1969-70

7321. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land in which improved quality of commercial jowar was actually cultivated in Madhya Pradesh during 1968-69 and 1969-70 ;

(b) the production target fixed therefor for those years ; and

(c) the reasons for which the said quality of Jowar was cultivated in lesser area in 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Dovelopment and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Against the target of 1.3 lakh acres during 1968-69, the coverage under hybrid jowar in Madhya Pradesh was 0.52 lakh acres. During 1969-70, the coverage under this crop was 0.83 lakh acres against the target of 1.72 lakh acres.

(c) Does not arise. The acreage in 1969-70 was higher than in 1968-69.

Progress made in Manufacture of Tractors and Fertilizers in M. P.

7322. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress so far made by the Agro-Industries Corporations in Madhya Pradesh ; and

(b) the names of the Corporations which have made commendable progress in manufacturing tractors and fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Madhya Pradesh State Agro-Industries Development Corporation was set up on 21.3.1969. As it is only about a year since this Corporation has come into being, it has not so far embarked upon any major activity. The Corporation have, however, initially taken up the distribution of imported tractors to the farmera. The Corporation has also started two centres for Revitalisation of wells-one at Bhopal and the other at Indore. It has also decided to establish a workshop at Bhopal for maintenance and servicing of imported tractors and supply of spare parts thereof. The Corporation is also proposing to take up the work relating to the import of tyres and tubes for the imported tractors and procurement and distribution of iron and steel for agricultural purposes.

(b) No. Agro-industries Corporation has so far started manufacture of tractors or production of fertilizers. The Uttar Pradesh and Haryana Agro-Industries Corporations have however taken up assembly of Zetor-2011 tractors from imported SKD packs. In so far as production of fertilizers is concerned, the Maharashtra State Agro-Industries Development Corporation have a project for setting up a superphosphate and NPK fertilizer granulation plants. The plants are expected to go into production by June, 1970.

आकाशवाणी की फार्म सूचना यूनिटों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सर्वेक्षण

7323. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के फार्म सूचना यूनिटों के कार्यकरण के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन ने हाल में ही सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों के कार्यकरण तथा इनकी उपयोगिता के बारे में उनका मूल्यांकन क्या है और क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भी आकाशवाणी द्वारा देश में ऐसे और यूनिट स्थापित किये जाने के बारे में कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Delay in Payment of Overtime Allowance of Employees of Faizabad under Lucknow R.M S.

7324. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that payment of over-time (Duty) Allowance bills etc., of the employees of Faizabad office of the Lucknow Railway Mail Service Division has not been made for the last 6 months because the bills have been prepared in Hindi ;

(b) if so, whether Hindi is not being neglected by such actions ; and

(c) whether Government propose to take stringent action against the persons creating such difficulties in the work being carried out in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, sir Due to some misunderstanding, some OTA Bills of the Faizabad RMS Division could not be passed but orders have since been issued to pass the bills.

(b) Hindi is being used freely in office work in accordance with the provisions of the Official Language Act and the instructions of the Ministry of Home Affairs in thi behalf.

(c) Does not arise.

बिहार में चलती-फिरती सीमा शुल्क सेवा

7325. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार राज्य में एक चलती फिरती सीमा शुल्क सेवा आरम्भ करने के लिए केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड ने जिला शाहबाद के बिक्रमगंज नामक स्थान में एक कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्र स्थापित किया है और दूसरा केन्द्र पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) भारत सरकार द्वारा राजकीय कृषि-उद्योग निगमों तथा विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित की गई योजना के अनुसार इन भाड़ा केन्द्रों की 50 प्रतिशत लागत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जायेगी और बाकी कृषि-उद्योग निगमों का ऋण के रूप में दे दिया जायेगा । राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की सहायता इन निगमों की शेयर पूंजी के अंशदान के रूप में होगी ।

गत तीन वर्षों में राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई

7326. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1967 से लेकर 1969 तक और मार्च, 1970 तक की अवधि में वर्षवार उर्वरक की कुल कितनी मात्रा राज्य सरकारों को दी गई ; और

(ख) राज्य सरकारों को किस किस्म के उर्वरकों की सप्लाई की गई और इससे सरकार को कुल कितनी आय हुई और प्रत्येक कृषक के उत्पादन में औसतन कितनी वृद्धि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय उर्वरक पूल से राज्य सरकारों को 1967-68, 1968-69, 1969-70 (20-3-70 तक) के वर्षों के दौरान में उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गई :—

सप्लाई किये गये उर्वरकों की किस्म	(आंकड़े मीटरी टनों में) वर्ष		
	1967-68	1968-69	1969-70
1	2	3	4
एमोनिया का सल्फेट	995214	1383572	273141
यूरिया	871675	995797	431394
एमोनिया सल्फेट नाइट्रेट	48953	20947	—
कैलशियम एमोनिया नाइट्रेट	298304	345715	85916
एमोनियम फोस्फेट	133021	118039	5289
डाइ एमोनियम फोस्फेट	479523	303704	31557
मयूरियेट आफ पोटाश	58234	110297	6995
एमोनियम क्लोराईड	42889	53728	396
एन० पी० के०	37249	15972	40630
सल्फेट आफ पोटाश	4082	3550	238
वेसिक सलेग	9595	266	—
एमोनियम नाइट्रेट फोस्फेट	—	25896	—
रीनियन फोस०	—	3000	—

केन्द्रीय उर्वरक पूल 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर चलता है और जब खरीद में मितव्ययता आदि के कारण अधिशेष रह जाता है तो मूल्यों में कमी या अन्य लाभों द्वारा साधारणत: यह कृषकों को दे दिया जाता है। पिछले 6 मासों में एमोनियम सलफेट की कुछ किस्मों के मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरी टन और यूरिया की कुछ किस्मों के 19 रुपये प्रति मीटरी टन कम किये गये हैं।

जहां तक प्रत्येक कृषक के उत्पादन में औसत वृद्धि का सम्बन्ध है, इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि कृषकों द्वारा उर्वरकों की डाली गई मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। फिर भी, उर्वरक परीक्षणों से पता चलता है कि नाइट्रोजन के एक यूनिट के प्रयोग से 10 यूनिट पी०$_2$ ओ०$_5$ के प्रति यूनिट के प्रयोग से 6 यूनिट और के०$_2$ ओ०$_5$ के प्रति यूनिट के प्रयोग से 4 यूनिट अनाज कम से कम प्राप्त होता है।

दिल्ली/नई दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

7327. **श्री राम चरण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे कई अभ्यार्थी हैं जिनके नाम दिल्ली नथा नई दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी तथा क्लर्क के पदों के लिए पिछले तीन वर्षों से रजिस्टर हैं परन्तु उनको रजिस्ट्रीकरण की तारीख से लेकर अब तक नहीं बुलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोजगार कार्यालयों द्वारा उन अभ्यार्थियों को बुलाया गया है जो रजिस्ट्रीकरण के मामले में बहुत कनिष्ट हैं क्योंकि इन अभ्यार्थियों की रोजगार कार्यालय के प्राधिकारियों तक पहुंच है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनियमितता को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) दिल्ली व नई दिल्ली के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 1 अप्रैल, 1970 से तीन वर्षों अथवा अधिक अवधि के लिए चतुर्थ श्रेणी तथा क्लर्क के पदों के लिए पंजीकृत अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के 1027 उम्मीदवारों में से 846 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजे गये थे। इनमें से 238 उम्मीदवारों को तो छः से भी अधिक बार बुलाया गया था, ऐसे उम्मीवार जिन्हें एक बार भी नहीं बुलाया गया था, केवल 181 ही थे। अन्य बातों के समान होने पर उम्मीदवार का चुनाव, नियोजक के पास उसका भेजा जाना और बुलावे के पत्र भेजने का आधार नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की योग्यता व पात्रता होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

वैदेशिक स्वेच्छी संस्थाओं का भारत को उपहारस्वरूप खाद्य देने का कार्यक्रम

7328. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन भारत को खाद्यान्न दान देने के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के क्या नाम हैं और 1968-69 तथा 1969-70 में उन्होंने कितना खाद्य पदार्थ दान में दिया है और उनका मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन संगठनों को सहायता देने को कहा था और इस पर क्या कोई विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी; और यदि हां, तो किन-किन मदों के लिए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। लेकिन ये उपहार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भारत सरकार को नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) क्योंकि ये उपहार सरकार द्वारा प्राप्त तथा वितरित नहीं किए जाते हैं इसलिए सरकार के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

उर्वरक की सप्लाई में कमी

7329. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरक की सप्लाई की बहुत कमी है और कृषक यहां तक कि चालू रबी फसल के लिये अपनी आंशिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरक सप्लाई की कमी को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । दोनों खरीफ तथा रबी 1969-70 के दौरान देश में उर्वरकों की सप्लाई आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक थी । सप्लाई की स्थिति बहुत संतोषजनक थी और अपर्याप्तता या अभाव की कोई शिकायत नहीं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को रासायनिक उर्वरक की सप्लाई

7330. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को इस वर्ष रसायनिक उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मात्रा की मांग की है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पहली अप्रैल, 1970 को राज्य सरकार के पूर्व अवशिष्ट स्टाक और राज्य द्वारा देशीय विनिर्माता से प्राप्त की जाने वाली मात्रा को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय उर्वरक पूल को खरीफ, 1970 तथा रबी 1970-71 हेतु सम्भरण के लिए निम्न निवल मांग भेजी हैं :—

नाइट्रोजन	80,500 मीटरी टन
पी$_2$ ओ$_5$	55, 750 ,, ,,
के$_2$ ओ	6,750 ,, ,,

इन मांगों की पूर्ति में भारत सरकार को कोई कठिनाई नहीं आयेगी ।

मजगांव गोदी में निर्मित मछुआ नावों में प्रयुक्त इस्पात की मोटाई

7331. **श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुये सम्मेलन में यह शिकायत की गई थी कि मजगांव

गोदा में निर्मित मछुआ नावों में आधा इंच मोटाई का इस्पात लगाया जाता है जबकि विदेशों में निर्मित मछुआ नावों में एक चौथाई इंच मोटाई का इस्पात लगाया जाता है ।

(ख) इस अनावश्यक मोटाई से होने वाली लागत में क्या अन्तर है और बढ़े हुए कर्षण की क्या लागत है और उससे गति कितनी धीमी होती है ; और

(ग) क्या मंत्रालय का विचार मछुआ नावों का अग्रेतर निर्माण तब तक के लिये बन्द कर देने का है जब तक कि तकनीकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) फरवरी 1970 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के सम्बन्ध में कोचीन में हुए एक परिसंवाद में यह सुझाव दिया गया था कि देश के विभिन्न पोत निर्माण यार्डों में वर्तमान में निर्माणाधीन 57 फुटे स्टील मत्स्य जहाजों के मूल्य को स्टील की प्लेट की मोटाई में कुछ कमी सहित कुछ संशोधन कर कम किया जा सकता है । समुद्री उत्पादों की निर्यात संभाव्यता के अध्ययन से सम्बन्धित एक अमरीकी सहायता विशेषज्ञ ने मार्च, 1970 में एक विचार-विमर्श के अन्तर्गत आनुषंगिक रूप से भी इन जहाजों में प्रयोग किये जाने वाले स्टील की प्लेट की मोटाई का प्रश्न उठाया और बताया कि अमरीका में वाणिज्यिक रूप से मछली पकड़ने के लिए मत्स्य जहाजों की लाभकारी कार्य अवधि 7 से 10 वर्ष तक समझी जाती है, क्योंकि नये तथा क्रमश: और आधुनिक डिजाइनों का निरन्तर विकास होता जा रहा है । अत: वाणिज्यिक रूप से मछली पकड़ने के लिए निर्मित किये जाने वाले जहाज तुलनात्मक रूप से कुछ हल्के होते हैं । भारत में निर्मित ट्रॉलरों को उन्होंने इन मानकों के आधार पर भारी बताया ।

(ख) और (ग) मामले की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल कर ली गई है । देश में निर्मित किये जाने वाले 50 फुटे मत्स्य जहाजों की आधे इंच (12.7 मीलीमीटर) की स्टील प्लेट नहीं है । जहाज के आवरण (ढांचे) में प्रयुक्त होने वाली लोहे की प्लेट 7 मीलीमीटर से 8 मीली-मीटर के मध्य तक की होती है । इस प्रकार के जहाजों के आवरण के विभिन्न खंडों की न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता 6 से 7 मीलीमीटर के मध्य तक होती है । न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता से अधिक मोटाई की स्टील की प्लेटों के उपयोग के कारण प्रति जहाज 16,000 रुपये अतिरिक्त लागत आती है । भारतीय जहाजों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली स्टील की सामान्यत: प्लेट डच डिजाइन के एक आदर्श जहाज पर प्रयुक्त की गई स्टील की प्लेट के अनुरूप है जो कि भारतीय समुद्र में गत दस वर्षों से संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है । पहले ही प्राप्त जहाजों पर किये गये परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि वे पूर्णत: कार्य निष्पादन विशिष्टियों के अनुरूप हैं, जिसमें खिचाव और गति भी सम्मिलित है । इन परिस्थितियों में तकनीकी जांच-पड़ताल के अभाव में निर्माण-कार्य को रोकने का कोई अवसर नहीं आया है ।

इस मामले के सभी पक्षों ने जिनमें उष्ण कटिबन्धीय परिस्थितियों में पतली स्टील की प्लेट के प्रयोग के तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण की विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करना भी सम्मिलित है, ताकि देश में निर्मित होने वाले जहाजों को जिन कार्यों में लगाया जाये तथा स्वामियों की आवश्यक-ताओं के अनुसार उपयुक्ततम विशिष्टियों को सुनिश्चित किया जा सके ।

बीड़ी कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू करने में विलम्ब

7332. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कर्मचारियों के उन संस्थापनाओं में बोनस अधिनियम लागू करने में विलम्ब हो रहा है जिनके पास 20 से अधिक कर्मचारी सीधे मालिक के अधीन अथवा उनके ठेकेदारों के अधीन हैं ;

(ख) दक्षिण कनाडा जिले में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जहां 20 से अधिक कर्मचारी हैं ; और

(ग) चूंकि बोनस अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है तो इसको सीधे अथवा राज्य सरकार के माध्यम से लागू करने में हुये विलम्ब को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 2 (5) (ii) के अधीन बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकारें 'उचित सरकारें' हैं और अपने दायित्वों को निभाना उनका काम है ।

आकाशवाणी में नेपाली तथा तिब्बती भाषाओं के लिए सुपरवाइजर

7333. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में नेपाली तथा तिब्बती भाषाओं के लिए ऐसे कुछ सुपरवाइजर नियुक्त किये गये हैं जो इन भाषाओं को भली भांति नहीं जानते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आकाशवाणी इन भाषाओं में निम्न श्रेणी के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन भाषाओं में सुपरवाइजरों की नियुक्ति करने पर पुर्नविचार करेगी ताकि नेपाल तथा तिब्बत के मूलक उचित व्यक्तियों को, जो कि इन भाषाओं से भलीभांति परिचित हों, इन पदों पर नियुक्त किये जायें और जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ न्याय किया जा सके ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आकाशवाणी श्रोताओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर तथा स्वयं कार्यक्रमों में सुधार करने का बराबर प्रयत्न करता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान में सोयाबीन की एक नई किस्म का विकास

7334. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान ने सोयाबीन की एक जल्दी बढ़ने वाली किस्म का विकास किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : जी हां। 'बनसेई' नाम की एक जापानी किस्म जल्दी पकने वाली सब्जी की किस्म है और भारत की उत्तरी पहाड़ियों में इसकी अच्छी पैदावार हुई है।

राज्यों को निःशुल्क रेडियो ट्रांजिस्टरों का आबंटन

7335. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्य सरकारों को निःशुल्क रेडियो ट्रांजिस्टरों की सप्लाई कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में मैसूर राज्य को कितने सेट सप्लाई किए गए ; और

(ग) प्रत्येक रेडियो ट्रांजिस्टर की कीमत कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1968-69 के दौरान राज्य सरकारों की सलाह से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करने वाले कुछ चुने हुए जिलों के ग्राम सेवकों को मुफ्त बांटने के लिए कम कीमत वाले लगभग 5000 रेडियो ट्रांजिस्टर सेट सप्लाई किए गए।

(ख) 470 सेट।

(ग) 90 रुपये 13 पैसे प्रति सेट; इसमें बैटरी पैक का मूल्य भी शामिल है।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा

7336. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी निगमित उपक्रमों में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कम से कम 5000 रुपये का अनिवार्य जीवन बीमा लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों को भी प्रीमियम का कुछ भाग देना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आने वाले और अपनी मजूरी के 8 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि का अंशदान देने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार है। इस योजना की रूपरेखा, "सामाजिक न्याय के साथ उन्नति की ओर" नामक विवरणिका में दी गई है, जिसे बजट कागजों के साथ संसदमें रख दिया गया है।

अमरीका तथा अन्य देशों को क्रिसमस की डाक भेजने में विलम्ब

7337. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में भारत से क्रिसमस की डाक भेजने के बावजूद समुद्री डाक से जाने वाली डाक में डाक अधिकारियों द्वारा की गई तिथि के अनुसार अमरीका तथा अन्य देशों में मार्च, 1970 में जाकर मिली ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का भविष्य में क्रिसमस की डाक के इतने अधिक विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका (और अन्य अमरीकी देशों को संयुक्त राज्य अमरीका के मार्ग से भेजी जाने वाली) 22 अक्तूबर, 1969 (डाक में डालने की अंतिम तारीख) तक डाली गई सभी डाक 1 नवम्बर, 1969 को भेजी जाने वाली डाक में शामिल कर ली गई थीं । कलकत्ता से संयुक्त राज्य अमरीका तक जहाज को पहुंचने में सामान्यत: 45 दिन का समय लगता है। गन्तव्य स्थान पर हुए किसी भी विलम्ब के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता तथा मद्रास के इमारती लकड़ी के डिपुओं में वन विभाग को हुई हानि

7338. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता तथा मद्रास के इमारती लकड़ी के डिपुओं में वन विभाग को अलग-अलग कितनी वार्षिक हानि हुई है;

(ख) इस हानि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) :(क)पिछले तीन वर्षों में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग ने कलकत्ता और मद्रास के इमारती लकड़ी डिपुओं पर निम्नलिखित हानि उठाई :—

	रुपये
कलकत्ता इमारती लकड़ी डिपो :	
1966-67	23,07,432.00
1967-68	31,24,634.00
1968-69	25,90,403.00
मद्रास इमारती लकड़ी डिपो :	
1966-67	7,87,745.00
1967-68	13,00,364.00
1968-69	11,51,751.00

(ख) निरन्तर हानि के मुख्य कारण ये हैं ।

(1) मैसर्स पी० सी० रे एण्ड कं०, भूतपूर्व लाईसेन्स से प्राप्त की जाने वाली बड़ी मात्रा में एकत्रित राशि के पंजीगत लेखे पर भारी ब्याज लगना ;

(2) व्यापार लेखे पर अव्यवहारिक रायल्टी लगाना ;

(3) श्रम और भण्डार की लागत में वृद्धि ;

(4) द्वीपसमूह से मुख्य भूमि के लिए अत्यधिक किराया भाड़ा ।

(ग) (1) क्योंकि इमारती लकड़ी की स्थानीय बिक्री अधिक मितव्ययी और लाभप्रद सिद्ध हो रही है, तीन प्लाईवुड फैक्ट्रीयां—एक दक्षिण अण्डमान में बम्बू फलेट में, और दो अन्य मध्य अण्डमान में—एक लौंग द्वीप में, दूसरी वकुलताला में हाल के वर्षों में ही लगाई गई है। इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप स्थानीय खपत काफी बढ़ गयी है और इस कारण इमारती लकड़ी बिक्री के लिए मुख्य भूमि को जहाज द्वारा भेजना कम हो गया है, परिणामतः भाड़े और रख-रखाव के व्यय में बचत हुई है ।

कलकत्ता डिपो को चीरी हुई इमारती लकड़ी का भेजना भी पूर्ण बन्द कर दिया गया है, और मद्रास के लिये कम कर दिया है क्योंकि चीरी हुई इमारती लकड़ी इन डिपोओं को भेजने के काठ्य रूप में भेजने की तुलना में बहुत अधिक हानि होती है ।

(2) वर्तमान लेखा प्रणाली इमारती लकड़ी के विभागीय निष्कासन पर अव्यवहारिक रायल्टी की दर लेखे में लेती है, जो मैसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी भूतपूर्व लाइसेन्सदार, उत्तरी अण्डमान लाइसेन्स के अधीन इमारती लकड़ी के निष्कासन के लिए रायल्टी के हिसाब पर आधारित है । इस में साथ ही साथ भूतपूर्व लाइसेन्सदार से प्राप्त की जाने वाली अधिक तीव्रता से बढ़ती हुई सूद की रकम भी शामिल है ।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए 1968 में भारत सरकार ने अण्डमान वन विभाग की कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए और लेखा प्रणाली के समुचित सुधार के लिये समुचित उपायों का सुझाव देने के लिए एक लागत लेखा अधिकारी की विशेष रूप से नियुक्त की । उसकी रिपोर्ट इस मन्त्रालय में प्राप्त हो चुकी है और लेखा परीक्षक के परामर्श से उत्पादन की ठीक-ठीक लागत बताने हेतु लेखा प्रणाली में तबदीलियां करने के विषय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में सहकारी समितियों की संख्या

7339. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) उसमें से कितनी सहकारी समितियां समाप्त हैं;

(ग) उन समितियों के समाप्त हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनको पुनर्जीवित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) 195.

(ख) 55.

(ग) प्रमुख कारण ये हैं—गैर-सरकारी नेतृत्व का अभाव, सदस्यों की अपर्याप्त रुचि, समितियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की अप्राप्यता और सहकारी समितियों से सम्बन्धित वर्तमान विधान में त्रुटियां ।

(घ) कर्मचारियों और गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है। जीवन-क्षम यूनिटें बनाने के लिये समितियों के पुनर्गठन का एक कार्यक्रम विचाराधीन है। सहकारी समितियों से सम्बन्धित विधान के छिद्रों को दूर करने का भी विचार है।

अंदमान वन विभाग 'ए' ग्रेड के मुन्शियों की वरिष्ठता सूची

7340. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की समझौता वार्ता में अन्दमान वन मजदूर संघ ने अन्दमान वन विभाग के 'ए' ग्रेड के मुंशियों की वरिष्ठता सूची में कुछ गलतियां बताई हैं;

(ख) 1947-63 की तथा 1 मई, 1963 में से 'ए' ग्रेड के मुंशियों की वरिष्ठता सूची में किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं;

(ग) क्या 1 मई, 1963 की पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची में एक मुन्शी का दर्जा बढ़ा दिया गया है; यदि हां, तो मुन्शी की नियुक्ति तिथि क्या है तथा उसे वरिष्ठ करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिसम्बर, 1963 में वनों में चीफ कन्जरवेटर ने उसका वरिष्ठता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया था; तथा नियुक्ति तिथि के आधार पर पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि संरक्षण

7341. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) प्राप्त उद्देश्य का स्वरूप क्या है; और

(ग) इससे होने वाले लाभ की तुलना में प्रशासन ने इस योजना पर कितना धन व्यय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के गत तीन वर्षों में भूमि संरक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण विषयक कार्य किया और उसमें भूमि संरक्षण के विभिन्न उपाय अपनाये गये। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न किस्मों की खेती तथा उद्यान फसलें उगाने का कार्य सम्भव हो सका है। एक केंद्रिक भूमि संरक्षण संगठन की स्थापना की गयी है और अंदमान तथा निकोबार भूमि सुधार विनियम की क्रियान्विति के लिये क्रियाविधि विषयक मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। चौथी योजना में भूमि संरक्षण कार्यों के विस्तार के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं।

पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि संरक्षण के लिये एक अलग एकक बनाई जा रही है।

(ग) 1967-68 और 1968-69 के दौरान भूमि संरक्षण कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये प्रशासन द्वारा क्रमश: 0.162 और 0.828 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। 1969-70 का प्रत्याशित व्यय 1.040 लाख रुपये था। प्रदर्शन कार्यक्रमों से अपरदन भूमि के उपचार तथा नकदी-फसलों की खेती से संतोषजनक परिणाम निकलने की रिपोर्ट मिली है। इन तकनीकों की चौथी योजना अवधि के दौरान उपयुक्तता अनुसार भूमि के वैज्ञानिक उपचार में उपयोग किये जाने की आशा है।

ईस्टर्न कोर्ट डाक घर, नई दिल्ली के पंजीकरण काउन्टर पर काम विलम्ब तथा दुर्व्यवहार

7342. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि ईस्टर्न कोर्ट डाक घर में जनता को पत्रों का पंजीकरण कराते समय दुर्व्यवहार तथा काम में विलम्ब का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या उच्च अधिकारियों के लिये ऐसे कोई आदेश हैं कि वे यह देखने के लिये अकस्मात जांच करें कि कर्मचारी अपने कार्य में लगे हुए हैं और जनता के प्रति उनका व्यवहार अच्छा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में डाक तथा तार विभाग के सभी कर्मचारियों के सभी स्तर के अधिकारियों की अकस्मात् जांच करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। इस तरह के किसी मामले की ओर इस विभाग का ध्यान नहीं दिलाया गया है, लेकिन अधिक भीड़ के समय कभी-कभार विलम्ब हो सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) इस तरह के आदेश पहले ही मौजूद हैं।

बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को 'छूट वाले वर्ग' के अंतर्गत टेलीफोन की मंजूरी

7343. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को "छूट वाले वर्ग" के अन्तर्गत दिये गये टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 2 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित सभी व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों का पूर्ण पाठ क्या है ;

(ख) क्या सरकार बम्बई टेलीफोन अधिकारियों को श्री हाजी मस्तान मिर्जा को दिये गये टेलीफोन को काटने के लिये कहेगी ;

(ग) क्या सरकार श्री हाजी मस्तान मिर्जा और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध टेलीफोन लेने के लिये जानबूझ कर सरकार को झूठा विवरण देने के आरोप में मुकदमा चलायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3293/70]

(ख) से (घ) टेलीफोन की मंजूरी टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह मामला समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा।

गाजीपुर में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य देना

7344. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में चीनी मिलें गन्ना पेरने के मौसम में गन्ने का क्या दाम दे रही हैं ;

(ख) क्या उत्पादकों को न्यूनतम भुगतान दिये बिना ही गन्ना देने के लिये बाध्य किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादकों को उचित दाम दिलाने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) गाजीपुर जिले में या आसपास कोई निर्वात-पात्र (वेक्यूम पेन) चीनी मिल नहीं है जो कि गाजीपुर जिले में उत्पादित गन्ना खरीद रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बड़े उत्पादकों द्वारा खुले बाजार में धान की बिक्री

7345. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अनेक राज्यों में बड़े उत्पादक धान का भारी स्टाक खुले बाजार में बेच रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार बड़े उत्पादकों के इस कार्य को पूर्व-नियोजित कार्य मानती है और इससे आने वाले वर्षों में खाद्यान्नों के बारे में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में बड़े उत्पादकों द्वारा धान का अत्यधिक स्टाक बेचने के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट खबर नहीं है। तथापि, देश की चुनी हुई 257 मन्डियों में आमद सम्बन्धी किए गए अध्ययन से प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मैसूर, पंजाब, तमिलनाडु और कुल मिलाकर सारे देश में मंडियों में धान की आमद अक्तूबर, 1969- मार्च, 1970 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा अधिक थी। जनवरी-मार्च, 1970 की तिमाही

के दौरान आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मैसूर में मन्डियों में धान की आमद गत वर्ष की अपेक्षा अधिक थी। लेकिन कुल मिला कर देश में कुछ कमी हुई है। धान की मंडियों में आमद में समूची बढ़ोतरी मुख्यत: 1968-69 की अपेक्षा 1969-70 में धान की पैदावार में प्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण हुई है और खाद्य स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने में विलम्ब

7346. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में पिछली बार टेलीफोन डायरेक्टरी कब प्रकाशित की गई थी ;

(ख) भविष्य में इसको कब प्रकाशित किया जायगा ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने-कितने समय के बाद टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रकाशित की गईं ;

(घ) क्या इस बार इस बारे में असाधारण विलम्ब हुआ है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1969 में।

(ख) जून, 1970 में यह प्रकाशित होनी चाहिए, परन्तु इसके प्रकाशन में विलम्ब होने की संभावना है ; विलम्ब कितना होगा, यह बात इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि इसके लिए विशेष कागज पेपर मिल्स से कब उपलब्ध होता है।

(ग) निर्देशिकाएं जुलाई, 1967, सितम्बर, 1968 और दिसम्बर, 1969 में प्रकाशित की गई थीं।

(घ) जी हां। पिछले संस्करण के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है। इसके विलम्ब का कारण यह है कि पेपर मिल्स से कागज उपलब्ध नहीं हुआ जिन्हें लेखन सामग्री के नियंत्रक ने महानिदेशक, संभरण और निपटान के दर संविदा के आधार पर आर्डर दिया था।

कागज उद्योग कागज की कीमत बढ़ाने का दावा करते रहे हैं और वे यह कहते हैं कि 1969 के दौरान कम ग्राम वाले कागज का उत्पादन बहुत कम हुआ। कागज की सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाने के बारे में इस समस्या पर कागज उद्योग और औद्योगिक विकास विभाग की संयुक्त समिति विचार कर रही है।

Promised Radio Station For Amravati

7347. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five years ago, Shrimati Indira Gandhi had given an assurance in her capacity as Minister of Information and Broadcasting that a Radio Station would be set up in Amravati town (Vidarbha region of the state of Maharashtra) during Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the difficulties in the way of implementing the said assurance ;

(c) whether Government propose to set up a Radio Station in Amravati along with Aurangabad, Sholapur and Jalgaon in the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujrat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Amravati and the surrounding area have adequate broadcast coverage.

Introduction of Emprodees Provident Fund Scheme in Cotton Ginning and Bating Industry in Maharashtra

7348. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently Government of Maharashtra have approached Central Government to introduce Provident Fund Scheme in respect of the workers engaged on ginning (removing cotton seeds from cotton) and baling ; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ;

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) The matter is being examined in consultation with the interests concerned.

वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण को पुन: प्रयोग में लाना

7349. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण को पुन: प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं क्योंकि इससे मूल्य ढांचा मूँगफली के उत्पादन के अनुसार कार्य करेगा और इसका विस्तार उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार होगा ;

(ख) इस स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था में जो 1963 से 1968 तक प्रचलित रही, क्या दोष पाये गये थे ;

(ग) चूंकि सोयाबीन तेल की मांग है अतएव सुरक्षित भंडार को न बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) चूने के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता बंद किए जाने के क्या कारण हैं, क्या ऐसा इसलिये किया गया था क्योंकि पहले से ही राजकीय सहायता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों ने चूने का उत्पादन आरम्भ कर दिया था ; तथा फली को इसके द्वारा निश्चित लाभ मिलने को दृष्टि में रखते हुए नए क्षेत्रों में राजकीय सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) वनस्पति के मूल्य निर्धारण के लिए 6 सितम्बर, 1968 से पूर्व चल रही स्वैच्छिक नियन्त्रण प्रणाली और इसके बाद सांविधिक नियन्त्रण प्रणाली के अधीन अपनायी गयी कार्यविधियां एक जैसी ही हैं। सांविधिक नियन्त्रण प्रणाली का एक लाभ यह है कि नियन्त्रित मूल्य कानून के अधीन प्रवर्त्तनीय होते हैं।

(ग) चालू तथा प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए यथासम्भव सोयाबीन के तेल का आयात करने की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) राजसहायता के रूप में चूना वितरण करने की योजना बन्द नहीं की गयी है लेकिन राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गयी है। राज्य सरकारें इस योजना को नये क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र में शुरू करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

News Item in 'Current' Captioned "Indian Government. Agency or Commie Front

7350. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Commrnications** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been invited to the news captioned "Indian Government Agency or Commie Front" publised in the "Current" dated the 4th April, 1970 ; and

(b) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcastiug and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Government, as part of their endeavour to encourage the growth of a healthy and free press, render all reasonable facilities to Indian News Agencies, including the Samachar Bharati. The Samachar Bharati is a multilingual news agency run on the lines of other similar organisations. The Samachar Bharati has made arrangements with CETEKH, TANJUG and ADN news agencies on a basis of exchange of news free of charges. Inquiries made regarding the news that Samachar Bharati receive the part-time assistance of All India Radio's monitoring staff, show that the allegation has no basis. According to a letter dated the 20th April, 1970 signed by the Secretary, Samachar Bharati there is no collaboration agreement with the East German News Agency. That letter also states that the figures of Thare subscription are correct and no teleprinters have been mortgaged by the news agency with any bank. There is an overdraft up to a limit of rupees one lakh with a bank.

आकाशवाणी में क्लर्क ग्रेड में रिक्त पदों की संख्या

7351. **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री गणेश घोष :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में क्लर्क ग्रेड एक/क्लर्क ग्रेड दो के बड़ी संख्या में स्थायी पद काफी समय से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 से वर्षवार क्लर्क ग्रेड एक/क्लर्क ग्रेड दो के कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं और उन्हें इतने लम्बे अर्से तक रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने की दिशा में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के लिए डाक तार, सिविल विंग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पात्रता

7352. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री प० गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महा प्रबन्धक टेलीफोन तथा अन्य प्रशासकीय कार्यालयों जैसे डाक तार कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के लिए अर्हतादायक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या यह सुविधा डाक तथा तार सिविल विंग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी दी जा रही है जो कि अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर उक्त परीक्षा में बैठ सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार अवर श्रेणी लिपिक अथवा टी एस टी पदों पर पदोन्नत किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रस्ताव को कब कार्यान्वित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस मामले में डाक-तार विभाग के सिविल विंग में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अपनाई गई कार्यविधि का पालन किया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत सीधी भरती से जिसमें समान अर्हता वाले सिविल विंग के विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी पात्र हैं।

(ङ) सिविल विंग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सिविल विंग में श्रेणी III के क्लर्कों के संवर्ग में पदोन्नति की अर्हता परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के मामले की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी में विभागीय पदोन्नतियां

7353. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माईल : **श्री उमानाथ :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में अक्तूबर, 1966 से दिसम्बर, 1969 तक सीनियर मैकैनिकों, प्रोग्राम प्रोड्यूसर, आर्टिस्टों, क्लर्क ग्रेड एक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग की कितनी-कितनी बार विभागीय पदोन्नतियां की गईं; और

(ख) उक्त अवधि में आकाशवाणी के श्रेणी दो तथा श्रेणी एक के राजपत्रित अधिकारियों में से कितने व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति मिली ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी के एनाउन्सर

7354. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री के० रमानी :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-ए श्रेणी के नगरों में नियुक्त आकाशवाणी के एनाउन्सरों को एक श्रेणी के नगरों में नियुक्त एनाउन्सरों की अपेक्षा मौलिक उपलब्धियों के रूप में बहुत कम राशि दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता का क्या कारण है और क्या उन स्थानों पर नियमित सरकारी कर्मचारियों के मामलों में भी यह विषमता विद्यमान है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-ए श्रेणी के नगरों के केन्द्रों के एनाउन्सरों को कम वेतन निर्धारित किया गया था, क्योंकि इन केन्द्रों से की जाने वाली घोषणाओं की संख्या 'ए' श्रेणी के नगरों के केन्द्रों से की जाने वाली घोषणाओं की संख्या से कम होती है । ए श्रेणी/गैर-ए श्रेणी के नगरों में नियुक्त नियमित सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला काम एक ही प्रकार का होता है, अतः उनके वेतनमानों में कोई अन्तर नहीं है । प्रस्तावित वेतन आयोग संभवतया एनाउन्सरों के वेतनमानों में विषमता को दूर करने के प्रश्न पर विचार करे ।

मुख्य प्रोड्यूसरों (क्षेत्रीय कार्यक्रम) की नियुक्तियां

7355. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कितने मुख्य प्रोड्यूसर भारत की सभी भाषाओं के प्रसारणों की देखरेख कर रहे हैं और कितने केवल क्षेत्रीय कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे हैं;

(ख) कितने क्षेत्रीय कार्यक्रम मुख्य प्रोड्यूसर क्षेत्रीय केन्द्रों में नियुक्त हैं और उसी वर्ग वाले कितने व्यक्ति मुख्यालय में नियुक्त हैं; और

(ग) क्या इन क्षेत्रीय मुख्य प्रोड्यूसरों को मुख्यालय में रखने में कोई औचित्य है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) आकाशवाणी के मुख्य प्रोड्यूसर एक अथवा अधिक भाषाओं के कार्यक्रमों की देखरेख नहीं करते । उन्हें भारत भर में संगीत, नाटक, विविध भारती सेवाओं आदि की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है । आकाशवाणी में केवल दो मुख्य प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें विशिष्ट रूप से

एक भाषा के कार्यक्रम की देखरेख करनी होती है—अर्थात् मुख्य प्रोड्यूसर अंग्रेजी (फीचर्ज) तथा मुख्य प्रोड्यूसर हिन्दी (फीचर्ज)। इन्हें मुख्यालय में तैनात किया गया है, क्योंकि भारत भर में प्रसारण हेतु रूपकों की योजना बनाने और उन्हें तैयार करने के अतिरिक्त, वे आकाशवाणी के केन्द्रों को उनकी कार्यक्रम योजनाओं और निर्माण के बारे में सलाह देते हैं।

बर्ड एण्ड कम्पनी की अवलगारिया, धनबाद (बिहार) में भागाबांध कोयला खान की पर्त (सीम) संख्या 18 में भ्रष्टाचार

7356. **श्री भगवान दास : श्री मुहम्मद इस्माईल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्ड एण्ड कम्पनी की अवलगारिया, धनबाद (बिहार) में भागाबांध कोयला खान की पर्त (सीम) संख्या 18 का संचालन वास्तव में एक ठेकेदार करता है, जिसे कम्पनी एक पर्यवेक्षक के रूप में दिखाती है;

(ख) क्या कोयला खान में काम करने वाले सभी मजदूर अभी तक अस्थायी हैं;

(ग) क्या मजदूरों को कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिश से आधी मजूरी दी जाती है जबकि मजदूरों से जबरदस्ती से पूरी राशि के भुगतान के हस्ताक्षर कराये जाते हैं;

(घ) क्या अक्तूबर, 1969 में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को जब वह भुगतान का निरीक्षण कर रहे थे, चार बार परेशान किया गया था;

(ङ) क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केवल एक बार ही पूरे भुगतान का प्रबन्ध करा सके; और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बाद में वह भी प्रबन्धकों द्वारा वापिस ले लिया गया था; और

(च) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा इसके अनुसमर्थन हेतु कार्यवाही करेगी?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बोलागीर (उड़ीसा) में डिवीजनल डाक अधीक्षक के कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करना

7357. **(श्री रा० रा० सिंहदेव)** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोलागीर स्थित डिवीजनल डाक अधीक्षक के कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्तमान भवन के अब तक के किराये का भुगतान किया जा चुका है; यदि नहीं, तो कितना भुगतान किया जा चुका है और पट्टे का समझौता क्या था;

(ग) क्या किराये का भुगतान बिल्कुल नहीं किया गया ताकि मालिक खाली करने का नोटिस दे और कार्यालय को नये स्थान पर ले जाया जा सके;

(घ) स्थान बदलने का सुझाव देने और नये स्थान चुनने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है; और

(ङ) क्या भवन के निर्माण में विलम्ब के कारण स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने अनुमति वापिस ले ली थी; और यदि हां, तो क्या इस विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और क्या किसी अन्य स्थान के लिये आवेदन दे दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एक प्रस्ताव था परन्तु इसे स्थगित कर दिया गया है।

(ख) चूंकि मालिक मकान के साथ कोई किरायानामा निष्पादित नहीं हुआ, इसलिए अभी तक कोई किराया अदा नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं। अदायगी न करना मालिक मकान की भवन खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने को उकसाना नहीं है।

(घ) बलनगीर के डाकघर अधीक्षक ने यह सुझाव दिया था कि दोनों ही कार्यालयों को, अर्थात् प्रधान डाकघर और मंडल अधीक्षक का कार्यालय, स्थानान्तरित कर दिया जाए। चूंकि दोनों कार्यालयों के लिए उचित स्थान नहीं मिला, मंडल कार्यालय को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।

(ङ) मंडल कार्यालय और प्रधान डाकघर, दोनों कार्यालयों का भवन निर्माण करने के लिए सरकारी भूमि का जो सर्वोचित स्थान चुना गया था उसको अन्तिम रूप में इस विभाग को अलाट करने से पहले ही बलनगीर के कलेक्टर ने रद्द कर दिया। मामले पर पुनर्विचार करने के लिए इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया है। इस मामले में किसी पर जिम्मेदारी डालने की बात नहीं आती।

बोलागीर (उड़ीसा) के स्थानीय डाकघर को एक अन्य गैर-सरकारी भवन में स्थानान्तरित करना

7358. **श्री रा० रा० सिंहदेव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बोलागीर के स्थानीय डाकघर को उसी नगर में एक अन्य गैर-सरकारी भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान भवन का इस समय कितना किराया दिया जा रहा है और डाकघर के लिये प्रस्तावित नये भवन के लिए किराए का अनुमान कितना है ?

(ग) क्या मुख्य डाकघर के लिये अपना स्थायी भवन बनाने के लिये स्थान चयन समिति ने एक स्थान चुना था; और

(घ) यदि हां, तो उसके निर्माण को आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। प्रधान डाकघर को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ख) मौजूदा भवन के लिए 500 रुपये प्रतिमास किराया अदा किया जाता है और प्रस्ता-

वित भवन के लिए 1,000 रुपये प्रतिमास किराया देना होगा। प्रस्तावित भवन में ज्यादा स्थान उपलब्ध है। मौजूदा भवन की हालत खस्ता है और इसमें दरार आ गई है जिसके कारण यह सुर-क्षित नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जमीन के जिस प्लाट पर प्रधान डाकघर के भवन के निर्माण का प्रस्ताव था, बाद में बलनगीर के समाहर्त्ता ने उसकी अलाटमेंट रद्द कर दी और इसे बलनगीर के स्टेट बैंक आफ इंडिया को अलाट कर दिया। इस मामले पर राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। उनसे जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

आरालम फारम में सिंचाई कार्यक्रम के लिये जांच सर्वेक्षण

7359. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री प० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरालम फारम में सिंचाई कार्यक्रम के लिये जांच सर्वेक्षण को हाल ही में बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो आरालम फारम की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Demand of Telephone for Kantafod (Madhya Pradesh)

7360. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the residents of Kantafod (Madhya Pradesh) have demanded that telephone service may be provided to them also ;

(b) if so, the time by which the said service is likely to be provided ; and

(c) if it is not likely to be provided, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh.) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

(c) Question does not arise.

सहकारी समितियों के प्रबन्धक निकायों में अपने परिवारों के सदस्यों को लाकर समितियों का दुरुपयोग किया जाना

7361. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सहकारी समितियों के प्रबन्धक निकायों में अपने परिवारों के

सदस्यों को लाकर उन सहकारी समितियों का दुरुपयोग किये जाने के तथ्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों / नियमों में यह उपबन्ध है कि समिति का पंजीकरण कराने के लिये यह जरूरी है कि समिति के पंजीकरण के लिये जितने व्यक्ति अपेक्षित होते हैं वे विभिन्न परिवारों से सम्बन्धित हों । सहकारी समितियों का दुरुपयोग रोकने के लिए अन्य प्रतिबन्ध ये हैं--समितियों की खुली सदस्यता लागू करना, पदधारियों के कार्यकाल का परिसीमन करना, कमजोर वर्गों के लिये प्रबन्ध मण्डलों में जगहों का आरक्षण करना और पदधारियों को दिये जाने वाले ऋणों का व्यवस्थापन । कुछ सहकारी समिति अधिनियमों / नियमों में यह भी उपबन्ध है कि समिति के वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी समिति के प्रबन्ध मण्डल के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है ।

1968 में हुये मुख्य मंत्रियों और राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में सहकारी समितियों में कदाचारों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं । राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की है । कार्यान्वियन में होने वाली प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ।

पुनर्वास विभाग के मुख्य सैटलमेंट आयुक्त के कार्यालय में फालतू दफ्तरी

7362. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों पर पुनर्वास विभाग के मुख्य सैटलमेंट आयुक्त के कार्यालय के 15 दफ्तरियों को मार्च, 1968 में फालतू घोषित कर दिया गया था और उनको वैकल्पित तथा समान स्तर की नौकरी नहीं दी गई थी जैसा कि नियमों में लिखित है और उनकी सहमति के बिना ही उनको चपरासी के निम्न पदों पर रोजगार में ले लिया गया था जबकि उन्होंने 10 वर्ष तक दफ्तरी के पद पर लगातार सेवा की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा उसी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार श्रेणी 3 के जिन कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया था, उन सबको अन्य विभागों में वैकल्पिक तथा समान स्तर की नौकरी में लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा भेद-भाव क्यों किया गया है और उन निर्धन कर्मचारियों को हुई हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों के आधार पर मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय के जिन 15 स्थानापन्न दफ्तरियों को फालतू घोषित किया गया था उन्हें अन्य कार्यालयों

में रिक्तियों के अभाव के कारण, फालतू घोषित किये जाने की तिथि से 6 मास की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वैकल्पिक पदों में नहीं खपाया जा सका । इसलिये, नियमों के अधीन, उन्हें उनके चपरासी के अर्ध स्थायी निम्न पदों में प्रत्यावर्तित करना पड़ा था । इन नियमों में, फालतू स्थानापन्न कर्मचारियों को उन निम्न पदों में, जिनमें कि उन्हें खपाया गया था, प्रत्यावर्तित करते समय उनकी सहमति लेने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को वैकल्पिक पद प्राप्त हो गये थे क्योंकि उनको खपाने के लिये अन्य कार्यालयों में रिक्तियां उपलब्ध थीं । इस प्रकार दफ्तरियों के मामले में भेद-भाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Bungling in General Post Office of Uttar Kashi.

7363. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1785 on the 5th March, 1970 and state :

(a) whether the enquiry in regard to the bungling in General Post Office, Uttar Kashi has since been completed ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Mails including express delivery letters are generally received and delivered daily according to the scheduled timings of the Mail Motor service except on a few occasions created by natural calamities, such as, breaches, land slides or snowfall when there may be some delay. The telegrams and telephone calls are also booked and accepted during and after normal working hours as per departmental rules on the prescribed rates.

All sorts of postal facilities which could possibly be extended, are available at Uttar Kashi P. O.

(c) Does not arise.

Issue of Commemorative Stamps in Memory of Dr. Ram Manohar Lohia, Jatindra Nath Das and Udham Singh

7364. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue postal stamps in memory of Dr. Ram Manohar Lohia, Jatindra Nath Das and Udham Singh ;

(b) if so, the time by which they are likely to be issued ; and

(c) whether it is a fact that discrimination is made in issuing of the commemorative stamps ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b) The proposals for the issue of stamps in memory of Dr. Ram Manohar Lohia, Jatindra Nath Das and Udham Singh were duly considered by the Philatelic Advisory Committee in its meeting held on 17-2-1968, 29-10 1968 and 12-12-1966 respectively, but they did not recommend the proposals. However, as the prescribed two year period is over, the proposals will again be placed before the Committee.

(c) No; all proposals are considered by the Philatelic Advisory Committee, which is predominantly a non-official Committee, including only five official members out of a total membership of 24. The Committee takes into consideration all relevant factors including the capacity of the India Security Press before making their recommendations.

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे के निर्माण के बारे में अपने पहले के वक्तव्यों का खण्डन करते हुये रेलवे मंत्री द्वारा 11 अप्रैल, 1970 को कलकत्ता में की गई कथित घोषणा"

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : 11 अप्रैल को कलकत्ता में मैंने कहा था कि कलकत्ता में 'सर्कुलर रेलवे' बनाने के बारे में कभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है और इसलिए इस तरह के पहले किये गये किसी विनिश्चय से मुकरने का प्रश्न नहीं उठता। पिछले दिन मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं कलकत्ता क्षेत्र में महानगर परिवहन की समस्या का अध्ययन करूंगा और इस समस्या के समाधान के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। जहां तक दमदम-प्रिंसेप घाट उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि इसके रास्ते में कुछ कठिनाइयां और समस्याएं हैं जिन्हें हल करने में काफी समय लग सकता है। इनमें से कुछ विषयों की चर्चा पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गयी थी जिसके आधार पर अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था और कुछ अन्य बातों का पता उस समय चला जब इस लाइन के बारे में आगे छान-बीन का काम शुरू किया गया। मैंने ये अनुदेश दिये हैं कि इन प्रश्नों का शीघ्र निबटारा किया जाये और अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण सम्बन्धी काम को तेज किया जाये और इसे शीघ्र पूरा किया जाये।

कलकत्ता में मैंने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को बड़े निकट से देखा। 1956 से अब तक की सभी रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि दमदम से कालीघाट तक उत्तर-दक्षिणी और सियालदह से हवड़ा तक पूर्व-पश्चिमी इन दो गलियारों के आधार पर व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप से सब एकमत हैं। नगर की परिवहन सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अत्यधिक प्रभावी उपाय मालूम पड़ता है। इंजीनियरों और सर्वेक्षण के काम में लगे अन्य व्यक्तियों से विचार-विमर्श करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि इस योजना को अमल में लाने में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं हैं जिनका पार न पाया जा सके। मैंने उनसे कहा है कि वे अपने अध्ययन के काम में तेजी लायें और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें।

मैं इस विषय से सम्बन्धित एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं।

कलकत्ता में महानगर परिवहन की समस्याओं पर बहस के दौरान सर्कुलर रेलवे, उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन, व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली और ट्यूब रेलवे या भूगत रेलवे की बात कही गयी

है । इस उद्देश्य से कि मेरे बयान से कोई गलतफहमी न हो, मैं इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

कलकत्ता के लिए एक सर्कुलर रेलवे की संकल्पना टर्मिनल सुविधा समिति की रिपोर्ट से हुआ। यह समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा 1947 में, मुख्यतः कलकत्ता क्षेत्र में रेल टर्मिनल पर यात्रियों और माल यातायात के लिए अपेक्षित एवम् उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने तथा अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए बनायी गयी थी । समिति ने यह सुझाव दिया की बाग-बाजार और पजेरहाट के बीच के क्षेत्र में एक उन्नत और ढलान से अलग लाइन निकाली जाये और दमदम जंक्शन स्टेशन और काकुरगाछी जं० केबिल के बीच वर्तमान मुख्य लाइन, बालीगंज और मजेरहाट स्टेशनों के बीच काकुरगाछी कार्ड माल लाइन और बजबज शाखा लाइन पर सर्कुलर संचलन को पूरा किया जाये ।

1948 के अन्त में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता की महानगर परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के सम्बंध में परामर्श देने के लिए फ्रेंच मेंट्रो कम्पनी को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया । उनसे कहा गया था कि वे कलकत्ता में महानगर रेलवे के निर्माण से सम्बन्धित सभी पहलुओं के बारे में सलाह दें । उनसे यह भी कहा गया था कि वे टर्मिनल सुविधा समिति द्वारा प्रस्तावित सर्कुलर रेलवे के सम्बन्ध में अपनी राय दें । फ्रेंच मेट्रो कम्पनी के विशेषज्ञों ने अक्टूबर, 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की । उन्होंने व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए एक भूगत रेलवे के निर्माण की सिफारिश की। सर्कुलर रेलवे के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने कहा था :—

"कलकत्ता के व्यापारिक केन्द्र में किसी ऐसे स्थान पर एक टर्मिनस स्टेशन का निर्माण, जहां उपनगरीय और बाहरी उपनगरीय यातायात अभिसृत हो, एक काल्पनिक विचार जान पड़ता है।"

इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी खण्डों से यात्रियों को सारे नगर का चक्कर लगाते हुए फेयर्ली प्लेस तक जाने में परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । जिस रेल-पथ पर माल यातायात ढोया जायेगा, उसी पर उपनगरीय यातायात की ढुलाई करने से समय की बर्बादी होगी और अनिवार्य रूप से जोखिम बना रहेगा ।

"जितना सौंदर्य की दृष्टि से उतना ही तकनीकी कारणों से भी हुगली नदी की समूची लम्बाई में 21 फुट ऊँचे एक निचले पाटन पुल के निर्माण के बारे में विचार करना सम्भव नहीं जान पड़ता।"

"इस तरह मैदान के साथ-साथ और फिर स्टैंड रोड के साथ-साथ एक ऐसी विशाल रचना खड़ी हो जायेगी, जिससे नदी का दृश्य अवरुद्ध हो जायेगा और इस प्रकार एक ऐसा भू-दृश्य नष्ट हो जायेगा जो कलकत्ता की उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक है ।"

1953 की "एस० एन० राय समिति" और 1956 की "सारंगपाणि समिति" ने सर्कुलर रेलवे के प्रस्ताव का समर्थन किया था । "एस० एन० राय समिति" सर्कुलर रेलवे के प्रस्ताव की समीक्षा करने के विशिष्ट प्रयोजन और "सारंगपाणि समिति" सियालदह और हवड़ा क्षेत्रों में रेलों के बिजली-करण के प्रश्न का अध्ययन करने के उद्देश्य से बनाई गयी थी । लेकिन लंदन परिवहन बोर्ड के पाल ई० गार्बेट और बिलबर स्मिथ एण्ड एसोसिएट्स के गेराल्ड एच० फ्रीलिंग जैसे परामर्शदाताओं ने, जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कर रखा था, नगर की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के सन्तोषजनक समाधान के रूप में

सर्कुलर रेलवे की सिफारिश नहीं की । उनका विचार था कि कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का एकमात्र सन्तोषजनक समाधान वहां पर व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने में है ।

पोर्ट कमिश्नरों और रेल प्रशासनों को परियोजना के कुछ पहलू स्वीकार्य नहीं थे । पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर 'सर्कुलर रेलवे' बनाने के प्रश्न की संयुक्त रूप से समीक्षा करने का काम 1964 में पोर्ट कमिश्नरों, कलकत्ता महानगर योजना संगठन और रेल-प्रशासनों को सौंपा गया था । इस समीक्षा के फलस्वरूप यह परियोजना स्वीकार नहीं की गयी ।

रेल-प्रशासनों ने पहले 1965 में योजना आयोग के साथ 'सर्कुलर रेलवे' बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था और यह विनिश्चय किया कि योजना आयोग में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाये जो परियोजना की आवश्यकता, व्यावहारिकता और उसके वित्तीय फलितार्थों की जांच करे । 23 सितम्बर, 1965 को लोक सभा में तत्कालीन मंत्री श्री एस० के० पाटिल ने एक बयान दिया था जिसमें इस प्रयोजन के लिए 'महानगर परिवहन दल' के गठन की घोषणा की गयी थी । इस दल को कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में महानगर परिवहन के सम्पूर्ण प्रश्न का भी अध्ययन करना था ।

योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने कलकत्ता परिवहन की समस्याओं को दो भागों में बांटा । एक तो हवड़ा और सियालदह के उपनगरीय स्टेशनों पर भारी संख्या में पहुंचने वाले यात्रियों को उनके कार्यालयों को पहुंचाना और दूसरी यह कि अन्तरनगरीय यातायात के परिवहन के लिए साधनों की व्यवस्था करना । उपनगरीय यातायात के विसर्जन के लिए दल ने सिफारिश की थी कि एक 'उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन' बनायी जाये । उन्होंने अन्तरनगरीय यातायात के लिए पूर्व-पश्चिमी और उत्तर-दक्षिणी गलियारों सहित व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की सिफारिश की थी । महानगर परिवहन दल ने 'सर्कुलर रेलवे' बनाने की सिफारिश नहीं की जैसा कि "टर्मिनल सुविधा समिति" (1947) ने प्रस्ताव रखा था । "उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन" जिसका कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था वह दमदम जंकशन से निकल कर कट "कनाल" और हुगली के किनारों के समानान्तर होती हुई प्रिंसेप घाट तक पहुंचती । "उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन" बनाने का काम, "सर्कुलर रेलवे" जिसका कि प्रारम्भ में बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, का एक भाग है । शायद इसी कारण से "उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन" को कभी-कभी मोटे तौर पर सर्कुलर रेलवे कहा जाता है, जो गलत है । इससे यह स्पष्ट होगा कि '"सर्कुलर रेलवे" बनाने का निर्णय कभी नहीं किया गया था और इसलिए रेल मंत्रालय का अपने पूर्व विनिश्चय से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

"महानगर परिवहन दल" ने अपनी पहली "अन्तरिम रिपोर्ट" मई, 1967 में पेश की थी जिसमें उसने यह सिफारिश की थी कि "उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन" का प्रारम्भिक व्यावहारिकता अध्ययन किया जाये । इसका सर्वेक्षण करने के लिये जून, 1967 में रेलवे के एक इंजीनियर की सेवाएं महानगर परिवहन दल को उपलब्ध की गयीं । महानगर परिवहन दल को यह सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1968 में पेश की गयी थी ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण से पता लगा कि "उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन" तकनीकी रूप से व्यावहारिक है । फिर भी, इस सर्वेक्षण से पता चला कि अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू थे जिनका अध्ययन सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध समय के अन्दर पूरी तरह से नहीं किया जा सकता था । इन मदों पर अलग से अध्ययन करता था । पोर्ट कमिश्नरों को आशंका थी कि लट्ठों की नींव तथा रेल गाड़ियों

की कम्पनी से हुगली के बायें किनारे की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। प्रस्तावित मार्ग निर्धारण की ढालें इतनी खड़ी थीं कि उपनगरीय गाड़ियों को, जो इस समय सियालदह और हवड़ा मंडलों में चल रही हैं, दमदम से प्रिंसेप घाट तक नई लाइन पर चलाने के लिए, आगे बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है। दमदम यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के लिए निर्मित इलाकों के अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी। ये और बहुत से अन्य पहलू छोड़ दिये गये थे ताकि बाद में विस्तृत छानबीन के समय उनका अध्ययन किया जा सके।

उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण दिसम्बर, 1968 में ही पूरा हुआ। इस प्रकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट की सामान्य तौर पर विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय रेलवे और उसके बाद रेलवे बोर्ड में छानबीन की जाती है। सामान्यतः इस प्रकार की विस्तृत छानबीन के पश्चात् ही, जिसके पूरा करने में स्वाभाविक रूप में कुछ समय लगता है, अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण के सम्बंध में विनिश्चय किये जाते हैं। फिर भी, कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी समस्या का समाधान निकालने के मामले को दी गयी विशेष अविलम्बता और महत्ता को ध्यान में रखते हुये, 1969 के प्रारम्भ में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन के अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण को मार्च, 1969 में संसद् को पेश किये गये, रेलवे के 1969-70 के बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाये।

कलकत्ता में, महानगर रेल परिवहन संगठन के लिए मुख्य प्रशासी अधिकारी को अगस्त, 1969 के प्रारम्भ मे नियुक्त कर दिया गया जिन्होंने उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन के अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण, विस्तृत अभिकल्प और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। इस काम के अप्रैल, 1971 तक पूरा होने की आशा है।

कलकत्ता का रेलवे महानगर परिवहन संगठन, नगर के व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के सम्बंध में तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन के काम में भी लगा है। फ्रेंच मेट्रो के विशेषज्ञों द्वारा, जो कि पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किये गये थे, कलकत्ता के लिए एक व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की आवश्यकता का संकेत 1949 में दिया गया था। उन्होंने कुल 16.8 किलोमीटर लम्बी दो गलियारेदार वाली पूर्व-पश्चिमी गलियारा सियालदह को हवड़ा से मिलाने वाली और उत्तर-दक्षिणी गलियारा पैकापाढ़ा से कालीघाट तक जाने वाली एक भूगत रेलवे प्रणाली की सिफारिश की थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि समूची योजना पर 47.20 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। पूर्व-पश्चिमी लाइन के निर्माण में लगने वाले समय को 35 महीने और उत्तर-दक्षिणी लाइन के समय को 29 महीने बताया गया था। दूसरे परामर्शदाताओं, जैसे विलबर स्मिथ एण्ड एसोसिएट्स और लन्दन ट्रांसपोर्ट बोर्ड, जिन्हें पश्चिम बंगाल ने नियुक्त किया था, ने भी नगर के लिए एक बिल्कुल अलग व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की सिफारिश की थी। कलकत्ता महानगर योजना संगठन भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि नगर की परिवहन समस्या एक व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था करके ही प्रभावशाली ढंग से हल की जा सकती है। महानगर परिवहन दल ने दैनिक यात्रियों के परिवहन के लिए उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन की सिफारिश करते समय स्पष्ट रूप से बताया था कि यह लाइन व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली का स्थान नहीं ले सकती। जिन दो गलियारों पर व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिये उनके बारे में

सिफारिशें करते समय विदेशी परामर्शदाता और भारतीय अध्ययन दल, जैसे कलकत्ता महानगर योजना संगठन तथा महानगर परिवहन दल एकमत थे।

अगस्त, 1969 में रेलवे के महानगर परिवहन संगठन के स्थापित होने के समय से लेकर उसने जो समवर्ती अध्ययन किया उससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो उन्होंने 1970 के शुरू में रेलवे बोर्ड को दे दी। यह पता चला था कि 'उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन' के निर्माण की व्यावहारिकता है या नहीं। इसका निर्णय करने से पहले बहुत सी महत्वपूर्ण तकनीकी समस्याओं को हल करना बाकी था। इसमें अन्तर्ग्रस्त समस्याएं इतनी जटिल थीं कि इन्हें सुलझाने के लिए विदेशी परामर्शदाताओं की सहायता लेना वांछनीय समझा गया। व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली पर जो अध्ययन किया गया उससे यह पता चला कि रियायती भाड़े पर चलने वाले दैनिक यात्रियों को सियालदह और हवड़ा से केन्द्रीय व्यापारिक जिलों को ले जाने में 'उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन' की अपेक्षा सियालदह को हवड़ा के साथ जोड़ने वाली भूगत लाइन कहीं अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा, इस प्रकार की लाइन पूर्वी-पश्चिमी गलियारे में अंतरनगरीय यातायात की जरूरत को भी पूरा करेगी।

इस वर्ष फरवरी के शुरू में इन दृष्टिकोणों पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बात का औचित्य और आवश्यकता है कि पूर्वी-पश्चिमी गलियारे के साथ व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली सम्बन्धी काम के स्तर को ऊंचा किया जाना चाहिये। अर्थात्, तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन की जगह इसका विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और और जांच की जानी चाहिये। यदि अन्ततोगत्वा यह पता चले कि 'उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन' तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है या तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चले कि भूगत रेलवे लाइन का कार्य-संचालन तकनीकी और किफायत की दृष्टि से उपनगरीय डिस्पर्सल लाईन की तुलना में अधिक अनुकूल है तो इससे सियालदह और हवड़ा के बीच भूगत रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अविलम्ब शुरू करने के बारे में विचार करना संभव होता। योजना आयोग ने रेलवे के इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट की थी कि पूर्वी-पश्चिमी के गलियारे में अध्ययन कार्य का स्तर ऊंचा किया जाये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि दक्षिणी क्षेत्र में उत्तरी-दक्षिणी गलियारे के लिए भी- साथ ही साथ अध्ययन का स्तर ऊंचा किया जाना चाहिए।

ऐसी स्थिति होने पर मैंने 10,11 अप्रैल,1970 दो कलकत्ते का दौरा किया और वहां मैंने प्रस्तावित 'उपनगरीय डिस्पर्सला लाइन' के स्थान निर्धारण और व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिमी गलियारों का भी निरीक्षण किया।

मैंने कलकत्ता महानगर योजना संगठन के अधिकारियों और उनके परामर्शदाताओं, फोर्ड फाउ-न्डेशन से विचार-विमर्श किया। मैंने कलकत्ता के रेलवे महानगर परिवहन संगठन के मुख्य प्रशासी अधिकारियों और नगर में स्थित मुख्यालय वाली दो क्षेत्रिय रेलों के महा प्रबन्धकों से भी विचार विमर्श किया। इन निरीक्षणों और विमर्शों के बाद मैं इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा कि कलकत्ता की परिवहन समस्या का प्रभावी और सन्तोषजनक हल निकालने के हित में यह आवश्यक होगा कि उपलब्ध वित्तीय साधनों और जन-शक्ति, सर्वेक्षण अध्ययन और व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के पहले चरण के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। पहले चरण में उत्तर-दक्षिण गलियारे का दक्षिणी खंड और पूर्व-पश्चिमी गलियारे का पूर्वी खंड लिया जायगा। मैंने अपने इन निष्कर्षों को अधिक से अधिक लोगों के सामने रखा ताकि उनकी टिप्पणियां और आलोचनाएं जान सकूं।

इससे पहले किये गये इस निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि इस नगरीय डिस्पर्सल लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, ब्योरेवार अभिकल्प आदि की तैयारी जहां तक सम्भव हो, शीघ्र से शीघ्र शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के पहले चरण के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन सर्वेक्षण जांच पड़ताल और अभिकल्प तैयार करना भी जारी रहना चाहिए। उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा करने के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों को भविष्य के लिए नहीं टाला जायेगा। व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के अध्ययन का काम शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

मेरा लक्ष्य और मेरी आशा यह है कि व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली का अध्ययन और अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम साथ-साथ पूरा हो जायगा ताकि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय करने से पहले इसके व्यावहारिक, आर्थिक और तकनीकी सभी पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

श्री धीरेश्वर कलिता : 28-3-70 को रेलवे बजट पर चर्चा करते समय जब कुछ माननीय सदस्यों ने वृत्ताकार रेलवे के बारे में संदेह व्यक्त किया था तब मन्त्री महोदय ने कहा था कि वृत्ताकार रेलवे का निर्माण होगा। तकनीकी रूप से वृत्ताकार रेलवे को अर्धवृत्ताकार रेलवे अथवा 'डिसपर्सल लाइन' भी कहते हैं। योजना आयोग और रेलवे बोर्ड ने गत तीन वर्षों में इस कार्य के लिये पहले ही 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। परन्तु अब रेलवे मन्त्री ने कहा है, जैसाकि 12-3-70 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में लिखा है, कि उपर्युक्त योजना का दस वर्ष पूर्व परित्याग कर दिया गया था और उनके विचार में 'डिसपर्सल लाइन परियोजना' पर 29 करोड़ रुपये खर्च करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मन्त्री महोदय ने यह बात धन की मंजूरी लेने के बाद कही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है।

रेलवे बोर्ड ने भूमिगत रेलवे के लिये सर्वेक्षण हेतु 140 लाख रुपये की मंजूरी दी है। परंतु यह एक भिन्न कार्य है, वृत्ताकार रेलवे का बहुत पहले से परित्याग नहीं किया गया था बल्कि इसे स्वीकार किया गया था।

कलकत्ता की परिवहन समस्या का समाधान करने के लिये ट्यूब रेलवे अथवा भूमिगत रेलवे की अत्यधिक आवश्यकता है। उसे भी क्रियान्वित किया जाना चाहिये, परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय वृत्ताकार रेलवे से भूमिगत रेलवे को क्यों तरजीह देते हैं?

श्री गुलजारी लाल नन्दा : यदि माननीय सदस्य ने परिचालित विवरण को पढ़ा होता तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही न होती क्योंकि मैंने दमदम से प्रिन्सप घाट तक उपनगरीय डिसपर्सल लाइन बनाने सम्बन्धी योजना का प्ररित्याग करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं यह स्पष्ठ कर देना चाहता हूं कि वृत्ताकार रेलवे की योजना अब नहीं है। अब मैं यह चाहता हूं कि इस डिसपर्सल लाइन के निर्माण में विलम्ब न हो और ये सभी मामले जल्दी से तय हो जायें। इसके साथ ही व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली को भी स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रणाली से सम्बन्धित जांच भी शीघ्र पूरी की जानी चाहिये जिससे व्यावहारिकता के प्रश्न का भी हल हो जाये। अत: किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है।

श्री परिमल घोष (घाटल) : हमने अगले दिन इस तथाकथित वृत्ताकार रेलवे के बारे में रेलवे मंत्री के साथ बातचीत की थी परन्तु वास्तव में हमारा अभिप्राय डिसपर्सल लाइन से था। अतः इस सम्बंध में कोई उलझन नहीं होनी चाहिये। इस डिसपर्सल लाइन के बारे में रेलवे इंजीनियरों ने स्वयं इंजीनियरी और तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है और उन्होंने एक व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर धन का नियतन किया गया है और रेलवे ने स्वयं अंतिम सर्वेक्षण और निर्माण के लिये कर्मचारी नियुक्त किये हैं।

व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली भी कोई नई चीज नहीं है। यह एक अन्तरनगरीय समस्या है और उपनगरीय डिसपर्सल लाइन बिल्कुल भिन्न है। इस लाइन को उपनगरीय क्षेत्रों से कलकत्ता नगर में आने वाले दैनिक यात्रियों को राहत देने के लिये बनाया जा रहा है। यह व्यापक द्रुत परिवहन समस्या का हल नहीं है।

योजना आयोग ने इस मामले पर विचार किया है। उन्होंने दो परियोजनाओं पर विचार किया है। व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिये उन्होंने धनराशि नियत कर दी है। अब केवल एक ही बात रह गई है और और वह यह कि तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जिसके लिये राशि नियत कर दी गई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस काम के लिये सर्वेक्षग किया जा चुका है और धन नियत किया जा चुका है, वह काम आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिये कुछ व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इसलिये इस कार्य को भी आरम्भ कर देना चाहिये।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : यदि माननीय सदस्य अब भी उपनगरीय डिसपर्सल लाइन को वृत्ताकार लाइन समझते हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अब वृत्ताकार रेलवे की योजना नहीं और उसके स्थान पर कोई अन्य योजना है। डिसपर्सल लाइन की समस्याओं को देख कर मुझे डर लगता है कि यदि इनमें से कोई समस्या परियोजना के अन्त में हमारे सामने उपस्थित होती है तो मुझे बहुत दुःख होगा। अतः इन समस्याओं का समाधान पहले हो जाना चाहिये। इसीलिये मैंने कहा था कि दूसरा प्रतिवेदन भी शीघ्र तैयार हो जाना चाहिये। यह कहा गया है कि व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का मामला अन्तर-नगरीय मामला है। मैं कहता हूं यह मामला अन्तर-नगरीय ही नहीं है सियालदह से बो बाजार तक अथवा कालीघाट तक उसका उपयोग दैनिक यात्री करेंगे। इसलिये यह उपनगरीय डिसपर्सल लाइन भी है और अन्तर-नगरीय भी है।

श्री परिमल घोष : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि डिसपर्सल लाइन का कार्य सर्वेक्षण पूरा होने के बाद शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा और द्रुत परिवहन प्रणाली का कार्य भी शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : मैंने यह कहा है, दोनों कार्यों की जांच के बाद हम इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन-सा तरीका जनता के हित में अच्छा है। पहली व्यवस्था लगभग 11 लाख लोगों के लिये है जबकि उपनगरीय डिसपर्सल लाइन का लाभ 3 लाख यात्रियों को होगा। हम डिसपर्सल लाइन के बारे में जांच शीघ्र पूरी करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : मंत्री महोदय के उत्तर से यह मामला और उलझ गया है। मंत्री महोदय ने भूमिगत रेलवे लाइन के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। मंत्री महोदय

ने हमें सप्लाई किये गये दस्तावेजों में लिखा है कि इस प्रकार की अन्य कई समितियां भी नियुक्त की गई थीं । कुल सात समितियों में से तीन समितियों ने उपनगरीय डिसपर्सल लाइन की सिफारिश की थी । महानगर परिवहन दल ने ब्यौरेवार अध्ययन करने के पश्चात् सिफारिश की है । उपनगरीय डिसपर्सल लाइन जिसे सामान्यत: वृत्ताकार रेलवे कहा जाता है, सर्वोत्तम समाधान है । मंत्री महोदय ने कलकत्ता जाने के बाद इस निर्णय को तत्काल बदल दिया है । हमें पता चला है कि रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी पश्चिमी बंगाल में किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य अथवा विकास का विरोध करते हैं । शासक दल में भी एक ऐसा वर्ग है जो यह नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य या विकास हो । इसीलिये मै मंत्री महोदय से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि क्या वह निर्माण कार्यक्रम जिसके लिये चौथी योजना में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, बिना किसी प्रकार के विलम्ब के क्रियान्वित किया जायेगा ? भूमिगत रेलवे सेवा अनुपूरक सेवा हो सकती है परन्तु उसे वृत्ताकार रेलवे के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : मैं टेढ़ी-मेढ़ी लाइन को वृत्ताकार लाइन कहने के लिये तैयार नहीं हूं । पश्चिम बंगाल की जनता को केवल भ्रम में डाला गया है, इसके साथ ही मैं निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहता । यह कहा गया है कि स्थान निर्धारण सम्बन्धी अन्तिम सर्वेक्षण अप्रैल, 1971 में पूरा हो जायेगा; मैं चाहता हूं कि यह कार्य इस अवधि से भी पहले पूरा हो जाये । यह सर्वेक्षण पूरा होते ही निर्माण कार्य आरम्भ हो जाना चाहिये । मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि उपलब्ध धनराशि निर्माण कार्य पर खर्च की जायेगी ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं मंत्री महोदय की इस बात पर संदेह नहीं करता कि वह निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करवाना चाहते हैं परन्तु उनका अस्थाई निष्कर्ष यह है कि अंतर-नगरीय व्यापक यातायात परिवहन प्रणाली, उत्तर-दक्षिण ट्यूब रेलवे का दक्षिणी भाग अथवा भूमिगत रेलवे के कार्य को पहले किया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय को यह महसूस करना चाहिये कि पश्चिम बंगाल के दैनिक यात्री और विशेषकर कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के दैनिक यात्री गत 22 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये । उन्हें यह भी महसूस करना चाहिये के भूमिगत रेलवे अथवा व्यापक परिवहन प्रणाली से सम्बंधित तकनीकी व्यावहारिकता तथा अन्य सर्वेक्षणों में अभी कई वर्ष लग जायेंगे । जहां तक उपनगरीय डिसपर्सल लाइन का सम्बंध है, अन्य सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और अब केवल स्थान निर्धारण सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाना बाकी है । मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इस सर्वेक्षण के पूरा होते ही निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

श्री गुलजारी लाल नन्दा : मैं केवल यह कहना चाहता था कि भूमिगत रेलवे लाइन से दैनिक यात्रियों को अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभ पहुंचेगा । इस योजना से कालीघाट से बड़ा बाजार तक और दमदम से सियालदह तक 7–8 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा । इसका अर्थ यह है कि इस योजना से तीन लाख की अपेक्षा बारह लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा । हम किसी भी प्रकार दैनिक यात्रियों की समस्या की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं । यदि दूसरी लाइन में कुछ विलम्ब हुआ तो भी इस डिसपर्सल लाइन का निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मंत्री महोदय ने स्थिति को और उलझनपूर्ण

बना दिया है । रेलवे बजट पेश करते समय कलकत्ता की यातायात समस्या के बारे में मंत्री महोदय का दृष्टिकोण भिन्न था और अब वह बिल्कुल बदल गया है । मंत्री महोदय ने 10 और 11 अप्रैल 1970 को कलकत्ता जाकर वहां की यातायात समस्या के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उपनगरीय डिसपर्सल रेलवे लाइन के कार्य में कुछ ऐसी कठिनाइयां अब भी हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है ? हमें पता चला है कि आगामी कुछ महीनों में यह समिति अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली है । फिर अब यह कहा गया है कि स्थान निर्धारण सम्बन्धी अंतिम प्रतिवेदन 1971 के अन्त में प्रस्तुत किया जायेगा जबकि बजट सम्बंधी भाषण में कहा गया था कि यह प्रतिवेदन आगामी कुछ महीनों में मिल जायेंगे । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्पष्टीकरण तो मांग सकते हैं परन्तु यह अवसर भाषण देने का नहीं है । प्रत्येक अवसर पर भाषण आरम्भ हो जाते हैं, यह बात उचित नहीं है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित उप-नगरीय डिसपर्सल लाइन बनाई जायेगी और क्या अन्तर-नगरीय यातायात समस्या के साथ निपटने के लिये व्यापक द्रुत यातायात प्रणाली को भी क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री गुलजारी लाल नन्दा : माननीय सदस्य ने मंत्री को दोषी ठहराया है । मैं दोषी तब होता जब मैं समस्या का गम्भीर रूप से अध्ययन करने के पश्चात् पश्चिम बंगाल की जनता से अथवा माननीय सदस्यों से तथ्यों को छिपाता और बाद में वे कठिनाइयां हमारे समक्ष आतीं और परि-योजना में विलम्ब होता । ऐसी अवस्था में उसका कौन उत्तरदायी होता ? किसी भी योजना में मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है ।

मैं समस्या को शीघ्र हल करने के पक्ष में हूं । उपनगरीय लाइन के सर्वेक्षण में कुछ महीने लग जायेंगे । मैं अपने वचन पर कटिबद्ध हूं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे ही यह समस्या हल होगी, निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति:—

(एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रति-वेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्प-णियां ।

(दो) पश्चिमी बंगाल कृषि-उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता, का 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3281/70]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुड़ (प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 579 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 586, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद वहन पर नियन्त्रण आदेश, 1969 विखण्डित किया गया है और जो दिनांक 16 अप्रैल, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 997 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा से लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 587 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3282/70]

(3) धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, धान कुटाई उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1970 की एक प्रति, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 553 में प्रकाशित हुए थे।

(4) धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1968 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 554 की एक प्रति, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3283/70]।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग): मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 1968-69 के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3284/70]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDER TAKINGS

कार्यवाही का सारांश

श्री एम० बी० राणा (भडौच): मैं माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में 65वें प्रतिवेदन से सम्बद्ध सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का ६५वाँ प्रतिवेदन

65th REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDER TAKING

श्री० एम० बी० राणा : मैं माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अंतर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

6 अप्रैल, 1970 को कुछ संसद् सदस्यों तथा संयुक्त समाजवादी दल के कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पीटा जाना

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमने इस बारे में विस्तृत जांच की है । हमनें फरीदाबाद और अपने विदेशियों सम्बन्धी प्रभाग में पूछताछ की है । हमारे रिकार्ड से विदित होता है कि टम्पिल जोन्स नामक कोई व्यक्ति हमारे देश में नहीं रहता है अथवा हमारे देश में आया नहीं है । फरीदाबाद में की गई जांच के बाद इस नाम के किसी व्यक्ति का पता नहीं चला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह जांच का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, जो न्यायिक जांच का सामना कर रही है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति का भारत में पता नहीं लगा है । सरकार इस सम्बन्ध में चुप नहीं बैठेगी । हम इस बात का पता लगाने का भरसक प्रयत्न करेंगे कि उक्त पत्र किस व्यक्ति ने लिखा था ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : This is a very serious matter. It appears to be a fabricated letter. It has been stated that the matter will be referred to the Privileges Committe e. As this letter has been published in the Hindustan times, they are also responsible for it.

Mr. Speakhr : We will try to get information in this regard.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने श्री टम्पल जोन्स के विशेष पत्र का पहले ही उल्लेख किया है । मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी का उल्लेख किया था जिसमें सम्पादक ने इस सम्बन्ध में दुःख प्रकट किया था । मुझे ऐसा प्रतीत होता है हिन्दुस्तान टाइम्स के कर्मचारी वर्ग अथवा कोई और व्यक्ति श्री मधु लिमये को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना चाहते हैं । अतः मैं चाहता हूं कि उक्त मामले को नियम 228 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं श्री टम्पल जोन्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है । अब श्री टम्पल जोन्स के बारे में अन्य प्रस्ताव आ रहा है । श्री जार्ज फरनेन्डीज यह मामला उठाना चाहते हैं कि 6 अप्रैल, 1970 को उन्हें पुलिस ने किन-किन परिस्थितियों में पीटा और न्यायिक जांच में देरी हुई । चूंकि वह सदन में उपस्थिति नहीं, अतः यह मामला उनके आने पर उठाया जायेगा ।

आसाम में लखीपुर घटनाओं के बारे में
INCIDENTS IN LAKHIPUR IN ASSAM

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : विधायक श्री सदादत्त अली द्वारा श्री जहान्नुद्दीन अहमद, संसद् सदस्य को भेजे गये तार की यह एक प्रति है। यह सामरिक महत्व का स्थान है। वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। आसाम के उस भाग में अल्प समुदाय के लगभग 70 परिवारों के मकान जला दिये गये हैं। श्री जहान्नुद्दीन अहमद इस मामले को कल ही सदन में उठाना चाहते थे लेकिन कल वह घटना स्थल का निरीक्षण करने चले गये थे अतः यह मामला नहीं उठाया जा सका। आसाम के अन्य भागों में साम्प्रदायिक दंगों को फैलने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? गृह मन्त्री ने उल्लेख किया है कि साम्प्रदायिक मैत्री बढ़ाने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी। क्या मैत्री बढ़ाने के उद्देश्य से उक्त समिति उक्त क्षेत्र का दौरा करेगी?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 अप्रैल को स्थानीय विधायक श्री सदादत्त अली को पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने पीटा। पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज किया। एक शरणार्थी श्री राम किशन मारा गया, लखीपुर थाने के क्षेत्र में मनाशेरा गांव में 26 परिवारों के ८0 घर जला दिये गये। शीलापाणि गांव में 14 परिवारों के २7 घर जला दिये गये। राज्य के राजस्व मन्त्री ने क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने सहायता के लिये 10,000 रुपये की मन्जूरी दी थी। उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्त लगा रही है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति उक्त क्षेत्र का दौरा करेगी?

अध्यक्ष महोदय : सभा को मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होने में हमेशा विलम्ब ही जाती है। अतः इस प्रकार मध्याह्न भोजन काल में खर्च किये गये समय को दिन के अन्त में विलम्ब से बैठकर पूरा किया जा सकता है। इस समय गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter to fifteen of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 50 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fifty Minutes past Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

सामान्य बजट—अनुदानों की माँगें—जारी
GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय—जारी

श्री एस० जेवियर (तिरुनेलवेल्लि): अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सरकार से सात उद्देश्यों वाली योजना की सिफारिश की है जिससे तेजी से और अधिकतम आर्थिक विकास हो तथा सब क्षेत्रों

में लोगों के हर वर्ग को लाभप्रद रोजगार मिले। कृषि का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम, श्रम विस्तार, लोक निर्माण कार्यक्रम, सड़कों का अधिकाधिक विकास, लघु कुटीर सहायक उद्योगों का तीव्र विस्तार भारी उद्योगों का व्यापक विकास ये सातों कार्यक्रम विकास के स्तम्भ हैं।

सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि उसे किस समस्या को हल करने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये। सरकार द्वारा हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए इस वर्ष 9 करोड़ रुपये दिया जाना है। अन्य भाषाओं के प्रचार के लिये भी सरकार को न्यायपूर्ण धन देना चाहिये। सरकार को हिन्दी पर किये जाने वाले अपव्यय को कम करना चाहिये और इसको या तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये राज्यों को देना चाहिये या बेरोजगार नवयुवकों को व्यक्तिगत रूप से लघु उद्योग खोलने के लिये दे देना चाहिये।

वर्ष में एक बार या ज्यादा से ज्यादा दो बार रोजगार कार्यालय का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये जिससे यह पता लग सके कि कितने बेरोजगार व्यक्तियों को नौकारियां दी गई हैं और अभी कितने युवक बेरोजगार हैं। सरकार को इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना चाहिये। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और अभी से इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये।

श्रीलंका से आये 20,000 व्यक्तियों को बसाया जाना है। लंका से आये कुछ लोगों को कम पढ़े होने के नाते छोटी नौकरियां दी गई हैं। उच्च पदों का अनुभव प्राप्त कर लंका से लौटने वाले व्यक्तियों को नौकरियों के बारे में कुछ छूट दी जानी चाहिये। इस बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। लंका से आने वाले व्यक्तियों को उनके पूरे विशेषाधिकार दिये जाने चाहिये।

Shri Hukum Chand Kachwai (Ujjain): There is great discontent amongst the workers in the country. All the labour unions have urged that Commission should be appointed to look into the labour problems and it should suggest ways and means to solve them. National Commission on labour was appointed accordingly. Through its report has been received, yet it has not dealt with many important aspects of the problem. So the unrest is still there.

One of the main problems of our labourers is as to which labour organisation should be given recognition.

The report of the National Labour Commission came in August last but no decision has been taken on it so far. The Government should consider the report in consultation with the representatives of the labour unions and should come to some positive conclusions. There should not be any delay in this matter.

The Central Government has agreed to appoint the Third Pay Commission for the Central Government employees. But its composition and terms of reference has not been announced as yet. The Government should decide this question in consultation with representatives of various unions of the employees. Meanwhile some interim relief should be paid to them.

The main causes of unrest amongst the workers are that the Courts of Law did not dispose of their cases quickly and they have to spend a lot on litigations. It will be better if separate courts are established for deciding all the cases of the workers.

There is a tendency in our country that if some factory is going in a loss, the owner wants that it should be given financial assistance to run it. But there are certain people

who want that the Government should take them over. Perhaps the best thing will be that Government should entrust such units to the workers there and help them financially to run them.

People in all private undertakings are recruited on recommendations. Now the persons in all industrial units should be recruited only through the employment exchanges.

Unemployment problem is very serious in our country. In case we stop importing machines from abroad we can provide more employment chances for the people. People working in the villages are employed for four to six months in the season. They are unemployed for the rest of the time.

People working in coal mines are ill-treated. There is no proper arrangement for their meals etc. They are in very pitiable conditions. The Government should pay attention towards this matter.

There should be revision in the present bonus policy.

I feel the practice of appointing wage boards should be done away with. The workers and employers should sit and decide among themselves the points of differences.

There are a large number of rayon factories in our country. The working conditions in those factories are deplorable. Government should look into this and ensure better conditions of work for workers. It is a matter of grave concern for the workers.

The workers of Dandkaranya project are being paid very meagre salaries. There are certain employees who get on Rs. 75 per month. It is very difficult to make both ends meet with this small amount. Their salaries should be suitably enhanced. The temporary workers should be made permanent. I have been told that a large number of workers of Bhakra-Nangal project are being retrenched now. They should be provided alternative employment.

Large scale corruption is going on in Dandkaranya project. The machines, which were imported are lying idle. They should be put to some use.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टई) : सरकार श्रमिक विरोधी नीति पर अमल कर रही है और मालिकों को लाभ पहुंचा रही है। इससे कार्मिक संघ आन्दोलन कमजोर पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी के दो भागों में बट जाने के बाद सरकार की नीति में परिर्वतन हुआ है ? मैं समझता हूं कि सरकार की नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

आप मजदूर संघों को मान्यता देने के प्रश्न को ही लें। इसमें प्रक्रिया की कोई बात नहीं है। श्रमिक संघों का निर्णय करने का अधिकार है कि किन संघों को मान्यता प्रदान की जाये। सरकार को इस बात पर मजदूर संघों की मान्यता वापिस नहीं ले लेनी चाहिये कि मजदूरों ने हड़ताल की थी। यदि एक कारखाने का मालिक गैर-कानूनी तौर पर तालाबन्दी कर देता है तो क्या सरकार उसको मालिकों का प्रतिनिधि मानने से इन्कार कर देती है ? अतः मजदूर संघों की मान्यता के बारे में अलग कसौटी नहीं होनी चाहिये। मजदूरों की उस यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये जिसे उन्होंने परचियां डालकर चुना हो। अब तक सरकार ऐसी यूनियनों को मान्यता देती रही है जिनके साथ मजदूरों का बहुमत नहीं होता था। रूरकेला का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पर हिन्द

मजदूर सभा का बहुमत सिद्ध हो चुका है परन्तु फिर भी प्रबन्धक इन्टक के मजदूर संघ को मान्यता दे रहे हैं। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी की पराजय के बाद ठीक मान्यता दी गई है। दुर्गापुर में भी ऐसी ही स्थिति रही है। ऐसे और भी अनेक मामले हैं। चितरंजन लोको, दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ में भी ऐसी ही बात चल रही है।

सरकार ने ऐसे-ऐसे कर्मचारी संघों को मान्यता दी है जो अभी बने भी नहीं हैं। डाक तथा तार विभाग में ऐसा ही किया गया है। लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में पहले से एक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के होते हुए एक और संघ को मान्यता दे दी गई है। इन्टक से सम्बद्ध कई मजदूर संघों ने राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां भी की हैं परन्तु उनकी मान्यता समाप्त नहीं की गई है और कुछ अन्य यूनियनों की बिना किसी विशेष कारण के मान्यता वापिस ले ली गई है। मान्यता वापिस लेने सम्बन्धी सरकार की नीति भी समझ में नहीं आती। कई स्थानों पर कुछ मजदूर संघों ने तोड़फोड़ की कार्यवाही की है परन्तु फिर भी उनकी मान्यता समाप्त नहीं की गई है। हमें अब देखना है कि कांग्रेस के दो भाग हो जाने के बाद सरकार क्या नीति अपनाती है? पश्चिम बंगाल विधान सभा पारित करा के जो कार्मिक संघ मान्यता विधेयक राज्य सरकार ने भेजा है उसको केन्द्रीय सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है। इस प्रकार सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी राज्य में तथा केन्द्र दो प्रकार की नीति पर अमल कर रही है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस सभा में समूचे देश के लिये एक कानून बनाये।

विदेशी तेल कम्पनियां अपने कर्मचारियों के प्रति बड़ी कठोर नीति अपनाये हुए हैं। इनके बारे में गोखले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब निर्णय नहीं होते, कम्पनियां कर्मचारियों के तबादले आदि सम्बन्धी कोई कार्यवाही न करें। परन्तु देखने में आ रहा है कि इस बात का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। कालटेक्स ने तो श्रम मन्त्रालय को लिख भी भेजा है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार के अपमान के बावजूद चुप्पी साधे रहेगी? सरकार को इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर बढ़ायी जानी चाहिये और जिन मालिकों ने इस निधि की राशियां जमा नहीं करायीं, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये।

भविष्य निधि से सम्बन्धित कर्मचारियों को बहुत शिकायतें हैं। वह लोग पदोन्नतियों के मामले में वरिष्ठता आधार बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देकर भेदभाव समाप्त कराना चाहिये।

चीनी से सम्बन्धित मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसकी सिफारिशों को मजदूरों के सभी पक्षों ने अस्वीकार कर दिया है। सरकार को इसके लिये एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाना चाहिये ताकि निर्णय किया जा सके।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : इस महीने की 29 तारीख को बैठक बुलायी जा रही है।

श्री उमानाथ : धन्यवाद। रेलवे में ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो 'नैमितिक' कहे जाते है। उन्होंने 15 से 20 वर्ष तक सेवा की है। सरकार उन्हें कम वेतन देने के लिये उन्हें

ऐसे रखे हुए है। मेरा श्रम मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इन लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिलायें।

वस्त्र निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय नहीं हुई हैं। सरकार को उनकी सेवाएं सुरक्षित करनी चाहिये। मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिये। मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : It is a coincidence that only yesterday we celebrated the birth anniversary of Lenin, the labour leader and today we are discussing the problems of labour. When we think of labourers the first thing we feel is that as to what are the reasons of this restlessness in labour classes ? We must think over the basic reasons for this. What are the problems of labour classes ? We have not paid proper attention to this during the last twenty years. Have we honoured labourers for their honest and hard labour. We should give due recognition to the importance of work of labourers. They feel that they are a neglected lot. It is due to this that they are agitating in many parts of the country. Now the political parties have started exploiting their frustration. It is the duty of Government to ensure that labour gets its due share in production and management. Labour participation should be an essential part of management of big factories.

It is a matter of shame that labourers belonging to socialist unions are being murdered in Calcutta. It is because labourers are divided. There is no unity. The real friends of labour are those people who try to bring about unity in different unions. It is a matter of sorrow that politics has been brought in the working of trade unions. It is not in the interest of labourers.

The progress of a country depends on the hard work of its labour folk. I appeal to the political leaders that they should inspire the labour classes for hard work and inculcate in them a sprit of unity. The labourers should be given the right of participation in management. It should be done in public, private and cooperative sectors. It will go a long way in the industrial development of the country. There is an awakening in the lower and middle classes today. It must be taken note of.

Another point I want to elaborate is in regard to the working of our public sector enterprises. We will have to bring about a change in the bureaucratic set up of these enterprises. The Officials have to play a vital role in ushering in socialism which is our cherished goal. The big bosses of undertakings should realise that they are public servants like the labourers and engineers. The bureaucracy should be streamlined to suit the needs of today.

The nepotism should be stopped. If these steps are taken only then our big enterprises can achieve their aims. These projects should set an example for private sector.

The unanimous recommendations of National Labour Commission should be implemented by Government. The decision of Wage Boards have not been implemented so far. Our administrative set up is not working sincerely.

Government must take keen interest in the improvement of service conditions of labour engaged in agriculture. Our country is an agricultural country. The condition of agriculturists should be improved. The landless labourers should be given land by Government.

The big officials are exploiting the minor quarrels among different trade unions. It is not good. The practice of beggary has not been abolished completely. The rickshaw pulling by man is an inhuman act. It should be stopped. The Ministry of Labour should

take steps to create an atmosphere where the aspiration and ambitions of low class people could be realised.

श्री इंद्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : सभापति महोदय ! अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने श्रम सम्बन्धी समस्याओं का ही उल्लेख किया है। मैं पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं तक ही सीमित रहूंगा।

महोदय ! मैं महसूस करता हूं कि पुनर्वास विभाग को विभिन्न समस्याओं का समाधान करना पड़ता है तथा ये कार्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा मानवीयतापूर्ण देते हैं। देश में पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, तिब्बत तथा श्रीलंका से शरणार्थी आये। अब पूर्व अफ्रीका से भी भारी संख्या में शरणार्थियों के आने की आशंका है।

अब मैं वर्तमान समस्या की चर्चा करता हूं। जहां तक 1965 के विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है उन्हें पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर में पुनर्वास दे दिया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

वर्ष 1947 में जो व्यक्ति विस्थापित हो गये थे उन्हें सरकार तथा राज्य सरकार पूरी तरह से पुनर्वास देने में असमर्थ रही है। ये लोग उस क्षेत्र से आये थे जो अब पाकिस्तान के अधिकार में है। इन व्यक्तियों की मूल समस्या यह है कि क्या वे अपने मूल स्थान को जा सकते हैं और क्या उन्हें अपनी सम्पत्ति वापस मिल सकती है। 22 वर्षों की अवधि कोई छोटी अवधि नहीं होती किन्तु इसके दौरान भी उनके क्लेम राज्य सरकार ने रजिस्टर नहीं किये। वे अपनी सम्पत्ति का तुरन्त मुआवजा भी नहीं माँगते किन्तु कम से कम उनके दावे तो पंजीकृत हो जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में दो प्रकार की सम्भावनायें हैं। यदि भाग्य से वह क्षेत्र पाकिस्तानियों से खाली करा लिया जाता है तो इन व्यक्तियों को अपने मूल स्थान पर भेज दिया जायेगा तथा उन्हें अपनी सम्पत्ति मिल जायेगी। किन्तु इस अवधि में पाकिस्तान ने उनकी सम्पत्ति के सभी साक्ष्य समाप्त कर दिये होंगे। अत: दूसरा मार्ग यही है कि उनके दावे पंजीकृत कर लिये जायें तथा उन्हें भी उसी तरह मुआवजा दे दिया जाये जैसे पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये थे। ऐसा करने से अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।

इन व्यक्तियों की दुर्दशा देखकर केन्द्र सरकार ने इनकी वित्तीय सहायता भी तथा इन्हें भूमि भी दी। किन्तु समस्या यह है कि इन्हें जो भूमि दी गई है या तो वह सरकारी भूमि है अथवा निष्क्राम्य भूमि है। जम्मू और काश्मीर राज्य में जिन व्यक्तियों को सरकारी भूमि मिलती है वह मुफ्त दी जाती है किन्तु इन व्यक्तियों से सरकारी भूमि की लागतस्वरूप 2,500 रुपये काट लिये गये हैं।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने इस मामले की जांच की है किन्तु उसका कहना है कि हम केन्द्र सरकार की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। संयुक्त पुनर्वास बोर्ड ने पहले 8 एकड़ आभी भूमि तथा 12 एकड़ खुश्की भूमि देने का निर्णय किया था किन्तु बाद में यह माप कम करके 4 एकड़ आभी भूमि तथा 6 एकड़ खुश्की भूमि रह गया। किन्तु सरकार इतनी भूमि भी देने में असमर्थ है। ये व्यक्ति भूमि के स्थान पर नकद मुआवजा लेने को भी तैयार हैं किन्तु राज्य सरकार केन्द्र की सहायता की अपेक्षा रखती है।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि यह समस्या बड़ी विषम समस्या है तथा वे स्वयं इसको सुलझाने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य से जो इस राज्य का मुख्य मन्त्री बनता है वही इस समस्या को उठाकर ताक में रख देता है जिससे व्यक्तियों को आन्दोलन का सहारा लेना पड़ता है। मुझे आशा है माननीय मन्त्री इस समस्या पर ध्यान देंगे तथा इस सुलझाने का यत्न करेंगे।

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : सभापति महोदय ! केन्द्र सरकार के अन्तर्गत श्रम कल्याण के लिये अलग व्यवस्था बनाये रखने का मैं समर्थन करता हूं किन्तु मेरा निवेदन है श्रम समस्या राज्यों का विषय होना चाहिये। यदि श्रम सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति दे दी जाये तो ये समस्याएं शीघ्र सुलझ सकती हैं।

मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे यह अधिनियम लाभप्रद हो सके। मेल मिलाप और बातचीत से किये गये निर्णयों को कानूनी रूप से कार्यान्वित कराने की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम में होनी चाहिये।

हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों के श्रम कल्याण मन्त्रियों की बैठक में अच्छे सुझाव दिये गये थे। माननीय मन्त्री उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करें। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने पद सिफारिश की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (क) में संशोधन किया जाना चाहिये। महोदय ! औद्योगिक विवादों से राज्यों में शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि शांति और व्यवस्था बनाये रखने का कर्त्तव्य राज्य सरकारों का है किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पन्न विवादों का समाधान स्वयं केन्द्र सरकार के हाथ में है। इस व्यवस्था से शांति बनाये रखने में राज्यों को कठिनाई होती है। अत: राज्य सरकारों को यह शक्ति मिलनी चाहिये कि वे इन विवादों में हस्तक्षेप करके उन्हे सुलझायें। ऐसा करने से विवाद उग्र रूप धारण करने से पहले ही सुलझ सकते हैं।

सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल श्रमिकों को अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये बहकाते हैं। जहां तक डी० एम० के० का सम्बन्ध है हमारी श्रम समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा श्रमिकों के अधिकारों के लिये यदि हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे तथा विवादों को शान्तिपूर्वक हल करने का प्रयत्न करेंगे।

रेलवे औद्योगिक उपक्रम है तथा उससे सम्बन्धित श्रम समस्याओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रखना चाहिये।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों को रेलवे तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर भी लागू करना चाहिये। श्रम मंत्रालय रेलवे बोर्ड से गत 11 वर्षों से इस सम्बन्ध में बातचीत करता आ रहा है किन्तु अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्र करना चाहिये।

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि देश के सभी कारखानों में उपदान की व्यवस्था होनी चाहिये। मुझे विश्वास है माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

मेरा यह भी सुझाव है कि सभी राज्यों में राज्य श्रम कल्याण निधि जुटाई जानी चाहिये। तमिलनाडु सरकार ने इस कार्य के लिये 5 लाख रुपये नियत करके योजना आरम्भ की है किन्तु इतनी राशि से काम नहीं चलेगा। केन्द्र सरकार को इस योजना के लिये 5 या 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देनी चाहिये।

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने केन्द्र सरकार का ध्यान कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर भी दिलाया था। यद्यपि यह योजना 1955 में आरम्भ की गई थी किन्तु इसे उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। वर्ष 1967-68 में औद्योगिक कर्मचारियों के अंशदान के रूप में 12.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये तथा नियोक्ताओं से लगभग 13.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये। इस योजना के अन्तर्गत 37.1 लाख व्यक्तियों का बीमा किया गया। खेद की बात है कि इन व्यक्तियों को इस योजना से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका। दिनांक 17.9.69 की बैठक में निगम ने प्रति कर्मचारी 50 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम राशि खर्च करने का निर्णय किया तथा यह भी निर्णय किया इससे अधिक का खर्च स्वयं राज्य सरकार को वहन करना होगा। किन्तु राज्य सरकार पहले ही प्रति वर्ष 61 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से व्यय कर रही है। अतः निवेदन है कि यह सीमा हटा लेनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपनी योजना के अन्तर्गत कोइम्बातूर तथा मदुराय में दो हस्पताल स्थापित किये हैं तथा सरकार को इनकी देखभाल पर प्रति वर्ष 36 लाख रुपये व्यय करने पड़ते हैं। राज्य सरकार ने 100 लाख रुपयों की लागत से भवन निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है किन्तु निगम ने अचानक उसे बन्द करने का आदेश दिया है। अतः मेरा निवेदन है कि इन आदेशों को पुनरीक्षित किया जाये। वर्ष 1966 में यह आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है तथा निर्माण कार्य के लिये भूमि नहीं दी जा रही है। किन्तु जब राज्य सरकार ने सब कुछ व्यवस्था कर ली है तो निगम ने निर्माण कार्य को बन्द करा दिया है। इससे स्थिति के गम्भीर हो जाने की आंशका है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार राज्य सरकार को ऐसी विषम स्थिति में न डाले।

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बड़ी भयानक समस्या है। सरकार को इस समस्या से लड़ने के लिये कुछ उपयोगी योजनायें बनानी चाहियें। हिन्दी के विकास पर 9 करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग यदि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये किया जाता तो सम्भवतः अधिक अच्छा रहता। साथ ही सरकार को सेवानिवृत्ति की आयु फिर से 55 वर्ष कर देनी चाहिये।

महोदय ! यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत सरकार के कार्यालयों में जैसे स्थान रिक्त हों, उनकी सूचना रोजगार कार्यालयों को देनी चाहिये। रोजगार अधिकारी को सीधे नियुक्तियां करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिये जिसमे अधिकारी वर्ग अपने सम्बन्धियों के लिये रिक्त स्थानों को दबाये न पड़े रहें।

शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में सरकार ने राज्य सरकार की अधिक सहायता नहीं की है। सरकार ने जो उत्साह पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा देने में दिखाया था, ऐसा उत्साह बर्मा से आये शरणार्थियों के बारे में नहीं दिखाया। सरकार को बर्मा सरकार से शीघ्र मुआवजा देने के संबंध में बातचीत करनी चाहिये।

सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को यह निदेश दिये हैं कि शरणार्थियों से वसूल न होने वाले ऋणों की 25% राशि राज्य सरकारों को वहन करनी चाहिये। माननीय मन्त्री को राज्यों की वित्तीय स्थिति का पता है। अतः यह राशि स्वयं केन्द्र सरकार को वहन करनी चाहिये तथा वसूल न किये जाने वाले ऋणों को पूर्णतः बट्टे खाते में डाल देनी चाहिये।

मकान बनाने के लिये सरकार ने शरणार्थियों को ऋण की राशि कम रखी है। मेरा निवेदन है कि नगरों में मकान बनाने के लिये शरणार्थियों को ऋण के रूप में 5,000 रुपये तथा गांवों में मकान बनाने के लिये 2,500 रुपये दिये जाने चाहिये।

श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों की सुविधा के लिये मन्त्री महोदय को रेलवे मन्त्री से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहिये जिससे धनुषकोणी पम्बन रेलवे लाइन शीघ्र ही बनाई जा सके।

Shri G. Venkataswamy (Siddipete) : Sir, National Labour Commission was appointed by the Govt. after so many considerations. The Report of the Commission has already been received by the Government. But nobody knows as yet as to what is being done on the recommendations of the Commission. My submission is that efforts should be made by the Government to implement the recommendation of the Commission expeditiously.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan in the Chair]

It has been observed that for several Industries no Wage Boards have been established. It has also been learnt that no Wage Board will be appointed in future by the Government. In certain factories the labourers do not get more than Rs. 75 per month and it may very well explain the deplorable economic condition of them. In the circumstances, if the Government are not inclined to appoint any Wage Board they must accept the recommendations of the Commission in this regard.

Sir, the Britishers had left India but their attitude has been adopted by the Indian managerial staff working in Public Sector undertakings. The administrators of these undertakings exercise the policy of divide and rule and try to depress the employees. Most of the managerial staff indulge in anti-labour activities. They are against Trade Union movements. Being the President of several Trade Unions I have experienced that the extent to which victimization is inflicted upon the labour in Public Sector undertakings cannot be seen anywhere else.

I feel that the Central Labour Ministry is ineffective to deal with the labour problems. Whenever the workers are forced to go on strike the Government do not take the responsibility on them to deal with the situation with the plea that it is the State subject. It is a matter of concern that the socialism of the Govt. is not applicable to the workers.

Sir, one of the most concerning problems is that there exists a vast disparity of the scale of wage between the State sponsored undertakings and the Centrally sponsored undertakings and even between the different industries of the Public Sector itself. For the removal of this disparity the workers of Synthetic Fabrics in Hyderabad have gone on complete strike for 46 days. But the Government are not prepared to intervene in the matter with the same argument that it is the State subject. We did approach the Union Minister for Labour and he was prepared to intervene but since he was informed by his officials that the matter involved the State politics he left the idea. For the information of the Government I want to state that more than 3,500 workers are involved in this strike and the heavy loss is being caused to the Public Sector. It is a matter of regret that the

23.19

Chairman of the undertaking is not prepared to settle this dispute favourably even at the risk of heavy loss of crores of rupees. I would also like to warn the Government that in case this disparity is not removed and the demands of the workers are not met by the Government immediately I will launch 'dharna' at the residence of the Prime Minister.. (Interruptions).

Announcement has been made by the Government regarding the budgetary provisions for the family pension to the workers. I request that the Government should implement the scheme as soon as possible.

Under the scheme of Employees States Insurance both employees and the State Governments contribute considerable amount but the employees are not getting adequate facilities uhder the scheme. My submission, therefore, is that if it is not possible for the Government to make this scheme sufficiently beneficial it would be much better to discontinue it.

The economic condition of the construction labour is highly deplorable. They are not provided with any kind of facilities. They work under the contractors who purchase them like any thing. I request the Hon. Minister that some thing should be done for the betterment of these people.

In the end I re-iterate that the strike going on in the Synthatic Fabrics in Hyderabad should be dealt with by the Hon. Minister otherwise I will be going on strike at the residence of the Prime Minister.

श्री जी० मो० बिश्वास (बांकुरा) : सरकार लेनिन शताब्दी मना रही है। मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देता हूं। किन्तु केवल शताब्दी मनाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि सरकार मजदूरों से प्रेम करती है और उसकी मजदूरों के प्रति सहानुभूति है।

चीनी, सड़क यातायात, तथा विद्युत् उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये नियुक्त किये मजूरी बोर्डों ने चार वर्ष के बाद ऐसे सुझाव रखे जिनसे अधिक मजूरी इन कर्मचारियों को स्वत: ही मिलने लगी थी। ऐसे मजूरी बोर्डों का क्या लाभ है।

श्रम सम्बन्धी समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं कि सभी उनसे अवगत हैं। किन्तु इन समस्याओं का पता लगाने के लिये मजूरी बोर्ड या वेतन आयोग बिठाये जाते हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग शीघ्र ही नियुक्त करने की घोषणा की गई है।

मैं यह मांग करता हूं कि सरकार वेतन आयोग अथवा मजूरी बोर्ड की नारेबाजी करके श्रम सम्बन्धी समस्याओं को टालने का प्रयत्न न करे। वेतन आयोग प्रबन्धकों और कर्मचारियों की द्विपक्षीय बैठक कराकर आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर सकता है। मेरा निवेदन है कि वेतन मानों के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाना चाहिये।

मेरी शिकायत केवल गैर-सरकारी नियोक्ताओं के ही विरुद्ध नहीं है वरन् सरकार के विरुद्ध भी है। इंजीनियरिंग उद्योग में बम्बई में 245 रुपये, जमशेदपुर में 200 रुपये, बंगलौर में 185 रुपये तथा कलकत्ता में बड़े कारखानों में 190 रुपये तथा छोटे कारखानों में 160 रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से कुछ उपलब्धि प्रदान की जाती है। बड़े खेद की बात है कि रेलवे में इन कर्मचारियों को केवल 141 रुपये के हिसाब से कुल उपलब्धियां मिलती हैं। रेलवे इतना बड़ा उद्योग होने पर भी सरकार उसके कर्मचारियों को इतना कम वेतन देती है। मेरी मांग है कि यदि सरकार इन कर्मचारियों को

15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार न्यूनतम मजूरी नहीं दे सकती तो कम से कम गैर-सरकारी क्षेत्रों के बराबर तो अवश्य दे।

कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार का रवैया अत्यन्त पक्षपात पूर्ण है। भिलाई स्पात कारखाने के 'इन्टक' के अन्तर्गत चलने वाले संघ ने पिछले तीन वर्षों से वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। यदि इस प्रकार की अनियमितता किसी और संघ ने की होती तो कोई और ही दृश्य सामने आ जाता किन्तु इस संघ को अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं है।

यद्यपि मजदूरों के सम्बन्ध में बड़े सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे जाते हैं किन्तु तथ्य यह है कि ऐसे ही लोग मजदूरों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। कल ही मुझे श्री कल्यान राय, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, का तार मिला है जिसमें उस घटना का उल्लेख किया गया है जिसमें मार्क्सवादी दल के लोगों ने श्री पोदरी सिंह की हत्या कर दी है। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार एक मजदूर द्वारा दूसरे की हत्या करके क्या मिल सकता है? क्या इस तरह से श्रम सम्बन्धी समस्याएं हल हो जायेंगी? केवल राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्मिक संघ में फूट डालने की चेष्टा की जा रही है। किन्तु ऐसे कार्यों से श्रमिकों में मित्रता लाना असम्भव है।

श्री जगजीवन राम ने सभा में यह स्वीकार किया था कि जमशेदपुर की हड़ताल के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। किन्तु दुःख की बात है कि टाटा ने इन आदेशों का पालन नहीं किया तथा 22 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। यदि सरकार टाटा बन्धुओं से अपने आदेश नहीं पालन करा सकेगी तो मजदूरों के दिलों में सरकारी आश्वासनों के प्रति कोई विश्वास और सम्मान नहीं रहेगा। सरकार को अपनी श्रम विरोधी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा उसे यह नीति त्यागनी पड़ेगी।

सरकार उद्योगपतियों से सौदाबाजी करके हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय करना चाहती है। यह श्रम विरोधी नीति ही है।

रेलवे में लगभग 2,20,000 मजदूर नैमित्तिक और ठेकेदारों के अन्तर्गत कार्य करते हैं किन्तु रेलवे मंत्रालय इन श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को मानने के लिये तैयार नहीं। मेरा निवेदन है कि या तो श्रम मंत्री महोदय अपने पद से त्याग पत्र दें अथवा रेलवे मंत्रालय से इन आदेशों का पालन करायें।

यद्यपि ये मजदूर स्थाई मजदूरों से अधिक कार्य करते हैं तथापि इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। न इन्हें अधिकृत वेतन मान दिये जाते हैं और न इनके लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू किया जाता है। इन्हें रेलवे की चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान केवेन्टर्स आइस्क्रीम के कर्मचारियों की ओर दिलाता हूं। इस कारखाने के 168 स्थाई तथा 60 अस्थाई कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं।

मैंने उन्हें बताया है कि यदि उनके बच्चों के मुंह से रोटी छीनी जायगी तो हम किसी भी मंत्री को चैन से नहीं सोने देंगे। उन्होंने मन्त्री महोदय को ज्ञापन दिया है किन्तु ज्ञात नहीं, उसका

क्या किया जा रहा है। महोदय ! स्वयं सरकार और उसकी नीति ही देश में नक्सलवादियों की संख्या में वृद्धि कर रही है। श्रम-विरोधी कार्यों से ही देश में नक्सलवादी उत्पन्न हो रहे हैं।

सरकार को किसी भी व्यक्ति के आगे चाहे वह बिड़ला हो, टाटा हो या डालमियां हो, झुकना नहीं चाहिये। सरकार को श्रमिकों का साथ देना चाहिये और जनता उसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! पिछले दो दिनों से बिड़ला मिल के 70,000 मजदूर हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता से कार्यालय हटाये जा रहे हैं। मंत्री महोदय ! उत्तर देते समय इस बात को भी ध्यान में रखें।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Sir, the workers of our country have been leading a life of privation. Several rules and regulations have been laid down by the Government regarding the labour but I am constrained to state that under these labour laws the interests of the labourers have not been given any kind of protection. These laws are in favour of the Government, their officials and of the industrialists.

Mere slogans cannot bring socialism in the country. I admit that the Five Year Plans have increased the capital of the country but the Government could not realise the significance of the labour in this respect. The National Labour Commission was appointed with great expectations. The Commission have submitted their Report with no less than three hundred recommendations. But it is discouraging that the Commission adopted a judicial attitude towards the problems of the labourers. The Government have accepted the main recommendations made by the Commission without considering the further consequences. The Commission have not made any comment on the Trade Unions which have played an important role in awakening the labour class. The Commission have also ignored the disparity prevailing between the Public Sector and the Private Sector. The Commission have also recommended that the right to strike in the essential services should not be given to the workers. Sir, this recommendation is reactionary and no body will be prepared to accept it. The workers will never be prepared to be deprived of their basic rights. Thus it is obvious that the recommandations of the Commission are of advisory nature. The problems of the landless labourers working in the country side have also been ignored altogether by the Commission. They are totally unorganised labourers. In my constituency the labourers working in farms are paid only Rs. 0-50 per day. It will well explain the deplorable condition of these persons.

I suggest that the labour laws should be formulated in such a way that they could be applied to all the labourers. You cannot be allowed to ignore the interests of 31.4 per cent workers who work in farms. I also warn the Government that if the labourers are not given their rights they will be forced to decide their future by themselves.

Sir, today more than 59.4 million women have been working as casual labourers in the fields and in the vorious industries. The problems of these women labourers have never been taken into consideration. They have not been made permanent and as a result of which they are not given any kind of facilities in the industries. Besides, in various industries,liks Jute and Textiles the doors of employment have been closed to them in the name of rationalisation and mechanisation.

I also suggest in this regard that there should be a planned education for women. It is a well known fact that in these days the burden of the whole family cannot be borne by one person and therefore the women are supposed to participate. The economic and political exploitation of the women must be stopped now and all the easy jobs should be provided to the women.

A Commission should be appointed under the Chairmanship of Dr. Maitrayee Bose, the president of INTUC in order to decide as to what kind of education should be given to the women and as to what kind of work should be given to them in various industries.

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, the labour policy of a particular country is formulated on the basis of (1) Progressive real wage, (2) right to strike and (3) right to recognition. May I know from the Hon. Minister as to what the labour policy of our country is based on ? So far as the figures of real wage are concerned they have been decreasing gradually and now has been reduced to only 91. I am sorry to observe that the National Commission on Labour have given their decision against the interest of the labourers and therefore the recommendation of the Commission cannot be accepted. The Commission have not dealt with these basic points. The point of need based minimum wages have not been taken up properly by the Commission.

Government have stated that need based minimum wage would be dealt with by the Pay Commission. But I apprehend that at that time the Government would say that they would have to study the capacity to pay. If it would be the attitude of the Government, the need based minimum wages can never be given to the labourers.

It is argued by the Industrialists that if productivity is increased they will certainly increase the wages of the workers. According to the report of the Commission the "productivity per worker has increased by about 63% between 1952 and 1964". But the wages of the labourers have not been increased in accordance with the productivity.

The Commission have also observed that, "the average annual earning of workers is Rs. 1829 but the average national domestic product for a worker is Rs. 4879." When it is the position I do not understand there should be any difficulty in the way of giving the labouerrs need based minimum wages.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

Sir, strike is banned in Essential Services and in non-Essential Services you can have a strike upto 30 days. Beyond that the Government will intervene. It is an injustice being done to the labourers and it must be removed.

It was recommended by the Coal Wage Board that the workers of collieries should be given gratuity. The Government have accepted the proposal in principle but they have not implemented it so far. As a result of this the owners of collieries are removing the workers from the service in the name of their being physically unfit. More than 4 lakhs of workers are involved in this matter. I request that early decision should be taken by the Government to implement the suggestion relating to the gratuity. I also suggest that in case the matter requires some more time, the Government should announce that it will be given retrospective effect.

Since the consumer price index has reached 115 points the D. A. for the Colliery workers should be increased to Rs. 1-53.

The Industrial Disputes Act should be so amended that the employees of Hospitals are covered by it.

There is no Wage Board for the Samachar Bharti resulting in the non-payment of the salaries to the emyloyees of Samachar Bharti for two months together. The Hon. Minister should explain the position in this regard. It has been demanded by our party that the expenditure for all the concerns should be fixed and no one should be allowed to incur beyond that limit,

Sir, I am unable to support the demands of the Ministry of Labour because it is niggardly. Besides I do not find the Justification for maintaining this Department because of the fact that this Department do not have sympathetical approach towards the problems of the labourers.

Mr: Chairman : The Hon. Minister would give the reply tomorrow. Now, before I call Shri Bhagwat Jha Azad, Shri Mehta wants to speak as he has to go somewhere.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मुझे खेद है कि यह मंत्रालय कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है । कपड़ा मिल मजदूरों की समस्या का इस तथ्यों से अनुमान हो सकता है कि गत वर्ष सितम्बर में 50 मिल बंद रहे जिनकी स्थापित क्षमता 13-68 तकुए तथा 14,338 चर्खे थी, इसके परिणामस्वरूप 68,164 मजदूर बेरोजगार हो गये । यही स्थिति गत 2-3 वर्षों से चली आ रही है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि 16 मिलों को बन्द करना ही उचित था, परन्तु मुझे नहीं मालूम कि उन्हें बन्द करके क्या नये मिल स्थापित किये गये हैं । परन्तु मैं यह अवश्य जानता हूं कि मन्त्रालय द्वारा इन मिलों के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप 80,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये और उनके परिवारों की दशा सोचनीय हो गई ।

मेरे चुनाव क्षेत्र भावनगर में स्थित महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड को 1968 में बन्द किया गया था । जांच समिति ने अपनी राय दी कि यह मिल लाभप्रद है तथा सरकार को इसे अधिगृहीत कर लेना चाहिये । परन्तु सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया । सिरपुर स्थित कपड़ा मिल के साथ भी यही हुआ । वर्ष 1962 में एक बिड़ला कम्पनी ने सिरपुर में एक कपड़ा मिल को खरीद लिया और उसका नाम बदल कर न्यू गुजरात टैक्सटाईल मिल्स, सिरपुर रख दिया । मिल की खरीद के समय यह शर्त थी कि यह एक वर्ष में चालू हो जानी चाहिये । यह मिल 1963 से 1965 तक दो वर्ष तक चली और कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया परन्तु बिड़ला बंधुओं को इसके नवीकरण के लिये आवश्यक मशीनें न मिल सकीं । अन्ततः यह कहकर कि सरकार मशीनों के आधात लायसेंस नहीं देती, मिल को बन्द करने का नोटिस लगा दिया गया । कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन आदि नहीं दिये गये तथा न ही उनको उनकी भविष्य निधियां या छटनी राहत दी गई । फिर एक समझौता हुआ परन्तु प्रबंधकों ने उसका उल्लंघन किया । उन्होंने मशीनें तथा जमीन तक बेच दी । अब बेकार कर्मचारी मिल को आरम्भ करने के लिए सरकार के आगे-पीछे फिरते हैं ।

परन्तु मंत्रालय ने उनके हितों की रक्षा नहीं की । क्या मन्त्री महोदय इस मामले को अपने हाथ में लेने का साहस करेंगे तथा इसे निपटायेंगे ?

इसी प्रकार नवजीवन मिल्स जब बन्द हुई तो कोहिनूर मिल्स के एक निदेशक ने इसे पुनरारम्भ करने में रुचि दिखाई परन्तु जीवन बीमा निगम ने जिसके कोहिनूर मिल्स में शेयर थे, इसकी ओर ध्यान न दिया । अब वह निदेशक इस मिल को कैसे चला सकता है । सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे ।

भावनगर में विस्थापितों की तीन बस्तियां हैं । वहां के लोगों को भूमि का आवंटन सम्बन्धी मामला काफी समय से लटका हुआ है । भूतपूर्व श्रम मन्त्री श्री हाथी तथा राज्य मन्त्री श्री चह्वाण ने इस समस्या को कुछ अंशों में सुलझाया भी था परन्तु तबेला शिविर के विस्थापितों को भूमि आबंटन का मामला अभी हल नहीं हुआ है । अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या को शीघ्रातिशीघ्र हल किया जाये ।

भावनगर में सिन्धुनगर बस्ती में विस्थापितों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधा की व्यवस्था नहीं है। केवल एक कमरे में एक प्राथमिक पाठशाला है अतः बच्चों को बाहर धूप में बैठना पड़ता है। वर्षा में स्कूल को बन्द करना पड़ता है अतः इस स्कूल के लिये भवन का निर्माण होना बड़ा ही आवश्यक है। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय इस बारे में विचार करेगा।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : चर्चा के दौरान जो कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनका अभिप्राय यह कहना है कि हमारी श्रम-नीति असफल हुई है, हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करने में, श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने में तथा नये कानून बनाने और उद्योगों की मशीनी-करण करने में असफल रहे हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कई सदस्यों ने उठाया है। वस्तुतः यह आयोग वर्ष 1966 में गठित किया गया था और अगस्त, 1969 में हमें इसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अब तक इस प्रतिवेदन पर वृहत् रूप से विचार किया गया है। राज्यों के श्रम मंत्रियों ने भी इस पर विचार किया है। श्रमिक क्षेत्र के सर्वोच्च निकाय भारतीय श्रम सम्मेलन ने भी इस पर विचार किया। सलाहकार समिति के साथ भी हमने इस प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया। इस सभा में भी हम इस पर चर्चा करना चाहते थे परन्तु सभा को समय न मिला। आगामी स्थायी श्रम समिति में भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रतिवेदन पर अपना मत देने से पूर्व सरकार इस सभा के माननीय सदस्यों का विचार भी जानना चाहेगी। इस विषय से औद्योगिक संबंध आयोग तथा कर्मचारी संघों को मान्यता देने के मामलों का भी संबंध है। साथ ही इसमें मजूरी बोर्डों की कार्यप्रणाली तथा उनकी सिफारिशों को लागू करने से संबंधित मामलों पर भी विचार करना है। कुछ केन्द्रीय व्यापार संघ हैं जो इस बारे में गुप्त मतदान नहीं चाहते। वस्तुतः अधिकांश व्यापार संघ यह नहीं चाहते। प्रबन्धक भी गुप्त मतदान नहीं चाहते, श्रम आयोग ने भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी जटिल है और हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। अतः हम इस देश के उन सभी वर्गों का मत जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनका संबंध श्रम से है। इस प्रकार सभी का मत जान कर हम कोई कारगर हल निकाल लेंगे और फिर उचित समय पर इस सभा में कानून पेश कर देंगे।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम स्वयं इस कार्य में कार्यवाही आरम्भ करने के बड़े ही इच्छुक हैं तथा श्रम आयोग सिफारिशों को लागू करने की इच्छा रखते हैं।

सरकार ने सभा में कुछ महत्वपूर्ण नये श्रम कानून पुरस्थापित कर रखे हैं पर सभा को उन पर विचार करने का समय अभी नहीं मिला है। हम और भी कई महत्वपूर्ण कानून सभा के समक्ष पेश करेंगे।

कई सदस्यों ने मजूरी बोर्डों का जिक्र करते हुए उनके निर्णयों को लागू करने पर जोर दिया है। यह तो सब जानते हैं कि मजूरी बोर्डों का गठन मजदूरों के हितों की सहायता के लिए ही किया गया है और यह भी सच है कि ये बोर्ड अपना निर्णय देने में समय लेते हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि गत तीन-चार वर्षों से इन बोर्डों के निर्णयों को लागू करने की कार्यवाही असन्तोषजनक रही है क्योंकि उनकी ये सिफारिशें सांविधिक प्रकार की नहीं होतीं इसलिए उनको लागू कराने के

लिये हमें अन्य संगठनों से अनुरोध करना पड़ता है। ये सिफारिशें राज्य सरकारों को लागू करनी होती हैं और हम उनसे ऐसा करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इन मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिये। इनको लागू करने में चार-पांच साल तक प्रतीक्षा कराना अच्छा नहीं है। परन्तु प्रबन्धक अपनी-अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और उलटे यह कहते हैं कि मजदूरों को कुछ राहत देनी है तो वित्त मन्त्रालय से कहो कि वह कुछ दे दे। जब मजदूर वर्ग अर्थात् अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा भारतीय नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि संगठित हुये तो प्रबन्धकों ने 30 रुपये की वृद्धि की। इसलिये मजूरी बोर्डों के क्षेत्र में हमें राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि हम उन्हें किस प्रकार लागू करें। मांग यह की जा रही है कि उन्हें सांविधिक स्वरूप दिया जाये। हम इस मांग पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने पांच बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार की हैं।

यह सच है कि मेरी अपील पर जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग उद्योग के 40,000 मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी और मैंने आश्वासन दिया था कि किसी भी मजदूर का शोषण नहीं किया जायेगा। उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू था। मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ है कि वहां 28-30 व्यक्ति निकाल दिये गये हैं। मैंने इस संदर्भ में नई सरकार के श्रम मन्त्री जो कि प्रथम मन्त्री भी हैं इस बारे में टेलीफोन पर बातचीत की थी परन्तु उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्वयं हस्तक्षेप करके प्रबन्धकों से इस बारे में पुनर्विचार करने को कहूं। परन्तु अब क्योंकि वहां एक लोकप्रिय सरकार है तो उस सरकार को चाहिये कि वह प्रबंधकों पर इस बारे में जोर दे। अपने मन्त्रालय की ओर से भी मैं प्रबन्धकों से अपील करूंगा। मेरी सहानुभूति मजदूरों के साथ है। मैं प्रबन्धकों से अनुरोध करूंगा कि वह मजदूरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें। मुझे यह भी विश्वास है कि राज्य सरकार अपना प्रभाव प्रयोग कर इस विवाद को निपटायेगी। मैं तो अपनी ओर से यही कह सकता हूं कि हमारी सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा करती है न कि बिड़ला डालमियां या टाटा बन्धुओं की। विद्युत् मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्वसम्मत थीं। उन्हें संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया है। हमें उनकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है और इस बारे में हम यथाशीघ्र ही निर्णय करेंगे।

जहां तक दूसरे चीनी मजूरी बोर्ड का संबंध है, उसकी सिफारिशें सर्वसम्मत न होने के कारण हमने 29 तारीख को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है। अतः इस बारे में मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कार्यवाही की है।

इस्पात उद्योग के बारे में हमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मजूरी बोर्ड गठित करने को कहा गया है। परन्तु हमने निश्चय किया है इस मामले में भविष्य में कोई मजूरी बोर्ड गठित नहीं किया जायेगा। दोनों क्षेत्रों ने द्विपक्षीय बातचीत से अपने विवाद निपटाने का निर्णय किया है और छः महीने के अन्दर ही यह निर्णय करना स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्तरिम सहायता के बारे में वे केवल 15 दिन में निर्णय कर लेंगे। इस विवाद में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

Shri S. M. Benerji (Kanpur) : On a point of order. When a question has been asked about the assurance given to the workers of the Tata Engineering industry, and the Hon. Minister is replying and not objecting to the question; why you order for not recording that part of the interruption on your own? The Hon. Member wanted only that assurance that the Central Govt. was not under the mercy of Tatas, Birlas or Dalmias. Why do you exclude that part of the proceeding from the record.

Mr. Chairman : You perhaps could not follow my point. I cannot allow five for six persons standing and speaking at one time. The proceedings cannot go smoothly in this way. It has become the habit of the Members to stand en-bloc and interrupt the proceedings. When it has been said that the Hon. Minister is covering some important points and that the rest could be covered by the Senior Minister tomorrow. Why do several Hon. Members rise and interrupt ? This is not proper.

Shri Shiva Chandra Jha : Interruptions are made even when the Prime Minister speaks. The Hon. Minister may reply to certian interruptions if he so desires but there is no point in expunging the interruptions. Then, there is another way out. You may allow the Members to put questions after Minister's statement.

श्री भागवत झा आज़ाद : श्री योगेन्द्र शर्मा के प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है । यह सरकार लोगों के लिये है न कि बिड़ला बन्धुओं तथा डालमियां बन्धुओं के लिये ।

कोयला मज़ूरी बोर्ड की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणाम-स्वरूप कोयला-खानों में कार्य कर रहे 94 प्रतिशत मजदूरों को लाभ हुआ है और केवल 6 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं जिन्हें इन सिफारिशों का कोई लाभ नहीं हुआ है । न्यूनतम मजूरी राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं । उन्होंने ही खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है । जब भी हम देखते हैं कि निर्धारित मजूरी वर्तमान परिस्थितियों में कम है तो हम राज्य सरकारों को इसमें वृद्धि करने के लिये समय-समय पर कहते रहते हैं । हमने उन्हें न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करने के लिये कोई व्यवस्था करने के लिये भी कहा है ।

श्री बोहरा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कोयला-खान श्रम कल्याण निधि, अबरक-खान श्रम कल्याण निधि तथा लौह-अबरक-खान श्रम कल्याण निधि का एकीकरण करने का सुझाव दिया है । हम इन तीनों निधियों के लिये कुछ उच्च स्तर के अधिकार नियुक्त करने जा रहे हैं जिससे इन तीनों निधियों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित किया जा सके । राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार हम डोलोमाइट खानों के बारे में भी एक श्रम कल्याण बोर्ड बनाने जा रहे हैं ।

जहां तक स्वचालित मशीनों का उपयोग करने का प्रश्न है, हमने योजना आयोग के एक सदस्य श्री वेंकटरामन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी । सरकार यह नहीं चाहती है कि स्वचालित मशीनों का उपयोग बिल्कुल किया ही न जाये, हां इतना जरूर कहा गया है कि इन मशीनों के कारण कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जानी चाहिये ।

कोयला-खान मजदूरों को उपदान देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है और आशा है कि इस पर शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय कर लिया जायेगा । हम नहीं चाहते कि उपदान का भार नियोजकों की बजाए उपभोक्ताओं पर पड़े और इसीलिये इस प्रश्न की अभी पूरी छानबीन की जा रही है । वैसे इस सम्बंध में हमें मजदूरों के साथ पूरी सहानुभूति है ।

श्री किरूतिनन ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को चिकित्सा के मामले में अधिक लाभ दिया जाए । इस सम्बन्ध में यह बता दिया जाए कि निगम की वित्तीय स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है । सरकार ने अभी 24 करोड़ रुपये दिये हैं । 10 करोड़ रुपये राज्यों को, 10 करोड़ रुपये निर्माण-कार्यों के लिए तथा 4 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि को असंतुलन दूर करने के लिये दिये गये हैं । वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी हम इस सम्बन्ध में जो कुछ हो सकता होगा अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे । औषधियों के प्रश्न के बारे में यदि कोई शिकायत विशेष प्राप्त होगी तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

23.20

माननीय सदस्य जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। पिछले दो महीनों में लगभग 19,000 व्यक्ति भारत आये हैं। 1947 से लेकर अब तब पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से कुल मिलाकर कोई एक करोड़ विस्थापित व्यक्ति भारत आये हैं। इसके अलावा बर्मा से 1,78,000, मोजमबिके से 2300, श्रीलंका से 13,000 और तिब्बत से 56,000 विस्थापित व्यक्ति यहां आ चुके हैं। इन सब का पुनर्वास करने का काम कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसे सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत अब तक लगभग 13–14 हजार विस्थापित व्यक्ति यहां आये हैं। इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने पुराने स्थानों पर चले गये हैं और उन्होंने हमारे से कोई विशेष सहायता नहीं ली है। फिर भी मद्रास में एक पुनर्वास बैंक है और उन्हें यथा सम्भव सहायता देने का प्रयत्न किया जायेगा।

दण्डकारण्य एक बहुत ही बढ़िया परियोजना है। लगभग 1.22 लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिये लगभग 264 गांव तथा आदिम जातियों के लिये 161 गांव बनाये गये हैं। स्पष्ट है कि वहां पर अच्छा काम हुआ है, फिर भी कुछ सदस्यों ने मुख्य प्रशासक के विरुद्ध कुछ वैयक्तिक आरोप लगाए हैं। अभिलेखों में इस योग्य प्रशासक के विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम कर दिखाया है। इस परियोजना के कार्य की सभी लोगों ने सराहना की है।

वर्मा से अब तक 51,000 परिवार स्वदेश लौटे हैं और 1970-71 में लगभग 1500 परिवारों के स्वदेश लौटने की सम्भावना है। हमने इनके लिये शिविर खोले हैं और उन्हें अनुदान तथा अन्य सहायता दे रहे हैं। हम उन्हें बसाने का हर सम्भव यत्न कर रहे हैं।

भावनगर में, तवेला में लगभग 145 शरणार्थी परिवार हैं जिन्होंने प्रतिकर के रूप में वहीं सम्पत्ति की मांग की है जहां वे रह रहे हैं। कठिनाई यह है कि यह सम्पत्ति गुजरात सरकार की है और हमने इसका मूल्य निर्धारित करने के लिए लिखा है। जैसे ही यह जानकारी प्राप्त होगी, हम इस बारे में कोई ऐसा हल निकालने का प्रयत्न करेंगे जिससे विस्थापित व्यक्तियों को लाभ हो।

श्री जी० वेंकटस्वामी (सिद्दिपेट) : आई० डी० पी० एल० हड़ताल के बाद में क्या स्थिति है ?

श्री भागवत झा आजाद : आशा है कल तक कोई हल निकल आयेगा। हम माननीय सदस्य को अनशन नहीं करने देंगे।

नियम 377 के अंतर्गत मामला

MATTER UNDER RULE—377

Shri George Fernandes (Bombay) (South) : I want to apprise the House of certain things about the background of the pre-planned and barbarous attack on almost all the leaders and workers of a political party on 6th April, 1970.

I had told the Home Minister and the District Magistrate, Delhi that although we regarded the prohibitory orders in force near Parliament House as unjustified restrictions on the right of citizens to hold demonstration in front of the Parliament House, but we had no intention to violate them. The District Magistrate, Shri Arora had clearly informed us

in the Parade ground on the night of 5th April that we could hold a meeting in Pate Chowk although he could not give the permission in writing due to certain reasons.

In view of all this, we had no apprehensions about any untoward happenings and it wa s therefore that we allowed the processionists to take children in their laps and also take young boys along with them. It is being said in certain circles that SSP had planned an attack on the Parliament House and that is why the Police had to use force to disperse the demonstrators. This is an absurd lie.

Those people who have no interest to defend the police, will agree to this in unequivocal terms that Adivasis keep bows and arrows with them as a part and parcel of their traditional dress just as Sikhs wear Kirpans. Accordingly the officers did not take any objection to bows and arrows. If they wanted they could have taken objection when the procession had started from the Parade ground in front of Red Fort. In the Patel Chowk there were no confrontations between the Adivasis and policemen.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Half-an-hour before the procession reached Patel Chowk, Sarvashri Madhu Limaye and Mani Ram Bagri gave final touches to the arrangements for holding a meeting in consultation with the police authorities. After the meeting commenced, Sarvashri Rabi Ray, Madhu Limaye and J. H. Patel started moving towards Parliament House to present the petition to the Speaker and to request hlm to address the meeting. At that time we got news about some tension between some demonstrators and the police. At once some leaders of the party went there and stood between the police and the demonstrators. They pacified the demonstrators and also requested the policemen not to incite any trouble. Sarvashri Rabi Ray, Madhu Limaye, J. H. Patel, Ram Sewak Yadav, Ramanand Tiwary, Kamlesh and I myself intervened in the matter and tried to ensure that no untoward incident takes place.

There was no ground for the use of force by the police on the 6th April. Neither the assembly was illegal nor the demonstrators were violent. The leaders were themselves making efforts to see that no untoward incident takes place. Inspite of all this, not only the police constables, but also the police officers started their pre-planned attack, the leaders trying to control the situation being their first target. Lathi charge was resorted to twice and tear-gas shells were also exaploaded twice. The sort of cruelty perpetrated by the police showed that they intended to finish off some of us.

At least four policemen and two police officers beat me with lathis. Even when some people tried to take me to a safe place and also announced my identity, I was pulled into the police cordon and beaten with lathis. I was not taken to hospital for an hour and all this time the police officers continued to pass taunting remarks against me. One of them, Shri Marwaha behaved in a very inhuman manner. But for the timely help of my associates that I would have not survived.

The police beat mercilessly about one thousand to fifteen hundred SSP workers including leaders, Harijans and adivasi women in their pre-planned attack. Many of them did not go to hospital as those who had earlier gone to the hospital were arrested. One of my friend, Shri Bihari Singh died as a result of injurtes and his dead body was found on the road side. I have reason to believe that many persons had been killed and no trace was left of the bodies. Many of the party workers were still missing. The Government has not so far given any statement. The Prime Minister had promised to get the whole matter enquired into by a judge of High Court but so far no appointment has been made.

Sarvashri KK Shah, BR Bhagat, Vidhya Charan Shukla, LN Misra, a number of MPs and many other people have told us that there was conspiracy behind the 6th April incidents. Although people have different interpetations of the conspiracy, but it cannot be believed that such a fierce attack by police can be made without the instigation or consent of some high ups.

This is an incident which should attract the attention of the whole country and the Parliament. Not only the culprits should be punished but steps should also be taken to reform the administration of law and order machinery and the police behaviour towards people so that India can truly become one of the civilized countries.

At the end I express my gratitude towards the Speaker, a number of MPs, diplomats and leaders of all the political parties who have either called on me or have sent letters and telegrams to enquire about my health when I was in the hospital.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सत्य है कि कार्य-सूची में इसका उल्लेख नहीं है । लेकिन श्री जार्ज फरनेन्डीज को नियम 377 के अंतर्गत विवरण देने के लिए अध्यक्ष महोदय ने विशेष अनुमति प्रदान की है । श्री सोंधी द्वारा उठाया गया प्रश्न पूर्णतया वैध है । यदि मंत्री चाहते हैं तो वह उत्तर दे सकते हैं ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अध्यक्ष अथवा सभापति को विशेषाधिकार है कि वे महत्त्वपूर्ण अवसर पर विवरण देने के लिये हममें से किसी को अनुमति प्रदान करें । इसके लिये सभापति से पहले अनुमति लेनी पड़ती है । लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि अध्यक्ष सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करे । जब इस प्रश्न पर सदन में इससे पहले विचार-विमर्श हुआ तो सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि सरकार इस पर जांच समिति नियुक्त करेगी । अतः आज जार्ज फरनेन्डीज को इस सदन में विवरण देने के लिए अनुमति देना बिल्कुल अनुचित है क्योंकि वह केवल वहां के तथ्यों को बता सकते हैं जबकि हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री जार्ज फरनेंडीज ने नियम 377 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से सदन में तथ्यात्मक विवरण दिया है और केवल जांच की मांग की है । प्रधान मंत्री ने सदन में यह आश्वाशन दिया था कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जायेगी लेकिन अभी तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यह न्यायिक जांच नहीं करवाई गई है । अतः माननीय सदस्य द्वारा कथित विवरण का पूरा मामला नियुक्त की जाने वाली समिति को सौंपना चाहिये । यह बड़ी शर्मनाक बात है कि आज तक न्यायिक जांच नहीं कराई गई है । अब श्री जार्ज फरनेन्डीज ने जो विवरण दिया है, उसकी मन्त्री महोदय पुष्टि करें अथवा उसका खण्डन करें और श्रीमान् मन्त्री महोदय से आप कहें कि वह आज अपना विवरण न दें अपितु इस मामले पर विचार करें और अपना विवरण कल को दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सुनिश्चित करें कि क्या अब वह न्यायिक जांच के सीमित प्रश्न पर कुछ कहना चाहेंगे ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं न्यायिक जांच के बारे में ही कहने जा रहा था जब माननीय सदस्य बीच में बोल पड़े । वैयक्तिक स्पष्टीकरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं···(अन्तर्बाधा)

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : जब तक धारा 144 है, मन्त्री महोदय पुलिस को बुला सकते हैं और हमें पिटवा सकते हैं। सदस्यों की ओर से अध्यक्ष महोदय को यहां पर दृढ़तापूर्वक कहना चाहिये कि धारा 144 को हटा दिया जाये जिसके लिये मन्त्री महोदय ही उत्तरदायी हैं। यह हमारे विशेषाधिकार-भंग का मामला है। सदन में उस उपबन्ध की क्या उपयोगिता है जिसमें केवल अध्यक्ष को ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि सदन में क्या होना चाहिए ? मैं जानना चाहता हूं कि धारा 144 हम पर क्यों थोपी गई है ? मन्त्री महोदय को वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने श्री फरनेन्डीज को नहीं कहा कि इस मामले में षडयंत्र था।

जैसे ही सभा में जांच समिति को नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की गई, हम तत्काल भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिले और उनसे अनुरोध किया कि वे उच्च न्यायालय के सेवा करने वाले कुछ न्यायाधीशों के नाम दें, जो इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये जा सकें। उन्होंने तीन नाम दिये—दो भारतीय सिविल न्यायाधीश हैं और एक गैर-भारतीय सिविल सेवा के न्यायाधीश। हमने सोचा है कि यह अच्छा होगा कि यदि हम गैर-भारतीय सिविल सेवा न्यायाधीश को नियुक्त करें। अतः, अब हमने निर्णय ले लिया है और एक जांच आयोग की नियुक्ति के लिए, जिसमें श्री न्यायाधीश कुप्पुस्वामी अलादी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, हैदराबाद के बारे में एक अधिसूचना निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिये जारी कर दी गई है या आज जारी की जा रही है :—

(क) 6 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में संयुक्त समाजवादी दल द्वारा निकाले गये जलूस में उत्पन्न घटनाओं, विशेष रूप से, पटेल चौक क्षेत्र के अन्दर तथा चारों ओर हुई घटनाओं, जिनमें बल प्रयोग किया गया और जिसके परिणामस्वरूप कुछ संसद् सदस्यों को शामिल करके अन्य कई लोगों को जो चोटें पहुंची और बाराबंकी के श्री बिहारी की मृत्यु हुई, तथा यह आरोप लगाया गया है कि वह सब बल प्रयोग का परिणाम था ;

(ख) पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग कहां तक उचित है और उसकी क्या सीमा है ;

(ग) उपर्युक्त से सम्बन्धित कोई अन्य विषय।

आशा है कि आयोग अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को चार महीनों के अन्दर प्रस्तुत कर देगा।

आयोग को जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत सभी आवश्यक शक्तियां दी जायेंगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : वैयक्तिक स्पष्टीकरण के मामले पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैयक्तिक स्पष्टीकरण पर बोलने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन आप एक मन्त्री के बाद दूसरे मन्त्री को वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति प्रदान करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने श्री जार्ज फरनेन्डीज को इस पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। नियम 377 के अन्तर्गत प्रश्नों को पूछा जाता है और उनका उत्तर देने के लिये कहा जाता है। अत: सदस्य के विवरण देने के पश्चात् मन्त्री महोदय बयान देते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैं श्री ल० ना० मिश्र का उल्लेख कर रही हूं जो वैयक्तिक स्पष्टीकरण के मामले पर बोलना चाहते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : मेरा नाम बोलने वालों की सूची में दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri V. C. Shukla has said that he has not told Mr. George Fernandes that there was any conspiracy in this matter Mr. George Fernandes has also not said in this statement that this is mentioned to him but he said that this is mentioned to them. Shri V. C. Shukla and B. R. Bhagat has told me in the presence of many other people that there is conspiracy in this matter and the Government is going to be dislodged.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है और यह सभी आयोग समिति का विषय है। अत: यहां पर अब अधिक विवरण देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am pinched to say and do not confirm what Mr. George Fernandes has said. I went to Willingdon Hospital twice to see him. I have enquired from him about his health and have no talk about the conspiracy.

श्री विद्याचरण शुक्ल उठे—

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : How long this counter reply will go on ? Let us close this chapter now.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने श्री मधु लिमये से इस तरह की कोई बात नहीं की है जिनका उन्होंने अभी उल्लेख किया है......(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि अब जांच आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिये इस मामले को खत्म करिये।

पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं :

"राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने के लिये पश्चिम बंगाल के राज्य विधान मंडल की ओर से कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपना।"

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा में राष्ट्रपति ने राज्य विधान मंडल के अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग संसद् के अधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा। यह वर्तमान विधेयक राष्ट्रपति को पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल की ओर से कानून बनाने का अधिकार देता है।

हमने परामर्शदाता समिति की एक और प्रणाली आरम्भ की है, जो कि ऐसे कानूनों के विधायन के लिए राष्ट्रपति के परामर्श देने के लिए समिति में कार्य करने वाले सदस्यों को अवैधानिक

ढंग की बातों को उठाने के लिए गठित की गई है। प्रशासन के साथ हम राष्ट्रपति शासन में भी लोकप्रिय तत्वों को प्रशासन के साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं, ताकि राष्ट्रपति शासन के दौरान होने वाली राज्य प्रशासन की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में हम सब सदस्यों को परिचित कराते रहें।

इस समिति में 60 सदस्यों का प्रस्ताव किया गया, जैसे कि पहली बार जब पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और हम सभी वर्गों और दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं, जो इस सभा अथवा राज्य सभा में कार्य कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि सभा इस विधेयक को पास कर देगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I waut to ophose this consideration Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर बोलते समय आप इसका विरोध कीजिए। इस स्थिति में सबसे अच्छी बात होगी कि आप व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कीजिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am raising a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप अभी विधेयक के गुण-दोष पर बोल रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Through this bill you are conferring the rights of making laws to the Governor, which is being breached by him. Governor is only the Agent of the President and he has to work according to the orders of the President. It has been published in the Hindustan Times :

All the four advisers and the Governor will hold a cabinet type of meeting at the Writers' building on Saturday morning.

Mr. Speaker, Sir, the rights of the cabinet are being snatched away and the Governor is considering himself as a Chief Minister In fact, the Governor has no such rights under the President Rule. As the Governor is defying the orders of the President, therefore an order should be issued to remove him.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि आपकी बात इस विधेयक पर विचार करते समय आड़े नहीं आती।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The House should receive an assurance that Shri Dhawan will not misuse the rights to be given to the President.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, 19 मार्च, 1970 को पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति उद्घोषणा के अनुसरण में इस विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सरकार बिना अधिकारों वाली 60 संसद् सदस्यों की एक नाम-निर्देशित समिति स्थापित करने जा रही है तथा इस समिति के पास किसी प्रकार की सत्ता नहीं होगी। सरकार स्वयं ही अपने पास अब कार्यकारी सत्ता ग्रहण करने जा रही है, जो विधान मण्डल के सामान्य लोकतंत्र में कार्य करेगी। यदि विधान मण्डल निलंबित किया जाता है और यह लोकतंत्रीय अधिकार संसद् को सौंप दिया जाता है, तो इस 60 सदस्यों की समिति को मनोनीत नहीं किया जाना चाहिये।

श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका मंत्रि-परिषद् सरकार के बाद सरकार को गिरा रहे हैं। यदि यही आदर्श बन जाता है, तब या तो गृह-कार्य मन्त्री महोदय अथवा प्रधान मन्त्री महोदया के आदेशाधीन शीघ्र ही 50% राज्यों पर राष्ट्रपति महोदय तानाशाही अधिकार प्राप्त कर लेंगे।

वास्तव में, सरकार का लोकतंत्र को उद्घोषित करने का प्रस्ताव है और यह कहना है कि यह संविधान के अनुसार कार्य करेगी परन्तु यह हर पग पर संविधान को मटियामेट करने का प्रयास कर रही है।

पश्चिमी बंगाल के महाधिवक्ता को बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श अपेक्षित है। ऐसा क्यों है कि महाधिवक्ता महोदय को महाधिवक्ता रहने दिया गया है, जिनके बारे में यह विदित है कि उनके राजनीतिक सम्बन्ध बने हुए हैं।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान भी स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी है। समाचार पत्रों में नक्सलवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों के सम्बन्ध में उस दिन ही एक सूचना प्रकाशित हुई है। मेरा अनुमान है कि शायद सरकार का यह विचार है कि सैनिक बल अथवा पुलिस बल का प्रयोग करके यह पश्चिमी बंगाल में व्यवस्था कायम कर सकती है। वस्तुत: पश्चिमी बंगाल में शान्ति और स्थायी प्रशासन की आवश्यकता है। लेकिन वहां अनिश्चयता है। हमने कई प्रकार के राजनीतिक षडयन्त्रों के सम्बन्ध में सुना है जो वहां किये जा रहे हैं। यह भी सुनने में आया है कि कई राजनीतिक संगठनों की सम्भावना की खोज की जा रही है।

अत: केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय करना चाहिये कि उसे निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिये ताकि इससे राज्य को संभल जाने के लिए समय मिल सके। उन्हें यह भी निर्णय करना चाहिए कि वे वहां नये सिरे से चुनाव करायें जैसा श्री ज्योति बसु ने कहा है।

पश्चिमी बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है और सबसे अधिक औद्योगिक पूंजी वहीं लगी हुई है। सभी भारी उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी हुई है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। यही पश्चिमी बंगाल में हिंसा और ऐसी स्थिति का मुख्य कारण है। केन्द्र द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

केन्द्र के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की शक्तियां थोड़ी-बहुत उसी तरह की हैं, जैसा कि राज्यों के सम्बन्ध में जिला परिषदों की शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार कठपुतली बना कर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था नष्ट कर सकती है, जैसा कि वह करना चाहती है। आज यह राजनीतिक जीवन का तथ्य है। यदि समय रहते पूंजी लगाई गई होती और रोजगार के अवसर प्रदान किये गये होते, तो हमें वर्तमान स्थिति का सामना न करना पड़ता। दुर्भाग्यवश परियोजनाओं को लागू करते समय राजनीतिक विचारधारा उपस्थित हो जाती है। परिणामस्वरूप पारादीप बन्दरगाह को अधिक महत्ता दी जाती है और हल्दिया बन्दरगाह की उपेक्षा की जाती है।

आज पश्चिमी बंगाल में जैसी राजनीतिक स्थितियां हैं, वैसी ही परिस्थितियां सारे भारत में हो जायेंगी, जब तक सरकार अपनी नीति को चलाने के सम्बन्ध में कुछ न्याय का पालन नहीं करती है। हमने देखा है कि किस प्रकार साधनों के आबंटन में शुद्ध राजनीतिक विचार घुस आये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि प्रत्येक राज्य के आन्तरिक राजनीति में सरकार दिलचस्पी दिखाती है तो वे एक प्रकार से आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं जिससे आग और भड़क उठेगी।

अन्त में, यदि इस प्रकार की संसदीय समिति स्थापित की जा रही है तो वह विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित की हुई एक प्रकार की परामर्शदात्री समिति न हो। यह सरकार के बुरे शासन का ही परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास इस वाद-विवाद के लिए केवल दो घंटे हैं, अतः मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने कथन को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में कहें।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, मुझे खेद है कि हमें इन दो वर्षों के दौरान दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का समर्थन करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति शासन के चाहे कितने ही लाभ क्यों न हों किन्तु एक बात निश्चित है कि इस प्रकार के शासन में जनता का वह सहयोग न ी होता जो मतदान के अधार पर बनी सरकार में होता है। यदि कुछ और समय तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहा तो वहां की जनता बिल्कुल निराश हो जायेगी। विभाजन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल पर पड़ा है। इसका हमें गर्व है कि पश्चिम से भिन्न हमारे यहां सभी मुस्लिम अल्पसंख्यक वहां के वहां रह गए किन्तु साथ ही इससे राज्य पर भार भी बहुत पड़ा क्योंकि पूर्वी बंगाल से लाखों लोग खदेड़ दिए गए और यह क्रम अब भी चल रहा है। परिणामतः राज्य के पास न तो पर्याप्त जमीन है और न ही स्कूल तथा रोजगार के लिए पर्याप्त साधन। वस्तुतः यदि बंगाल को डा० बी० सी० राय जैसे योग्य प्रशासन का नेतृत्व न प्राप्त होता तो बंगाल का सम्पूर्ण नागरिक जीवन छिन्न-भिन्न हो चुका होता। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जब मैं 1957 में इस सदन में आया था तो कलकत्ता की हालत बहुत खराब थी। जनसंख्या के 60 लाख तक पहुंच जाने पर भी कोई सुविधा नहीं थी। हमने तत्कालीन वित्त मंत्रियों से इसे अखिल भारतीय स्तर की समस्या के रूप में हल करने का अनुरोध किया था। मुझे स्मरण है पं० जवाहर लाल नेहरू और अन्य लोग हमेशा बड़े-बड़े आश्वासन देते रहे थे। इस पर भी क्या हुआ है ? वहां हो रही हिंसा के लिए लोगों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि किसी समय निराशा सभी सीमाओं को पार कर जाती है। यह मानवीय स्वभाव है। आप लोगों को दशाब्दियों तक दबाए नहीं रख सकते। बंगाल की बढ़ती समस्याओं का एक यही कारण है। वास्तविक समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया और यदि इसे दूर न किया गया तो बहुत शीघ्र एक ऐसी स्थिति निर्माण होगी जो समूचे देश में अपना यथासंभव प्रभुत्व जमाएगी।

40 लाख लोग कलकत्ता में दूसरी ओर से आए हैं। वे इधर-उधर विस्थापित हुए बैठे हैं और उनको उचित शिक्षा, आवास तथा नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और परिणामस्वरूप सारा नगर अब खण्डहर बन गया है। इस तरह की राष्ट्रपति शासन पद्धति तभी अपने को उचित सिद्ध करेगी यदि यह महानगरीय क्षेत्र के पुनर्विभाग के कार्य को आरम्भ करने के लिए पहल करवाने में सफल हो जाए जो अब कठिनाइयों को सहन करने वाले 80 लाख लोगों का घर बन गया है। इन लोगों को किसी प्रकार भी जीवन की सुरक्षा प्राप्त नहीं हैं।

इस सयस्या का सामना करना ही होगा। धनाभाव की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा प्रधान मन्त्री महोदय सरकार के दूसरे नेता और विरोधी पक्ष के नेता को मिलकर बैठना चाहिए ताकि इस महान विपत्ति को समाप्त करने के लिए कार्य आरम्भ किया जाए जो कि बंगाल के लिए एक दशक से एक महान कष्ट बना हुआ है। इस समस्या के समाधान में अधिक विलम्ब सहन नहीं

किया जा सकता। आवश्यक निधि जुटानी हो पड़ेगी और यदि आवश्यक हो तो हमें बाहरी संसार को इस मानवीय समस्या को समाप्त करने के लिए सहायता की अपील करनी चाहिये।

कार्य आरम्भ करने के लिये उचित व्यवस्था, सभी खण्डों के स्तर पर, फिर से फालतू भूमि के वितरण करने के लिए, जो बेनामी के रूप में रखी हुई है अथवा अधिकतम सीमा से ऊपर है, चालू करना चाहिये। अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक खण्ड में तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिए। एक घोषणा की जानी चाहिये कि इन अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा फालतू भूमि का तुरन्त फिर से वितरण किया जाए ताकि भूमिहीन किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को भूमि मिले।

मैं जानता हूं कि वैधानिक तरीकों से भूमि बांटने की बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि कुछ लोग यह समझते हैं कि वैधानिक तरीके बेकार हैं और इसे बल-प्रयोग से ही करना चाहिये। ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को दूसरे की भूमि पर धरना देने के लिए उकसाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास स्वयं कितने ही एकड़ भूमि है और जिन्होंने छोटे किसानों की भूमि पर धरना दिया था। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है। मैं गृह-मन्त्री श्री चह्वाण और इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता श्री शुक्ल से अनुरोध करता हूं कि वे प्रस्तुत प्रस्ताव का उत्तर देते हुये ये घोषित करेंगे कि उपर्युक्त व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री ना० गो० रंगा (श्रीकाकुलम) : महोदय हमें खेद है कि पश्चिम बंगाल और वहां की जनता को पिछले दो से अधिक वर्षों से इतने उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस बात का भी खेद है कि प्रजातांत्रिक पद्धति पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके धन, रोजगार तथा स्वतंत्रता-पूर्वक विचरण न और शिक्षा आदि की सुविधा देने में असफल रही है। यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की समस्या को एक अखिल भारतीय समस्या समझना चाहिए। हम सभी इसके पक्ष में हैं। यह भी कहा गया है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो हम पश्चिमी बंगाल की जनता विशेषकर शरणार्थियों के सामाजिक उत्थान के लिए कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल 20 वर्ष से इस देश पर शासन कर रहा है और इसके बावजूद ये समस्याएं खड़ी हो गई हैं। वहाँ जीवन की सुरक्षा नहीं है, रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं, शिक्षा की सुविधा नहीं है। इन सभी वर्षों में पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक ठगी हुई है। और अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। मेरे मित्र को इस पर खेद है किन्तु सामान्य लोकतंत्रीय प्रणाली के बार-बार असफल होने पर राष्ट्रपति शासन को लागू करना अवश्यंभावी हो गया था। राष्ट्रपति शासन बहुत पहले लागू करना चाहिए था। पश्चिमी बंगाल की जनता पर 13 महीनों तक इतना भीषण और कठोर शासन करने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने ठीक ही कहा है कि यह सरकार की राजनीति है अन्यथा वहां राष्ट्रपति शासन पहले ही लागू कर दिया जाता। इससे वहां की जनता की स्थिरता के लिए तथा सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। इसके बावजूद सरकार इस सुझाव को प्रस्तुत कर रही है क्योंकि वह उन दलों के मतों पर निर्भर है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ठगी हुई है। मैं इसकी शिकायत डा० बी० सी० राय और पंडित नेहरू से करता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में नेताओं को रिश्वत देकर प्रशासन चलाया गया है और इस काम में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी भाग लिया है और इस प्रकार पश्चिम बंगाल के राजनीतिक जीवन को अनैतिक बना दिया है।

वहां पर हमारे दल का कार्य न करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां के लोग कहते हैं कि हम तो साम्यवादियों और समाजवादियों के द्वारा बतलाई गई तथा रूस और चीन में विद्यमान स्वतंत्रता को अपनायेंगे। इन लोगों ने उनके कान अपने प्रचार से इतने भर रखे हैं कि उन्हें कितना भी समझाया जाए कि रूस और चीन में बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं है वे मानने को तैयार नहीं। इतना सब होते हुए भी मेरे कांग्रेसी तथा अन्य मित्रों ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और वहां की जनता के साथ राजनीतिक ठगी करते रहे। अतः मैं एक-दो सुझाव रखना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने जा रही है ताकि इस सभा में अन्य संसद् सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल से निर्वाचित संसद् सदस्यों को शामिल किया जाएगा। यह एक मनोनीत समिति नहीं होगी। यह एक ऐसी समिति होगी जो सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई जायेगी और निस्सन्देह अध्यक्ष महोदय इसमें सदस्यों को नामजद करेंगे।

मुझे ऐसी समितियों का कुछ अनुभव है। मैं अपने माननीय मित्रों को सावधान कर रहा हूं कि ऐसे विधेयक जिन्हें सदन में पारित करने में कई सप्ताह लग जाते हैं सरकार परामर्शदात्री समिति को इन विधेयकों पर विचार करने के लिए केवल एक या दो दिन का समय देती है। हमें उन पर केवल कुछ टिप्पणियां देने के लिए कहा जाता है किन्तु अंतिम निर्णय वे अपनी इच्छा से ही लेते हैं। इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है। सरकार को इन सलाहकारी समितियों को अधिक समय देना चाहिए ताकि उन पर विस्तार के साथ विचार किया जा सके। पश्चिम बंगाल का भी अपना एक पूर्ण अस्तित्व है अतः पश्चिम बंगाल की समस्याएं विशेष सावधानी और विचार के साथ और राजनीतिमत्ता तथा दूरदर्शिता के साथ निपटायी जानी चाहिए।

सरकार को वर्तमान राज्यपाल को बदल देना चाहिए। यह जितना जल्दी किया जाएगा पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए उतना अच्छा होगा। सरकार को प्रयत्न करके यह देखना चाहिए कि प्रशासन पुलिस राज्यपाल का भवन और पश्चिमी बंगाल का समूचा वातावरण दलगत राजनीति और विचारधारा सम्बन्धी पक्षपात से मुक्त किया जाए और पश्चिम बंगाल को एक अच्छी, कुशल और सच्ची सरकार प्रदान की जाए।

च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री अजय मुखर्जी ने अपनी ही सरकार को असभ्य तथा बर्बर कहा था तब प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझ लिया था कि इसका अन्त निकट है, अतः आज यदि सरकार गिर गई है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है जिसने सरकार बनायी थी और इसके लिए गृह-मन्त्री अथवा श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा कांग्रेस उत्तरदायी नहीं है।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, जिससे राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लोगों का जीवन व्यवस्थित हो सके। सभी जानते हैं कि गत सरकार के समय कानून और व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गए थे।

राज्य में शिक्षा सम्बन्धी वातावरण इतना अधिक दूषित हो गया है कि समूचा शिक्षा ढांचा और छात्र जीवन अस्तव्यस्त हो गया। अतः इसे ठीक स्थिति में लाना है। जादवपुर और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अस्तव्यस्तता यही प्रमाणित करती है। लोगों का बौद्धिक जीवन इस सीमा तक विनष्ट हो चुका है कि इसका बौद्धिक आधार पर पुर्नवास करने के लिए पर्याप्त समय और देखभाल

की आवश्यकता है । पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्थाओं में जो कुछ भी किया गया है किसी घोटाले से कम नहीं । मार्क्सवादी साम्यवादी दल मन्त्री ने जिनके कार्यभार में शिक्षा-विभाग था यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि स्वयं उनके लोग प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मुख्य पदों पर रखे जायं । माध्यमिक स्कूलों की अधिक से अधिक 300 प्रबन्ध समितियां समाप्त कर दी गई थीं और उनका प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया गया था । समाचार पत्रों में देखा गया कि नरकालंडगा में एक विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव के बारे में मार्क्सवादी साम्यवादी दल तथा संयुक्त मोर्चा के एक घटक के बीच झगड़ें में एक हत्या हुई है । राष्ट्रपति शासन के अधीन भी ऐसा हो रहा है क्योंकि पक्की आदत कठिनता से छूटती है । बंगाल में शैक्षिक वातावरण को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ।

राष्ट्रपति शासन को लागू करने के बाद राज्य में नक्सलपंथियों की गतिविधियों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है । मुझे सन्देह है कि इन गतिविधियों की आड़ में कई लोग अन्य स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं जिससे कि राष्ट्रपति शासन सफल न हो सके । अतः सरकार इस मामले की जांच करे कि क्या राष्ट्रपति शासन के लागू होने के पश्चात् नक्सलपंथियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी कहीं निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए तो नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के उल्लेख से मुझे यह बात याद आ गई है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने अपने आदमियों को पुलिस विभाग के हर ऊँचे पद पर नियुक्त करने में विशेष सावधानी से काम लिया है । इसी के फलस्वरूप तो पुलिस प्रशासन के मुख्य मन्त्री तथा राज्य के अन्य लोगों को क्षति पहुचाने के विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया गया । मैं इसके अन्य उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि इस तथ्य से तो प्रत्येक व्यक्ति परिचित है कि क्रोधी पुलिसमैनों ने किस प्रकार विधान सभा पर धावा बोल दिया, अध्यक्ष का पीछा किया और उसे खिड़की में से कूदने के लिए बाध्य कर दिया ।

श्री ज्योति बसु के प्रशासन काल में ही पुलिस कर्मचारी समिति बनाई गई । जब इस पुलिस समिति ने देखा कि संयुक्त मोर्चा सरकार का शासन समाप्त होने वाला है तो उन्होंने कहा कि सत्ता जिस अन्य सरकार के हाथ जायेगी तो उसे भी हम शासन नहीं करने देंगे । पुलिस के इन 40,000 हजार कर्मचारियों ने कहा कि हम केवल दर्शक बनकर चुपचाप यह सब नहीं देखते रहेंगे ।

मेरा विचार है कि राष्ट्रपति शासनकाल में शिक्षा पद्धति को पुनः स्थापित किया जाना चाहिये । प्रशासन में सुधार कार्य के साथ-साथ विकास कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिये । राज्य में लगभग जिन 170 कारखानों पर या तो तालाबन्दी है या वह बन्द हैं । इसके फलस्वरूप इन कारखानों के कर्मचारियों के परिवारों पर कुप्रभाव पड़ रहा है । इन कारखानों को फिर से चालू किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों के साथ लोगों को रोजगार आदि देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

मेरे विचार से उत्तरी बंगाल में सुधार कार्य के लिए एक केन्द्रीय विकास बोर्ड होना चाहिये । इस प्रकार के बोर्ड का एक सुझाव योजना आयोग द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और बजट में इसके लिये व्यवस्था भी की जा चुकी है । इसके साथ ही तीस्ता महानदी सिंचाई योजना पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये और जो अन्य भूले भटके लोग हैं उनको राष्ट्रीय समाज सेवा पद्धति के अधीन पाला जाना चाहिये । अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है तो इस समस्या का बहुत सीमा तक समाधान हो जायेगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने का अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिये जो समिति बनाई जा रही है उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यह तो केवल परामर्श समिति होगी जिसकी बैठक छः महीनों में एक बार होती है। यदि इस समिति को आप एक वास्तविक समिति बनाना चाहते हैं तो इसमें पश्चिमी बंगाल के सभी निर्वाचित सदस्य और कुछ अन्य सदस्य होने चाहियें। दूसरे इस समिति की बैठक अक्सर होती रहनी चाहिये ताकि जो कार्यभार इसे सौंपा जाये उसे वह भलीभांति पूर्ण कर सके।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति की ओर से बंगाल का शासन-कार्य चलाना है, बहुत विवादास्पद बन गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री धवन के बारे में कुछ नहीं कहना है। वह बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। परन्तु न जाने राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने अपने सम्बन्ध इतने क्यों बढ़ा लिये हैं। अगर इस स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ तो समस्या और गम्भीर रूप धारण कर लेगी। अगर अब वहां से राज्यपाल का स्थानान्तरण कर दिया जाये तो यह राज्यपाल के हित में होगा। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा वह वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध न हो। केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में तुरन्त ही निर्णय करना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो भारत में चीन जैसी क्रान्ति लाकर वहां साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। यह बात आज किसी से छिपी नहीं है। यह लोग मो-तस-तंग को अपना नेता स्वीकार कर चुके हैं और भारत को चीन के साथ जोड़ना चाहते हैं। अतः अब समय आ गया है जब कि न केवल सरकार वर्ण सभी राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों को यह निर्णय करना होगा कि क्या वह इस प्रकार के तत्वों को पनपने देना चाहते हैं या नहीं, क्या हम अपनी स्वाधीनता और लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं या नहीं।

आज कुछ तत्व संविधान द्वारा दिये गये स्वतन्त्रता के अधिकार से लाभ उठाकर संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मार्क्सवादी नेता श्री ज्योति बसु तो पहले ही 'रक्तपात' की बातें कर रहे हैं। परन्तु इतना सब कुछ स्पष्ट होने पर भी सरकार उनके दल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती। वह केवल अपीलों द्वारा इस समस्या को सुलझाना चाहती है परन्तु हमारा यह विश्वास है कि उसका यह रवैया समस्या सुलझाने में सहायक नहीं हो सकता। सरकार को ऐसे तत्वों के साथ कड़ाई और सख्ती से निपटना चाहिये और नक्सलवादियों तथा उनसे सम्बद्ध अन्य सभी ऐसे तत्वों के साथ जिनकी विदेशों के प्रति निष्ठा है, जो भारतीय लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता को समाप्त करना चाहते हैं, कड़ाई से पेश आना चाहिये। हमारा सरकार के साथ कितना भी मतभेद क्यों न हो हम अपने देश की एकता, लोकतन्त्र और संविधान के लिये सदा उसका साथ देने को तत्पर रहते हैं।

श्री ए० के० सेन ने अल्पसंख्यकों के प्रश्न को उठाया और कहा कि 1947 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब की तरह जनसंख्या का तबादला नहीं किया गया। अतः सरकार को चाहिये कि वह जो भी कार्य करती है उसका अन्त तक तर्कसंगत दृष्टि से निर्वाह भी करे। इस बात को

तो हमारे विधि निर्माता डा० अम्बेदकर ने भी स्वीकार किया है कि यदि आपने विभाजन स्वीकार किया है तो जनसंख्या के तबादले को भी स्वीकार करना ही चाहिये । परन्तु दुर्भाग्य यह है कि उस समय बंगाल में यह विचारने वाले नेता नहीं थे । कांग्रेस ने यह सोचा कि चलो हमें मुस्लिमानों के मत प्राप्त हो जायेंगे, परन्तु आज यही वोट जब कांग्रेस की अपेक्षा साम्यवादियों को जाने लगे हैं तो श्री सेन ने पुनः इस पर विचार शुरू कर दिया है । मैं किसी के भी विरुद्ध नहीं हूं । मुस्लमान भी मेरे मित्र हैं भाई हैं, और इस देश के वासी हैं परन्तु यदि वह भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें भारतवासियों की तरह आचरण करना चाहिये ।

परन्तु आज मुस्लिमों के साथ साम्यवादियों का पाकिस्तान समर्थक गठबंधन कोई नया नहीं है । यह 1945, 1946 और 1947 में भी था और अब फिर हो गया है । अतः सरकार को इस समस्या से सावधान रहने की आवश्यकता है । यह गठबंधन केवल बंगाल या केरल तक ही सीमित नहीं है, इसकी संभावना, समूचे भारत में होने की भी है और उसमे सारे देश पर संकट आ सकता है । अतः इस समय सभी राष्ट्रवादी शक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे इस गठबंधन को परास्त करने के लिए मिलकर कुछ कार्य करें ताकि देश की एकता, अखण्डता और लोकतन्त्र की रक्षा की जा सके ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बंगाल के समक्ष अपनी समस्यायें हैं। वहां पर शरणार्थियों की संख्या ही लगभग एक लाख है, जनसंख्या बहुत अधिक है और यह भी दुर्भाग्य है कि बंगाल में जनसंघ की स्थिति कमजोर है । यदि हमारी स्थिति वहां सुदृढ़ होती हम जनता को राष्ट्रविरोधी तत्वों के हाथ पड़ने से बचा लेते । अतः सरकार को राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता की स्थिति सुधारने की ओर भी ध्यान देना चाहिये । यह सारा कार्य राष्ट्रीय भावना का निर्माण करके ही किया जा सकता है । इसके लिये सरकार ऐसे आर्थिक पत्र उठा सकती है जिनके द्वारा समुचित रूप से पुनर्वास हो सके और हमें पाकिस्तान के प्रति जनसंख्या के आदान-प्रदान के लिए प्रभावशाली नीति अपनानी चाहिये । यदि हम ऐसा करेंगे तो भारत में और अधिक विस्थापियों के आने की सम्भावना कम हो जायेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : दो वर्षों के थोड़े से समय में ही बंगाल में दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और बंगाल की जनता ने लोकप्रिय सरकार की समाप्ति पर जो संतोष व्यक्त किया है उससे स्पष्ट है कि बंगाल की जनता कितने बुरे समय से गुजर रही है । श्री ज्योति बसु यदि अपने शासन के बारे में कुछ भी क्यों न कहते रहे ।

आज से तीन वर्ष पूर्व नक्सलवाड़ी में तीन वर्ष पूर्व जो आज एक छोटी सी घटना के रूप में भड़की थी, आज वह देशव्यापी बन गई है और हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां इसकी लपटें न पहुंची हों, हां इसके रूप, सीमा और तीव्रता में चाहे कितना भी वैभिन्य क्यों न हो । केन्द्रीय सरकार ने जो कार्यवाही अब की है, यह उसे बहुत पहले करनी चाहिये थी । अब तो इस व्याधि की जड़ें बहुत गहरी चली गई हैं और किसी एक दल पर प्रतिबन्ध लगाने से इसका समाधान सम्भव नहीं है । इन तत्वों का उद्देश्य हिंसात्मक ढंग से हमारी जीवन पद्धति को बदलना है तथा उस स्वतंत्रता को समाप्त करना है जो हमें संविधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई है ।

आप आज के "टाईम्स आफ इण्डिया" को ही देखिये । श्री ज्योति बसु ने कहा है कि देश में क्रान्ति होनी चाहिये, खून की नदियां बहनी चाहिये । इस प्रकार के समाजविरोधी और भड़काने वाले भाषणों पर पाबन्दी लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कौन रोकता है ? वह क्यों ऐसा नहीं कर रही ? आज यह समस्या इतना गम्भीर रूप धारण कर चुकी है कि यह न केवल गृह-मन्त्रालय या गृहमंत्री वर्ण उद्योग, प्रतिरक्षा मंत्रियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के लिये भी चिंता का विषय है । इसका कारण यह है कि देश के सभी प्रमुख उद्योग जैसे इस्पात, कोयला, जूट, चाय और इंजीनियरी माल के उद्योग इसी राज्य में स्थित हैं, देश के कुल निर्यात का लगभग आधा भाग कलकत्ता बन्दरगाह से होता है । इसीलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समस्या को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिये ।

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये)

(Shri K. N. Tiwary in the Chair)

आज कलकत्ता में जो कुछ भी हो रहा है वह विदेशी शस्त्रों और धन की सहायता से किया जा रहा है । वह लोग केवल विदेशी विचारों को देश में लाने के लिए भूमि ही तैयार नहीं कर रहे वर्ण वह लोकतंत्रीय ढांचे और भारतीय जीवन के सूत्र को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं ।

जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जब प्रशासन अपने हाथ में लिया तो उससे यह आशा की गई कि जनता को उसके जीवन की सुरक्षा के मूलभूत अधिकार की रक्षा और व्यापारी समुदाय में व्यापार की सुरक्षा के लिए विश्वास जागृत करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जायेंगे । जनता में जो डर की भावना है उससे उसे मुक्त कर पुलिस के आतंक को भी कम करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

गत वर्ष मुझे बंगाल में चार-पांच जाने का अवसर प्राप्त हुआ तथा मैं वहां व्यापारियों से तो मिली प्रतीत हुआ है कि उन लोगों में विश्वास की कमी है । व्यापारिक समुदाय में उस विश्वास को फिर से लाना है । पश्चिमी बंगाल में लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस में साम्यवादी तत्त्वों की घुसपैंठ हो गई है । आज हम वहां पर न केवल सचिवालय भवन पर बम विस्फोट, गाड़ियों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का जलना ही देख रहे हैं परन्तु श्री ज्योति बसु जो भविष्य में हमारे लोकतन्त्रीय जीवन पर भी प्रहार करना चाहते हैं उसे भी देख रहे हैं । इसी अधार पर मैं सदन के सभी दलों से अनुरोध करती हूं कि सदन के सभी बुद्धिमान वर्ग इसमें सहयोग करें जो कि एक आवश्यक रुचि का विषय है ।

मैं इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूं कि इसके तीन स्वरूप हैं । पहला स्वरूप जनता को आतंकित करने, पुलिस का नैतिक पतन तथा व्यापारिक समुदाय के नैतिक पतन करने का है । दूसरा स्वरूप गुरिल्लाओं की घुसपैठ का है । तोड़-फोड़ करने वाले किसी एक स्थान पर आक्रमण करते हैं तथा किसी स्थान पर गुप्तचर विभाग को लगायें, इसमे पहले ही उन लोगों को किसी अन्य स्थान में हम सक्रिय पाते हैं । यह गुरिल्ला हथकंडे किसी अन्य देश से आये हैं । तीसरा स्वरूप धक्का हथकंडों का है । हमारी विद्या की वेदियों पर आक्रमण किया जाता है साम्यवादों देशों की एक सामान्य बात । महत्मा गांधी तथा टैगोर के चित्रों पर आक्रमण किया जाता है

परिणामस्वरूप लोगों के मस्तिष्क पर इससे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह सब प्रजातन्त्र को कुचलने, गड़बड़ पैदा करने तथा विध्वंस करने के लिये किया जा रहा है। क्या मैं आशा करूं कि राष्ट्रपति के लिए कार्य करते वाले राज्यपाल अपना कर्त्तव्य गंभीरतापूर्वक पूरा करेंगे ? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ऐसे अधिकार सौंपे जाने चाहियें जिनसे वह वहां के नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकें चाहे वहां सैनिक शासन ही लागू क्यों न हो तथा समाजविरोधी और राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को अनुबद्ध समय में निकाल दें तथा प्रत्येक वर्ग में विश्वास जागृत करें।

इसके बाद विस्थापितों की समस्या है जिसने अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लिया है। कुछ समय पहले विस्थापितों की संख्या 60 लाख थी परन्तु अब वह 1 करोड़ हो गयी है। विस्थापितों की इस नई पीड़ी को जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और उन्हें कोई भी सामाजिक या नैतिक देन नहीं मिलती है।

1964 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि जो मुसलमान पाकिस्तान गये उनके द्वारा छोड़ी गई समस्त सम्पत्तियों को पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों को दिया जायेगा। यह सुविधा पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों को भी क्यों नहीं दी गयी ? यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें किसी और रूप में इन विस्थापितों को सहायता देनी चाहिये, यह सहायता नकद या रोजगार अथवा किसी और अन्य रूप में दी जा सकती है।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को संरक्षण मिल रहा है अथवा नहीं तथा बंगाल के नागरिकों को जिस सुरक्षा की आवश्यकता है वह उन्हें प्रदान की जाती है अथवा नही।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में
POINT OF PERSONAL EXPLANATION

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : महोदय, मेरा वैयक्तिक स्पष्टीकरण का विषय है। मुझे हाल ही में मेरे दो साथियों, श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा श्री मधु लिमये, का संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि लाठी चार्ज से घायल हुये माननीय सदस्यों में से श्री फर्नान्डीज से अस्पताल में तथा श्री लिमये से उनके घर पर जब मैं मिला तो, उन्होंने कहा है, कि मैंने उनसे यह कहा था कि इसमें कोई षड़यन्त्र था। यह सर्वथा मिथ्या है तथा मैं इससे इन्कार करता हूं। मुझे अफसोस है कि इतने प्रतिष्ठित संसद् सदस्यों ने कैसे यह मिथ्या धारणा बना ली। यदि उन्हें मुझे कोई बात कहनी थी तो संसदीय कार्यवाही के अनुसार कहनी चाहिये थी। मैं एक बार पुनः कहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जैसा कहा है वैसी कोई बात नही थी, कोई षड़यन्त्र नहीं था।

श्री एस० कन्डप्पन (मैसूर) : अध्यक्ष महोदय, बंगाल की समस्या अधिक भयावह हो गई है और इसका समाधान नहीं खोजा जा सका है। संयुक्त मोरचे को पश्चिमी बंगाल में भारी धक्का लगा है क्योंकि 1967 के चुनावों के बाद जनता अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को समझने लगी है और वह 20 वर्ष से चल रहे कांग्रेसी राज्य से ऊब चुकी है और चाहती है कि किसी और दल को सत्ता प्राप्त हो। मेरे विचार में यह प्रवृत्ति कायम रहेगी। फिर भी हमारा कर्त्तव्य यह देखना है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ?

श्री बलराज मधोक ने साम्यवादी दल पर यह आक्षेप लगाया है कि यह दल भारत-विभाजन एवं पाकिस्तान के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी है। परन्तु ऐसे आरोप केवल उग्रवादी विचारों के कारण लगाए गए हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि दलगत विचार में वैभिन्य नहीं होना चाहिए बल्कि समय आ गया है जब हमको मिली-जुली सरकार और संयुक्त मोरचा सरकार बनाकर रहना पड़ेगा। परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि घटक दलों के मतभेद के कारण बंगाल में संयुक्त मोरचा स्थिर नहीं रह सका। हम जनता को विधि शासन का प्रजातांत्रिक मूल अधिकार नहीं दे पाते जबकि सत्तावादी देशों में किसी न किसी रूप में विधि शासन कायम है। यदि हम विधि शासन का अधिकार प्रदान नहीं कर सकते तो मुझे भय है कि जनता साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के साथ मिल जाएगी। बंगाल में बेकारी और गरीबी की समस्या का कारण है—संयुक्त मोरचे का टूटना। जब तक इस प्रवृत्ति का अन्त नहीं किया जाता तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति शासन के दौरान बंगाल की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है—इस बारे में ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त मोरचे की नीतियां काफी प्रगतिशील रही हैं। उदाहरणार्थ भूमि सुधार, भूमिहीन मजदूरों को भूमि दिलाने का कार्य सराहनीय है। क्या सरकार ऐसी प्रवृत्तियों की सराहना करेगी जो प्रवृत्तियां संयुक्त मोरचे के शासन काल में पनपी हैं और क्या सरकार जातिगत समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देगी ? सरकार को प्रगतिवादी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए।

परामर्शदायित्री समितियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन समितियों को अधिक सत्ता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक बैठकें बुलानी चाहिएं और उन्हें गम्भीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। उन्हें बिना राजनीति में पड़े खुली चर्चा करनी चाहिए। अगर पश्चिमी बंगाल की बेकारी और गरीबी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसे कम करने के उपाय तो किए ही जा सकते हैं। अत: सरकार को प्रगतिशील नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए।

आज बंगाल की जनता का जीवन दैन्यपूर्ण हो गया है। जब उन्हें यह पता लगेगा कि वहां से उद्योग केन्द्र भी हटाए जा रहे हैं तो निश्चित है कि उनकी क्षुब्धता और भी बढ़ जाएगी चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के मानने वाले क्यों न हों, इस बात का विरोध करेंगे। समिति को राजनीति से हटकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : पश्चिमी बंगाल, जो इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है, बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने संयुक्त मोरचे की निन्दा की है और इसे 'राजनीतिक ठगबाजी' कहा है। मैं ऐसे सदस्यों को आड़े हाथों ले सकता हूं और इनके द्वारा लगाए गए आक्षेपों का उत्तर दे सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं हो सकता कि केवल संयुक्त मोरचा ही पश्चिमी बंगाल की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि थोड़े समय के लिए संयुक्त मोरचा शासन असफल रहा है फिर भी उसकी कटु आलोचना नहीं की जा सकती। हम फिर से पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोरचे को मजबूत बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इस प्रयत्न में सफलता न मिली तो हमारी आकांक्षा है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराए जाएं और

राष्ट्रपति शासन केवल वांछित समय तक ही लागू रखा जाए । संयुक्त मोरचे के शासन-काल के दौरान किसान वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग, अध्यापक वर्गों को काफी लाभ हुए हैं। राष्ट्रपति शासन के अधीन कार्य कर रहे अन्तरिम शासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनको उन लाभों से वंचित न किया जाए। कानून के नाम पर, जो भूमि किसानों को दे दी गई थी, छीनकर जोतदारों को वापिस न दी जाए क्योंकि यही जोतदार पीढ़ियों से किसान-वर्ग का शोषण करते आ रहे हैं। अगर सरकार जनता से उन लाभों को छीनेगी, तो उसको इसका मूल्य भी चुकाना होगा। जनता में जागृति आ गई है। यदि जनता को वे अधिकार प्राप्त हो जाएं जो दीर्घ काल से उन्हें सुलभ नहीं किए गए तो सरकार को ऐसी कार्रवाही करनी पड़ेगी जो जनता की प्रजातांत्रिक इच्छा के विरुद्ध होगी।

नक्सलवादी तोड़-फोड़ की कार्रवाहियां कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तथा छल-कपट का इतना बोल-बाला है कि युवा पीढ़ी यह चाहने लगी है कि एक बार देश को क्षत विक्षत कर दो, उसके बाद नव जीवन का अंकुर फूटेगा। अतः हमें फिलहाल उस क्षति की पूर्ति करनी होगी और अन्तरिम प्रशासन अभिकरणों को भी इस ओर प्रयत्न करना होगा। विदेशी आय का आधे से अधिक भाग कलकत्ता उपार्जित करता है। आज वही राज्य बेकारी की समस्या से ग्रसित है। ऐसी स्थिति के बावजूद भी बिरला बन्धु कलकत्ता से अपने उद्योगों को हटा रहे हैं। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उनको कलकत्ता में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और उन्हें उद्योगों को हटाने से रोका जाए।

जिस परामर्शदायित्री समिति की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह समिति पहले बनाई गई समितियों से भिन्न होनी चाहिए। इस समिति को अधिक से अधिक बैठकें बुलानी चाहिए। हम यह परिवर्तन इसलिए चाहते हैं ताकि इसके सदस्यों को पश्चिमी बंगाल की समस्याओं को ठीक प्रकार से सुलझाने का अवसर मिल सके। यदि ये सदस्य धैर्यपूर्ण अपना कर्तव्य निभाएं तो पश्चिमी बंगाल की समस्याएं दूर हो सकती हैं। पश्चिमी बंगाल को इस समय राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता नहीं। उन्हें आवश्यकता है निर्वाचित प्रतिनिधियों की और इसीलिए हम संयुक्त मोरचे के पुनर्गठन का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम इस प्रयत्न में सफल न हो सके तो मध्यावधि चुनाव के आदेश दिए जाने चाहिए ताकि पश्चिमी बंगाल की जनता अपनी राय को वोट के द्वारा अभिव्यक्त कर सके।

तीसरे वेतन आयोग के संगठन से सम्बन्धित संकल्प (संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई)

Resolution Re : Third Pay Commission (Laid on the table)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० सेठी अब वक्तव्य देंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी कोई वाद-विवाद हो रहा होता है तो कोई माननीय सदस्य बीच में बोल उठता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सदन के सूचनार्थ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग के संगठन से सम्बन्धित 23 अप्रैल, 1970 के संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : आपका कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री समर गुह : सरकार उलटे-सीधे दांव-पेंच अपनाकर पश्चिम बंगाल की किस्मत से खिलवाड़ कर रही है। मुझे खेद है कि यदि वेतन आयोग के बारे में कोई वक्तव्य दिया जाना है तो वह कल भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने नियम 377 के अधीन अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि रेलवे विभाग, रक्षा विभाग और डाक तथा तार विभाग के लगभग 50,000 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार एक महीने के अन्दर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत प्रदान करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों को जो पिछले दो वर्षों से अधिकतम वेतन सीमा पर रुके हुए हैं, वेतन-वृद्धि के लाभ प्रदान करेगी ? मैं इस प्रश्न का साफ उत्तर चाहता हूं।

श्री समर गुह : आप वाद-विवाद में ही बंगाल की जनता के भाग्य के साथ खिलवाड़ न करें। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बंगाल की महत्ता का पता है। आप कृपया बैठ जाइये। चूंकि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने माननीय मंत्री को सभा-पटल पर पत्र रखने की अनुमति दी है।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय सदन में कल भी तो वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री समर गुह : मैं निरन्तर बाधा डालता रहूंगा। यह मेरा अधिकार है*...

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय मंत्री कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री प्र० चं० सेठी : मैने पहले ही सभा-पटल पर पत्र रख दिए हैं।

पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)—जारी

WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—Contd.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गत 20 वर्षों में पश्चिमी बंगाल पर कांग्रेस दल ने शासन किया है। यह छिपा नहीं है कि कांग्रेस राज्य ने बंगाल को बरबाद कर दिया है। अब फिर उसी कांग्रेस राज्य को फिर से सत्तारूढ़ करने के लिए दांव-पेंच लगाए जा रहे हैं। एक तरफ

***कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**
Not recorded.

तो ये अधिकार-प्रिय लोग सत्ता, पद तथा धन प्राप्त करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं और इधर ये लोग आई० सी० एस० अधिकारियों के विशेषाधिकारों को कम करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार परामर्श के बहाने परामर्शदायित्री समिति बहुत संख्या में स्वतंत्र एव जनसंघ दल के लोगों को शामिल कर रही है। चुनावों में इन लोगों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसे लोगों को बंगाल की जनता की ओर से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। संविधान में परामर्श-दाताओं के बारे में कोई उपबन्ध नहीं दिया गया। सरकार को उनके वेतन, भत्ता के बारे में कुछ बताना चाहिए। जनता द्वारा निर्वाचित संसद् सदस्यों को राज्यपाल के अवैतनिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त क्यों नहीं किया जाता ? क्या इसलिए कि वे कांग्रेस द्वारा बनाई गई योजना का प्रचार नहीं कर सकते ? परामर्शदायित्री समिति की गठन से पश्चिमी बंगाल की दलगत स्थिति प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। हमें यह पता लगना चाहिए कि समिति कब-कब बैठकें बुलाएगी और इसके क्या अधिकार होंगे।

छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक बेकारी है। बेकार व्यक्तियों का जीवन निराशापूर्ण और भविष्य अन्धकारपूर्ण हो गया है। सरकार ने जितनी भी आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, उससे समस्याएं कम होने की बजाए और भी जटिल हो गयी हैं। यही नहीं, उच्च तथा निम्न वर्ग में बीच की खाई और भी बढ़ गई है। जब तक समस्या के मूल को खोजकर उसका समाधान नहीं किया जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, अत्याचार एवं दमन की घटनाएं और भी बढ़ने लगी हैं। कांग्रेसी जोतदार भूमि को हथियाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। राजस्व बोर्ड के एक सदस्य ने कुछ विशिष्ट जिलों का दौरा लगाने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि अगर किसानों को दी गई भूमि को कांग्रेस सरकार हथियाना चाहती है तो यह उसके लिए 'आ बैल मुझे मार' वाली बात होगी और साथ ही उनकी राजनीतिक प्रगति भी जोखिम में पड़ जाएगी। उस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुए छः सप्ताह ही हुए हैं कि शोषकों एवं प्रतिक्रिया-वादियों ने अपना सिक्का जमा लिया है। असली अपार अपराधियों का एक शक्तिशाली गुट है। वे ही गड़बड़ी का कारण हैं।

संविधान में 6 महीने के बाद मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था दी गई है। आप ऐसा नहीं चाहते क्योंकि आपको भय है कि कहीं जनता आपको वोट ही न दे। मेरा कथन है कि मध्यावधि चुनाव कराए जाएं और जनता को भले-बुरे लोगों का निर्णय करने का अधिकार दिया जाए।

Shri Deven Sen (Asansol) : West Bengal cannot bear the burden of President's Rule for a long time. It cannot face the two powers -extreme Left and extreme Right - at one time. So I would request that the President Rule should be lifted and this wlll be in the interest of the people of West Bengal.

The Economic position of West Bengal has bccome more miserable. In the Fifth Finance Commission a very small share has been allocated for West Bengal. All the States have been provided with excessive funds but Bengal which is already running short of funds has not been given adequate share. If we want to improve this situation we will have to assist her on a very large scale.

The benefits we enjoyed during United Front regime should not be snatched away. As regards the representation of various interests in the committee you propose to form for this purpose, consideration should be given regarding the strength of each party in the present Assembly.

Now I want to say something about Refugees. How far it is justified that the Refugees who have come from West Pakistan are given compensation for the property they have left in West Pakistan but property of the people who have come from East Pakistan is not recorded even what to talk of giving compensation. Hence I demand that if Government is not in a position to give compensation to such refugees, at least arrangement should be made to keep their property recorded so that it may be useful later on.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मार्क्सवादी लुटेरों के विश्वासघात के कारण पश्चिमी बंगाल की जनता को दो बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा है । उनका कहना है कि यदि आगजनी, लूट, मारधाड़ से प्राप्त माल पर किसी ने हाथ लगाया तो वे खून की होली खेलेंगे । समाचार-पत्रों को यह चेतावनी दी गई है कि यदि वे उनका समर्थन नहीं करेंगे तो वे उनको जला देंगे । पश्चिमी बंगाल में हर जगह हड़तालें हो रही हैं । प्रसन्नता की बात है कि मार्क्सवादी दल के तीन तुर्कों का जनता ने काले झण्डों से स्वागत किया । इसके विपरीत अजय बाबू का नायक के समान स्वागत किया जा रहा है क्योंकि जनता उन्हें अत्याचार और नृशंसता से रक्षा करने वाले के रूप में समझती है । मेरे विचार में पश्चिमी बगाल की जनता के लिए यह महत्त्वपूर्ण अवसर है कि वे मार्क्सवादियों के असली स्वरूप को प्रगट करें । हमको पिछले 13 महीनों में मार्क्सवादियों द्वारा उत्पन्न की गई गड़बड़ी को समाप्त करना है । सचिवालय में अदल-बदल होना अत्यावश्यक है । जिन पुलिस कर्मचारियों को मार्क्सवादियों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए नियुक्त किया था, उसकी मान्यता को वापिस ले लेना चाहिए और पश्चिमी बंगाल पुलिस संघ में, जिनमें 95 प्रतिशत विश्वासप्राप्त पुलिस कर्मचारी हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र मान्यता दी जाए ।

वीसा और पासपोर्ट विभाग सीमा के दूसरी ओर के समाज-विरोधी विध्वंसकों को संरक्षण देने का अड्डा बना हुआ है । इसका सुधार किया जाना चाहिए । लूट, आगजनी, हत्या आदि के मामलों में जांच की जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न हो सके ।

मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेता, सक्रिय कार्यकर्त्ता शरणार्थियों में से होते हैं क्योंकि मार्क्सवाद भूख, निराशा में पनपता है । यदि आप इस समस्या को नहीं सुलझाते हैं तो कलकत्ता में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और भारत की अखंडता बनाए रखना कठिन हो जायेगा । इस सभा में यह वचन दिया गया था कि गंदी बस्तियों की सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी । पी० एल० 480 का धन इस कार्य के लिए दिया जाना चाहिए ।

मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि नौकरशाही जनता के साथ भलीभांति पेश नहीं आयेंगे तो इससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । भूमि-सुधार दूसरी समस्या है, एक भूमि सुधार आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए । भूमिहीन किसानों द्वारा बलात ली गई सरकारी फालतू भूमि को शीघ्र ही नियमित किया जाना चाहिए । जिन गरीब किसानों से भूमि छीन ली गई है उनको वह वापिस दिलवायी जानी चाहिए ।

सरकार को शीघ्र ही उन गरीब किसानों को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए जिनकी भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा ले ली गई है अथवा जिनकी फसलें काट ली गई हैं। यदि संभव हो सके तो पश्चिमी बंगाल में भूमि की सीमा 65 बीघा कर देनी चाहिए और फालतू भूमि को आदिम जाति तथा हरिजनों को बांट दी जानी चाहिए।

सरकार ने यह कहा है कि पश्चिमी बंगाल मत्स्य क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया है, यह वहां की एक बड़ी समस्या है, इसका शीघ्र ही विकास किया जाना चाहिए।

शिक्षा तथा मार्क्सवाद परस्पर विरोधी हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काफी परिवर्तन लाया गया है, इसका पुनः गठन करना है, जिला परिषदें मार्क्सवादियों के शिकंजे में हैं, उनका भी पुनर्गठन किया जाना है, इसके अलावा स्कूलों से निकाले गये अध्यापकों की पुनः नियुक्ति करनी है।

यदि हम पश्चिमी बंगाल की समस्या को रचनात्मक तथा समाजवादी ढंग से न सुलझायें तो देश के लोकतंत्र, प्रादेशिक अखंडता खतरे में पड जायेगी, मैं यह चेतावनी सरकार को दे रहा हूं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि पश्चिमी बंगाल की ओर न सरकार ने और न विभिन्न शासनारूढ़ दलों ने ध्यान दिया है। उन्होंने उस राज्य के लिए कुछ नहीं किया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

राज्यपाल ने विधान सभा के सत्र में कहा था कि पश्चिमी बंगाल में 14 दलों द्वारा शासन चलाना एक अनूठा परीक्षण है परन्तु दुर्भाग्यवश यह दो बार असफल रहा है, वैसे घटक दलों के नेताओं द्वारा पुनः शासन चलाने के प्रयत्न हो रहे हैं।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनारूढ़ होने से पूर्व 20 वर्ष के कांग्रेस शासन पर दोषारोपण किया जाता था। जब यह सरकार शासनारूढ़ हुई तो कांग्रेसी जन इसकें कुशासन की बदनामी करते थे, परन्तु राष्ट्रपति शासनावधि में वहां न कोई नियम है और न कोई प्रशासन विद्यमान हैं। कुछ माननीय सदस्य राज्यपाल पर दोषारोपण करते हैं, पर आपके अधिकारियों का रवैया क्या है ? वे केन्द्रीय सरकार के निदेशों पर कार्य करते हैं, इन 6 सप्ताहों में वे अपने पद, वेतन आदि के लिए लड़ते रहे हैं और इन्हीं के हाथों में आपने बंगाल का शासन सौंपा है, जैसे कि माननीय सदस्य श्री समर गुह ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र और कई अन्य बातें दांव पर लगी हुई हैं। आज सबेरे मैंने कहा था कि यदि कलकत्ता में कुछ होता है तो इसका प्रभाव समूचे देश पर पड़ेगा, वहां की जनता प्रगति के पथ पर चल पड़ी है। उन्होंने 23 वर्ष इंतजार किया और यदि आप समस्या को जिम्मेदारी और रचनात्मक नेतृत्व से नहीं सुलझाते हैं तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह हमारी सहायता करे।

सभा के प्रत्येक वर्ग ने यह मांग की है कि इस सलाहकार समिति में, जिसका हम गठन कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल के दोनों सभाओं के सदस्य शामिल किये जायें ताकि इसमें काफी सीमा तक पश्चिमी बंगाल की जनता का प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, मैंने दो संशोधन दिये हैं जिसमें कहा

गया है कि इस समिति की तीन महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए ताकि इसमें समस्याओं पर चर्चा हो सके और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को उचित सलाह दी जाये।

मैं आपको सावधान करना चाहता हूं क्योंकि पहले ही निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने यह सोच लिया है कि वे अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे। गांवों और देहातों में बड़े जमींदार, जोतदार कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और यह समझ कर किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं कि राष्ट्रपति उनकी सहायता करने आयेगा, यदि आप इस खतरे की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वहां क्रांति आ सकती है।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जीलिंग) : इस सभा में कई बार नक्सलवादी आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है, यह कानून तथा व्यवस्था की समस्या नहीं है और इसको साधारण तरीकों से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसको विद्यार्थियों के आंदोलन का नाम दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है। इस आंदोलन की जड़ गांवों में है और यह गरीब आदिम जाति के लोगों में व्याप्त है।

यह नक्सलवादी आंदोलन नक्सलबाड़ी में आरम्भ हुआ था जबकि श्री वांगड़ी मारा गया था। मैं उस समय निकट के गांव में था, श्री ज्योति बसु ने इस मामले को वापिस ले लिया था। क्या इस मामले को वापिस लेकर इससे भी बड़ा अपराध हो सकता है।

नक्सलवादियों का आधार आदिम जातियों के क्षेत्र हैं। मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। यह नक्सलबाड़ी एक आदिम जाति क्षेत्र है। इसके बाद यह श्रीकाकुलमं में फैला जो कि एक गिरिजन क्षेत्र है तथा एक आदिमजाति और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां जमींदार और साहूकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं तो पहले आपको बंगाल की रक्षा करनी होगी, बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा की जानी चाहिए। आदिमजाति के लोगों को देश से अलग रखने की नीति से देश को नुकसान हुआ है। उनकी संस्कृति के संरक्षण देने हेतु समस्त प्रक्रिया इस प्रकार बनाई गई है कि उनको अलग कर दिया गया है जिससे वे अपने ही मनमाने ढंग से चलें। उनको कृषि करने के आधुनिक तरीके बताये जाने चाहिए। उनकी संस्कृति को संरक्षण दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनकी रक्षा की ओर भी समुचित ध्यान देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : 30 मार्च को पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति आदेश पर चर्चा करते समय मैंने यह कहा था कि बर्दवान दक्षिणदुअरी, त्रिवेणी तथा अन्य स्थानों पर न केवल हत्याएं हो रही हैं अपितु कूच-बिहार में 5 व्यक्तियों को मार डाला गया है। मैंने राज्यपाल और गृह-कार्य मन्त्री को पत्र लिखा था जिसमें मैंने इन हत्याओं के मामलों की जांच करने की मांग की थी। दुःख का विषय है कि इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, मेरी मांग यह है कि गृह-कार्य मंत्री बतायें कि क्या कूच-बिहार की घटनाओं की न्यायिक जांच की जाएगी ?

Shri Shir Chandra Jha (Madhubani) : At the time of introduction of the President's Rule its representative character looses its hold. The power comes in the hand of officers and the authority and corruption prevails there. So we should bring out such a medium through which the President's rule and its representative character may remain infact. I have given my amendment in this respect.

The formation of the Consultative Committee, in which 40 members will be from

Lok Sabha and 20 members from Rajya Sabha, will only become a mockery as was in the case of Bihar. If you want the voice of those people of West Bengal to be heard then only the Members of Parliament of that State may be included in this Committee. My amendment is this that all M. Ps. of West Bengal may be in the Committee. I also support the amendment of Shri Tridip Kumar Chaudhuri relating to this demand that more meetings of the Committee should take place and greater responsibilities be entrusted upon them. During the President's Rule all the development works are neglected and Bureaucracy prevails there. The President's Rule proves failure whereas it is supposed to bring improvements in the State. Firstly, all the members of the Committee must be from West Bengal and secondly, certain responsibilities may be entrusted upon them. A programme for the development work may be formulated and it should be completed within a specific period.

In spite of all these steps, the representative character does not come in it. A long-range solution is needed for this. The Centre has placed all the powers in its hands. The power has not been decentralized in State level, district level and the village level. Had the power been decentralised then its roots would have been strong and the representative character would be there in the President's Rule. Since it is not there so the Committee must have Members of Parliament of that State and power to carry on the development work.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री सेठी के वक्तव्य पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आकाशवाणी में यह कहा गया है कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग के गठन के बारे में असंतुष्ट हैं। इसमें कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं शामिल किया गया है। क्या आप समझते हैं कि बिना इससे उन्हें न्याय दिया जायेगा ?

यह लज्जा की बात है कि इस आयोग में कोई श्रमिक प्रतिनिधि नहीं है। यह आयोग किसी भी हालत में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल में चौथी आम चुनाव के बाद तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन अल्पकाल के लिए है। फिर भी हमें वहां के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा।

अन्य बातों पर विचार करने के पहले मैं समिति के गठन के बारे में उठाये गये प्रश्नों पर विचार करूंगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां का प्रशासन सदन का जवाबदेह हो जाता है। समिति न केवल कानून के निर्माण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह देगी बल्कि जनता की समस्याओं के बारे में भी आवश्यक सुझाव देगी। अत: यह समिति सदन का प्रतिनिधि है। वस्तुतः राज्य विधायिका को हम अपदस्थ नहीं कर सकते। समिति में पश्चिम बंगाल के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का जहां तक सम्बन्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न दलों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जब समिति के सदस्यों का नामनिर्देश किया जायगा, यह बात माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति के ध्यान में रहेगी।

पश्चिम बंगाल के प्रशासन कार्य की कुछ सदस्यों द्वारा कटु आलोचना की गई है। हम सब जानते हैं कि वहां की समस्या केवल दो, तीन या बीस साल से हुई समस्या नहीं है, इसके कई ऐतिहासिक कारण हैं। इन समस्याओं को हल करने की कोशिश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्तारूढ़

हुई सारी सरकारों ने की है । कई निपुण मुख्य मन्त्रियों ने इस राज्य की समस्याओं का हल निकालने का भरमक प्रयत्न किया है । उनमें डा० बी० सी० राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है । मगर चौथे आम चुनाव के उपरांत इन समस्याओं को हल करने की कोशिश ही नहीं की गई । बल्कि उसे और अधिक संकीर्ण बना दिया गया । इसका नतीजा यह होता है कि प्रशासन को सामान्य स्तर पर लाने में और तद्वारा इसे पुन: जनसेवा का साधन बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा । हर जिम्मेदार नागरिक अपने मन में यह चाहेगा कि जो हालत बंगाल में पैदा हुई, वह अन्यत्र कहीं भी न पैदा हो । चौथे आम चुनाव के बाद सारा उपद्रव वहां फिर उठने लगा ।

पश्चिम बंगाल में जमीन की समस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण और संकीर्ण भी है । हम इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं । मगर इस समस्या को उस ढंग से हल नहीं किया जा सकता जिस ढंग से वहां के कुछ दल करना चाहते हैं । इसका समाधान संवैधानिक तरीके से और अहिंसात्मक रीति से किया जायगा । मैं इससे पूर्णत: सहमत हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्रता से किया जाना चाहिये । हमने वहां एक वरिष्ठ सिविल अधिकारी के अधीन में, जिन्हें इन मामलों का सही एवं विस्तृत ज्ञान है, एक विशेष कोष्ठ बनाया है । हमारी नीति यह है कि जिसे जमीन मिलने की अर्हता नहीं है, भले ही उसने जबरन जमीन पर कब्जा किया हो, उसे निष्कासित किया जाएगा । जो जमीन पाने की अर्हता रखता है, उसे शीघ्रता से जमीन उपलब्ध कराने का कदम उठाया जायगा । आशा है कि हमारे इस प्रयत्न में सारे दलों का सहयोग प्राप्त होगा और खासकर उन सारे माननीय सदस्यों का जो संसद् की परामर्श समिति में रहे हैं ।

हमें कई प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है । ये समस्यायें वहां हुई दो घटनाओं के परिणामस्वरूप पैदा हुईं । इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों से यह कहना है कि बंगाल की समस्याओं का समाधान रातों-रात नहीं किया जा सकता । अत: कुछ सदस्यों का यह आरोप कि वहां राष्ट्रपति शासन के बाद प्रशासन क्षेत्र बिल्कुल नाकाम हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है । हम जानते हैं कि प्रशासन वहां चल रहा है और उसका प्रभाव कुछ समय के बाद ही लोगों को महसूस होगा । श्री ज्योतिर्मय बसु का यह कथन कि यह नौकरशाही प्रशासन है, सदन का अनादर करना है । इस प्रशासन के लिए हमीं सदन का जवाबदेह हैं, न कि ये नौकरशाह ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब आप पश्चिम बंगाल का शासन करने के लिए जनतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके पुराने सिविल अधिकारियों/नौकरशाहों को भेज देते हैं, तो आप संसद् का अनादर करते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि राष्ट्रपति शासन कब तक बना रहेगा । संविधान के अनुसार यह शासन छ: महीने तक है और हर छ: महीने के बाद अगर जरूरी है तो हमें इसकी अनुमति के लिए संसद् के सन्मुख आना पड़ता है । अत: संसद् ही इसके बारे में निर्णय लेता है कि राष्ट्रपति शासन कायम रखना है या नहीं । अगर हमें महसूस होता है कि चुनाव से स्वस्थ सरकार की स्थापना संभव होगी, तो हमें चुनाव कराने में खुशी ही होगी । मगर हम किसी भी दल को हिंसा या आतंक के बल पर मतदाताओं को धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करवाने नहीं देंगे । मैं सुस्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर कोई दल इस प्रकार लोगों को डरा-धमकाकर या अन्य तरीके से अपने पक्ष में मत देने का मजबूर करता है, तो हम उस दल के

प्रयत्नों को नाकाम कर देंगे । पता नहीं हम इसमें कहां तक सफल होंगे, मगर हम चुनाव को चाहे वे मध्यावधि चुनाव हो, या आम चुनाव हो, अधिकाधिक शांतिपूर्ण ढंग से चलाने और इस प्रकार की अनुचित बातों को रोकने की कोशिश करेंगे । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो, फिर भी जब तक राष्ट्रपति शासन कायम रहता है, यह हमारा कर्तव्य है कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन को तटस्थ रूप से, प्रभावशाली ढंग से चलाया जाए । आशा है कि सदन के सारे विभाग इस कार्य में हमें सहयोग देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को पश्चिमी बंगाल राज्य के विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विवेचन करेंगे । खण्ड 2 में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं है ।

मैं खण्ड 2 मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक से जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 3 पर विचार करेंगे । इसके कई संशोधन प्रस्तुत हैं ।

श्री देवेन सेन : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री त्रिदीप कुमार चौधरी : मैं संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री देवेन सेन द्वारा पेश की गई संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Deputy Speaker, Sir, my amendment seeks to request that all the M. P.s from West Bengal, both from Lok Sabha and Rajya Sabha, may be included in this committee. The Minister in his reply has said that they wanted to give it a national character. I would like to know on what basis 40 members from Lok Sabha and 20 members from Rajya Sabha have been selected to the Committee. There is no problem of national character here. In fact the Government tries to play manouverings in this, they are not willing to give it a national character. Therefore, I urge that my amendment may be accepted.

Shri Vidya Charan Shukla : Whatever we have done in this regard, it is on the basis of our past experience.

संशोधन संख्या 5 पर लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में 7 और विपक्ष में 93 मत प्राप्त हुए।

Ages 7, Nors 93

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक से जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़ दिए गए

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1970/4 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Elven of the Clock on Friday, April 24, 1970/Vaisakha 4, 1892 (Saka).

Eagle Offset Printers, Allahabad

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

23 अप्रैल, 1970 । 3 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि	
(iii)	पंक्ति 13 में `7200` के स्थान पर `1200` पढ़िये ।	
(ix)	पंक्ति 13 में `7198` के स्थान पर `7298` पढ़िये ।	
(xv)	पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित पढ़िये ।	
वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में		Point of personal explamation 168
श्री ब.रा.भगत		Shri B.R. Bhagat
	अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित पढ़िये :	
(xv) श्री प्र.चं.सेठी		Shri P.C. Sethi